खण्ड-422, अंक-3
गुरुवार, 9 माघ, शक संवत् 1919
(29 जनवरी, 1998 ई0)

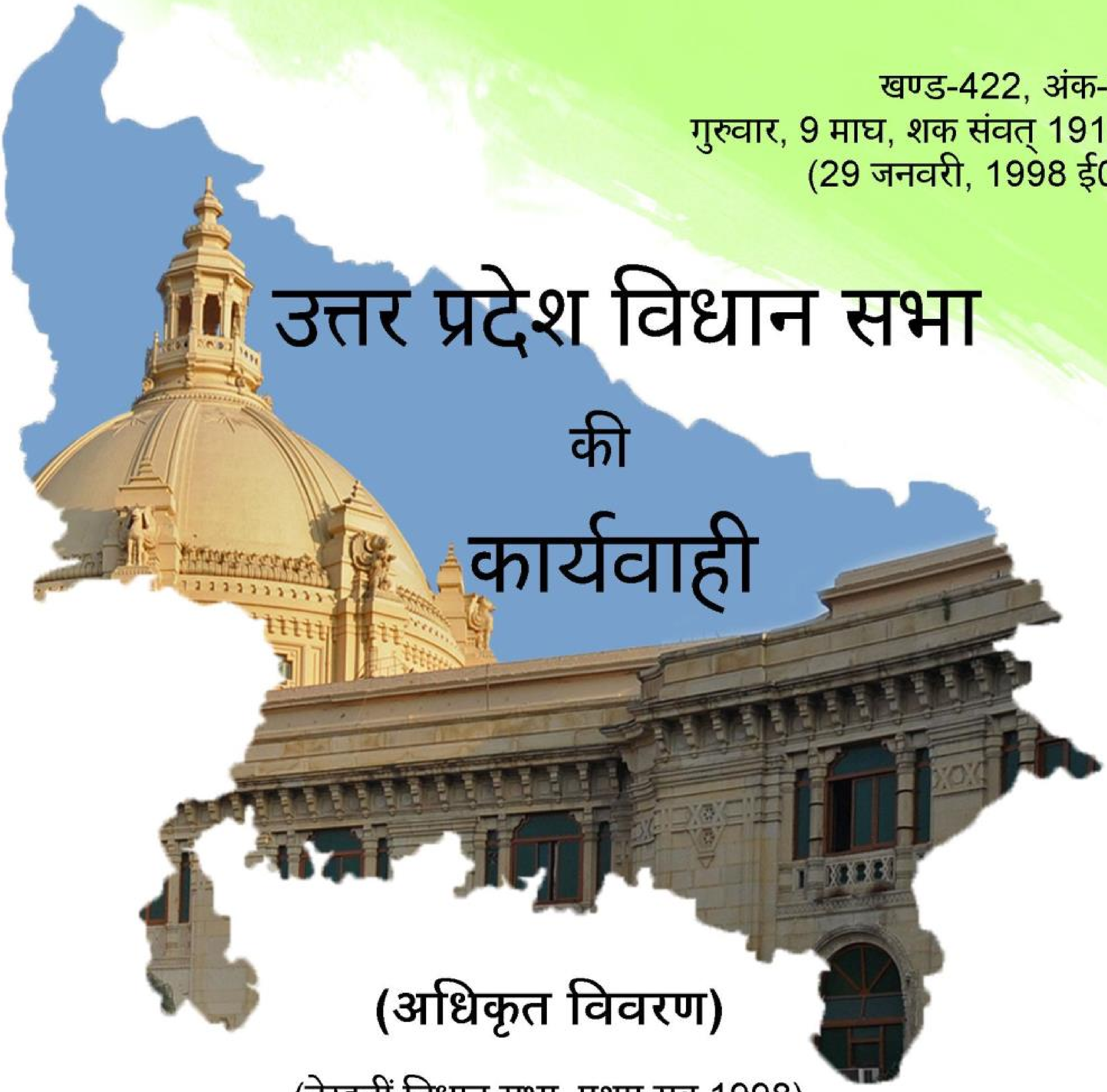

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1998)

खण्ड 422 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर ...	1-80
आज की कार्यवाही के नत्थी ग के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के दिये गये उत्तर पर आपत्ति	80
आज सदन समाप्ति के पश्चात सभा मण्डप गैलरी में चित्र वीथिका के अनावरण तथा मा० सदस्यों को हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह भेंट किये जाने की सूचना (जारी)	80-81
प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	81-83
सरकार द्वारा नियंत्रित दुकानों पर खाद्य वस्तुओं के अभाव के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	83-86
कुम्भ मेला (1998) में हरिद्वार का गंगा जल प्रदूषित होने से संक्रामक रोग फैलने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	86-87
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप 265 कर्मचारियों को बर्खास्त किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	87-88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	88
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद पौड़ी में पेयजल समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
वाराणसी के दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद अलीगढ़ के अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किये गये ग्राम्य प्रयोगशाला सहायकों का स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
भंडारी बाग (गढ़वाल) के गन्दे नाले को पक्का कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
प्रदेश में आरा मशीनों के बन्द होने से लाखों लोगों की जीविका पर आये संकट का समाधान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मुख्य मार्ग पर लोनी नदी पर टूटे पुल को ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92

विषय	पृष्ठ संख्या
ग्राम्य डोटल गांव पोस्ट बगवाली पोखर जिला अल्मोड़ा निवासी श्री किशरराम प्रकरण की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
इटावा के ग्राम गंगापुरा में दो भाइयों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92–93
राजकीय डिग्री कालेज (वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय) हरिद्वार में शीघ्र प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ परियोजना के आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को बेदखल न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
सदर छावनी लखनऊ की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद महोबा में राजस्व विभाग में वर्ष 1996 में की गई अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद सुल्तानपुर में जवाहर रोजगार योजना के धन का गबन होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बरेली की ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल नबाबगंज, बरेली के लिये निर्धारित क्षेत्र का गन्ना न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर, जनपद उन्नाव के निलम्बन के पश्चात् भी उन्हें कार्यमुक्त न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
प्रदेश के कृषकों की जटिल समस्याओं का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96–97
आजमगढ़ जिले की मेंहनगर तहसील से अन्य स्थानों के लिये बसें चलवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
प्रदेश के आबकारी विभाग में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
मथुरा के गोवर्धन कस्बे में बालिकाओं की शिक्षा हेतु विद्यालयों की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद सीतापुर के मोहल्ला संतनगर में विद्युत व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
आयुर्वेद यूनानी विभाग निदेशालय उ० प्र० में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में हो रहे भेदभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
लखनऊ स्थित लालबाग काम्प्लेक्स राजकीय आवासीय कालोनी में वांछित क्षमता का विद्युत जनरेटर लगवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय मंदिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु निकाले गये टेण्डर में हेराफेरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क लेकर मुरादाबाद पश्चिम के नगरीय क्षेत्र को समायोजित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	100–102
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद सीतापुर में रिजर्व सब इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	102–103
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 (क) के अन्तर्गत सत्रावसान के फलस्वरूप दिये गये प्रश्नों के व्यपगत हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	103–104
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	104
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997 † (सदन के पटल पर रखी गयी)	104
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गयी)	104
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (सदन के पटल पर रखा गया)	104
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 (दिनांक 17 जुलाई, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	104
जनपद मथुरा के कस्बा फरह में पार्क एवं चिड़ियाघर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद पाठक की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	105
जनपद मथुरा भरतपुर मार्ग के मध्य कोशीखुर्द में एक थाना एवं चौकी की स्थापना कराये जाने विषयक डा० नारायण सिंह की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	105
जनपद मथुरा के मनोहरपुरा के गोल चबूतरे पर 100 वोल्टेज का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने विषयक श्रीमती चन्द्रवती पोइया की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	105
जनपद मथुरा को जनपद हरिद्वार एवं इलाहाबाद की भांति तीर्थ स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद पाठक की याचिका (उपस्थित की गयी)	105
जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में प्राथमिकता के आधार पर एक उप कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राधा रमन शर्मा आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	105

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के सूरसाधना स्थल पारसोली एवं गऊशाला के सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री पृथ्वी राजकुमार पोइया की याचिका (उपस्थित की गयी)	106
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	106
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	107–108
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	109–110
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	110–112
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	112–140
सदन संचालन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से संबंधित व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता द्वारा सहयोग हेतु मा० सदस्यों से अनुरोध	140–141
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	141–152
पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि से विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा सड़कों एवं अन्य कार्यों हेतु की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा स्वीकृति तथा उत्तरांचल में जिला योजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिये जाने की सूचना ...	152–153
मा० गौरी शंकर एडवोकेट सदस्य विधान सभा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को नकारते हुए शासन द्वारा की गयी घोषणाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा० अध्यक्ष विधान सभा उ० प्र० द्वारा दी गयी व्यवस्था	153–159
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	159–176
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	176–177
राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने एवं अतिरिक्त अवसर दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	177–178
सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	178
माननीय सभापति के पश्चात् सभा मण्डप गैलरी में चित्र वीथिका का अनावरण तथा मा० सदस्यों की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रतीक चिह्न भेंट किये जाने की सूचना	178
राष्ट्रगान	178–179
परिशिष्ट	180–185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
इकबाल अहमद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
इन्स सिंह, श्री	सहारनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दुर्गा प्रसाद, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा

धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू लाल, श्री	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र कुमार, श्री	सीतापुर
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मानिक चन्द्र यादव, श्री	मैनपुरी
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुरली धर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजधारी, श्री	बलिया
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोंण्डा
रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी", कुंवर	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लाल मणि प्रसाद, श्री	बस्ती
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
श्रीराम, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
समर पाल सिंह, श्री	मेरठ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सौलत अली, श्री	मुरादाबाद
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-1-1998 को नियम 3111 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आई हैं, प्रश्नकाल के उपरान्त मैं उन माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में व्यापक वर्षा एवं ओला वृष्टि से किसानों को हुई फसल की क्षति का मुआवजा/प्रतिपूर्ति दिये जाने विषयक जानकारी

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1997 में प्रदेश में हुई व्यापक वर्षा एवं ओला वृष्टि से किसानों को हुई फसल की क्षति का मुआवजा अथवा प्रतिपूर्ति दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां ।

कृषकों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री पर 25% अनुदान अनुमन्य कराया गया है साथ ही जायद की फसल में निवेशों (बीज/उर्वरक और कृषि रक्षा रसायन) पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 217.23 करोड़ की राशि की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, ओलावृष्टि के कारण पूरे प्रदेश में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अगली फसल भी उनकी समाप्त हो गई है तथा जो बोया था, वह भी समाप्त हो गया है । सरकार ने सब्सिडी के रूप में जो दिया था, वह तो है ही परन्तु उनका जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये धन के रूप में उन किसानों को सहायता देने पर सरकार विचार करेगी । दूसरा, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के लिये सरकार ने क्या कोई सर्वेक्षण कराया है कि कहां-कहां पर किसका कितना-कितना नुकसान हुआ है और किसको कितना-कितना मिलना चाहिये । तीसरा, भविष्य में ऐसी आपदाओं से निबटने के लिये सरकार ने कोई राहत योजना बनाई है, यदि हां तो वह क्या है, यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप पहले किये गये दो प्रश्नों का जवाब दे दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये हैं । पहला, उनका यह कहना है कि जो नुकसान हुआ है, क्या उसका कोई सर्वेक्षण कराया गया था ? इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सभी मण्डलायुक्तों

को निर्देश दिये गये थे कि वह स्वयं इसकी जांच करवायें और उसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र शासन को दें। जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर राजस्व विभाग की तरफ से 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अहेतुक सहायता राहत के रूप में दी गई है। फसल का जो नुकसान हुआ था, रबी की बुआई हो गई थी परन्तु वह बरबाद हो गई, इसलिये सरकार ने बीज पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी ताकि खेतों में पुनः बुवाई की जा सके। कई किसानों ने तो चना व मटर भी बो दिया था, वह बरबाद हो गई। इसीलिये हमने गेहूं के बीज में सब्सिडी दी। अन्य जो नुकसान हुए, उसी के लिए हमने बताया कि भारत सरकार से हमने 270.23 करोड़ रुपए की मांग की है। जायद और आगामी खरीफ की फसल में उनको कृषि निवेष पर सब्सिडी देने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहां से पैसे के आते ही हम जायद और खरीफ के लिये जहां तक संभव हो सकेगा, सहायता देने का प्रयास करेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि सर्वेक्षण कराया गया है तो क्या ऐसे स्थानों पर सर्वेक्षण कराया गया है जहां पर भारी नुकसान हुआ है ? आपने यह कहा कि सर्वेक्षण के आदेश दे दिये हैं तो क्या आपके पास कोई सूची है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सर्वेक्षण कराया जा चुका है। मण्डलायुक्तों की तरफ से और जिलाधिकारियों की तरफ से राहत दी जा रही है। राजस्व विभाग सहायता दे रहा है। अहेतुक राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर भुगतान किया जा चुका है। जहां पर अभी नहीं दिया गया है वहां पर जल्दी ही भुगतान किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। पिछले 50 वर्षों में इस प्रकार की ओलावृष्टि नहीं हुई। इससे खरीफ की फसलें नष्ट हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहला तो यह कि ओलावृष्टि और खराब मौसम से किसानों के फसल की कुल कितनी क्षति हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वेक्षण करा लिया है तो प्रदेश की फसल को कितना कुल नुकसान हुआ है ? दूसरा यह है कि जितना नुकसान हुआ है तो क्या सरकार की तरफ से इस संबंध में भरपाई की जा रही है। कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, फसलवार पूरी सूची है मैं माननीय नेता विरोधी दल को भिजवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रदेश की फसल का कितना नुकसान हुआ वह जोड़कर बता दें और इस सरकार ने उसके विपरीत कितना पैसा दिया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है। यह राजस्व विभाग के पास है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने आंकड़ा मांगा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, रुपये का पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है । जो आंकड़ा मेरे पास है उसे सुन लें । धान की फसल को 30 प्रतिशत का नुकसान हुआ है । गेहूं में 11 लाख 9 हजार हैक्टेयर का नुकसान हुआ है । सरसों में 25 प्रतिशत का और दलहन में 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे संरक्षण दें । मेरा सीधा सा प्रश्न था, अगर 30 प्रतिशत धान में नुकसान हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने धन के रूप में नुकसान हुआ है, माननीय मंत्री जी मेरी बात को समझने का प्रयास करें, किसानों की जो क्षति हुई है, उसका दो प्रतिशत भी इस सरकार ने नहीं दिया है, इसलिये आप बता दें कि कितने धन का नुकसान हुआ है और कितने धन का अनुदान दिया गया है, सहायता दी गयी है, तो बात स्पष्ट हो जायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने दैवी आपदा के समय बिल्कुल किसानों की कोई सहायता नहीं की है, किसानों की सहायता करने के बजाय वह मौन है । अगर इनको इस प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई है, तो इसको आप स्थगित कर दें या चर्चा स्वीकार कर लें, आप नियम 49 में चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

आज सत्र का अंतिम दिन है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ...

श्री प्रमोद कुमार–

व्यपगत रूप में स्वीकार कर लें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने अभी बताया कि 30 प्रतिशत धान का नुकसान हुआ है, गेहूं का मैंने बताया और सरसों का बताया । अनुमानतः 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और यही भारत सरकार से मैंने मांगा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब तक फसल पूरी की पूरी कट नहीं जाती है, तब तक स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं हो पायेगा, कितनी पैदावार हुई है, हमारा एक लक्ष्य रहता है ।

श्री रामजग–

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में चक्रवात से और ओलावृष्टि से और इसके साथ ही साथ बेमौसम बरसात से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों की फसल बरबाद हो गयी है, तो बेमौसम बरसात से पीड़ित किसानों के लिये आपने क्या सहायता की है और दूसरी चीज यह है कि आजमगढ़ और वाराणसी में चक्रवात और ओलावृष्टि से भयंकर तबाही आ गयी है और किसानों को खाद नहीं मिला है, बीज नहीं मिला है, जो आपने आदेश दिये हैं उनका पालन नहीं हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ ? इसी कारण किसानों की फसल की बोआई नहीं हो पायी है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले वाले भाग का उत्तर दे दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अलग-अलग क्षेत्रों की जांच हुई है, कहां पर ओलावृष्टि से क्षति हुई है और कहां पर चक्रवात से क्षति हुई है। आजमगढ़ और चन्दौली जो वाराणसी में है, अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहां पर गयी थी और उसने निकाला है कि कितना नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे आगरा में भी टीम गयी थी, और वहां पर देखकर आयी है कि कितना नुकसान हुआ है और उसी के अनुसार हम भारत सरकार से मांगेंगे।

श्री रामजग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि चक्रवात से कितना नुकसान हुआ है और बेमौसम बरसात से कितना नुकसान हुआ है, इनके बारे में माननीय मंत्री जी नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न करिये।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कल से किसी न किसी तरह से किसानों की समस्याओं के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग के उच्चस्तरीय अधिकारियों की कोई ऐसी बैठक हुई है जिसमें यह निश्चित किया गया हो कि कितना नुकसान हो गया है और उसके लिये प्रदेश सरकार किसानों की मदद करेगी या खाली घड़ियाली आंसू बहायेगी और भारत सरकार की तरफ ही देखेगी। अगर कृषि और राजस्व विभाग के उच्चस्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई है तो बता दें कि उसमें क्या निश्चय किया गया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही यह अहेतुक सहायता दी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से नहीं। (व्यवधान) (कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

यह किसान विरोधी सरकार है, इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं। (श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामजग–

मान्यवर, हम भी सरकार की इस किसान विरोधी नीति पर सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश में किसानों को वित्तीय वर्ष 1997-98 में उर्वरकों पर सब्सिडी देने संबंधी जानकारी

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में किसानों को उर्वरकों पर वित्तीय वर्ष 1997-98 में सब्सिडी देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस-किस उर्वरक पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि भारत सरकार द्वारा फास्फेटिक एवं पोटासिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया है उसके हमें घोर निराशा हुई है, इस सारे सदन को घोर निराशा हुई है और पूरे प्रदेश की जनता को निराशा हुई है । मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि उ० प्र० की अर्थ व्यवस्था में खेती का बड़ा महत्व है, यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है । खेती के लिये बीज और खाद अति आवश्यक है जो किसानों को मिल नहीं रहे हैं । किसानों की पिछली तीनों फसल नष्ट हो गयी है गेहूं की फसल भी नष्ट हो गयी हैं । जब उ० प्र० सरकार मंत्रिमंडल पर करोड़ों रुपया वहन कर सकती है तो फिर इसको कौन सी मजबूरी है जो किसानों को उर्वरकों के लिये सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप प्रश्न के उत्तर का दूसरा भाग देखिये । उसमें वजह बतायी गयी है "क्योंकि भारत सरकार द्वारा फास्फेटिक एवं पोटासिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है", वजह दे दिया है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, वजह यह नहीं है । मेरा कहना है कि भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है वह अलग है । उससे अलग हटकर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों सब्सिडी नहीं दे रही है यह बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी नहीं दे पा रही है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

यह सरकार किसानों की समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है । उनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है । भारत सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह सरकार किसान विरोधी है । इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट एवं रामतेज यादव एडवोकेट अपने दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित नारे लगाते हुये सदन त्याग कर चले गये ।) (शोर)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही है । यह सरकार किसान विरोधी है उत्तर प्रदेश के किसान की दुर्दशा हो रही है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, प्रदेश केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी दे रहे हैं तो प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही है ? उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद उन्नाव के राजस्व अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक का भुगतान

*1–श्री दीपक कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1995 से 25-6-97 तक उन्नाव जनपद के राजस्व अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ के स्पष्ट आदेश के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या पारिश्रमिक भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

राजस्व अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक का भुगतान मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में किया जा रहा है दो राजस्व अधिवक्ताओं को 1-3-95 से जनवरी, 1997 तक व शेष चार स० अधिवक्ताओं को माह दिसम्बर, 96 तक का भुगतान किया जा चुका है । शासन द्वारा वर्ष 1997-98 में अब तक कुल 17,00,000/- धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें से फौजदारी दीवानी, व राजस्व अधिवक्ताओं एवं पेनल लाइयर्स को 14,50,000/- का भुगतान किया जा चुका है । शेष 2.50 लाख की धनराशि जो प्राप्त हुई है, के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

सचिव, राजस्व द्वारा असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने से संम्बन्धित आदेशों को जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा लागू किए जाने की जानकारी

*2–श्री राम नक्षत्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र सं०–340/एक–1-10-2(13)/1994, दिनांक 15 मार्च, 1995 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया था कि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार दे दिये जायें ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जिलाधिकारी, उन्नाव ने लागू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा नये जिलों का सृजन, आवश्यक भवन एवं विकास हेतु धन की व्यवस्था संबंधी जानकारी

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद तथा कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नये जिलों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जिलों के लिये आवश्यक भवन आदि एवं विकास हेतु कोई धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1997 में निम्नलिखित 15 जनपदों का सृजन किया गया है :–

(1) कौशाम्बी (2) महामायानगर (3) गौतमबुद्धनगर (4) ज्योतिबा फूलेनगर (5) छत्रपति शाहू जी महराज नगर (6) श्रावस्ती (7) चन्दौली (8) बलरामपुर (9) रुद्रप्रयाग (10) बागेश्वर (11) चम्पावत (12) औरैया (13) संत कबीर नगर (14) बागपत (15) कन्नौज ।

उक्त नवसृजित जनपदों के जिला प्रशासन के कार्य-संचालन हेतु अस्थायी रुप से भवनों की व्यवस्था हो गयी है । राजस्व विभाग द्वारा उक्त नवसृजित जनपदों में से जनपद गौतमबुद्धनगर के कलेक्ट्रेट भवन निर्माण हेतु प्रथमचरण में रुपया 50,00,000/- तथा जनपद महामायानगर एवं ज्योतिबाफूले नगर के मुख्यालय की स्थापना हेतु भूमि के प्रतिकर भुगतान मद में क्रमशः रुपया 3,20,00,000/- तथा रुपया 1,00,19912/- की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त उक्त जनपदों के मुख्यालय की स्थापना हेतु भूमि के प्रतिकर भुगतान एवं भूमि के विकास तथा अनावासीय/आवासीय राजस्व भवनों के निर्माण आदि के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जा रही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दिये गये उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जो विभिन्न कार्यों में संसाधनों की कमी आड़े आ रही है उसको देखते हुए क्या इसी प्रकार से अन्धाधुंध जिलों के निर्माण की घोषणा को सरकार ठीक मानती है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो पन्द्रह जिले बनाये गये थे यह प्रदेश के सामाजिक, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बनाये गये हैं और यह ठीक बनाये गये हैं ।

(इस समय 11 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरीशंकर पीठासीन हुए ।)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लगभग एक जिले के निर्माण पर कितना व्यय आता है और किस हिसाब से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है । एक जिले के निर्माण आदि में कितने वर्ष लगेंगे ? हरिद्वार जनपद लगभग 9 वर्ष पहले सृजित हुआ था वहां के जो शेष कार्य बचे हैं उनको कितने समय में कब तक पूरा करा देंगे और इस कार्य हेतु कितने धन का आवंटन किया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह प्रत्येक जनपद के लिये करीब-करीब 300 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है और 616 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद बहराइच फैजाबाद मण्डल का जिला था जिसे काटकर श्रावस्ती जिला अलग बना है । आज भी वहां के सब अधिकारी डी० एम०, एस०एस०पी० बहाराइच में बैठते हैं । इनके लिये भवन की व्यवस्था नहीं हो पायी है । छोटे कर्मचारियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । पुरानी सरकार के पाप के भागीदार अभी आप और कितने दिन रहेंगे ? उससे हटकर अलग कोई व्यवस्था लेंगे जो अनंगल जिलों का निर्माण हो रहा है उसके बारे में अलग सोच बनायेंगे या उसी विचारधारा से चलेंगे । दूसरी बात यह है जब वह जनपद बनाया है तो उसके अधिकारियों पर खर्च कागज में किया जा रहा है । कोष से निकालकर दिया जा रहा है लेकिन उसके बारे में भवन निर्माण की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है । मेरी समझ से जितने जिले बनाये गये हैं किसी को खुश करने और कुर्सी पर बैठाने के लिये बनाये गये हैं । जनपद बहराइच से निकालकर दूसरा जिला बनाया गया है । क्या यह उस मानक को पूरा करता है कि वह जिला बने ? क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका चल रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, श्रावस्ती जिला बनाया गया है । पिछली बार जो जिले बने हैं कहीं-कहीं मानक के अनुरूप नहीं थे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए शिथिलता बरती है और शिथिलता बरतने का उसे अधिकार है । श्रावस्ती और अन्य जिलों के बारे में डी०एम० हैं और उनकी व्यवस्था कर दी गई है । भवन की बात है तो वह नहीं बने हैं कहीं-कहीं क्रय किये गये हैं और सब जगह सुचारु रूप से कार्य चल रहा है । इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है हम व्यवस्था कर रहे हैं और सब काम ठीक तरह से चल रहा है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । हरिद्वार में दस साल बाद भी जिलाधिकारी आवास नहीं हैं । अब जो जिले बने हैं उसमें आप निर्माण का कार्य कितना पूरा करेंगे ? हरिद्वार में तो दस साल बाद भी निर्माण कार्य बच गए हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हमारे माननीय सदस्य ने हरिद्वार के बारे में कहा है तो जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है इसमें धीरे-धीरे कार्य हो रहा है । हरिद्वार में सभी अधिकारियों के लिए भवनों की व्यवस्था कर दी गई है इसके अतिरिक्त जैसे साधन बनेंगे उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अन्य माननीय सदस्य भी इसमें प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री महाराज सिंह यादव–

औरैया से दो ब्लाक 75 कोस की दूरी पर हैं तो क्या माननीय मंत्री जी जनता की सुविधा को देखते हुए सीमा निर्धारण करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सरकार की ओर से यह पहले भी कहा जा चुका है कि जो जिले बने हैं वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कार्य किया जाएगा । माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है सीमा निर्धारण के बारे में, तो इसको दूर किया जाएगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जल्दबाजी में जिलों का निर्माण किया गया है, यह मानक पूरा नहीं करते हैं । मौजूदा सरकार पुराने पापों में क्यों भागी बन रही है । यह सरकार अपने 93 मंत्रियों का खर्चा नहीं उठा पा रही है । किसानों को आलू गन्ना किसी में कोई मदद नहीं मिल रही है । राजस्व विभाग के आधार पर मानक के आधार पर आपकी क्या सोच है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कोई भी पूर्व की सरकार यदि कोई कार्य करती है तो उसको पूरा करने की परिपाटी रही है जो जिले बने हैं इसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं है । जो मानक हैं उसको शिथिल करने का सरकार को अधिकार है ।

[गुरुवार, दि० 29 जनवरी, 1998 के निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मण्डी परिषद् कार्यालय विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ निदेशक के साथ मारे गये छापों में प्राप्त धन एवं जनपद सीतापुर में भूमि की खरीद पर तत्कालीन उपनिदेशक मण्डी परिषद् लखनऊ द्वारा घोटाला की जानकारी

*1–श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8 जनवरी, 1997 को कार्यालय मण्डी परिषद् विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में छापे के दौरान मण्डी निदेशक के साथ और किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दराज में कितना-कितना अवैध रुपया मिला था ? उन सभी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उन्नाव जनपद के अतिरिक्त जनपद सीतापुर में भी भूमि की खरीद में तत्कालीन उप निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा भारी घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

जी नहीं । दिनांक 8 जनवरी, 1997 को कार्यालय मण्डी परिषद्, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में कोई छापा नहीं पड़ा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, जनपद सीतापुर में भूमि खरीद में किसी घोटाले की जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विश्वनाथ–

इस प्रश्न के दो खंड आपके सामने हैं प्रश्न के प्रथम खंड में हमने जानना चाहा था कि क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8 जनवरी, 1997 को कार्यालय मण्डी परिषद विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ के छापे के दौरान मण्डी निदेशक के साथ और किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दराज में कितना-कितना अवैध रुपया मिला था । मेरा प्रश्न साफ था लेकिन इन्होंने काट दिया मैं जानना चाहता हूं कि मंडी परिषद कार्यालय के अधिकारियों के दराजों से कितना पैसा कब-कब प्राप्त हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपके प्रश्न का उत्तर तो आ गया कि जी नहीं उसके बाद बात खत्म हो गई । कोई छापा नहीं पड़ा ।

श्री विश्वनाथ–

आठ तारीख की रात को कोई छापा डाला गया कि नहीं और उसमें धन प्राप्त हुआ कि नहीं और अगर धन प्राप्त हुआ तो उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य ने 8 जनवरी की बात कही है । इस तारीख को कोई छापा नहीं पड़ा । 31 जनवरी को एक छापा डाला गया जिसमें तलाशी के दौरान राम जीत राम के यहां से 50 हजार रुपए मिले । उस पर पूरी रिपोर्ट हमने मंगा ली है उसके बाद इसका जवाब भी आ गया है । इस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री विश्वनाथ–

धन पकड़ा गया अधिकारी के यहां लेकिन उस पर कार्यवाही हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी तत्काल बिना विलम्ब किए कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द अग्रवाल)–

मान्यवर, वहां पर इन्कम टैक्स ने तलाशी ली थी तलाशी के दौरान जो रुपया मिला था उस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है उन्होंने जवाब दिया है । जब इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरी कार्यवाही हो जाएगी उसके बाद जब पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है तत्काल सरकार ने उसके निलम्बन की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

दूसरा प्रश्न हमने यह किया था कि क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उन्नाव जनपद के अतिरिक्त जनपद सीतापुर में भी भूमि की खरीद में तत्कालीन उप निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ द्वारा भारी घोटाला किया गया । इस संबंध में यह कहा गया है कि जी नहीं जनपद सीतापुर में किसी भूमि घोटाले की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है अगर प्रकाश में यह घोटाला नहीं हुआ है तो क्या अंधेरे में ऐसा घोटाला हुआ है ? इतने स्पष्ट सवाल का उत्तर नहीं आया है । मैं इस संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं कृपया हमें संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

[दौरे सोमवार में ता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में वर्ष 1997 में कोल्ड स्टोरेज में आलू के सड़ जाने के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग

*3–श्री भरत सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में इस वर्ष कोल्ड स्टोरेज में कृषकों द्वारा जो आलू भण्डारण किया गया था क्या उसमें काफी मात्रा में आलू सड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर किसानों को क्षति पूर्ति दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जनपद बलिया में केवल सर्वजीत शीतगृह दरांव बांसडीह में भण्डारित आलू के सड़ने की सूचना है।

जी हां। उ० प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद बलिया में पिछले साल आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ। स्थिति यह थी कि ट्रक के ट्रक आलू लोगों ने ऐसे ही बांट दिया। हजारों एकड़ आलू की फसल निकाली नहीं गयी और जनपद बलिया के आलू किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ जब वह आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया तो काफी आलू सड़ गया। मेरा सवाल यह है कि जो किसानों का आलू सड़ गया है उसके बदले में किसानों को सरकार की तरफ से क्या क्षतिपूर्ति दी जा रही है और किस रेट से दी जा रही है ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस शीतगृह में आलू सड़ा उसके लिए 347 किसानों को रु० 44,17,935/- का क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु जिलाधिकारी बलिया द्वारा भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल करने हेतु 16-1-98 को आदेश पारित कर दिये गये हैं लेकिन शीतगृह मालिक ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, स्टे को खारिज कराने के लिए हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है।

श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि बलिया में केवल सर्वजीत शीतगृह दरांव बांसडीह में ही भण्डारित आलू सड़ा है जबकि कई शीतगृहों में आलू सड़ा है जिसके कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक किसानों को कोई पैसा नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कब तक क्षतिपूर्ति दिलायी जा रही है और किस रेट से दी जा रही है, यह स्पष्ट करें ? दूसरे बलिया जनपद के अन्य किस-किस शीतगृह में आलू सड़ा है क्या उसकी जांच कराकर क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि इस शीतगृह के अलावा अन्य शीतगृह में आलू सड़ा हो तो लिखित में सूचना दे दें। मैं उसकी जांच कराकर मुआवजा दिलवा दूंगा।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । जनपद कन्नौज, बरेली, मैनपुरी आदि में बहुतायत में आलू पैदा होता है । यह केवल प्रश्नगत जनपद का मामला ही नहीं है । इन जनपदों में भी आलू कोल्ड स्टोरेजों में रखा गया था, वह सड़ गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समूचे उत्तर प्रदेश के लिये क्या सरकार कोई ऐसी कार्य योजना बनायेगी अथवा सर्वेक्षण करायेगी, मानक तय करेगी, जिससे वहां पर सड़े हुये आलू के नुकसान के कारण काश्तकारों को मुआवजा मिल सके ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, जो प्राइवेट शीतगृह हैं, उनमें सड़े हुये आलू के प्रतिकर का सरकार के द्वारा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है । इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 86,493 टन आलू सड़ा है । सबकी रिपोर्ट मंगाई गई है और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं । जिलाधिकारी लाइसेंस अधिकारी होता है, वही प्रतिकर तय करते हैं । कोई भी पक्ष आलू भंडारण करने वाला या शीतगृह मालिक यदि संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वह मामला आगे जाता है, इसी संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में किसानों की सूची बनवाई होगी, कितने किसान ऐसे थे जिनका आलू कोल्डस्टोरेज में था और सड़ गया । शीतगृह के मालिकों को इतना पैसा दे दिया गया कि किसानों ने अपना आलू उठाना पसन्द ही नहीं किया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे किसान थे, जिन्होंने मजबूर होकर शीतगृह में ही अपना आलू छोड़ दिया, उनका कितना अलू सड़ गया, जनपद बहराइच, गोण्डा, फैजाबद, बाराबंकी आदि में किसानों ने अपना आलू उठाया ही नहीं, क्योंकि मार्केट में दाम बहुत कम था, इसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री लक्ष्मी नरायण चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 52 शीतगृहों में कुल 86,493 टन आलू सड़ा, इसकी सूचना मैंने पहले ही माननीय सदन को दे दी । अब किसानों ने कहां-कहां अपनी मर्जी से अपना आलू छोड़ा है, यह इसकी परिधि में नहीं आता । माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं कि ऐसे किसानों का कितना अलू सड़ा, कौन-कौन से कोल्डस्टोरेज में सड़ा, तो यह तो बता पाना सम्भव नहीं है । जहां तक प्रतिकर देने की बात है, सरकार ने निर्देश दे दिये हैं, इसके अलावा माननीय सदस्य और कोई जानकारी चाहते हों तो मैं बताने को तैयार हूं ।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने किसानों का आलू प्रदेश में कोल्डस्टोरेज में सड़ा, उसकी संख्या कोई हो तो बता दें ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि किसानों की सूची लेनी हो तो वह मेरे चैम्बर में आ जांय, मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजिएगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आये हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितने किसानों का आलू सड़ा ? चैम्बर में माननीय सदस्य जटाशंकर जी को बुला लीजिए वही समझ लेंगे ।

प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी में हो रही अनियमितता के संबंध में वी० डी० ओ० फिल्म बनाने की मांग

*4–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी में हो रही धांधली को समाप्त करने हेतु सरकार नीलमी की वी० डी० ओ० फिल्म बनायेगी, जिससे पता चल सके कि किस स्तर पर अनियमितता की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी में हो रही धांधली को समाप्त करने हेतु सरकार नीलामी की वी० डी० ओ० फिल्म बनायेगी, जिससे पता चल सके कि किस स्तर पर अनियमितता की गयी है तो इसका मंत्री जी ने उत्तर दिया है 'जी नहीं' । मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक ही दिन शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती अलग-अलग दिनों में अलग-अलग ठेकों की नीलामी होती है इससे बड़े-बड़े ठेकेदार समझौता करके स्वयं ठेका ले लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए पूरे प्रदेश के अन्दर एक ही दिन ठेके की नीलामी करेंगे जिससे सभी छोटे बड़े ठेकेदार ठेका ले सकें और इसके लिए वीडियो कैसेट्स तैयार करायेंगे ? मेरी जानकारी है कि पंजाब प्रदेश में वी० डी० ओ० कैसेट्स बने हैं और उससे वहां धांधली में कमी आई है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो वर्तमान नियम आबकारी के बने हैं उसमें नीलामी के दिन वीडियों कैसेट्स लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है इसलिए इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । नीलामी के संदर्भ में हमारा जो प्राविधान है वह अत्यन्त ही ठीक है उसमें मान्यवर, खुली नीलामी होती है और सबको प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या एक ही दिन में पूरे प्रदेश में नीलामी की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, एक दिन में नीलामी करने में कठिनाई होगी क्योंकि अगर एक आदमी दूसरी जगह पर भाग लेना चाहता है तो वह सफल नहीं हो सकेगा ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, टिहरी जनपद में ढ़ाई हजार परमिट है और उसका ठेका एक करोड़ में उठता है तो इसका क्या औचित्य है क्या यह शासन की हानि नहीं है यदि है तो इसे रोकने का क्या प्रयास करेंगे ? मैं यही जानना चाहता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है, इसलिए इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, दो हजार पांच सौ परमिट जिस जिले में हों और जहां एक करोड़ रुपये का ठेका नीलाम हो रहा हो तो इसका क्या औचित्य है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न जो पूछा गया है वह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अलग से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ लें तो उनको उत्तर दे दिया जायेगा ।

प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कर्ज माफी की घोषणा के बावजूद कर्ज मुक्त बुनकरों तथा कृषकों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग

*5–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बुनकरों तथा कृषकों को दिये गये 10 हजार रुपये तक के कर्जे को माफ करने की पूर्ववर्ती सरकारों की घोषणा के बावजूद अभी भी कर्ज मुक्त श्रेणी के लोगों को हर प्रकार से उत्पीड़न जारी है ? क्या उक्त उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्यामदेव राम चौधरी–

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों की घोषणा के बावजूद अभी भी कर्ज मुक्त श्रेणी के लोगों का हर प्रकार से उत्पीड़न जारी है ।

तो मैं आप के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जो बुनकर/किसान कर्ज मुक्त श्रेणी में आते हैं उन लोगों की संख्या क्या है ? और किन-किन वर्षों में इनको कर्ज मुक्त श्रेणी के अन्तर्गत लाया गया है ?

दूसरा प्रश्न है कि क्या यह बात सरकार के संज्ञान में आयी है कि कर्ज मुक्त श्रेणी के अन्तर्गत जो लोग आते हैं उन लोगों का भी क्या उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की क्या सरकार घोषणा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 2-2-1989 को यह घोषणा की गई थी कि 10 हजार रुपए के कर्जे उन कृषकों, बुनकरों के, विशेष रूप से जो तकावी ऐक्ट के अन्तर्गत आते थे, उनके माफ किये जायेंगे । इसके अन्तर्गत जो लोग पात्र थे उन सीमान्त कृषकों, दस्तकारों, भूमि कृषकों, शिल्पकारों के माफ कर दिये गये । इसके बाद इस प्रकार के पात्र व्यक्तियों से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा रही है और न ही इस प्रकार का कोई मामला सरकार के संज्ञान में हैं ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन बुनकरों व कृषकों के 10–10 हजार रुपए के कर्जे माफ किये गये हैं, क्या उनकी सूची माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मूल प्रश्न में यह बात नहीं पूछी गई थी । यदि माननीय सदस्य इसके बारे में जानना चाहें तो वह अलग से प्रश्न कर लें, उन्हें इसकी जानकारी दे दी जायेगी ।

राजस्व परिषद् की लखनऊ खण्ड पीठ को प्रदेश में अन्यत्र स्थापित किये जाने की जानकारी

*6–डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार राजस्व परिषद् की लखनऊ खण्डपीठ को प्रदेश में अन्यत्र भी स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित स्थान में मेरठ जनपद सम्मलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मूल प्रश्न में मैंने पूछा था कि राजस्व परिषद् की खण्ड पीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है । इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कह दिया "जी नहीं" । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कि जिन मुकदमों को राजस्व परिषद् को संदर्भित किया जाता था और ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों से लोगों को आने में परेशानी होती है, क्या उस संदर्भ में सरकार कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यू० पी० लैण्ड डबलपमेंट की धारा 218 व 321 के अन्तर्गत आयुक्त को यह अधिकार था कि वह मामले को राजस्व परिषद् को संदर्भित कर देता था परन्तु अब इन दोनों धाराओं को विलुप्त कर दिया है और कोई भी अधिकारी राजस्व परिषद् को मामले संदर्भित नहीं करेगा । मण्डलायुक्त अपने स्तर पर ही अन्तिम रूप से इसका निस्तारण करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस प्रकार कई प्रमुख विभागों के जोनल हैड-क्वार्टर मण्डल स्तर पर बने हुए हैं क्या माननीय मंत्री जी उसी प्रकार राजस्व परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को, ग्रामीण अंचल के लोगों के कई अन्य मामलों को जिन्हें राजस्व परिषद् को संदर्भित किया जाता है, स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि अब मण्डलायुक्त स्तर पर ही मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जायेगा, इसलिये इस प्रकार के कार्यालय को स्थापित करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई नीति इस समय शासन के पास विचाराधीन है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि ग्रामीण अंचलों के कई अन्य मामले राजस्व परिषद् को संदर्भित किये जाते हैं, क्या उसको दृष्टि में रखते हुए सरकार राजस्व परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, वर्तमान में शासन के पास इस प्रकार की कोई नीति शासन के पास विचाराधीन नहीं है । यदि कोई इस प्रकार की मांग भविष्य मे उठती है तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के शीतगृहों में किसानों का आलू सड़ जाने के कारण मुआवजा दिये जाने की मांग

*7–श्री राजेन्द्र सिह (गाजीपुर) (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद गाजीपुर के शीतगृहों में किसानों का आलू सड़ गया है । क्या उनको मुआवजा देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

जी हां । जनपद गाजीपुर में सहकारी शीतगृह सैदपुर एवं मां निस्तारिणी शीतगृह उतराव में वर्ष 1997 में क्रमशः 20,000 कुन्तल तथा 52,000 कुन्तल आलू क्षतिग्रस्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत शीतगृह सरकारी क्षेत्र में नहीं हैं । सहकारी तथा निजी क्षेत्र के शीतगृहों में क्षतिग्रस्त हुए आलू के प्रकरणों का निस्तारण उ० प्र० शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियायें पूर्ण होने पर संबंधित शीतगृह द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाता है ।

प्रदेश में वर्ष 1997 में 23 कृषि फार्मों को लीज पर दिये जाने में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जानकारी

*8–श्री राजधारी (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में प्रदेश में 23 कृषि फार्मों को लीज पर दिये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं, नियमों के उल्लघंन के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके लिये

क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार कृषि भूमि लीज पर दिये जाने से कृषि विभाग को कितने रुपये की हानि हुई ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों को निजी क्षेत्र को लीज पर दिये जाने सम्बन्धी निर्धारित समस्त प्रक्रिया व पारिणामिक कार्यवाही यथा टेण्डर आदि निरस्त कर दी गयी है तथा निविदा दाताओं द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस करने हेतु कृषि निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है । कृषि निदेशक द्वारा इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से अनुरोध किया जा चुका है ।

कृषि प्रक्षेत्रों को लीज पर दिये जाने की कार्यवाही में बरती गयी गम्भीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की जांच करने तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु श्री एस० एन० शुक्ल, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

चूंकि कृषि प्रक्षेत्रों को लीज पर दिया ही नहीं गया अतः कृषि विभाग को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषकों द्वारा शीतगृह से आलू निकासी पर निश्चित मूल्य निर्धारण की मांग

*9–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि शीतगृह मालिक मनमाने ढंग से शीतगृह से आलू निकालने हेतु प्रति बोरा साठ, सत्तर रुपया वसूल रहे हैं, जिससे आलू कृषकों के सामने जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है ? क्या शासन आलू निकासी प्रति बोरा मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

दिनांक 16 अप्रैल, 1997 से लाइसेंसधारक अपने शीतगृह में रखे आलू का भण्डारण प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–29 में हुए संशोधन के फलस्वरूप वर्ष 1997 से शीतगृह भण्डारण प्रभार प्रति कुन्तल की दर से लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह जो उत्तर आया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आलू निकासी के लिए कोई मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है । शीतगृह मालिक मनमाने ढंग से 70-80 रुपया प्रति बोरा वसूल कर रहे हैं जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है । माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह मेरी समझ में नहीं आया । जब वह मेरी समझ में नहीं आया तो सदन में किसी भी व्यक्ति की समझ में भी नहीं आया होगा ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं । हाउस में कोई सुने या न सुने लेकिन माननीय मंत्री जी को सुनना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शांत रहें । माननीय सदस्य, स्पष्ट रूप से अपना प्रश्न पूछें और छोटा प्रश्न पूछें ।

(शोर होने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 70 रुपया कुन्तल के आधार पर जो आलू का रेट शीतगृहों द्वारा तय किया गया है तो यह लूट घसोट हो रही है इस वजह से आलू किसान उठा नहीं पाया है तो इस समय इनकी संख्या कितनी होगी ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, लूट खसोट की वजह से किसान ने आलू नहीं उठाया है इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है । यदि इस तरह की कोई शिकायत माननीय सदस्य के संज्ञान में हो तो हमें बतायें हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू जो कोल्ड स्टोरेज में रखा है, उसका किराया निश्चित नहीं किया है और इस कारण कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों से मनमाना किराया वसूल करते हैं, सत्तर रुपया और अस्सी रुपया प्रति कुन्तल किराया वसूल किया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय मिश्रा जी सदस्य विधान सभा हैं, उनकी बात को स्पष्ट करते हुये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले यह व्यवस्था थी कि किराये के दाम सरकार निश्चित करेगी, लेकिन जब से सरकार ने कोल्ड स्टोरेज अधिनियम में संशोधन कर दिया है, उसके कारण यह अधिकार कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के पास चला गया है, और वह मनमाने ढंग से पैसा वूसल कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के मालिक 70 और 80 रुपया प्रति कुन्तल किराया वसूल कर रहे हैं । मान्यवर, जब सरकार ने किराये का कोई रेट तय नहीं किया है, तो वह चाहे जिस रेट पर लें । मैं कहना चाहता हूं कि मनमाने ढंग से कोल्ड

स्टोरेज के मालिकों ने किराया वसूल किया है तो इस लूट घसोट को रोकने के लिये क्या सरकार उस अधिनियम में संशोधन करेगी और रेट तय करने का अधिकार अपने पास रखेगी, यह अधिकार कलेक्टर को देंगे या कोई एक कमेटी इसके लिये बनायेंगे, जो रेट तय करेगी, जिससे कोल्ड स्टोरेज के मालिकों पर नियंत्रण हो जाये ?

(इस समय 12 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दो मई, 1997 का अधिनियम है, उसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को स्वयं किराया तय करने का अधिकार दे दिया गया और उसी के तहत वह किराया वसूल कर रहे हैं । आप अधिनियम की उप धारा 2 को देखें, उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई मालिक अधिक किराया वसूल करता है, तो शासन उसको मना कर सकता है । जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, कि किराया शासन से तय किया जाता था, तो इस समय इस तरह का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है और अगर कोई समस्या आयेगी, तो उसका समाधान किया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह एक अहम मसला है और किसानों के हित का सवाल है, किसान अपने हक के लिये बोल नहीं पाता है ।

कोल्ड स्टोरेज मालिक बड़े-बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं । कभी-कभी ऐसा होता है कि जिला स्तर पर मिलीभगत हो जाती है और सरकार ने कोई मानक कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं बनाये हैं कि जिससे वह ज्यादा वसूल न कर सके । कोई रीजनेबुल किराया तय नहीं किया गया है कि उससे ज्यादा न लें । (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो जाय कि शासन का हस्तक्षेप हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अब मैं अगली मद ले रहा हूं । (व्यवधान) इससे पहले सदन को एक सूचना देनी है । (व्यवधान)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है । 70 रु० 80 रु० के हिसाब से किसानों से किराया लिया जा रहा है । किसानों की लूट हो रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं । आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है ।

*10–श्री राम प्यारे–

[तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद पीलीभीत अन्तर्गत शारदा नदी के कटान से प्रभावित ग्रामों के किसानों को कृषि भूमि का आवंटन एवं उनको बसाने की योजना की जानकारी

*11–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत अन्तर्गत शारदा नदी के कटान द्वारा ग्राम राम नगरा, सराय, धुरियापलिया शारदापार, आजाद नगर, भरतपुर, अयोध्यापुरी भुरषनिया, हजारा

नोट–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

आदि ग्राम प्रभावित हैं ? इन किसानों को सरकार कृषि भूमि आवंटित करते हुये क्या उनको अन्यत्र बसाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के ग्राम रमनगरा, गभिया, सहराई, शारदापार, आजाद नगर, हजारा, गुनहान शास्त्री नगर आदि शारदा नदी के कटान से प्रभावित हैं । ग्राम धुरिया, पलिया, अयोध्यापुरी, भरतपुर और भुरषनिया उक्त कटान से प्रभावित नहीं हैं । कटान से प्रभावित ग्राम आजाद नगर के 74 परिवार, ग्राम मौरनियां गांधी नगर में शास्त्री नगर के 153 परिवार, अशोक नगर में ग्राम हजारा के 106 परिवार मौरनिया गांधी नगर में व 28 परिवार ग्राम हजारा के अभयपुर ज० जगतपुर में बसाने के लिये आवास स्थल आवंटित किया गया था । ग्राम गुहान के 109 कटान प्रभावित परिवारों को ग्राम रमनगरा में कृषि भूमि आवंटित की गयी । ग्राम गभिया सहराई में सहायता एवं पुनर्वासन विभाग की रिक्त 34.50 एकड़ भूमि का कटान हुआ था, जो किसी कृषक को आवंटित नहीं थी । कटान से प्रभावित ग्राम हजारा के 28 परिवार जिन्हें ग्राम अभयपुर ज० जगतपुर में बसाया गया था, को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 10,000/–प्रति परिवार की दर से भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करा दी गयी है । इस प्रकार आवास/कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका है । वर्तमान में इनको अन्यत्र बसाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर मण्डल में लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण नीति विषयक जानकारी

1–श्री वेद प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण नीति विषयक पत्र शासनादेश सं० 2756/(1)/1-9-94-11-16(32)/87–रा–9 दिनांक 26 मई, 1994 का पालन मण्डल गोरखपुर के राजस्व अधिकारियों ने नहीं किया है, जिसके कारण जनपद बस्ती के चारों तहसीलों में कुल 115 लेखपाल गृह ब्लाक और 233 लेखपाल गृह तहसील में उक्त शासनादेश के विरुद्ध 3,6 व 12 वर्षों से अधिक दिनों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान सत्र 1997-98 में उक्त शासनादेश में निहित स्थानान्तरण नीति के अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सोनभद्र के मौजा बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील–राबर्ट्सगंज निवासी श्री शीतल व रामनाथ अनुसूचित जाति की भूमि को बिना जिलाधिकारी के आदेश लिए रजिस्ट्री बैनामा कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शीतल व राम नाथ व लक्ष्मन पुत्रगण नान्हू श्री रामेश्वर व रामजीत पुत्रगण सुखदेव निवासी व मौजा बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील–राबर्टसगंज जिला सोनभद्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो इनकी आराजी संख्या

3492 ग दो बीघा भूमि बिना जिलाधिकारी के आदेश के श्री वेद प्रकाश गर्ग पुत्र राम स्वरूप गर्ग निवासी चोपन परगना अगोरी तहसील–राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के नाम किस आधार पर रजिस्ट्री बैनामा हो गयी ? क्या मंत्री जी उक्त रजिस्ट्री बैनामा को निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सालिक उर्फ शीतला व रामाश्रय उर्फ राम व लक्ष्मन व रामनाथ पुत्रगण नान्हू व रामेश्वर व रामजीत उर्फ रामधीन पुत्रगण सुखदेव द्वारा अपने को गैर अनुसूचित जाति का दिखलाते हुए आराजी सं० 3492 ग 2 बीघा का विक्रय श्री वेद प्रकाश गर्ग पुत्र श्री राम स्वरूप गर्ग निवासी चोपन को किया गया । रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम–241 व 285 के अन्तर्गत प्रस्तुत विलेख दस्तावेज सं० 444 पर दिनांक 26-2-94 को पंजीकृत किया गया ।

इस प्रकरण में मुकदमा अपराध सं० 174/97 भारतीय दण्ड संहिता की धारा–419/420/467/471 के अन्तर्गत थाना चोपन जनपद सोनभद्र में वेद प्रकाश गर्ग, सुरेश कुमार, चन्द्रभान, शम्भूनाथ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । इसमें से अभियुक्त वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है । विवेचना जारी है । प्रश्नगत बैनामा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166 के अधीन निःसत्व माना जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के सुखदेव पुत्र रामरतन, रामदेव पुत्र भोला, रामेश्वर पुत्र अमृत, राजपति पुत्र देव नारायण, लक्ष्मन पुत्र शिवनारायण निवासी बिल्ली, मारकुण्डी परगना अगोरी भूमिधरी की भूमि रजिस्ट्री बैनामा विषयक एवं उसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

3–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के श्री सुखदेव पुत्र रामरतन, रामदेव पुत्र भोला, रामेश्वर पुत्र अमृत, राजपति पुत्र देव नारायण, लक्ष्मन पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना, अगोरी भूमिधरी आराजी की कितने बीघे भूमि किन-किन जाति के लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा कराया है ? क्या क्रेता और विक्रेता अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं, तो उक्त व्यक्तियों का भूमि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के किस नियम के तहत रजिस्ट्री बैनामा हुई है ? उक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रक्रिया में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । कुल 15 बीघा 11 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि सवर्ण जाति के 11 व्यक्तियों ने बैनामा कराया है ।

जी नहीं । क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है तथा विक्रेता अनुसूचित जाति के हैं । प्रश्नगत नौ रजिस्ट्री बैनामों में से 6 में जिलाधिकारी से अनुमति के बाद बैनामा किया गया है, जबकि शेष 3 में यह बात छिपायी गयी है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का है । प्रस्तुत विलेख का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम–241 व 286 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है ।

बगैर अनुमति के की गयी 3 रजिस्ट्री में विक्रेता व क्रेता सभी दोषी हैं ।

इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या–174/97 भारतीय दण्ड संहिता की धारा–419/420, 467/97 के अन्तर्गत थाना–चोपन, जनपद–सोनभद्र में वेद प्रकाश, सुरेश कुमार, चन्द्रभान व शम्भूनाथ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जिसमें से अभियुक्त वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है विवेचना जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गया प्रसाद चौरसिया, निवासी ग्राम बेला पश्चिम, तहसील व जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या–480 में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

4–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर ने जांच कराने के उपरान्त दिनांक 5-12-96 को आदेश दिया था कि श्री गया प्रसाद चौरसिया पुत्र श्री राम लाल, ग्राम व पोस्ट बेलापश्चिम, तह० व जिला सुल्तानपुर के चक सं०–480 में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को हटवा दिया जाय ? क्या इस आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने उक्त आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारी एवं अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री गया प्रसाद चौरसिया, निवासी ग्राम बेला पश्चिम का जिलाधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित पत्र दिनांक 4-12-96 के पूर्व श्री चौरसिया का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-11-96 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ था उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों पर मौका दिखवाकर अवैध निर्माण को रुकवाने के आदेश तहसीलदार सदर को दिये गये थे। प्रकरण की जांच में यह पाया गया कि सड़क का निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया। यह सड़क ग्राम सभा के कुछ भू-खण्डों व कुछ भूमिधारी के भू-खण्डों से होकर जिसमें श्री चौरसिया का भू-खण्ड संख्या 480 के 0-6-1 से होकर निकाली गयी है। श्री चौरसिया के प्रार्थना-पत्र पर आदेशानुसार अवैध कार्य/निर्माण रुकवाने हेतु जब तक तहसील के कर्मचारी मौके पर जाते, तब तक चक से रास्ता बन चुका था। श्री चौरसिया को उनकी जमीन के बदले ग्राम सभा की जमीन देने के लिए ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव किया गया किन्तु श्री चौरसिया तैयार नहीं हुए और उन्होंने इस बारे में दिवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

जिलाधिकारी के अनुमोदन से उप जिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 30-5-97 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बने सड़क को हटा दिये जाने तथा सड़क के हटवाने में निहित व्यय व फसल को हुई क्षति की धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान से करने के आदेश दिये गये। किन्त वाद में जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराने के आदेश दिये जाने के फलस्वरूप जांच पूरी होने तक पूर्व के आदेश स्थगित रखे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बेला पश्चिम निवासी श्री गया प्रसाद की फसल की हुई क्षति को ग्राम प्रधान से वसूल करने संबंधी उप जिलाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने विषयक जानकारी

5–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर के कार्यालय से श्री गया प्रसाद निवासी–ग्राम वेला पश्चिम की भूमिधरी जमीन गाटा संख्या 480/0.6 रकबे पर

ग्राम प्रधान द्वारा बनवायी गयी सड़क को हटवाने व श्री गया प्रसाद की फसल की हुई क्षति ग्राम प्रधान से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने हेतु आदेश संख्या–426/आशु० उ० जि० सदर, दिनांक 30-5-97 जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसका पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी से करायी जा रही है इसलिए जांच पूरी होने तक पूर्व के आदेश स्थगित रखे गये हैं ।

ग्राम अधियारी, परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में राजस्व कर्मियों की जालसाजी से सरकारी भू-सम्पत्ति की फर्जी प्रविष्टि कराने वाले भूमि चोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

6–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अधियारी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में राजस्व कर्मियों की जालसाजी से सैकड़ों बीघे सरकारी भू-सम्पत्ति भूमि चोरों ने अपने खाते में दर्ज करा लिया है जो वर्ष 1995-96 में प्रकाश में आने के बाद भी अभी तक उनके खातों में खारिज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकार की गंभीर अनियमितता के दोषी विभागीय कर्मचारियों एवं भूमि चोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? चोरी में पकड़ी गयी भूमि की भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित न किये जाने के लिये कौन लोग दोषी हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सैकड़ों बीघे नहीं बल्कि 3 बीघा 5 बिस्वा गांव सभा की भूमि को फर्जी तरीके से 3 निजी खातों में दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया था । फर्जी प्रविष्टियों को जांचोपरान्त उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर के आदेश दिनांक 7-8-97 द्वारा निरस्त किया गया है ।

फर्जी प्रविष्टियों के अंकन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये लेखपाल श्री हरिप्रसाद शुक्ला जो पहले से ही निलम्बित हैं को इस प्रकरण में भी आरोप-पत्र जारी किया जा रहा है । फर्जी इन्द्राजों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की भूमिका की जांच तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा की जा रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं ।

प्रश्नगत भूमि फर्जी तरीके से निजी खातों में दर्ज हो जाने के कारण आवंटित नहीं की गयी थी इसके लिए किसी का दोष नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टूण्डला मौजा रूधऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गयी भूमि को समतल कराने विषयक जानकारी

7–श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद की 34 तहसील टूण्डला मौजा रूधऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह भूमि बीहड़ में दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आवंटित की गयी भूमि को समतल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फिरोजाबाद की उप तहसील टूण्डला के मौजा रूधऊ में 83 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 3-3 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।

जी हां।

बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाइयों की स्थापना की गई है। बीहड़ के सर्वेक्षण के उपरान्त भूमि को समतल कराया जायेगा।

श्री वंश बहादुर सिंह, लेखपाल, मऊ, गौरीगंज, सुल्तानपुर के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनके भविष्य निधि खाते का भुगतान संबंधी जानकारी

8–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वंश बहादुर सिंह, लेखपाल, मऊ, गौरीगंज, सुल्तानपुर, 30 जून, 1991 में सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके जमा भविष्य निधि खाते का अवशेष भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उक्त वंश बहादुर ने 9-4-97 को कोई प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को दिया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

दि० 21-1-98 को भुगतान आदेश पारित किया जा चुका है।

जी हां।

महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र तब तक प्राप्त नहीं हुआ था। दिनांक 29-12-97 को प्राप्त हो चुका है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में मदनापुर मार्ग के मरम्मत कार्य में धन का दुरुपयोग होने की शिकायत

9–श्री रामविशुन आजाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा रौजा से टिकरी मार्ग और दिलाही से गुनौरा विशुनपुर होते हुए मदनापुर तक जाने वाली मार्ग पर वर्ष 1993 से वित्तीय वर्ष 1996-97 तक मरम्मत कार्य हेतु कितना-कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्गों पर संबंधित अधिकारी द्वारा फर्जी कार्यों की पूर्ति दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा रौजा–टिकरी मार्ग पर वर्ष 1993-94 में रु० 60,000/–तथा झिलाही से गुनौरा विशुनपुर होते हुए मदनापुर मार्ग पर वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 तक रु० 2,69,472.80 की धनराशि निर्माण कार्य पर व्यय की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद पडरौना के भवनों के निर्माण कार्य विषयक जानकारी

10–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवसृजित जनपद पडरौना के भवनों के निर्माण के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? अब तक कितने भवनों का निर्माण उक्त जिले के लिये कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जिले को व्यवस्थित करने के लिये कब तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद कुशीनगर (पडरौना) के मुख्यालय की स्थापना हेतु पडरौना–कसया मार्ग पर 227.14 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है । जनपद मुख्यालय पर अनावासीय/आवासीय राजस्व भवनों के निर्माण हेतु क्रमशः 383.25 लाख तथा 172.67 लाख के आगणन अनुमोदित किए गये हैं और उक्त निर्माण हेतु 400.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी, के पी० एल० ए० में रखी गयी, जिसमें से रुपया 200.00 लाख की धनराशि पी० एल० ए० से आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । निर्माण एजेन्सी द्वारा भूमि के सर्वेक्षण एवं ले-आउट प्लान पूर्ण कर लिया गया है तथा ले-आउट प्लान एवं मानचित्र का अनुमोदन राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 22-1-98 को कर दिया गया है ।

अभी तक कोई भवन निर्मित नहीं हुआ है । निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । आवश्यक धन की उपलब्धता की दशा में आगामी तीन वर्षों में आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण होना संभावित है ।

जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

11–श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-97 को जिलाधिकारी, देहरादून को दिया गया है ? यदि हां, तो शिकायत पर बिन्दुवार कार्यवाही कब-कब कराई गई है और कौन-कौन दोषी पाये गये हैं ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी आलीपुर, पट्टी तहसील भोगांव में गाटा संख्या 449 रकबा 15 डि० खाद के गड्ढों के सुरक्षित भूमि पर अवनीश पाण्डेय द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग

12–श्री आम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा आलीपुर पट्टी, परगना आलीपुर पट्टी, तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी में गाटा संख्या–449 रकबा 15 डि० खाद के गड्ढों के लिये सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त नम्बर को सार्वजनिक उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां,तो कितना और किस प्रयोजन हेतु ? क्या यह सच है कि उसके अधिकांश भाग पर अवनीश पाण्डेय पुत्र सत्यदेव, अवर्णादेवी पत्नी अरविन्द पाण्डेय निवासीगण आलीपुर पट्टी ने अवैध तामीरात कर अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार खतौनी व खसरा के आधार पर गाटा संख्या–449 का रकबा 0.11 डि० है ।

जी हां । सम्पूर्ण रकबे को सार्वजनिक खाद के गड्ढे के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है । जी नहीं ।

मई, 1997 से अवैध रूप से दुकान निर्माण हेतु अतिक्रमण किया गया था । दिनांक 28-6-1997 को दुकान तुड़वाकर उक्त भूमि को सुरक्षित कर दिया गया है ।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम सभाओं की आवंटन योग्य जमीन के आवंटन में उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग

13–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम सभाओं की कितनी आवंटन योग्य जमीन रिक्त है ? इस आवंटन योग्य जमीन में से मार्च, 1996 से अब तक कितनी जमीन का आवंटन विधिवत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को किया गया है ? उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा दिनांक 29-3-97 को एक ही दिन में कितने पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उप जिलाधिकारी ने यह नियम विरुद्ध कार्य किया है ? यदि हां, तो उप जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम कचनाव के निवासी श्री मंडगू दास तथा श्री सम्पति पुत्रगण स्व० गुलचरन की पैतृक भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में जानकारी

14–श्री चेतराम–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के द्वितीय गुरुवार दिनांक 27-7-95 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा करायी गयी विस्तृत जांच आख्या क्या है और उक्त जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संबंधित व्यक्तियों को अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राम दुलारे प्रति सम्पत आदि, ग्राम कचनाव, परगना जगदीशपुर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुल्तानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। यह दिनांक 28-1-1998 को आदेश हेतु नियत है। चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये प्रशासनिक तौर पर कार्यवाही सम्भव नहीं है। कोई भूमि किसी की पैतृक सम्पत्ति या भूमिधरी है अथवा नहीं इसे तय करने का अधिकार न्यायालय को है। निर्णय के अनुसार कब्जा दिलाने का उत्तरदायित्व भी संबंधित न्यायालय का ही है। न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/प्रशासन की सहायता ले सकती है।

वर्ष 1996 में अपर मुख्य अभियन्ता राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा खरीदे गये इलेक्ट्रानिक बे-ब्रिज एवं मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की खरीद में हुई अनियमितता के संबंध में

15–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996 में अपर मुख्य अभियन्ता राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा खरीदे गये इलेक्ट्रानिक बे-ब्रिज एवं मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की खरीद में हुई करोड़ों रुपये की अनियमितता के संदर्भ में सतर्कता विभाग की सी० आई० परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक द्वारा अक्टूबर, 1996 में अपने पत्र संख्या स० अ०/अनु०–2-168/95 सी० आई० एस० द्वारा वर्ष 1990-92 के मध्य खरीद के संबंध में जो सामग्री मांगी थी, मण्डी परिषद् द्वारा उपलब्ध करा दी गयी ? यदि हां,तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पुलिस अधीक्षक सतर्कता विभाग का संदर्भित पत्र सं० स० अ०/अनु०–2/168/95 माह अक्टूबर, 1996 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में जानकारी

16–श्री रामपाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी स्थायीकरण नियमावली–1991 अधिसूचना संख्या–1648/47-का–4-90-48-79, दिनांक 7-2-1991 के अनुसार उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारी किस तिथि से स्थायी घोषित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को स्थायीकरण करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में 6 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 3 कर्मचारियों का स्थायीकरण दिनांक 1-1-80 से तथा 1 कर्मचारी का स्थायीकरण दिनांक 1-7-96 से किया जा चुका है। शेष दो कर्मचारियों का मामला विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोधशाला चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन भुगतान कराने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

17–श्री पारस नाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि अभियंत्रण शोधशाला चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कितने दिनों का वेतन रुका पड़ा है ? उक्त वेतन बकाये के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और शासन द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार लम्बित सारे बकाये देयों/वेतनों का भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोधशाला चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का दिनांक 20-6-90 से जुलाई, 91 तक की मजदूरी का भुगतान अवशेष है ।

संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

जांचोपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में चयनित अभ्यर्थियों के त्याग-पत्र से रिक्त हुए पदों पर उसी परीक्षा सूची से भर्ती किये जाने के संबंध में जानकारी

18–श्रीमती विजमा यादव, श्री रंग बहादुर पटेल, श्री जोखू लाल यादव तथा श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद) तथा श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1990 में चयनित व्यक्तियों में से कुल कितने व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दे दिये हैं ? क्या रिक्त हुए सभी पदों पर उक्त परीक्षा की सूची से नियुक्तियां की गयीं ? यदि नहीं, तो शेष रिक्त पदों को उक्त परीक्षा सूची से क्यों नहीं भरा गया ?

श्री सूर्य प्रताप शाही

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1990 में चयनित अभ्यर्थियों में 7 उप निरीक्षकों ने अब तक त्याग-पत्र दे दिये हैं ।

जी नहीं, रिक्त हुए सभी पदों पर उक्त परीक्षा की सूची से नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । उक्त परीक्षा की सूची से शेष रिक्त पदों को उक्त प्रतीक्षा सूची से इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि सूची की वैधता मात्र एक वर्ष की थी ।

उप आबकारी निरीक्षक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1990 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के त्याग-पत्र देने से रिक्त हुए पदों पर उसी प्रतीक्षा सूची द्वारा क्रमवार भर्ती के संबंध में जानकारी

19–श्रीमती विजमा यादव तथा श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1990 द्वारा चयनित 30 अभ्यर्थियों में से कुल कितने अभ्यर्थियों ने कब-कब और किस-किस वर्ग से त्याग-पत्र दिये ? फलस्वरूप जब उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची से तीसरे क्रमांक पर स्थित अभ्यर्थी को पद भार ग्रहण कराया गया ? यदि हां, तो क्या प्रतीक्षा सूची में प्रथम व द्वितीय क्रमांक पर स्थित अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पावती सूचना उनके पत्र व्यवहार एवं स्थायी पते पर भेजी गयी थी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? त्याग-पत्रोपरान्त शेष रिक्त पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची से पद भार क्यों नहीं ग्रहण कराया गया ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1990 द्वारा चयनित 30 अभ्यर्थियों में से 7 अभ्यर्थियों ने निम्नवत् सम्मुख अंकित तिथि से त्याग-पत्र दिया है :—

1–राज करन सिंह	12-11-90
2–नीरेश श्रीवास्तव	19-08-91
3–अरुण कुमार दुबे	08-06-91
4–धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	31-10-93
5–मनोज कुमार गुप्ता	30-04-92
6–राम सजीवन	00-02-94
7–राम नेवास	08-04-95

उपरोक्त के क्रमांक–1 पर स्थित राज करन सिंह के त्याग-पत्र के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची के तीसरे क्रमांक पर स्थित श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी को कार्यभार ग्रहण कराया गया ।

क्रमांक प्रथम व द्वितीय पर स्थित अभ्यर्थियों को उनके पत्र व्यवहार एवं स्थायी पते पर नियुक्ति हेतु पावती सूचना भेजी गयी थी । क्रमांक–1 पर स्थित श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा कोई सूचना प्राप्त न होने पर क्रमांक 2 पर स्थित श्री अखिलेश कुमार गुप्ता को बुलाया गया लेकिन वह इस पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान में स्वास्थ्य विभाग में सेवा नियोजित होने के कारण नहीं आये । शेष रिक्त पदों पर अन्य अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से इसलिए पदभार नहीं ग्रहण कराया गया क्योंकि प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष के लिए ही वैध थी ।

उ० प्र० के आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक सेवा संवर्ग में ओ०बी०सी० के आरक्षित कोटे की पूर्ति के संबंध में जानकारी

20–श्री जोखू लाल यादव, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक सेवा संवर्ग में क्या ओ०बी०सी० का आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उ० प्र० के आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग में वर्तमान समय में ओ०बी०सी० का कोटा पूर्ण नहीं है। वर्तमान समय में उप आबकारी निरीक्षक की स्वीकृत पद संख्या–104 हैं। इस संवर्ग में ताड़ी पर्यवेक्षक तथा हेड कांस्टेबुल संवर्ग से 23% पद अर्थात् 24 पद पदोन्नति हेतु आरक्षित हैं। इन पदों पर नियमानुसार ओ०बी०सी० का आरक्षण नहीं है। सीधी भर्ती के 80 पदों पर 27% ओ०बी०सी० के 22 पद होने चाहिए। 80 सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध 12 ओ०बी०सी० कार्यरत हैं। वर्ष 1990 में सीधी भर्ती हेतु चयन सम्पन्न हुआ था उसके बाद से चयन सम्पन्न नहीं कराया जा सका। पांच पदों के लिए चयन हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिनांक 14-5-1997 को भेजा गया है। शेष पांच पदों के चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

पर्वतीय संवर्ग के खाद्य प्रसंस्करण में वर्ग तीन पर्यवेक्षकों की वर्ष 1993 से पूर्व तक एक ही कोटि क्रम सूची (ग्रेडेशन) होने एवं वर्ष 1993 में नियमावली बनने के बाद वर्ग 3 के उप पर्यवेक्षक के पदों की अन्य वर्गों की भांति शोध एवं विकास शाखा में तैनाती के संबंध में जानकारी

21– श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय संवर्ग के तीन पर्यवेक्षेकों की वर्ष 1993 से पूर्व तक एक ही कोटि क्रम सूची (ग्रेडेशन) विकास शाखा थी ? क्या वर्ष 1993 में नियमावली बनने के बाद उसमें वर्ग–3 पर्यवेक्षेक के पदों की अन्य वर्गों की भांति शोध एवं विकास शाखा में पृथक किया गया जबकि शोध शाखा में कार्यरत पर्यवेक्षेकों को जो 1993 से पूर्व 10–15 वर्षों से अब तक लगातार शोध शाखा में पद स्थापित कार्यरत है ? क्या उनकी शोध शाखा में पृथक से ग्रेडेशन सूची उनके पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत विकल्पानुसार व पूर्व निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० लक्ष्मी नारायण चौधरी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि शोध शाखा में कार्यरत पर्यवेक्षक वर्ग–3 के जो कर्मचारी उद्यान विकास शाखा के हैं और इन कर्मचारियों की ज्येष्ठता पूर्व से ही उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत निर्धारित है कार्य संचालनार्थ इन कर्मचारियों को शोध शाखा में तैनात किया गया है।

जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पनिका में भूमिहीनों को आवास हेतु पट्टे की स्वीकृति पर कब्जा न दिलाये जाने के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22–श्री सन्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पनिका में भूमिहीनों को आवास हेतु आराजी संख्या 59, 112 तथा 160 से दिये गये पट्टे की स्वीकृति परगनाधिकारी, सहजनवां द्वारा 26-2-94 को की गयी ? क्या आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक कब्जा न दिलाने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? आवंटियों को कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां ग्राम मइला को आ० नं० 195/0.13, 195/510/0.10 व 195/510/0.21 का उप जिलाधिकारी, सहजनवां द्वारा पट्टा स्वीकृत कर कब्जा न दिलाया जाना

23–श्री सन्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर तहसील सहजनवां ग्राम मइला को आ० नं० 195/0.13, 195/510/0.10 व 195/510/0.21 का पट्टा उप जिलाधिकारी, सहजनवां द्वारा दिनांक 15-6-97 को स्वीकृत तथा15-7-97 को अमलदरामद पर कब्जा न दिये जाने संबंधी पत्र जो मा० सं० कार्य० एवं पर्यावरण मंत्री के (रजि०सं०–ए120419, दिनांक 8-9-97) (पत्रांक 1166/जनरल/सं० कार्य पर्या/०/97, दिनांक 4-9-97 जिलाधिकारी को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के मूल बिन्दु क्या हैं क्या संबंधित व्यक्तियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री महादेव प्रसाद निवासी ग्राम बहरामपुर, जिला अम्बेडकर नगर का ग्राम प्रधान बहरामपुर एवं परगनाधिकारी द्वारा उनके नाम की खसरा खतौनी में मकान न बनाने विषयक आयुक्त, फैजाबाद व जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

24–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री महादेव प्रसाद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी निवासी ग्राम बहरामपुर तहसील आलापुर (रामनगर) जिला अम्बेडकर नगर का प्रार्थना-पत्र जोकि ग्राम प्रधान बहरामपुर एवं वर्तमान परगनाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा उनके नाम की खसरा खतौनी में दर्ज आबादी संख्या 120 बिन्दु (घ) पर मकान न बनने देने के संबंध में जून/जुलाई, 97 में आयुक्त, फैजाबाद मण्डल और जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ में दैनिक कर्मचारी की ज्येष्ठता सूची एवं उसके आधार पर उनका समायोजन न किये जाने के दोषी अधिकारियों को सरकार द्वारा दण्डित करने की मांग

25–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला, चिनहट लखनऊ में कितने दैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनकी सीनियार्टी लिस्ट क्या है ? वर्ष 1990 से अब तक उसमें

किस-किस कर्मचारी का समायोजन विभाग द्वारा किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि वरिष्ठता के आधार पर उनका समायोजन नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

दो दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं ।

दैनिक श्रमिकों की कोई ज्येष्ठता सूची नहीं होती है । प्रश्नगत दैनिक श्रमिकों का वरिष्ठता क्रम निम्नवत् है :–

(1) श्री दर्शन यादव

(2) श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव

उक्त में से किसी का नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि उक्त दोनों दैनिक श्रमिकों से कनिष्ठ किसी कर्मचारी का समायोजन नहीं किया गया है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा सचिव, पशुधन को सम्बोधित पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही

26–श्री विनोद मणि–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1997 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1997 जोकि सचिव, पशुधन को सम्बोधित था और जो चिकित्सालय खोलने हेतु था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री गोरख प्रसाद निषाद)–

जी हां ।

पशु चिकित्सालय की स्थापना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं जिला योजना से परिव्यय उपलब्ध कराये जाने पर होती है । तद्नुसार जिलाधिकारी, हरदोई को लिख दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के नगर पंचायत मेहदावल में जमींदारी प्रथा समाप्त करने की मांग

27–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नगर पंचायत मेहदावल में जमींदारी प्रथा अभी भी लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमींदारी अधिनियम 1964 के अन्तर्गत उसे समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जमींदारी प्रथा समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

शीघ्र समाप्त करने की कार्यवाही करायी जा रही है ।

पशु जैविक औषधि संस्थान पशुपालन विभाग, लखनऊ में अपर निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

28–श्री राम सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु जैविक औषधि संस्थान पशुपालन विभाग, लखनऊ में अपर निदेशक का पद कितने वर्षों से रिक्त पड़ा है ? उक्त संस्थान में अपर निदेशक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

तीन वर्षों से रिक्त है ।

अपर निदेशक के रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति के संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में न्याय विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला पंचायत के विकास भवन में आग लगने से हुई क्षति एवं क्षतिपूर्ति के लिए शासन द्वारा की गयी व्यवस्था की जानकारी

29–श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला पंचायत के विकास भवन में आग लगने से कितनी क्षति हुई है ? इस क्षति पूर्ति के लिए शासन क्या कोई व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बिजनौर के ग्राम मोढाढांग, कौडिया व चतुरावाला को अलग ग्राम सभा बनाने की मांग

30–श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बिजनौर के ग्राम मोढाढांग, कौडिया व चतुरावाला को अलग ग्राम सभा बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक अलग ग्राम सभा गठित हो जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम मोढाढांग, कौडिया व चतुरावाला की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 684 है जिसके कारण नियमानुसार इसे पृथक ग्राम पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा तहसील मनकापुर (गोण्डा) के ग्रा० त० अम्बरपुर में सीलिंग भूमि को अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा तहसील मनकापुर (गोण्डा) के ग्रा० त० अम्बरपुर में सीलिंग भमि को अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने के संबंध में एक शिकायती-पत्र संख्या एम–4/22–47/गोण्डा/97, दिनांक 21-3-97 दिया था जिस पर भौतिक सत्यापन एवं कार्यवाही

करने हेतु आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को निर्देश गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय सदस्य का प्रश्न में सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

पशु औषधि संस्थान पशुपालन विभाग, लखनऊ में तैनात पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र एवं पशुओं तथा चिकित्सकों की संख्या

32–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, लखनऊ में तैनात पशु चिकित्सकों व कर्मचारियों के विरुद्ध 1995-96 व वर्ष 1996-97 में माननीय विधायकों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? लघु पशु गृह में कितने पशुओं का वैक्सीन उत्पादन हेतु पालन किया जा रहा है ? क्या पशुओं की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है ? उक्त संस्थान में कितने चिकित्सक तैनात हैं एवं अपर निदेशक के रिक्त पद को न भरे जाने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में कार्यवाही निदेशालय स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

वर्ष 1995-96 में 2 तथा वर्ष 1996-97 में 1 शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

आवश्यकतानुसार पशु रखे जाते हैं । कोई संख्या या लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

जी नहीं ।

वर्तमान में 23 चिकित्सक तैनात हैं । अपर निदेशक के रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति के संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में न्याय विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून जनपद में देशी मदिरा का गोदाम नगर के बीच से हटाकर बाहर बनाये जाने की योजना की जानकारी

33–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि देहरादून जनपद के देशी मदिरा का गोदाम नगर के बीच गांधी रोड पर स्थित है जिसके कारण मुख्य मार्ग पर शराब के टैंकरों के खड़े होने से यातायात अवरुद्ध होता है ? यदि हां, तो क्या शराब का गोदाम शहरी क्षेत्र से बाहर बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

देहरादून में देशी शराब का गोदाम, गांधी रोड पर सन् 1910 के पहले का निर्मित है, जिसमें टैंकरों के खड़े होने का स्थान मुख्य मार्ग से अलग गोदाम के पास पड़े रिक्त स्थान पर नियत है एवं इस गोदाम के कारण यातायात अवरुद्ध नहीं होता है।

उक्त गोदाम को शहरी क्षेत्र के बाहर निर्मित करने की कोई योजना नहीं है।

सचिव, पशुधन एवं मत्स्य को प्रश्नकर्ता का प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

34–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिव, पशुधन एवं मत्स्य को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-1997 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां।

पशु चिकित्सालय की स्थापना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं जिला योजना से परिव्यय उपलब्ध कराये जाने पर होती है। तद्नुसार जिलाधिकारी, बांदा को लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1997-98 में भूमि संरक्षण इकाई (ऊसर सुधार) जनपद फतेहपुर द्वारा दस लाख कूप योजनान्तर्गत ग्रामों का फर्जी मस्टर रोल बनाकर कृत कार्य की जांच एवं भुगतान कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में दस लाख कूप योजना द्वारा वर्ष 1997-98 में भूमि संरक्षण ऊसर सुधार विभाग द्वारा ग्राम बिन्दौर, भीखमपुर, बासलहाबाद, लहरामऊ, गोभा, इजुराखुर्द, एकहरा, गढ़ा, सरहन खुर्द सोनेमऊ आदि गांव में फर्जी मस्टर रोल बनाकर कार्य केवल कागजों पर कराकर लाखों रुपया गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

भूमि संरक्षण इकाई (ऊसर सुधार) फतेहपुर द्वारा दस लाख कूप योजनान्तर्गत ग्राम बिन्दौर, भीखमपुर, बासलाबाद, गोभा तथा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत लहरामऊ में कुल रु० 9.25 लाख का कार्य नियमानुसार कराया गया, इस संबंध में फर्जी मस्टर रोल बनाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में भूमि संरक्षण विभाग राष्ट्रीय जलागम को वर्ष 1995-96 में बीहड़ सुधार कार्य मानक के विपरीत कराकर एवं फर्जी मस्टर रोल बनाकर धन के गबन करने की जांच

36–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में भूमि संरक्षण विभाग राष्ट्रीय जलागम को वर्ष 1995-96 में बीहड़ सुधार कार्य हेतु एकडहा, गढ़ा सरहन खुर्द, सरवर आदि में धनराशि प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि मानक के विपरीत कार्य कराकर फर्जी मस्टर रोल बनाकर धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों की तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 में कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्य में मदवार धन का खर्च एवं सत्यापन तथा 1997-98 में भोगांव में प्रस्तावित भूमि संरक्षण की योजना की जानकारी

37–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण द्वारा जनपद मैनपुरी में क्या कार्य किये गये और उनमें मदवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? मदवार कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या उक्त कार्यों की समीक्षा हेतु भौतिक सत्यापन एवं वित्तीय सम्प्रेक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वित्तीय वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव में भूमि संरक्षण की कोई योजनायें प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1996-97 में किये गये कार्यों का विवरण एवं मदवार व्यय निम्नवत् है :–

क्र०सं० योजना का नाम	क्षेत्रफल हे० में	व्यय की गयी धन०	सृजित मानव दिवस
क–अम्बेडकर ऊसर योजना–			
(1) प्रक्षेत्र विकास कार्य मेड़बन्दी सिंचाई नाली एवं जल निकास	496	1847500	36985
(2) ढैंचा वितरण	—	250588	–
(3) बोरिंग एवं पम्पसेट अनुदान	—	739500	—
(4) फसलोत्पादन	—	418975	—
ख–दस लाख कूप योजना–			
(1) जल निकास नाला	8.5 किमी०	634000	12870
ग–आपला परियोजना	8.3 हे०	105000	1734
योग		3996563	51589

जी हां ।

परियोजना निदेशक, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मैनपुरी एवं विभागीय अभिकरण मैनपुरी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया। वित्तीय सम्प्रेक्षण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24-2-97 से 28-2-97 तक किया गया।

जी हां।

भोगांव विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में दस निम्नलिखित परियोजनायें प्रस्तावित हैं :-

(1) सुन्नामई अम्बेडकर ग्राम में भूमि सुधार कार्यक्रम तालाब निर्माण।

(2) लहरा ग्राम में भूमि सुधार योजना।

(3) बेवर विकास खण्ड में खजुरिया से दुद्धी नाला।

(4) वोहरा से काली नदी नाला।

(5) टिकुरी से काली नदी नाला।

(6) वरान तालाब निर्माण।

(7) राम नगर से हिमायूंपुर नाले की शाखायें।

(8) वझेरा से नगला गढ़ से ईशन नदी नाला।

(9) परोंखा से नगला केहरी वाया सुरैया आनन्दपुर मधुकरपुर से ईशन नदी नाला।

(10) ग्राम बंजरिया मौजा परोंखा से जोगा लक्ष्मणपुर से काली नदी नाला।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण इकाई लखनऊ (गोमती) में वर्ष 1990 से 1995 तक कराये गये पक्के निर्माण कार्य में अवर अभियन्ताओं द्वारा की गई घोर वित्तीय अनियमितता तथा जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

38–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण इकाई लखनऊ (गोमती) में वर्ष 1990 से 1995 तक कराये गये पक्के कार्यों जैसे निर्माण सामग्री ईंट, बालू, सीमेण्ट, मौरंग पाइप कालर आदि क्रय करना, स्टाक रखना, निर्माण कार्य कराना चिट्ठा भरना और मापन करना आदि केवल अवर अभियन्ताओं द्वारा ही पूर्ण करवाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता तथा राजकीय धन का अपव्यय कर अनियमित निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमित कार्य करने वालों के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

नियमों के अनुसार मात्र पक्के कार्य का निर्माण, मापन एवं चिट्ठे भरने का कार्य केवल अवर अभियन्ताओं द्वारा किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वीरेन्द्र सिंह निवासी खन्दवा, जिला–बलिया को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम समाज के तालाब का दिये गये पट्टे के निरस्तीकरण की मांग

39–श्री पारस नाथ यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वीरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र हरिनारायन सिंह निवासी खन्दवा पो०–खन्दवा जिला बलिया द्वारा जो 42.50 एकड़ का मालिक होते हुये भी मत्स्य विभाग द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ग्राम सभा का तालाब जिसका रकबा द्वारा 1.32 एकड़ है तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बलिया द्वारा पट्टा दे दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच कराकर पट्टा निरस्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । तत्कालीन उप जिलाधिकारी रसड़ा द्वारा दिनांक 18-2-88 को दस वर्षीय मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिनांक 15-2-88 से 15-2-98 तक के लिये किया गया है । जांच कराकर पट्टा निरस्त किया जायेगा तथा तत्कालीन उप जिलाधिकारी रसड़ा के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने का प्रश्न ही नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों के पुनर्गठन की रूपरेखा की जानकारी

40–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्याय पंचायतों का पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

न्याय पंचायतों के पुनर्गठन की रूपरेखा निम्न प्रकार है :–

1–नवसृजित जनपदों के फलस्वरूप प्रभावित जनपदों की ग्राम पंचायतों का संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम की धारा–3 व 11–च के अन्तर्गत अधिसूचना का निर्गत किया जाना ।

2–सातवें सामान्य निर्वाचन से कार्य करने वाली न्याय पंचायतों की सूची का उ० प्र० पंचायत राज नियमावली के नियम सं०–3 सी० के अनुरूप प्रकाशन ।

3–न्याय पंचायतों के पंचों की संख्या का उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या–3–ई० के अनुसार निर्धारण एवं प्रकाशन ।

4–ग्राम पंचायतों के पंचों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजने के लिये सब डिवीजनल अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया जाना ।

5–ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव एवं सहमति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों की बैठक का आयोजन ।

6–ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित संख्या में ग्राम पंचायत के अर्ह सदस्यों का प्रस्ताव परगनाधिकारियों को भेजा जाना ।

7–ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का परगनाधिकारी द्वारा जांच किया जाना एवं जांचोपरान्त अभ्यर्थियों की सूची जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया जाना ।

8–पंचों की नियुक्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया जाना ।

9–पंचों द्वारा पद की शपथ ग्रहण किया जाना ।

10–सरपंच/सहायक सरपंच चुने जाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बैठकें, समय व स्थान नियत किया जाना तथा पंचों की बैठक का नोटिस दिया जाना ।

11–पंचों की बैठक का आयोजन तथा चुनाव के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा किया जाना ।

12–सरपंचों/सहायक सरपंचों द्वारा शपथ ग्रहण किया जाना ।

13–न्याय पंचायतों की न्याय पीठ की स्थापना किया जाना ।

41–डा० कौशल किशोर–

(2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कृषि अनुभाग–5 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-2-92 के संबंध में कृत कार्यवाही एवं कर्मचारियों के निलम्बन की समाप्ति तथा उस अवधि के अवशेष वेतन एरियर आदि का भुगतान

42–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अनुभाग–5 के पत्र संख्या 616/12-5-92 दिनांक 20-1-1992 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-1992 में क्या कार्यवाही हुई है ? नामांकित कर्मचारी को निलम्बन समाप्त करके किस जनपद के किस पद पर तैनात किया गया है ? क्या उक्त कर्मचारी को निलम्बित अवधि का अवशेष वेतन एरियर व कनिष्ठ कर्मचारी के समकक्षीय स्तर तक का प्रोमोशन देकर प्रोन्नत अवधि का अवशेष वेतन ऐरियर व निलम्बित अवधि का नकदीकरण व बोनस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

शासन का पत्र दिनांक 20-1-92 का न होकर 28-1-92 का है जिसके संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-92 में निम्न कार्यवाही की गई :–

(1) श्री रामबाबू शर्मा तत्कालीन निलम्बित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिजनौर को आदेश संख्या–ए०बी०(2)/6612-20 दिनांक 4-1-93 के अन्तर्गत निलम्बन की तिथि से बहाल कर दिया गया है । निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु सेवाकाल माना जायेगा ।

(2) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश सं०–ए० बी० (12)/6612-20 दि० 4-1-93 द्वारा सहायक कृषि विपणन अधिकारी बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनाती की गई है ।

(3) श्री राम बाबू शर्मा के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उन्हें कृषि विभाग में समायोजित किया गया तथा उन्हें वर्ग–1 में पदोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 7-8-93 को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) आगरा के अधीन तैनात किया गया ।

संबंधित कर्मचारी का निलम्बन समाप्त कर कृषि विपणन अधिकारी बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनात किया गया ।

अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है, बोनस के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में भूमि संरक्षण योजनान्तर्गत इकाइयों को वर्ष 1995-96 से लेकर वर्ष 1997-98 तक आवंटित धनराशि एवं उनके द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन तथा मापदण्ड की जानकारी

43–डा० वकार अहमद शाह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण योजनान्तर्गत जनपद बहराइच में कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं ? इन्हें वर्ष 95-96, 96-97 एवं 97-98 में कौन-कौन से मद में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक भूमि संरक्षण इकाई, नानपारा द्वारा कौन-कौन

से कार्य कराये गये हैं और इसका सत्यापन कब-कब तथा किस श्रेणी के अधिकारी से कराया गया है ? क्या इस विभाग को कार्य देने के लिये कोई मापदण्ड है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग उ० प्र० शासन के पत्र द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पै० लि० के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र एवं उन आरोपों की जांच

44–श्री पारस नाथ यादव–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग उ० प्र० शासन के पत्र सं०–2842/एस०ए० एच०/1992 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पै० लि० के विरुद्ध क्या आरोप पत्र दिया गया है ? उन आरोपों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

आरोप-पत्र तामीली हेतु भेजा गया था, किन्तु बाद में उन्हीं आरोपित बिन्दुओं के संबंध में जांच की कार्यवाही स्थगित कर शासनादेश संख्या–3158/57-म–93-4-(9)/90 दिनांक 8 अगस्त, 1993 द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० आर० पी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटी लि० का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

मथुरा सदर तहसील में जुलाई 1997 के प्रथम सप्ताह 'पट्टा अभियान' में अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टे निरस्त करने के संबंध में जानकारी

45–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा सदर तहसील में जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह 'पट्टा अभियान' में कितने पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये ? क्या अपात्र व्यक्तियों कोदिये गये पट्टे निरस्त कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मथुरा सदर तहसील में पट्टा अभियान के दौरान जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह में कृषि के 432 एवं आवास के 94 व्यक्तियों को आवंटित किये गये ।

तहसील मथुरा के ग्राम सुनरख बांगर का पट्टा निरस्तीकरण का वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) वाद सं०–64/97-98 पूरन सिंह बनाम रामवीर सिंह न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि० रा०) मथुरा एवं ग्राम नेरा का वाद सं०–83/96-97 बाबू आदि बनाम बाबू लाल आदि न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) में विचाराधीन है ।

ग्राम व पोस्ट–तरौली मुबारकपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में बंजर/बचत की भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा भूमिहीनों को पट्टा एवं कब्जा दिलाये जाने विषयक जानकारी

46–श्री श्याम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट–तरौली मुबारकपुर, परगना–बिड़हर, तहसील–टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में बंजर/बचत की कितनी भूमि है ? उक्त भूमि को किन-किन भूमिहीनों को जिलाधिकारी स्तर से पट्टा करके उस पर कब्जा दिला दिया गया है ? क्या शासनादेश सं०–1102/1-2-97-स–2, दिनांक 19-5-97 का अनुपालन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर, जनपद अम्बेडकर नगर की विवादित भूमि के संबंध में मृतका श्रीमती इमिरता देवी के पुत्र जवाहिर लाल के पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही

47–श्री श्याम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर, थाना–हंसवर, परगना विड़हर, तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर की विवादित भूमि संख्या 338 के संबंध में मृतका श्रीमती इमिरता देवी के पुत्र जवाहिर लाल का पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1997 गृह (पुलिस) अनुभाग–14 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उप जिलाधिकारी; टाण्डा द्वारा शासनादेश संख्या–1102/1-2-97-स–2, दिनांक 19-5-97 तथा शासनादेश संख्या 1060/एक–1-12-1020/96 राजस्व–1, दिनांक 13-9-96 का अनुपालन न करने के संबंध में दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आबकारी आयुक्त उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में चयनित पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा पूरा होने के बाद भी ओ० बी० सी० पदों के लिये आरक्षित विषयक जानकारी

48–श्रीमती विजमा यादव–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब आबकारी आयुक्त, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1990 में चयनित पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा पूरा था तो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 5 ओ० बी० सी० पदों के लिये क्यों अधियाचन भेजा गया है, जबकि उक्त परीक्षा की सूची में ओ० बी० सी० के व्यक्तियों का नाम उपलब्ध है ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 2815/1980, कार्मिक–1, दिनांक 25 मार्च, 1985 के अनुसार परीक्षा सूची अगले चयन तक वैध रहती है और उक्त परीक्षा में दो बार छंटनी (स्क्रीनिंग) के उपरान्त साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के छः गुना अनुपात के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था ? यदि हां,तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां, आबकारी आयुक्त, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में चयनित पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा पूरा था। चयन के बाद घटित रिक्तियों पर सीमित चयन कराने हेतु उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित अधियाचन में 5 पद ओ० बी० सी० के लिये आरक्षित किये गये हैं, क्योंकि वर्ष 1994 से ओ० बी०सी० का आरक्षित कोटा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। परीक्षा सूची का आशय प्रतीक्षा सूची से होने की स्थिति अवगत कराना है कि यह प्रतीक्षा सूची मात्र एक वर्ष के लिये ही वैध थी। प्रश्नगत शासनादेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के लिये है। उसके भी प्रस्तर (2) (1) में यह प्राविधानित है कि चयनित सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का उपयोग अगले चयन तक इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि रिक्ति उसी चयन वर्ष की हो जिसके लिये अधियाचन के आधार पर परीक्षाफल प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत अधियाचन, जिसमें 5 ओ० बी०सी० के पद पर भर्ती के लिये भेजा गया है, वह उस चयन वर्ष की रिक्तियों के लिये नहीं अपितु बाद में घटित रिक्तियों के लिये भेजा गया है। तद्नुसार उक्त शासनादेश के प्राविधान लागू नहीं होंगे। उक्त परीक्षा में दो बार छंटनी (स्क्रीनिंग) के उपरान्त साक्षात्कार में उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिनके 45% अथवा इससे अधिक अंक थे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 185 थी।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा उप आबकारी निरीक्षक राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में छंटनी (स्क्रनिंग) के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के मापदण्ड के संबंध में जानकारी

49–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा आबकारी निरीक्षक राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में दो बार छंटनी (स्क्रीनिंग) के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के छः गुना से अधिक संख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड के मानक से कम ऊंचाई के कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां, साक्षात्कार के लिये लिखित परीक्षा में 45% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 185 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

जी नहीं, चयनित अभ्यर्थियों में कोई अभ्यर्थी अनर्ह नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

50–श्री राम तेज यादव–

[दि० 28-1-98 को अता० प्र० सं० 194 द्वारा उत्तरित]

51–श्री तेज भान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अप्रैल, 1996 में खड्डा (पडरौना) के नगर पंचायत खड्डा में भीषण अग्निकाण्ड में नष्ट हुए दलित परिवार व अल्पसंख्यकों के घरों की बीमा धनराशि दिलाये जाने की मांग

52–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या सरकार को ज्ञात है कि अप्रैल, 96 में थाना खड्डा (पडरौना) के नगर पंचायत खड्डा में भीषण अग्निकाण्ड में सकड़ों दलित परिवार व अल्पसंख्यकों का छप्पर के घर जल कर समूल रूप से

नष्ट हो गये हैं ? क्या उसमें जन हानि भी हुई है ? यदि हां,तो समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भी झोपड़ी बीमा की धनराशि अग्निपीड़ितों कोअब तक क्यों नहीं दी गयी ? झोपड़ी बीमा की स्वीकृत आर्थिक सहायता कब तक मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद कुशीनगर के थाना–खड्डा (पडरौना) के नगर पंचायत खड्डा में अप्रैल, 1996 में अग्निकाण्ड की घटना से 88 परिवार प्रभावित हुये थे । अग्निकाण्ड की घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । पीड़ित 88 परिवारों के झोपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत अग्निदावा फार्म औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये शाखा प्रबन्धक, दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्श कम्पनी लि०, शाखा देवरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में प्रेषित किया गया है परन्तु अभी बीमा धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण झोपड़ी बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । स्वीकृति प्राप्त होते ही बीमा धनराशि प्रभावितों को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री संजय टण्डन बनाम रामचन्दर ग्राम–लोअपुर तहसील–अकबरपुर, जिला–फैजाबाद के बाद के श्री एस० एस० सिंह उप संचालक चकबन्दी मुख्यालय द्वारा कराई गई जांच और अनियमितता के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 164 प० श० 33/95 दिनांक 15-1-96 श्री संजय टण्डन बनाम रामचन्दर जनपद अम्बेडकर नगर पूर्व जनपद फैजाबाद ग्राम–लोअपुर, तहसील अकबरपुर के बाद के जांच श्री एस० एस० सिह उप संचालक चकबन्दी मुख्यालय लखनऊ द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी द्वारा जांच में क्या अनियमितता पाई गई और उस जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री संजय कुमार टंडन ने शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-6-94 बावत संजय कुमार बनाम रामचन्दर आदि ग्राम लोअपुर ताजन परगना–अकबरपुर जिला फैजाबाद की जांच श्री शान्ती स्वरूप सिंह, उप संचालक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी जांच आख्या दिनांक 15-1-96 को प्रस्तुत की । जांच में वाद संख्या–108/93-94 में आदेश दिनांक 30-4-94 के निस्तारण में श्री तकरीब हसन तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी तथा अपील संख्या–1407 संजय कुमार बनाम रामचन्दर निर्णित दिनांक 15-6-94 के निस्तारण में श्री हंसनाथ त्रिपाठी, स० ब० अ० च० दोषी पाये गये । उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय टण्डन निवासी शाहजादपुर जिला अम्बेडकर नगर के प्रार्थना-पत्र की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

54–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले गुरुवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के आधार पर क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री संजय टण्डन द्वारा संबंधित प्रार्थना-पत्र की प्रति चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री संजय टण्डन निवासी शाहजादपुर जिला अम्बेडकर नगर ने पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 30-6-94 की छाया प्रति उपलब्ध कराई है । श्री संजय टण्डन निवासी शाहजादपुर जिला अम्बेडकर नगर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच श्री शान्ती स्वरूप सिंह, उप संचालक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा कराई गई । जांच में श्री तकरीव हसन, चकबन्दी अधिकारी व श्री हंसनाथ त्रिपाठी, स० ब० अ० च० को क्रमशः चक आपत्ति व चक अपील के निस्तारण करने में अनियमितता हेतु दोषी पाया गया । उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

ग्राम दौलतपुर अजमतपुर तह० व जिला मुरादाबाद की कृषकों की अधिगृहीत भूमि पर बाढ़ से प्रभावित ग्राम–रसूलपुर नगली के ग्रामवासियों को बसाने एवं कृषकों को उक्त भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

55–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दौलतपुर अजमतपुर तह० व जिला मुरादाबाद की कुल 11 एकड़ कृषकों की भूमि सन् 1964 में अधिग्रहीत करके बाढ़ में कटे ग्राम रसूलपुर नगली को बसाया गया था ? क्या यह सही है कि कृषकों को अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कृषकों को उक्त मुआवजा दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बाढ़ से प्रभावित ग्राम रसूलपुर नगली तहसील मुरादाबाद के विस्थापितों को वर्ष 1964 में ग्राम दौलतपुर, अजमतपुर के कृषकों की भूमि पर ग्रामवासियों के आपसी समझौते के आधार पर पुनर्वासित किया गया था । वर्ष 1994 से पूर्व न तो इस भूमि के भूमिधरों ने मुआवजे की मांग की है और न ही इस भूमि का मुआवजा दिये जाने का कोई प्रमाण अभिलेखों में उपलब्ध है । प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था । आपसी समझौते से बाढ़ पीड़ितों को बसाया गया था । अतएव मुआवजा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम लालाटीकर महेश नगली, एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद की चकबन्दी में हुई अनियमितता को दुरुस्त करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

56–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लालाटीकर महेश नगली, एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद की चकबन्दी में सहायक चकबन्दी अधिकारी पंडित नगला ने बिना किसी नियम व कानून के कुल 359 चक बनाये हैं जिनमें 280 चक बिना नम्बर के हैं ? यदि हां, तो नियम के विरुद्ध बनाये गये चकों की दुरुस्ती के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 में कुल चकदार 359 हैं जिसमें से 20 चकबन्दी बाहर है । शेष 339 चकदारों का चक निर्माण सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें से 152 चकदारों को उनके बिना मूल जोत की भूमि पर चक प्रदिष्ट किये गये हैं ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक निर्माण के विरुद्ध चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में प्राप्त

चक अपीलों का निस्तारण बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा चुका है । उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में प्राप्त निगरानी के शीघ्र निस्तारण हेतु उप संचालक चकबन्दी को निर्देश भेजे गये हैं ।

चक निर्माण के संबंध में परीक्षण कराया जा रहा है परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मुरादाबाद में काठ रोड पर स्थित (एम० डी० ए० कालोनी में) गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में अमर शहीद शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने की मांग

57–श्री सौलत अली–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर मुरादाबाद में कांठ रोड पर स्थित (एम०डी०ए० कालोनी) में गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने हेतु श्री सन्तोष गुप्ता महामंत्री उ० प्र० श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, मुरादाबाद द्वारा मांग की गयी है ? क्या उक्त के संबंध में एम०डी०ए० व जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अनापत्ति दे दी गयी थी ? यदि हां, तो इसके बाद भी अभी तक प्रतिमा स्थापित क्यों नहीं की गयी है ? संस्कृति निदेशालय उ० प्र० में इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? प्रतिमा की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

जी हां ।

मूर्ति निर्माण कार्य का आदेश दिया जा चुका है ।

मूर्ति बनवाकर शीघ्र स्थापना हेतु उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

लगभग मार्च, 98 के अन्त तक मूर्ति स्थापना हेतु उपलब्ध हो जायेगी ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम बलीपुर खुदेवा स्थित भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग

58–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–29 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित गाटा संख्या सुरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस पर किसी ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भगौती सिंह द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को कथित प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

59–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–14 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र न प्राप्त होने के बाद भी उक्त गाटा संख्या का पट्टा कभी संबंधित व्यक्ति के नाम किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान आज भी धार्मिक स्थल है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–133, 139क, 170क का आवंटन हुआ है

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त ।

प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर योजना का जनपदों में संचालन एवं संविदा पर नियुक्त क्षेत्र पर्यवेक्षकों की संख्या तथा नियमितीकरण की मांग

61–श्री समर पाल सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल डेरी योजना कितने जनपदों में चलायी जा रही है ? उसमें कितने क्षेत्र पर्यवेक्षक (संविदा) पर कार्यरत हैं ? क्या इन क्षेत्र पर्यवेक्षकों को सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

दुग्ध विकास विभाग में सेन्ट्रल सेक्टर योजना प्रदेश के दस जनपदों में चलायी जा रही है । उसमें 50 क्षेत्र पर्यवेक्षक संविदा पर कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र पर्यवेक्षक संविदा के आधार पर योजनाकाल की समाप्ति की दिनांक 31-3-98 तक के लिए नियुक्त हैं । संविदा के आधार पर नियुक्त उक्त क्षेत्र पर्यवेक्षकों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सेन्ट्रल डेरी योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्र पर्यवेक्षकों के वेतन वृद्धि की मांग

62–श्री समर पाल सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल डेरी योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्र पर्यवेक्षकों का वेतन 1995 से मात्र रुपये 2000 निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई को देखते हुए इनके वेतन में वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

दुग्ध विकास विभाग में वर्ष 1995 से सेन्ट्रल सेक्टर योजना के अन्तर्गत संविदा के आधर पर नियत वेतन रु० 2000 पर क्षेत्र पर्यवेक्षक कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संविदा के आधार पर नियत वेतन पर कार्यरत क्षेत्र पर्यवेक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती रामपति पुत्री स्व० श्री कनही निवासी ग्राम पूरे गौरियापुरवा थाना लोनीकटरा तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की भूमि पर श्री भगौती पुत्र स्व० श्री महाबीर द्वारा जबरिया कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

63–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगौती पुत्र स्व० श्री महाबीर निवासी ग्राम पूरे गौरियापुरवा, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी ने श्रीमती रामपति पुत्री स्व० श्री कनही निवासी ग्राम पूरे गौरियापुरवा, थाना लोनी कटरा, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की खेतिहर भूमि लगभग 8 बिस्वा पर श्रीमती रामपति केपिता की मृत्यु के पश्चात् जबरिया कब्जा करके जोत बो लिया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी उपरोक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी गयी । विवाद जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अन्तर्गत गलत वरासत दर्ज करने का है जिसके लिए प्रथम दृष्टया क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक दोषी पाये गये प्रकरण में भगौती पुत्र स्व० महाबीर का कोई दोष नहीं पाया गया ।

श्री छेदी लाल कहार पुत्र श्री केदार ग्राम बहुती खुर्द तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री छेदी लाल कहार पुत्र श्री केदार ग्राम बहुती खुर्द, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर उस शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि मत्स्य पालन हेतु तालाब के पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में क्या परगनाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा का नवीनीकरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, समशाबाद में राजाखेड़ा मार्ग मनपुरापानी की टंकी से दौलत राम का बासगढ़ वाया कुतुकपुर इरादत नगर माइनर टेल तक सम्पर्क मार्ग पर खड़ञ्जा कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

65–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, समशाबाद में राजाखेड़ा मार्ग मनपुरापानी की टंकी से दौलत राम का बासगढ़ वाया कुतुकपुर इरादत नगर माइनर टेल तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 6.15 कि०मी० है जिसका 2 कि०मी० लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण 2 कि०मी० गिट्टी लेपन तथा 2.15 कि०मी० खडञ्जा स्तर का कार्य पूर्ण है ? यदि हां,

तो उक्त मार्ग को पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? कार्य पूर्ण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । मण्डी समिति समशाबाद क्षेत्रान्तर्गत 6.15 कि०मी० की स्वीकृति मण्डी परिषद् द्वारा प्रदान नहीं की गयी है । अपितु मण्डी समिति समशाबाद राजखेड़ा मार्ग पर मनपुरापानी से कुतुबपुरा तक लम्बाई 2.00 कि०मी० लागत रुपया 9.45 लाख को पूल फण्ड से निर्मित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

धनाभाव ।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के अनुकूल होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत उत्पादन मण्डी समिति फतेहाबाद में बाह, कचौरा घाट मार्ग से जगराजपुर तथा फतेहाबाद निबोहरा मार्ग रामगढ़ से भूसेपुर तक सम्पर्क मार्गों को वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने की मांग

66–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत उत्पादन मण्डी समिति फतेहाबाद में आगरा, बाह, कचौरा घाट मार्ग से जगराजपुर तथा फतेहाबाद निबोहरा मार्ग रामगढ़ से भूसेपुर तक सम्पर्क मार्गों का अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2-12-97 को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्पर्क मार्ग फतेहाबाद निबोहरा मार्ग रामगढ़ से भूसेपुर तक परिषद् से स्वीकृत मार्ग आगरा फतेहाबाद मार्ग से जगराजपुर के अवशेष कार्य को मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के अनुकूल न होने के कारण पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत पदधारकों को उच्चीकृत वेतनमान रु० 1400–2600 दिये जाने विषयक जानकारी

67–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 135/5/94(76)–रा–6, दिनांक 25 अगस्त, 1994 द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत पदधारकों को उच्चीकृत वेतनमान 1400–2600 स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1989 में नियुक्त सहायक लेखाकारों को जिनकी परिवीक्षा अवधि जनवरी, 1991 में पूर्ण हो गयी है, को भी उक्त वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासनादेश संख्या–135/5/94–(76)–रा०–6, दिनांक 25-8-94 के अनुसार राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ के अधीन लेखा संगठन में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के सृजित पदों को जोड़कर उनमें

से 80 प्रतिशत को रु० 1400–2600 एवं 20 प्रतिशत को 1200–2040 का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1989 में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों को उच्च वेतनमान दिये जाने के संबंध में जो सहायक लेखाकार शासनादेश संख्या–124/4/82–(75)–रा०–6, दिनांक 19-6-84 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हीं सहायक लेखाकारों को लेखाकार पद का वेतनमान रुपया 1400–2600 देय होगा ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा जासू, विकास क्षेत्र बेंहदर तहसील सण्डीला के वर्तमान प्रधान द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को पट्टे दिये जाने की जांच एवं निरस्तीकरण तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

68–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा जासू, विकास क्षेत्र बेंहदर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई में वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में जिन लोगों को जमीन के पट्टे किये गये उनमें अधिकांश प्रधान के परिवार के ही लोग हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पट्टों का निरस्त कर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में कृषि भूमि आवंटन, सीलिंग भूमि-आवंटन एवं आवास स्थल के कोई पट्टे नहीं दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रान्तीय रक्षक दल पी०आर०डी० को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने के संबंध में जानकारी

70–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रान्तीय रक्षक दल पी०आर०डी० द्वारा कोई आन्दोलन चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी०आर०डी० एक स्वयं सेवक दल है जिसके स्वयं सेवकों की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पर समाज सेवा के कार्यों, दैवी आपदा की स्थितियों के समय और सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था के कार्यों हेतु लगायी जाती है और ड्यूटी के उपरान्त निर्धारित दरों पर उन्हें दैनिक ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है । उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना पी०आर०डी० एक्ट, 1948 एवं नियमावली के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध होगा ।

जनपद आगरा के एत्मादपुर तहसील के तहसीलदार प्रभात कुमार शर्मा के विरुद्ध जांच पूर्ण होने विषयक जानकारी

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित एत्मादपुर तहसील के तहसीलदार प्रभात कुमार शर्मा के विरुद्ध अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को सवर्णों के नाम चढ़ाये जाने की जांच राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से करायी जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री प्रभात कुमार शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार सदर आगरा सम्प्रति उप जिलाधिकारी के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 2-5-97 द्वारा सी०सी०ए० रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम–कुम्भीखाल (सिगड्डी), कोटद्वार भावर, जिला पौड़ी गढ़वाल में 50 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

72–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–कुम्भीखाल (सिगड्डी) कोटद्वार भावर, जिला पौड़ी गढ़वाल में लगभग 100 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को अभी तक शासन की नीति के अनुसार भूमि प्रदिष्ट नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त जनपद के ही ग्राम–झण्डी चौड़ हल्दूखाता तथा कोटद्वार भावर में 50 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में 21 मार्च, 1997 से अब तक अग्निकाण्ड में तथा बरसात में ध्वस्त हुए मकानों से प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता प्रदान करने विषयक जानकारी

73–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 21 मार्च, 1997 के बाद अब तक जनपद मैनपुरी में अचानक आग लगने कि कितनी घटनायें हुई और उनमें किन-किन लोगों कितनी-कितनी धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में प्रदान की गयी है ? क्या सरकार अग्निकाण्ड व बरसात में ध्वस्त हुए मकानों के नुकसान के आधार पर अहेतुक सहायता को प्रदान करने की नीति पर विचार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनपद मैनपुरी में उक्त अवधि में ऐसे बहुत से अग्निकाण्ड में पीड़ित लोग हैं जो अहेतुक सहायता प्राप्त होने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अहेतुक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद मैनपुरी में 21 मार्च, 1997 से अब तक अग्निकाण्ड की 226 घटनायें घटित हुई हैं तथा 136 व्यक्ति प्रभावित हुए । इन प्रभावित व्यक्ति को अहेतुक सहायता मद से रु० 9210 की धनराशि वितरित की गयी । सूची संलग्न है । †

जहां तक ध्वस्त मकानों का संबंध है, दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों के संबंध में गृह अनुदान दिया जाता है । नीति पहले से ही निर्धारित है ।

उक्त अवधि में अग्निकाण्ड से प्रभावित समस्त पात्र पीड़ित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता का वितरण किया जा चुका है, कोई भी पात्र व्यक्ति अहेतुक सहायता से वंचित नहीं है ।

प्रदेश में संग्रह तहसीलदार को शासनादेश के तहत ज्येष्ठता के रूप में नियुक्ति की मांग

74–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब संग्रह स्याहनिवीस जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद था, को कोषागार में सम्मिलित किया गया तो संग्रह तहसीलदार के पद को कोषागार में सम्मिलित न करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सत्य है कि संग्रह तहसीलदार जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद है के बाबत शासनादेश संख्या 45/2/79(147)/राजस्व–6, दिनांक 26 मई, 1979 द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में ज्येष्ठता देकर नियुक्ति किये जाने के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया यह भी बतायें कि उक्त शासनादेश जारी होने के बाद संग्रह तहसीलदार के पद से कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में बिना प्रोन्नति दिये कितने कर्मचारी एक ही ग्रेड में रहकर सेवा निवृत्त हुए ? सरकार इन कर्मचारियों के प्रति क्या न्याय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री के० पी० सिंह सेवा निवृत्त कर्मचारी कृषि सेवा वर्ग–1 जनपद मुरादाबाद के देयकों का त्वरित निस्तारण एवं भुगतान की कार्यवाही की जानकारी

75–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० पी० सिंह सेवा निवृत्त कर्मचारी कृषि सेवा वर्ग–1 जनपद मुरादाबाद के देयों के शीघ्र भुगतान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के त्वरित निस्तारण एवं देयों के भुगतान हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

देयकों के भुगतान हेतु संबंधित अधिकरियों का आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम तारागंज निवासी श्री कुशकेत्र सिंह के अपने पिता की भूमि पर विरासत न दर्ज करने तथा गलत इन्द्राज अभिलेखों में करने के संबंध में जांच की कार्यवाही

76-श्री गोपाल कृष्ण–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरिशंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न श्री कुशकेत्र सिंह निवासी ग्राम तारागंज, तहसील बारा, जिला इलाहाबाद का अपने पिता की भूमि पर विरासत न दर्ज करके गलत इन्द्राज अभिलेखों में कर दिया गया है, के संबंध में दिनांक 19-11-97 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच करायी गयी ? जांच आख्या क्या है तथा क्या उनका अभिलेखों में इन्द्राज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराने से विदित हुआ है कि श्री कुशकेत्र सिंह व श्री विष्णु देव सिंह सगे भाई हैं तथा उनके पिता श्री बद्री सिंह पुत्र जनक सिंह, ग्राम तारागंज, तहसील–बारा, जनपद इलाहाबाद के निवासी थे, जिनका निधन 13 फरवरी, 1997 को हो गया है । शिकायतकर्ता श्री कुशकेत्र सिंह को श्री बद्री सिंह पुत्र श्री जनक सिंह निवासी ग्राम भूगोर तहसील शुजालपुर जनपद शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया गया था । इस आधार पर श्री मो० गनी लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा श्री विष्णु देव सिंह को श्री बद्री सिंह पुत्र जनक सिंह का एक मात्र वैध उत्तराधिकारी मानते हुए नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया है तथा तद्नुसार खतौनी में प्रविष्टि कर दी गयी है ।

यदि उपरोक्त के संबंध में श्री कुशकेत्र सिंह को कोई आपत्ति है तो वह भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास एवं उनके खाते को सील किये जाने विषयक जानकारी

77–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम–4/103-12/गोण्डा/97, दिनांक 29-10-97 उतरौला विधान सभा क्षेत्र जनपद बलरामपुर के जिन ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास आया है ? क्या उनके विकास धन के खाते को सील करवाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या खाते सील करवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री तेजभान सिंह–

[पहले मंगलवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के तहसील भवन निर्माण हेतु मुख्य मंत्री की घोषणा के संबंध में स्वीकृत धन, तिथि एवं निर्माण एजेन्सी की जानकारी

79–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के भवन निर्माण हेतु 11 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी ? क्या उस संबंध में पत्रांक 649/घोषणा–97–एम–15/97, दिनांक 13–5–97 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को निर्देश भी दिये गये थे ? यदि हां, तो उस तहसील भवन के निर्माण हेतु कितना धन किस तिथि को स्वीकृत कर दिया गया है ? उक्त निर्माण कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा और किस निर्माण एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ? यदि धन नहीं दिया गया है तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

तहसील निचलौल (महराजगंज) के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित क्रमशः 69.52 लाख तथा 138.00 लाख कुल 207.00 लाख के आगणन राजस्व परिषद् से प्राप्त हुए हैं । जिनपर प्रयोजना रचना एवं पूल्यांकन प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान) के संस्तुति/अनुमोदन हेतु प्रभाग को संदर्भित किया गया है जो अभी प्रभाग के विचाराधीन है । उक्त आगणनों पर प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की संस्तुति/अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी और तत्पश्चात् ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा उक्त निर्माण कार्य उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जायेगा ।

प्रदेश में वर्ष 1996–97 में प्रति भूमि संरक्षण इकाइयों को निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि प्राप्त करने एवं इसके व्यय में हुई अनियमितताओं की जांच कराकर फर्जी मस्टर रोल पर फर्जी भुगतान में लिप्त सेवी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

80–श्री राजधारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 96–97 में प्रदेश में प्रति भूमि संरक्षण इकाइयों को कितने रुपये की अधिकतम धनराशि का खर्च विभागीय योजनाओं हेतु निर्धारित थी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उस निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा वर्ष 96–97 में व्यय की गई है ? क्या सरकार ने इस अनियमितताओं की जांच कराकर फर्जी मस्टर रोल पर फर्जी भुगतान में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1996–97 में प्रति भूमि संरक्षण इकाई की वित्तीय सीमा शासन द्वारा रुपया 90 लाख निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में शासन तथा मण्डलायुक्त द्वारा निम्न इकाइयों की वित्तीय सीमा को

निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

शासन द्वारा निर्धारित

क्र०सं०	भूमि संरक्षण इकाई का नाम	धनराशि (रु० लाख में)
1	भू०सं०इ० (गोमती), सुल्तानपुर	135.00
2	भू०सं०इ० (गोमती), प्रतापगढ़	तदैव
3	भू०सं०इ० (गोमती), बाराबंकी	तदैव
4	भू०सं०इ० (गोमती), बछरावां रायबरेली	तदैव
5	भू०सं०इ० (गोमती), (महोली) सीतापुर	तदैव
6	भू०सं०इ० (गोमती), नसीमपुर खीरी	तदैव
7	भू०सं०इ० (सोन), दुद्धी सोनभद्र	तदैव
8	भू०सं०इ० (सोन), चोपन सोनभद्र	तदैव
9	भू०सं०इ० (रा०ज०), ललितपुर	130.00
10	भू०सं०इ० राबट्सगंज	125.00
11	भू०सं०इ० (गोमती), लखनऊ	135.00
12	भू०सं०इ० (मैदानी) सीतापुर	150.00
13	भू०सं०इ० (गोमती), महोली सीतापुर	150.00
14	भू०सं०इ० (गोमती), खीरी	150.00
15	भू०सं०इ० (मैदानी), लखीमपुर	150.00
16	भू०सं०इ०, बलरामपुर	135.00
17	भू०सं०इ०, बहराइच (प्रथम)	135.00
18	भू०सं०इ०, जौनपुर (प्रथम)	200.00
19	भू०सं०इ०, बलिया	150.00
20	भू०सं०इ०, सहारनपुर	135.00
21	भू०सं०इ०, मऊ	135.00
22	भू०सं०इ०, ज्ञानपुर एटा वाराणसी	200.00

जी हां।

वर्ष 1996-97 में 15 भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा वित्तीय सीमा से अधिक धन व्यय किया गया।

जी हां।

भूमि संरक्षण इकाई, लखीमपुर (मैदानी), बलिया, ज्ञानपुर एवं कुर्सी स्थान बाराबंकी की जांच कराई गई है। इन इकाइयों में पाई गई अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्रमित है। शेष इकाइयों के संबंध में जांच का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद महराजगंज के ग्राम मटयरिया तहसील निचलौल में तालाब के पट्टे को बाहरी और अवांछित व्यक्ति को दिये जाने के संबंध में ग्राम प्रधान व ग्रामवासी का विरोध एवं इसकी जांच तथा क्षतिपूर्ति किये जाने की मांग

81– श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मटयेरिया तहसील निचलौल महराजगंज में तालाब के पट्टे किसी बाहरी और अवांछनीय व्यक्ति को दिये जाने का विरोध प्रधान एवं ग्रामवासी काफी दिनों से कर रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले में हो रही लापरवाही की जांच राजस्व परिषद् के अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी ग्रामसभा को हो रही क्षतिपूर्ति करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में तिन्दवारी क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत उजरेहटा में जमीन का समतलीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

82–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में तिन्दवारी क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत उजरेहटा में 300 बीघा जमीन का समतलीकरण कराये जाने विषयक कृषि मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–7–1997 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

पत्र में इंगित कार्य क्षेत्र भूमि संरक्षण अधिकारी (डी०पी०ए०पी०) प्रथम राम गंगा कपाण्ड बांदा का है । अतः कृषि विभाग द्वारा कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रशासक, राम गंगा समादेश से अनुरोध किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम भरतपुर में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये अवैध निर्माण की जांचोपरान्त निर्माण को रुकवाने/गिराने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

83–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत भूमि पर इसे भी अवैध कब्जेदार का कब्जा है ? यदि हां, तो उच्चाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त निर्माण कार्य रुकवाने/गिरवाने के बावजूद पुनः अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 122(बी) उ०प्र० ज० विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम, 19 की कार्यवाही कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजाराम पुत्र श्री गामी, ग्राम कम्पना थाना कोतवाली रायबरेली के तालाब के पट्टे के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

84–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता०प्र०सं० 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत तालाब धार्मिक भावना से जुड़े होने के बावजूद इसका पट्टा किन परिस्थितियों में दिया गया ? इसके लिये दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत तालाब का पट्टा तत्कालीन उप जिलाधिकारी, तिलोई द्वारा दिनांक 12–9–1995 को पात्रता के आधार पर 10 वर्ष अर्थात दिनांक 11–9–2005 तक के लिये श्री राजाराम के पक्ष में किया गया है जिसके संबंध में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डलमऊ के न्यायालय मे वाद "राजाराम बनाम राधेश्याम" विचाराधीन है इसके अतिरिक्त विपक्षीगण ने भी आवेदक श्री राजाराम के पट्टे के निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी वि० एवं रा० रायबरेली के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। पट्टेदार श्री राजाराम की दो माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है और विवादित तालाब पर वर्तमान में मृतक के वारिसान काबिज हैं। धार्मिक विवाद की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 145 व 107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

दुग्ध संघ शाहजहांपुर में वर्ष 1993–94 में चयनित बोर्ड का गठन एवं वर्ष 1993 से 97 तक की मीटिंग, आय व्यय के ब्यौरे की स्वीकृति तथा दोषी सचिव, दुग्ध संघ के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

85–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि दुग्ध संघ, शाहजहांपुर में चयनित बोर्ड का गठन वर्ष 1993–94 में हुआ था ? यदि हां, तो विगत चार वर्ष 93–94 तक बोर्ड की कितनी मीटिंगें कब-कब हुई ? क्या दुग्ध संघ के आय-व्यय का ब्यौरा बोर्ड के समक्ष सचिव, दुग्ध संघ ने स्वीकृत कराया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें दोषी सचिव, दुग्ध संघ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में बोर्ड की कुल तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 20–9–93, 21–12–93 तथा 26–4–94 को सम्पन्न हुई थी।

सचिव दुग्ध संघ द्वारा दिनांक 26–4–94 की बैठक में वर्ष 94–95 का बजट बोर्ड से स्वीकृत कराया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग के श्रेणी–2 में अधिकारियों की संख्या अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा एवं वर्ग–1 में प्रोन्नति विषयक जानकारी

86–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के श्रेणी–2 में कितने अधिकारी

हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या वर्ग–1 में प्रोन्नति करके स्थान भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

विभाग मे श्रेणी-2 के 134 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 113 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं जिसमें 23 पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं तथा 21 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री दीनदयाल पुत्र गजाधर ग्राम राजापुर कोहार तहसील गौरीगंज के शिकायती-पत्र पर जांच एवं जांच के परिणाम की जानकारी

87–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री दीनदयाल पुत्र गजाधर, ग्राम राजापुर कोहार, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 24–10–97 को दिया गया प्रार्थना-पत्र जिसमें खाते को काटना फर्जी विरासत करने की शिकायत तथा स्थानीय लेखपाल के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक कोई जांच की गई हैं ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में यह ज्ञात हुआ कि 1401 ता० 1406 फ० की खंतौनी बनाते समय गाटा संख्या 796/0–8–0 दीन दयाल पुत्र गजाधर निवासी राजापुर कोहार के नाम तथा गाटा संख्या 399/0–17–14 गाटा संख्या 401/6–14–6 कुल 2 किता 7–12–0 राम लखन, बद्री प्रसाद व राम चन्द्र पुत्रगण भगौती प्रसाद के नाम लिखने से छोड़ दिया गया था, जबकि इन खातेदारों का नाम उपरोक्त गाटों पर 1395 से 1400 फ० में अंकित था । लेखपाल द्वारा ग्राम देवारदेवकली के खाता संख्या 195 पर प्रभू सुत विन्ध्या की वरासत उनके भाई जगरूपव गयादीन व छोटू पुत्रगण प्रभू के नाम अंकित कर दी गई थी, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रभू सुत विन्ध्या के स्थान पर जगरूप व गयादीन व छोटू पुत्रगण विन्ध्या के नाम वरासत करने का आदेश दिया गया था । अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों को दुरुस्त करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बलीपुर खुर्दवा, परगना अमेठी, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर में स्थिति गाटा सं० 90, 91 व खाद गड्ढा 82 व 86, 88, 93 व 94 तथा 97 (चकरोड) पर अनधिकृत कब्जे को हटवाये जाने की मांग

श्री तेजभान सिंह–

88–क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलीपुर खुर्दवा, परगना अमेठी, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर में स्थित गाटा सं०–90, 91 व खाद गड्ढा 82 व 86, 88, 93, व 94 तथा 97 (चकरोड) ग्राम सभा की जमीन के खाते के रूप में अंकित है ? क्या उक्त गाटों पर अनधिकृत कब्जा कर मकान तथा ट्यूबवेल बनाकर खेती आदि का काम किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को तत्काल हटवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 21–9–95 को स्थल निरीक्षण कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक कब्जा न हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बसायकपुर तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर में अपात्रों को पट्टा देने की शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

89–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, जिला अधिकारी सुल्तानपुर, उप जिलाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर के पृष्ठांकित तथा कर्नल भारत सिंह स्टाफ आफिसर्स मध्य कमान लखनऊ का उपरिपत्र के साथ श्री सूबेदार, रामदेव, जनरल स्टाफ शाखा एस०डी० लखनऊ का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1997 जिसमें ग्राम वसायकपुर, तह० गौरीगंज सुल्तानपुर में अपात्रों को पट्टा देने कोई पात्रता सूची न बनाने एक ही परिवार के कई पट्टा देने, पुराने पेड़ बाग, कब्रिस्तान का पट्टा करने बगैर कोई बैठक किये सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा पट्टा करने की शिकायत की गई है ? प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

इसकी जांच नायब तहसीलदार से कराई गई ।

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई ।

प्रश्नकर्ता द्वारा उतरौला क्षेत्र, जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी की कटान व बाढ़ से पीड़ित ग्राम पंचायतों के किसानों का लगान माफी के संबंध में प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम–4/98–12–गोण्डा/97, दिनांक 29–10–97 उतरौला क्षेत्र, जनपद बलरामपुर में राप्तीनदी की कटान व बाढ़ से पीड़ित ग्राम पंचायतों के किसानों का लगान माफी हेतु मुख्य मंत्री की प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या किसानों का लगान माफ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं

क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों की खरीफ की फसलो की जांच का सर्वेक्षण कराया गया था । औसत क्षति 20 % से [illegible] तक पाई गई । रेवेन्यू मैनुअल के पैराग्राफ 444 (चैप्टर 26) के अनुसार दैवी आपदा से 50% से व[illegible] क्षति होने पर मालगुजारी में कोई छूट देय नहीं है ।

उप जिलाधिकारी चुनार द्वारा समूह अमीन चेत नरायन सिंह तथा मंगरू सिंह द्वारा स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने एवं राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने के कारण कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

91–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपजिलाधिकारी, चुनार द्वारा स्कूल की भूमि पर अवैध कब्ज करने एंवं राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने के कारण संग्रह अमीन चेत नरायन सिंह व मंगरू सिंह

तहसील चुनार के निलम्बन हेतु अपनी आख्या दिनांक 28-5-96 चालान नं०-611 के तहत जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिनांक 5-6-96 को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार स्कूल भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले उक्त संग्रह अमीनों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, क्यों

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा पुनः जांच करने पर स्कूल की भूमि संख्या 39 पर श्री चेत नारायण सिंह व मंगरू सिंह, संग्रह अमीन द्वारा अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया तथा इनकी वसूली सामान्य औसत की पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लखनऊ द्वारा मैकू निवासी ग्राम सैदापुर पो० व थाना माल जिला लखनऊ द्वारा 36 कलमी आम तथा 9 तुक्मी आम के हरे पेड़ की कटान की प्राप्त अनुमति एवं जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ द्वारा रोक तथा उप निदेशक उद्यान लखनऊ द्वारा जांच और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

92–धर्मज्ञ मिश्र–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ के पत्रांक 562/64-96-97 दिनांक 10-9-96 द्वारा मैकू पुत्र कालीचरन ग्राम सैदापुर पो० व थाना माल, जिला लखनऊ के नाम अनुज्ञा पत्र 895 दिनांक 6-9-96 द्वारा 36 कलमी आम तथा 9 तुकमी आम के हरे पेड़ों की काटने की अनुमति प्रदान की गई थी ? क्या इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ पत्रांक 1556-62/अनुज्ञा पत्र दिनांक 10-9-96 द्वारा कटान पर रोक लगाते हुये उप निदेशक, उद्यान, लखनऊ, की जांच हेतु नियुक्ति किया गया था ? क्या यह सही है कि उप निदेशक के जांच के बिना ही उक्त हरे-भरे पेड़ों का कटान करा दिया गया जबकि उक्त हरे-भरे पेड़ों का कटान करा दिया गया जबकि उक्त क्षेत्र फल पट्टी क्षेत्र घोषित है ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै०क्षे०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 562-64/96-97, दिनांक 10-9-96 द्वारा पेड़ों को काटने हेतु कोई अनुज्ञप्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, किन्तु उक्त पत्र द्वारा जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ के पत्रांक-895, दिनांक 6-9-96 द्वारा श्री मैकू पुत्र श्री कालीचरन, ग्राम सैदापुर, पो० व थाना माल जिला लखनऊ के नाम 36 कलमी आम 9 तुकमी आमों के पेड़ों को काटने हेतु जारी अनुज्ञा पत्र को जांच होने तक स्थगित किया गया था ।

जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-1556-62, दिनांक 10-9-96 द्वारा पेड़ों के कटाने पर रोक दी गई थी, किन्तु इस पत्र द्वारा उप निदेशक को जांच हेतु नियुक्त नहीं किया गया था ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै०क्षे०) उ०प्र० के पत्रांक-562-64/96-97, दिनांक 10-9-96 द्वारा इस प्रकरण की जांच करवाने हेतु उप निदेशक उद्यान लखनऊ मण्डल, लखनऊ को आदेशित किया गया था । उप निदेशक ने जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ को यह आदेशित किया कि

जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ स्वयं या संबंधित क्षेत्र के प्रभारी से वस्तुस्थिति की सही जांच कराकर अपने स्तर से कार्यवाही करें।

जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ ने प्रकरण की प्रभारी निरीक्षक से जांच करायी। प्रभारी निरीक्षक की जांच आख्या एवं संस्तुतियों के आधार पर आपत्ति निराधार पाते हुये जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ के पत्रांक–1638/अनुज्ञप्ति दिनांक 17–9–96 द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की गई।

जी हां, किन्तु जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच में आपत्तियों को निराधार पाये जाने पर पेड़ों को काटने हेतु अनुज्ञप्ति पत्र जारी किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम शिकारपुर, परगना भगवन्त तहसील चुनार जिला मिर्जापुर में समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने विषयक श्री हरिहर सिंह एवं अन्य ग्रामीणों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

93–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिहर सिंह एवं अन्य ग्रामीणों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र जो ग्राम शिकारपुर, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर चकबन्दी प्रक्रिया छः माह में पूर्ण कराये जाने विषयक था, जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबन्दी, मिर्जापुर को दिनांक 4–11–97 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 31–8–93 को किया गया और चार वर्ष बीतने के बावजूद आज तक सिद्धान्तों का विवरण पत्र भी तैयार नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर छः माह में धारा 52 तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर को आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

ग्राम शिकारपुर परगना भगवत तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर की चकबन्दी प्रक्रिया दिसम्बर, 1998 तक समाप्त करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा चुका है।

ग्राम शिकारपुर में धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 31–8–93 को हुआ है तथा अभी तक सिद्धान्तों का विवरण पत्र नहीं बना है। ग्राम शिकारपुर की चकबन्दी प्रक्रिया दिसम्बर, 1998 तक समाप्त करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा चुका है।

राजस्व विभाग द्वारा बहराइच यूनिट के माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर जनपद बस्ती, बलरामपुर की तहसील उतरौला डुमरियागंज में भूमि सीमा विवाद का निस्तारण

94–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा बहराइच यूनिट के माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर जनपद बस्ती, बलरामुर की तहसील उतरौला, डुमरियागंज में भूमि सीमा विवाद का निस्तारण शासन के निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध किये गये विषयक पत्र संख्या–4/88–9/गौण्डा 197 दिनांक 27–9–97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक शासन द्वारा जनहित में क्या

कार्यवाही की गई हैं ? क्या शासन ने सीमा विवाद निस्तारण का आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन जनपद स्तर पर किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अन्तर्गत होने वाली मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर के खिलाड़ियों को जनपद से बाहर जाने पर अर्ह खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी के रेल किराये के भुगतान किये जाने के प्राविधान की जानकारी

95–श्री अजय भट्ट–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अन्तर्गत होने वाली मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर के खिलाड़ियों को जनपद से बाहर जाने हेतु उन्हें रेल में किसी श्रेणी की सुविधा अनुमन्य है ? क्या प्रथम श्रेणी के अर्ह खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी का ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जनपद से बाहर मण्डल स्तर पर आयोजित प्रतियोगितायें/ट्रायल्स के लिये राज्य कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित दरों पर देय होता है । इसी प्रकार जनपद से बाहर राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें/ट्रायल्स में भाग लेने वाले राज्य कर्मचारी खिलाड़ियों को साधारण यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय है जो उसी लेखाशीर्षक से वहन किया जाता है जिससे उनको वेतन प्राप्त होता है ।

उ०प्र० बेरोजगार एन०आई०एस० (डिप्लोमा) खेल प्रशिक्षक संघ की मांगों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी

96–श्री अजय भट्ट–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17–7–97 को उ०प्र० बेरोजगार एन०आई०एस० (डिप्लोमा) खेल प्रशिक्षक संघ की ओर से उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे थी ? उन मांगों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या एन०आई०एस० खेल प्रशिक्षक जो संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित किये जाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हें नियमित कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

मुख्य रूप से उनकी मांग उप क्रीड़ाधिकारी के पद को आयोग की परिधि से बाहर कर कार्यवाही करने, उप क्रीड़ाधिकारी के 200 पद तथा जिला क्रीड़ाधिकारी के 25 नये पद सृजित करने, प्रत्येक जनपद में प्रत्येक खेल के नियमित स्थायी प्रशिक्षक नियुक्त करने, डिप्लोमा खेल प्रशिक्षकों को नियमित/स्थायी रूप से नियुक्त करने, आयु से अधिक हो गये प्रशिक्षकों को रु० 4,000/– मानदेय करने, स्थायी नियुक्ति करने के समय प्रदेश के प्रशिक्षकों को वरीयता प्रदान करने के संबंध में है ।

उप क्रीड़ाधिकारी/प्रशिक्षक के पद आयोग की परिधि के हैं एवं आयोग द्वारा ही नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाती है । उप क्रीड़ाधिकारी/प्रशिक्षक के 200 पद एवं जिला क्रीड़ाधिकारी के 25 नये पदों के सृजन का कोई औचित्य नहीं पाया गया है । प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक जनपद में प्रत्येक खेल के लिये प्रशिक्षक नियुक्त करना शासन के लिये संभव नहीं है । चूंकि

चयन की कार्यवाही सेवा नियमावली के मापदण्डों के अन्तर्गत आयोग द्वारा की जाती है, अतः आयु से अधिक प्रशिक्षकों को सेवायोजित करने एवं नियमित करने इत्यादि की कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम अम्बेडकर नगर (कोयलपुर) पो० कटया, जिला बस्ती में ग्राम समाज की पड़ी भूमि को अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों में वितरण की जानकारी

97–श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अम्बेडकर नगर (कोयलपुर) पो० कटया, जिला बस्ती में ग्राम समाज की पड़ी जमीन को क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में वितरण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त भूमि पात्र व्यक्तियों में वितरित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बस्ती में अम्बेडकर नगर (कोयलपुर) पो० कटया नाम का कोई ग्राम नहीं है, बल्कि कोयलपुर पो० कटया, तहसील व जिला बस्ती नाम का ग्राम है जिसमें कोई भू-आवंटन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। चकबन्दी के दौरान पट्टा किया जाना संभव नहीं है।

माननीय सांसद फतेहपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

98–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपर निदेशक, भूमि संरक्षण कृषि भवन, लखनऊ को संबोधित पत्र संख्या यू०पी०एल०सी०/अध्यक्ष/31, दिनांक 25–6–1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि माननीय सांसद फतेहपुर द्वारा पूर्व में अपने पत्र संख्या 110/एम०पी०एफ०/97 दिनांक 5–5–1997 के माध्यम से जांच की मांग की गई थी ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जांच सम्पन्न कराई गई।

जी हां।

जांच सम्पन्न कराई गई। जांच में शिकायती पत्र में वर्णित शिकायतें सही नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ त्रिपाठी तकाबी अमीन (कृषि) के कार्यकाल का बकाया वेतन एवं भुगतान की जानकारी

99–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले गुरू के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता०प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कल्पनाथ त्रिपाठी, तकाबी अमीन (कृषि) का दिनांक 22–8–69 से अप्रैल, 1970 तक के वेतन के भुगतान हेतु जिला कृषि अधिकारी,

सुल्तानपुर ने कृषि निदेशक, उ०प्र० के पत्र संख्या 195/एफ०ओ०/एल० 16 दिनांक 22 जून, 1995 दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जमानिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत वर्ष गंगा की कटान से गांवों के गंगा में विलीन होने की सूचना पर सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी

100–श्री कैलाश–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमानिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत वर्ष में गंगा की कटान से बड़ेसर कसेटा सराय मुहम्मद (सरैया) जनपद गाजीपुर में आधे से अधिक गांव नदी में विलीन हो गये हैं, जिसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा सरकार को भेजी जा चुकी है ? सरकार द्वारा क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम–जमालपुर काजी तहसील सदर परगना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या–276 पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

101–श्री पारसनाथ यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–जमालपुर काजी तहसील सदर, परगना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के गाटा संख्या–276 से चकबन्दी चकरोड निकाला गया है जिसे ग्राम के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो आवागमन के लिये अवैध कब्जा कब तक हटवायेंगे ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्ननगत ग्राम के गाटा संख्या–276 में प्रदिष्ट चक मार्ग का मौके पर सीमांकन कर दिया गया है । जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी आजमगढ़ को शीघ्र अवैध कब्जा हटवाने के लिये निर्देश भेज दिये गये हैं ?

श्री राजशेखर शर्मा कनिष्ठ लिपिक, राजकीय बीज विधायन संयंत्र मेरठ की सेवा समाप्ति को अवैध मानने के संबंध में शासनादेश का अनुपालन न होने की दशा में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

102–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजशेखर शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राजकीय बीज विधायन संयंत्र, मेरठ की सेवा समाप्ति को अवैध मानते हुये नियुक्ति देने को शासन के पत्र संख्या–एम-158/बारह–9–89–1518/83 दिनांक 26–8–89 कृषि अनु०–9 द्वारा कृषि निदेशक को लिखा गया है ? यदि हां तो क्या 8 वर्ष बीतने पर उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

चूंकि प्रश्नगत शासनादेश जारी होने के बाद श्री राजशेखर शर्मा ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं०–6485/90 दायर कर दी इसलिये मामले में पुनः विचारोपरान्त आदेश संख्या–499/12–9–92–1518/83 दिनांक 7–3–92 द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश कृषि निदेशक को दिये गये थे। मा० उच्च न्यायालय ने निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ग्राम सभा त्रिपुरारिपुर के ग्राम रम्भाखेड़ा निवासी महादेव पुत्र कल्लू व राम प्रसाद पुत्र महादेव के नाम के चकों का सही सीमांकन एवं पैमाइश कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम सभा त्रिपुरारिपुर के ग्राम रम्भाखेड़ा निवासी महादेव पुत्र कल्लू, राम प्रसाद व राम आसरे पुत्रगण महादेव के नाम किस-किस संख्या के कितने बीघे के चक हैं ? क्या यह सही है कि चकबन्दी में चक पैमाइश के दौरान उपरोक्त चकों की पैमाइश गलत ढंग से की गई है ? यदि हां, तो सही सीमांकन एवं उचित पैमाइश कराकर चकों के अतिरिक्त भूमि को कब तक अलग करा दिया जायेगा ? इसके लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम रम्भाखेड़ा मजरा त्रिपुरारिपुर परगना पुरवा तहसील बीघापुर जनपद उन्नाव में महादेव पुत्र कल्लू को चक नम्बर–552 प्रदिष्ट किया गया है जिसमें प्रथम चक 2–6–2 बीघा क्षेत्रफल तथा द्वितीय चक 6–5–15 बीघा क्षेत्रफल कुल चक 8–11–17 बीघा क्षेत्रफल का प्रदिष्ट किया गया है।

राम प्रसाद पुत्र महादेव के नाम चक नं०–770 क्षेत्रफल 0–9–1 बीघा का चक प्रदिष्ट किया गया है तथा राम आसरे पुत्र महादेव के नाम चक संख्या–768 क्षेत्रफल 0–9–14 बीघा का चक प्रदिष्ट किया गया है।

इन चकों की पैमाइश (सीमांकन) मौके पर नियमानुसार कराई गई है ? चकों की पैमाइश में क्षेत्रफल कम अथवा वेशी दिये जाने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधौगंज में वर्ष 1994 से वर्ष 1997 तक हुई आय-व्यय की जानकारी

104–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधौगंज में वर्ष 1994–95 में तीस लाख रुपये एवं वर्ष 1995–96 में चालिस लाख रुपये तथा वर्ष 1996–97 में चालिस लाख रुपये कुल एक करोड़ दस लाख रुपये की आय हुई तथा उक्त मण्डी समिति ने उ०प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् लखनऊ को वर्ष 1994–95 में सत्रह हजार रुपये एवं 96–97 में

उन्चास लाख रुपये भेजे गये विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में कुल कितना रुपया किस मद में मण्डी समिति खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । मंडी समिति माधोगंज मे वर्ष 1994-95 में रुपया 31,88,786.86 वर्ष 1995-96 में रुपया 43,83,532.37 तथा वर्ष 1996-97 में रुपया 45,29,172.56 कुल रुपया 1,21,01,491.79 की आय हुई ?

जी नहीं । मंडी समिति माधोगंज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, लखनऊ को अंशदान/निर्माण/हैण्ड पम्प हेतु वर्ष 1994-95 में रुपया 17,52,527.95 पैसे व वर्ष 96-97 में रुपया 48,99,923.50 पैसे भेजे गये ।

वित्तीय वर्ष 95 से दिसम्बर, 97 तथा विधान सभा क्षेत्र मल्लावां के अन्तर्गत मंडी निर्माण पर रुपया 6.94 लाख सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर रुपया 52.76 लाख तथा हैण्ड पम्प स्थापना पर रुपये 12.00 लाख कुल रुपया 71.70 लाख व्यय किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जावेद अख्तर डेरी मैन दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि० मुरादाबाद का निलम्बन एवं बहाली के बाद निलम्बन की अवधि के वेतन भुगतान का मामला

105–श्री सौलत अली–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री जावेद अख्तर डेरी मैन दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि० मुरादाबाद को दिनांक 27-7-91 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आरोप सिद्ध न होने के कारण प्रबन्ध निदेशक, के आदेश संख्या-856 दिनांक 4-5-92 के द्वारा उन्हें बहाल किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री जावेद अख्तर डेरी मैन को इस निलम्बन काल का वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

जी नहीं । अपितु प्रश्नगत स्वतः स्पष्ट दण्डादेश दिनांक 4-5-92 के अनुसार श्री जावेद अख्तर के अनुशासनहीनता व अच्छा आचरण न किये जाने के पुष्ट आरोपों के आधार पर निलम्बन अवधि का निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन न दिये जाने के दण्ड सहित भविष्य के लिये सचेत करते हुये उन्हें सेवा में बहाल किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर से जलालपुर जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु काश्तकारों से ली गई भूमि को खाते से काटने हेतु लेखपाल द्वारा परगनाधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

106–श्री मस्त राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर से जलालपुर जाने वाली सड़क जो पूर्व में जिला परिषद् की थी, उसको लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाने पर कुछ भूमि काश्तकारों के खाते से ली गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि में आज भी सड़क

सीमा में गई काश्तकारो के खाते में वैसे ही दर्ज चली आ रही है और उन नम्बरों के रकबों को काश्तकारों के खातों से अब तक नहीं काटा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर ग्राम सैदापुर में कुछ काश्तकारों के खातों से सड़क सीमा ली गई भूमि को काटने की रिपोर्ट लेखपाल कानूनगो द्वारा परगनाधिकारी को भेजी गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–.

जी हां ।

जी हां ।

भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में गजट न होने के कारण अमलदरामद किया जाना विधि संगत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक ख नं० 153247 दिनांक 2–5–97 को जिला अधिकारी गोण्डा को प्रेषित करने एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

107–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख नं० 153247 दिनांक 2–5–97 जिला अधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुआ था जिसमें झिलाही से गुनौरा विशुनपुर होते हुये मदनापुर तक सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 1995 से 97 तक मरम्मत कार्य पर जिला पंचायत गोण्डा द्वारा खर्च किया गया धन उक्त मार्ग पर कार्य न करवाकर संबंधित अभियन्ताओं द्वारा फर्जी कार्यों की पूर्ति दिखाकर दुरुपयोग किये जाने का उल्लेख है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग के राजकीय ऊसर प्रक्षेत्र ढकोनी, रहीमाबाद, कटयार प्रक्षेत्रों का नियंत्रण सीधे संयुक्त निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) द्वारा करने एवं उनके कार्यकाल में हुये गबन के विषय में दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

108–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कृषि विभाग के राजकीय ऊसर प्रक्षेत्र ढकोनी, रहीमाबाद, कटयार, तीन प्रक्षेत्रों का नियंत्रण गत तीन वर्षों से सीधे संयुक्त निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र० लखनऊ द्वारा किया जा रहा है ? क्या इनके कार्यकाल में प्रदेशों का उत्पादन घटा है तथा ढकोनी प्रक्षेत्र के भण्डार प्रभारी द्वारा 18 कुन्तल गेहूं का बीज बेचकर गबन करने और जांच में दोषी पाये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या अब संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । वर्ष 1988 से राजकीय ऊसर प्रक्षेत्र ढकौनी, रहीमाबाद, कटयार प्रक्षेत्रों का कार्य सीधे संयुक्त निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ० प्र० लखनऊ द्वारा देखा जा रहा है ।

जी हां ।

भण्डार प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिनहट पोटरीज प्रोजेक्ट चिनहट, उ०प्र० को आल इण्डिया कारपोरेशन लि० को हस्तान्तरित करने एवं तैनात कर्मचारियों के समायोजन की अवस्था की जानकारी

109–श्री गोमती यादव–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट पोटरीज प्रोजेक्ट चिनहट उ०प्र० को आल इण्डिया कारपोरेशन लि० को हस्तान्तरित करने के क्या कारण हैं ? क्या वहां पर तैनात कर्मचारियों को समायोजन करने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

चिनहट पोटरीज लखनऊ का हस्तान्तरण आल इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड को नहीं किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ के इन्दिरा नगर सेक्टर–8 एवं सेक्टर–9 से लगे हुये गांवों को जोड़ने हेतु स्वीकृत सड़क को पूर्ण किये जाने विषयक जानकारी

110–श्री छब्बू पटेल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर–8 एवं सेक्टर–9 से लगे हुये गांवों को जोड़ने हेतु एक सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अधिकांश भाग पर पत्थर की गिट्टी डाली जा चुकी है परन्तु लेपन न करने के कारण क्षेत्र व समीपवर्ती गांवों की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जून, 1998 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

111–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22–10–96 या इसके आस-पास मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां । ग्राम धीरई (बरुआ) में पशु डिस्पेंसरी के नियमित रूप से न खुलने की शिकायत प्राप्त हुई थी ।

जांचोपरान्त संबंधित कर्मचारी का स्थानान्तरण करने एवं वेतन रोकने संबंधित कृत कार्यवाही से माननीय विधायक/प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 13–5–97 के माध्यम से सूचना भेजी गई ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर मथुरा जनपद के आबकारी विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र एवं मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि के पास देशी विदेशी मदिरा (मधुशाला) की दुकानों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 6-3-97 आबकारी विभाग में दि० 11-3-97 को प्राप्त हुआ ।

वर्ष 1997-98 के लिए मथुरा जनपद, जिसमें गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र तथा मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र भी सम्मिलित है, की देशी शराब एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु दि० 10 मार्च, 1997 को नियमानुसार नीलामी सम्पन्न हो चुकी है, अतएव अब सत्र में दुकानों का आवंटन निरस्त किया जाना न तो नियमानुसार और न ही राजस्वहित में है । पत्र दि० 6-3-97 में उल्लिखित अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराई गई और जांचोपरान्त राजस्थान राज्य से मदिरा की तस्करी होने तथा अन्य अनियमिततायें बरते जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । तथापि बराबर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

113–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं० 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम फतेहपुर में स्टेडियम के निर्माण कार्य में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री मस्त राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम फतेहपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित स्टेडियम में व्यापक धांधली के सम्बन्ध में उ०प्र० युवा कल्याण के सहायक निदेशक द्वारा स्थलीय जांच कर 4-11-96 पत्रांक 01-05-06/यू०क०/1996 द्वारा एक रिपोर्ट श्री अख्तर हुसैन अधिकारी युवा कल्याण उ० प्र० को भेजी है जिसको श्री हुसैन ने शीघ्र प्राथमिकता के साथ अपने अर्द्ध शा० पत्र सं०–803/पंचायत यू०क०–96–3(जी०एस०) 96 दिनांक 13-11-96 के द्वारा शासन को भेजा है जिसकी प्रति प्रबन्ध निदेशक जल निगम को भी भेजी

गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं ।

यह सही है कि स्टेडियम के निर्माण कार्य में कथित अनियमितता की प्रारम्भिक जांच सहायक निदेशक, युवा कल्याण द्वारा किये जाने के उपरान्त रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी उसे आख्या हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को प्रेषित किया गया उनसे आख्या प्राप्त न होने पर इस प्रकरण का जांच कार्य मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम अलहदादपुर तहसील सदर जिला सुल्तानपुर स्थित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण एवं पक्के मकान हटाने एवं पेड़ों की कटान के संबंध में मा० विधायक श्री उबैदुर्रहमान के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

115–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधायक श्री उबैदुर्रहमान का पत्र दिनांक 17-10-97 जोकि ग्राम अलहदादपुर तहसील–सदर जिला–सुल्तानपुर में स्थित ग्राम समाज की गाटा संख्या 480 पर अवैध रूप से निर्माणाधीन पक्के मकान को हटाने एवं पेड़ों की कटान को रोकने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव राजस्व को नवम्बर, 1997 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अवैध निर्माण हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हटाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम अलहदादपुर, परगना मीरानपुर तहसील सदर सुलतानपुर में ग्राम समाज की सम्पत्ति गाटा संख्या–480 मि०/0-2-10 पर राम पदारथ सिंह सुत राजाराम सिंह व 0-7-0 पर चन्द्र पाल सिंह सुत रतीपाल सिंह द्वारा क्रमशः मकान व पक्की सरिया बनाकर एवं बांस कोठ खाद गड्ढा बनाकर किये गये अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में विद्यमान विधिक प्राविधान के अन्तर्गत जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122(बी) की कार्यवाही दिनांक 31-12-96 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आख्या लेकर तत्काल प्रारम्भ कर दी गई थी तथा निर्माण कार्य भी रोकवा दिया गया था ।

जी नहीं । प्रकरण जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122(बी) के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है ।

धारचूला मुन्स्यारी, डीडीहाट और बेरीनाग तहसीलों को मिलाकर डीडीहाट जिला बनाने विषयक विचाराधीन प्रकरण की जानकारी

116–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धारचूला, मुन्स्यारी, डीडीहाट और बेरीनाग तहसीलों को मिलाकर डीडीहाट जिला बनाने के बारे में शासन स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन है ? यदि शासन जिला बनाने हेतु कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक जिला बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

117–श्री विशन सिंह चुफाल–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1997-98 में अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी एवं आवंटन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरक्षण की जानकारी

118–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये कितनी अंग्रेजी शराब की दुकानें नीलामी में आवंटित हुई ? उनमें से किन-किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि ऐसी दुकानों को प्रदत्त करने के लिये सेनानियों के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या आरक्षण का लाभ सेनानियों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए 1556 विदेशी मदिरा (एफ०एल०–5) की दुकानें नीलामी की गई ।

प्रदेश में स्थिति विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की उक्त दुकानों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है । संदर्भित नियमावली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आबकारी दुकानें प्रदान किये जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी ग्राम जलामा, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर के प्रर्थना पत्र पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

119–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री कला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी ग्राम जलामा, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-2-96 जो उप जिलाधिकारी गौरीगंज को सी० नं० 479 दिनांक 3-2-96 द्वारा भेजा गया है, जिसमें 122 बी के जुर्माना अदा न करने के बाद पुनः कब्जा कर मड़वा दीवाल बनाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच में मौके पर उक्त निर्माण पाया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

धारा–122 (बी) उ० प्र० जमी० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 28-8-97 को की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार कोरी तथा श्री राम गौतम सदस्य ग्राम सभा गुलालपुर तह० गौरीगंज सुल्तानपुर के शिकायती पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

120–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम औतार कोरी आदि तथा श्री राम गौतम, सदस्य ग्राम सभा गुलालपुर, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना पत्र दिनांक 19-7-97 जिसमें अवैध अपात्र मृतक आदि का पट्टा करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच राजस्व निरीक्षक, इटौंजा से कराई गई और प्रार्थना पत्र के आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिहारी लाल आर्य तथा श्री सतीश जतारिया विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें कृषि अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के अनुभाग अधिकारी श्री शिव जनम चौधरी द्वारा किये गये भ्रष्ट कारनामों से संबंधित श्री बिहारी लाल आर्य तथा श्री सतीश जतारिया विधायकों का पत्र दिनांक 21-5-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मा० विधायकगण के शिकायती पत्रों के परिप्रेक्ष्य में की गई जांच में साक्ष्यों के अभाव में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई । श्री चौधरी का स्थानान्तरण कृषि विभाग से अन्यत्र किया जा चुका है ।

जनपद हरदोई में सीजनल संग्रह अमीनो की स्थायी पर नियुक्ति में आरक्षण एवं फसली वर्ष की प्रतिशत वसूली व दिन कैशबुक तथा बिलबुक के संबंध गठित जांच समिति के जांच किये जाने हेतु उक्त बिल की उपलब्धता की जानकारी

122–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में दिनांक 17-4-97 को सीजनल संग्रह अमीनें की स्थायी पद पर की गयी नियुक्ति आरक्षण के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियुक्त किये गये अमीनों की प्रत्येक फसली वर्ष की 70 प्रतिशत वसूली व दिन कैशबुक तथा बिल बुक के आधार पर सही है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी हरदोई ने दिनांक 5-5-97 को गठित जांच समिति को जांच किये जाने हेतु बिल बुक व कैश बुक क्यों नहीं उपलब्ध करायी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

91 सामयिक संग्रह अमीनों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय ने उ० प्र० कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली के अनुरूप पदों को भरने के निर्णय के अनुपालन में कार्यरत सीजनल अमीनों में से चयनित 17 सीजनल संग्रह अमीनों को नियुक्त किया गया था । अभी समस्त रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं की गई है इसलिये आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है ।

नियुक्त किये गये 16 संग्रह अमीनों की प्रत्येक फसली वर्ष की वसूली दैनिक स्मृति पंजी व बिल बुक के आधार पर सही है । एक अभ्यर्थी श्री राम सेवक गुप्ता पुत्र श्री राम चरन गुप्ता की वसूली मानक से कम पाये जाने पर इनका नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिया गया है ।

जांच समिति द्वारा जिन अभिलेखों की अपेक्षा की गयी थी, जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गये ।

123–श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिनांक 24-10-96 को श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष संग्रह अमीन संघ गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित ज्ञापन के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ अर्जुन प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष संग्रह अमीन संघ गौरीगंज सुल्तानपुर का ज्ञापन दिनांक 24-10-96 जो समान वेतन आदि कई विसंगतियों के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ में 10 वर्षों से कार्यरत कृषि ए०डी०ओ० के स्थानान्तरण के विषय में जानकारी

125–श्री तेज भान सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे कितने कृषि ए०डी०ओ० है जो प्रतापगढ़ में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है ? शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत इन्हें स्थानान्तरित न करने के क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांन्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोवर्धन जनपद मथुरा स्थित "गिरिराज महाराज" 21 कोसीय परिक्रमा गुरू पूर्णिमा (गुड़िया पूनों) मेलों की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा धन राशि उपलब्ध कराने की जानकारी

126–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन जनपद मथुरा स्थित "गिरिराज महाराज" की 21 कोसीय परिक्रमा गुरू पूर्णिमा (गुड़िया पूनो) जिसमें 50 लाख श्रद्धालु से अधिक प्रतिवर्ष भाग लेते हैं की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मेले की व्यवस्था हेतु धनराशि आवंटित करने पर विचार करेगी ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

संस्कृति कार्य विभाग द्वारा मेलों की व्यवस्था हेतु धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तिरा पुत्र श्री केदार नि० भरई घुंइआई जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर का शिकायती पत्र एवं जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा आवंटित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटवाने की जानकारी

127–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री तिरा पुत्र श्री केदार नि० भरई घुंइआई जैतीपुर जनपद–शाहजहांपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 2-9-94 या इसके आस पास सरकार द्वारा दिये गये पट्टे पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री सचिवालय लोक शिकायत अनुभाग–3 ने अपने पत्र सं०–177 दिनांक 2-9-94 को जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आवंटित भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने उपरोक्त आवंटित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटवा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री तिरा, पुत्र केदार निवासी घुंइआई, मजरा भरई तहसील तिलहर शाहजहांपुर को इसी ग्राम की भूमि गाटा संख्या–614/110-137 व 626/0-069 आवंटित की गयी है । पट्टेदार को पूर्व में ही तत्कालीन परगनाधिकारी तिलहर द्वारा कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टेदार अपने पट्टे की भूमि पर तभी से काबिज है । उक्त पट्टे की भूमि गाटा सं०–614/1/0–137 के कुछ भाग पर निकट के खातेदार द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर दिनांक 11-9-95 को पैमाइश करके पूरे भाग पर कब्जा दिला दिया गया है ।

ग्राम मुकेरीपुर की बंजर भूमि खा० सं०–78(ख) पूर्वी भाग 2/2 को पूर्ववत् यथा स्थान व यथा दिशा में बने रहने के लिए उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के आदेश को निरस्त कराने विषयक जानकारी

128–श्री धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम मुकेरीपुर की बंजर भूमि खा० सं०–78 (ख) पूर्वी 2/2 को पूर्ववत् यथास्थान व यथादिशा में बने रहने के लिये उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 6-5-94 को शीघ्र निरस्त करने के लिये मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० शासन द्वारा राजस्व मंत्री जी को और

राजस्व मंत्री उ० प्र० शासन द्वारा सचिव, राजस्व को उप जिलाधिकारी, अकबरपुर के उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए स्पष्ट रूप से लिखित आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश का अनुपालन करते हुए क्या उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के आदेश दि० 6-5-94 को निरस्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में मण्डी समिति उतरौला में स्वीकृत मार्गों पर देय धन तथा धन का सही उपयोग एवं स्थल आदि का निरीक्षण विषयक जानकारी

129–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर वर्ष 1996-97 में क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में मण्डी समिति उतरौला में मार्गों को स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत मार्गों पर कितना धन दिया गया है ? क्या दिये गये धन के सही उपयोग का स्थल निरीक्षण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करके अधिक दर पर क्रय की गई बोरियों की जांच रिपोर्ट की जानकारी

130–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में वर्ष 94–95 से 96–97 तथा संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र० लखनऊ द्वारा मनमाने ढ़ंग से बिना जनपद/मण्डल की मांगों पर लगभग 3 करोड़ संख्या में विभिन्न क्षमता के बोरे बोरियों का क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुये किया गया है जो घटिया किस्म के हैं ? क्या यह सही है कि उक्त बोरे बाजार भाव से लगभग 30 प्रतिशत अधिक दर से क्रय किये गये हैं जिसकी जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । जांच की जा चुकी है ।

जांच आख्या में शिकायत निराधार पाई गई ।

उ०प्र० संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) द्वारा केन्द्रीय पुनर्निर्धारित योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से बीजों के परिवहन हेतु प्राप्त धनराशि की जानकारी तथा धन अवमुक्त न कराने के कारण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

131–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय पुनर्निर्धारित योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से बीजों के परिवहन हेतु वर्ष 1995–96 में 64 लाख रुपया प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि संयुक्त

कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र० लखनऊ की लापरवाही के कारण धन अवमुक्त नहीं कराये जाने के कारण लैप्स हो गया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1995–96 में रुपये 13.02 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती जमुना देवी पत्नी स्व० कल्पू पासी निवासिनी पूरे दुग्गज सिंह मौजा सम्मई थाना जामों, सुल्तानपुर की अनुसूचित जाति महिला की जमीन को श्री कामता प्रसाद के कब्जे से मुक्त कराने विषयक कार्यवाही की जानकारी

132–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि श्री बी०आर० कुटार, अनुसचिव, मुख्य मंत्री द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्रेषित लोक शिकायत अनुभाग–1 के आदेश सं० म–1–13306/341–97 दिनांक 28 मई, 1997 में श्रीमती जमुना देवी बेवा कल्पू निवासी पूरे दुग्गज सिंह मौजा सम्मई जामो, सुल्तानपुर अनुसचिव महिला की जमीन को श्री कामता प्रसाद के कब्जे से मुक्त कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्रीमती जमुना देवी पत्नी कल्पू पासी नि० पूरे दुग्गज सिंह मौजा सम्मई थाना जामों, की जमीन आरजी नं० 888 जिसका रकबा 12 विस्वा है श्रीमती जमुना देवी को पट्टे पर दी गई थी । उक्त पट्टे की जमीन में पैमाइश के अनुसार करीब 3 बिस्वा में विपक्षी कामता प्रसाद पुत्र श्रीपत वर्मा निवासी सम्भई का पक्का मकान व दुकान करीब 20 वर्ष पूर्व से बना है । शेष करीब 9 बिस्वा जमीन खाली है जिसमें 3 पेड़ नीम, 2 पेड़ महुआ तथा 1 आम का पेड़ है । उक्त पट्टे की जमीन की पैमाइश करीब 4 माह पूर्व की जा चुकी है तथा विपक्षी के कब्जे वाली जमीन के संबंध में श्रीमती जमुना देवी को बताया जा चुका है । शेष जमीन पर ग्राम प्रधान तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष श्रीमती जमुना देवी को कब्जा दिला दिया गया है ।

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा के अन्तर्गत मण्डी समिति शमसाबाद में अम्बेडकर ग्राम डौकी ग्राम पंचायत के उप ग्राम मड़ी तक सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

133–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा के अन्तर्गत मण्डी समिति शमसाबाद में अम्बेडकर ग्राम डौकी ग्राम पंचायत के उप ग्राम मड़ी तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निदेशक मण्डी परिषद् लखनऊ को दिनांक 14–8–97 को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति शमसाबाद से जिला चयन समिति का अनुमोदित प्रस्ताव/सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत मण्डी समिति फतेहाबाद, फतेहाबाद निबोहरा मार्ग रामगढ़ से मूसेपुर व महराजपुर होती हुई अम्बेडकर मार्ग महमूदपुर तक सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

134–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा के अन्तर्गत मण्डी समिति फतेहाबाद, फतेहाबाद निबोहरा मार्ग रामगढ़ से मूसेपुर व महराजपुर होती हुई अम्बेडकर मार्ग महमूदपुर तक सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने हेतु 14-8-97 को निदेशक, मण्डी परिषद् लखनऊ को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति फतेहाबाद से जिला चयन समिति को अनुमोदित प्रस्ताव/सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने पर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति फतेहाबाद आगरा में दूध से घी निकालने वाली कार्यरत इकाइयों से मण्डी टैक्स वसूल करने एवं वार्षिक आय आदि की जानकारी

135–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति फतेहाबाद आगरा में दूध से घी निकालने की कई इकाइयां कार्य कर रही हैं ? क्या घी उत्पादन पर मण्डी टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो वार्षिक आय कितनी होती है ? उक्त धन किन-किन कार्यों पर खर्च किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी समिति फतेहाबाद में दूध से घी निकालने की मात्र एक इकाई मै० अजन्ता राज प्रोटीन्स लि० फतेहाबाद (आगरा) कार्य कर रही है ।

घी उत्पादन के विक्री पर मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है । वार्षिक वसूली औसतन रु० 16,41,231.00 है ।

उक्त धन मण्डी यार्ड/सम्पर्क मार्गों के निर्माण, हैण्ड पम्पों की स्थापना इत्यादि विकास कार्य एवं खलिहान बीमा योजना/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, बुखारी वितरण से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है ।

मथुरा सदर तहसील में जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह में "पट्टा अभियान" कार्यक्रम में पात्र व्यक्तियों की संख्या एवं पट्टों की श्रेणी आदि की जानकारी

136–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा सदर तहसील में जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह में "पट्टा अभियान" कार्यक्रम में कुल कितने पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं ? उन पट्टों की श्रेणी क्या है ? क्या यह सही है कि अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टों कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब कब निस्तारित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

मथुरा तहसील में पट्टा अभियान के दौरान जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह में कृषि के 432 एवं आवास स्थल के 94 व्यक्तियों को आवंटन किये गये ।

उपरोक्त कृषि आवंटियों की श्रेणी–1 क(ख) असंक्रमीय भूमिधर के रूप में आवंटन किया गया है तथा आवास स्थल आवंटियों को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 सी (3) के अन्तर्गत आवंटन किया गया । तहसील सदर के ग्राम सुनरख बांगर का पट्टा निरस्तीकरण का वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) वाद संख्या 64/97–98 पूरन सिंह बनाम रामबीर सिंह न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मथुरा एवं ग्राम नेरा का वाद संख्या 83/96/97 बाबू आदि बनाम बाबूलाल आदि न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) में विचाराधीन है ।

प्रदेश में वर्षा के कारण धान की फसल सड़ने तथा गेहूं की फसल की बोआई न होने के कारण सरकार से मुआवजा की मांग

137–श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में इस वर्ष धान की फसल वर्षा के कारण सड़ गई है और गेहूं की फसल खेतों में पानी भरा होने के कारण बोई नहीं जा सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों की फसल नष्ट होने का मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

कृषकों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री पर 25% अनुदान अनुमन्य कराया गया है साथ ही जायद की फसल निवेशों (बीज/उर्वरक और कृषि रक्षा रसायन) पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 217.23 करोड़ की राशि की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है.।

श्री शिवनायक सिंह ग्राम प्रधान बलीपुर खुर्दवा तहसील गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित शिवनायक सिंह ग्राम प्रधान बलीपुर खुर्दवा तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 8–11–97 तथा 20–11–97 का प्रार्थना-पत्र जिसमें अवैध तरीके से बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव के पट्टा करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध मे क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में भूमि बीहड़ सुधार समतलीकरण हेतु नाबार्ड से उपलब्ध धनराशि द्वारा योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों तथा सिंचाई के साधनों का निर्माण कार्य में सम्मिलित करने की मांग

139–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि भूमि, बीहड़ सुधार समतलीकरण हेतु नाबार्ड से उपलब्ध कराये गये धन द्वारा प्रश्नकर्ता के क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में उक्त योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों में सम्पर्क मार्गों एवं सिंचाई के साधनों का निर्माण न कराये जाने से किसानों को समुचित लाभ नहीं मिलेगा ? क्या उक्त विषय से संदर्भित प्रश्नकर्ता द्वारा उनको दिनांक 2–12–97 को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब और उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

किसानों को समुचित लाभ मिलेगा ।

जी नहीं ।

योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग तथा सिंचाई के साधनों के सम्मिलित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि योजना राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष–2 के अन्तर्गत पहले से ही स्वीकृत है ।

सम्भव नहीं है ।

योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों तथा नलकूपों के निर्माण का कार्य सम्मिलत नहीं है ।

जनपद बहराइच को वर्ष 1996–97, 1997–98 में दैवी आपदा राहत कोष से देय धनराशि की जानकारी तथा विधान सभा क्षेत्र कैशरगंज के नदी के कटान में विलीन हुये गांवों को भी राहत हेतु धन की मांग

140–श्री रामतेज यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच को वर्ष 1996–97, 1997–98 में राजस्व आपदा कोष से कितना धन दिया गया है ? क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कैशरगंज के जो गांव नदी की कटान में विलीन हो गये थे उनको जिला प्रशासन द्वारा संस्तुति करके राजस्व आपदाकोष से सहायता दिये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु शासन स्तर से इसमें कोई सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बहराइच को वर्ष 1996–97 में रु० 53.36 लाख एवं वर्ष 1997–98 में रु० 13.05 लाख धनराशि दैवी आपदा राहत कोष से दिया गया है ।

शेष सूचना मांगी जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज तहसील के ग्राम गुवांवा के गाटा सं० 693 धार्मिक स्थल कुटी को व्यक्ति विशेष को पट्टा करने के संबंध में जानकारी तथा जांच की मांग

141–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज तहसील के ग्राम गुवावां के गाटा संख्या–693 धार्मिक स्थल कुटी को किसी विशेष व्यक्ति को गलत ढंग से आवंटित कर दिया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र उप जिला अधिकारी, गौरीगंज को दिनांक 31–11–97 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच क्या किसी अधिकारी द्वारा की गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–693 रकबा 0–10–0 का पट्टा किया गया है, जिस पर कोई कुटी नहीं है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31–11–97 को न प्राप्त न होकर दिनांक 29–11–97 को प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जांच दिनांक 29–12–97 को राजस्व निरीक्षक, इटौजा पश्चिम से कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच एवं लखीमपुर के सीमा विवाद के संबंध में डी०एम० द्वारा रोक एवं उसकी जांच कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

142–श्री जटाशंकर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले शुक्र के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारां० प्र० सं०–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया (रिकार्ड आपरेशन) को नोटीफिकेशन जारी किया गया ? क्या यह सही है कि रिकार्ड आपरेशन कार्यवाही पूरी होने तक डी०एम० बहराइच एवं लखीमपुर द्वारा विवादित भूमि का पट्टा बनाने एवं कब्जा दिलाने की समस्त कार्यवाहियां रोक दी गई थी ? यदि हां, तो क्या नोटीफिकेशन के उपरान्त सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या डी० एम० लखीमपुर खीरी द्वारा पट्टा देकर कब्जा दिलाने हेतु दिनांक 19. 21. 26–6–97 को पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुये कब्जे की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में वर्ष 1994–95 व 1995–96 तथा 1996–97 में दैवी आपदा राहत कोष से देय धनराशि की जानकारी एवं पीड़ित व्यक्तियों से पुष्टि कराने की मांग

143–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि पूर्व जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील उतरौला में वर्ष 1994–95 व 1995–96 तथा 1996–97 में दैवी आपदा राहत कोष को कितना धन दिया गया ? देय धन को किन-किन ग्रामों में कितना-कितना धन दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया ? क्या वास्तव में पीड़ित व्यक्तियों को ही राहत राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित व्यक्तियों से इसकी पुष्टि करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला को दैवी आपदा राहत कोष से वर्ष 1994–95 में रु० 1,78,434.00, वर्ष 1995–96 में रु० 3,68,600.00 तथा वर्ष 1996–97 में रु० 5,32,715.00 की धनराशि दी गई थी ।

वर्ष 1994–95 में 125 ग्रामों में रु० 1,77,450.00 वर्ष 1995–96 में 122 ग्रामों में रु० 3,67,600.00 तथा वर्ष 1996–97 में 141 ग्रामों में रु० 5,23,275.00 की धनराशि दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को वितरित किया गया है । विवरण संलग्न है ।†

जी हां ।

कोई शिकायत विशेष प्राप्त होने पर इसकी जांच कराई जा सकती है ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा उतरौला में मण्डी स्थल के निर्माण विषयक जानकारी

144–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा उतरौला में मण्डी स्थल का निर्माण कराया जाना स्वीकृत है ? कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा मण्डी स्थल निर्माण के लिये कितना-स्थल स्वीकृत किया गया है ? क्या निर्माण कार्य हेतु भूमि क्रय कर ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ? निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये उत्तरदायी कौन हैं ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

स्थल स्वीकृति के संबंध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

145–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 28–1–98 को अता० प्र० सं० 190 द्वारा उत्तरित]

आज की कार्यवाही के नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के दिये गये उत्तर पर आपत्ति

* श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज एजेन्डे में तारांकित प्रश्न संख्या–4 पूछा था, क्या आबकारी मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शराब के ठेकों में नीलामी में हो रही धांधली को समाप्त करने हेतु सरकार नीलामी की बी० डी० ओ० फिल्म बनायेगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस वक्त प्रश्न आया था उसी वक्त पूछना चाहिए था (व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके उत्तर में कहा है कि जी नहीं प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गढ़वाल में ढाई हजार परमिट जारी किए गये हैं और 4 बोतल के हिसाब से प्रति परमिट मिलता है और 1 करोड़ का ठेका हो रहा है तो इसकी वसूली कैसे होगी, कैसे हिसाब लगायेंगे कि कितनी बोतल पहुंच रही है ? इसमें बड़ी धांधली हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाय मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । जब यह प्रश्न आया था उसी वक्त आपको पूछना चाहिए था । अब आप अपनी बात लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए ।

आज सदन समाप्ति के पश्चात् सभा मण्डप गैलरी में चित्र विथिका का अनावरण तथा मा० सदस्यों को हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह भेंट किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

आज दिनांक 29 जनवरी, 1998 को सदन की बैठक के अनिश्चितकालीन स्थगन के पश्चात् राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हाल तथा विधान सभा मण्डप के मध्य स्थित गैलरी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा कुछ प्रमुख घटनाओं/स्थलों के चित्रों का अनावरण किया जाएगा । तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्थापना के हीरक जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में त्रयोदश विधान सभा के समस्त मा० सदस्यों को मेरे द्वारा विधान सभा मण्डप में एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगां ।

प्रतीक चिन्ह देते हुए मा० सदस्यों के नाम निर्वाचन क्षेत्र के क्रम में बुलाये जायेंगे ।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मा० सदस्यगण मेरे दाहिनी ओर से डायस पर आयेंगे तथा प्रतीक चिन्ह ग्रहण करने के उपरान्त बायीं ओर से उतर कर कार्यवृत्त लेखक की मेज के पास रखी सूची में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करेंगे एवं तत्पश्चात् अपना आसन ग्रहण करेंगे ।

प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

नियम 311 के अन्तर्गत मुझे जो सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं उनमें पहली सूचना माननीय श्री धनीराम वर्मा व माननीय श्री रामतेज यादव एडवोकेट की है । माननीय श्री यादव जी आपकी सूचना कानून व्यवस्था के संबंध में है । इसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है । उस अवसर का उपयोग करें और अभिभाषण पर चर्चा के समय कहें । अभी मैं केवल 2 मिनट का समय दूंगा ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने कहा था कि मैं इसको लूंगा, कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और अपनी बात कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात 2 मिनट में कहें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कानून व्यवस्था और भय मुक्त समाज की बात मौजूदा सरकार बहुत जोरों से कर रही है और गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रही है और बड़ा कानून और व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रही है । आपके संज्ञान में इसको लाना इसलिये जरूरी है कि मौजूदा सरकार की नाक के नीचे लखनऊ शहर में दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं और उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के लोगों का नाम कहीं न कहीं उसमें प्रकाश में आ रहा है । यह जिम्मेदार लोग सरकार में बैठकर अराजक तत्वों, गुंडों के साथ हाथ मिला लेंगे तो कानून व्यवस्था कहां रहेगी ? प्रदेश की 16 करोड़ जनता की शांति और जान की कोई सुरक्षा नहीं है । सरकार ढिंढोरा पीट कर कहती है कि लोगों की जानमाल सुरक्षित है लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है । 27 तारीख को लखनऊ में एक व्यापारी का कत्ल कर दिया गया और लाखों रुपये लूट लिये गये बड़ी मुश्किल से एफ० आई० आर० लिखी गयी । अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया । स्वर्गीय उपेन्द्र विक्रम सिंह उपाध्यक्ष कोआपरेटिव बैंक और तीन आदमियों की हत्या लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे हुयी । एम्बेसडर कार में बैठे हुये 3 लोग मारे गये । कानून व्यवस्था और भय मुक्त समाज का नारा खाली बेकार के लिये है, खाली अखबारों और रेडियो, दूरदर्शन पर देने के लिये है । मैं जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष उपेन्द्र विक्रम सिंह की हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी, पुलिस के लोग वहां मौजूद रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह लोग इसको रोक नहीं सकते थे ? लेकिन सरकार ने अपने इस्तेमाल के लिये पुलिस को प्रयोग कर रखा है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी ? जनपद बहराइच, देवरिया, बलिया, आगरा में जो मेरे दोस्त, साथी मिलते हैं वह कहते हैं कि बैरियर लगाकर कानून और व्यवस्था के नाम पर पुलिस ट्रक मालिकों, गाड़ी मालिकों, डी० सी० एम० मालिकों से 50 रुपये से 200 रुपये वसूल करती है । चेकिंग के लिये फारेस्ट ऐक्ट और दूसरे कानून हैं, जिनको लागू किया जा सकता है । लोडिंग-अनलोडिंग के परमिट में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं और उनके मर्डर भी हुये हैं । मेरे डिवीजन में या फैजाबाद डिवीजन में या लखनऊ डिवीजन में सब जगह यही स्थिति है ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह महत्वपूर्ण सवाल है । यहां पर बड़े-बड़े जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं लेकिन नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । बड़े अधिकारी खुद सुसाइड कर लेते हैं । आम जनता की कोई सुरक्षा नहीं है । आपके सामने 27-1-98 को अमीनाबाद में एक व्यवसायी की हत्या कर दी गयी । जनता में आक्रोश और परेशानी है और यह भय मुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रही है ।

सात बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति शहर में नहीं निकल सकता है । बाजार में औरत बच्चे खुले आम नहीं जा सकते ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बता आ गई है, समाप्त करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित का प्रश्न है । मान्यवर, आप आंकड़ों पर मत जाइये । आज 93 मंत्री हैं और जिले कम हैं । अगर एक मिनिस्टर एक जिले को देख ले तो मैं समझता हूं कि कुछ काम हो । आपने कल कहा कि प्रथम सूचना लिखाने के लिये आदेश हो गये हैं कि एफ० आई० आर० दर्ज की जायेगी । लेकिन मान्यवर, तमाम कत्ल हो गये हैं, डकैतियां पड़ी हैं, 307 के केसेज हैं और तीन महीने से रिपोर्ट नहीं लिखी गई है । लूट पाट डकैती, कत्ल सब खुलेआम हो रहा है । आज मां, बहन बच्चे घर से निकल कर नहीं जा सकते । कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गयी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । आज प्रदेश की 16 करोड़ जनता जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, व्यवसायी, व्यापारी, छात्र सब शामिल हैं उनके जीवन की सुरक्षा की बात है । हर व्यक्ति आतंकित है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री रामजग जी की सूचना इसी विषय पर है आप अभी बोलेंगे या धन्यवाद प्रस्ताव के समय ।

* श्री रामजग–

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी बोलने का अवसर दे दें । मान्यवर, जब से यह सरकार शासन, में आई है जो भयमुक्त समाज की बात करती थी, पूरे प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ी है । लखनऊ में ही रोज अखबार में देखिये रोज हत्यायें हो रही हैं, लूट हो रही है और मान्यवर, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां प्रतिदिन लूट पाट, मोटर साइकिल छीनने, हत्या की घटना न हो रही हों । लोग आतंकित हैं । भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अपराधी हैं, माफिया हैं सही मायने में आज उनका राज है । आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का नाम नहीं रह गया है और लोग आतंकित हैं । इस सरकार के शासन काल में अनुसूचित जाति पर हमला ज्यादा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या बढ़ी है । आंकड़े आप भले ही कुछ प्रस्तुत

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दें परन्तु आज प्रदेश में हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है । जनता में भय और आतंक व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, ऐसी हालत में मेरा यह अनुरोध है कि यह जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है । आज प्रदेश में अपराधी आधुनिक हथियारों से लैस होकर खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं । गांव-गांव में अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है । मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा मामला है इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको कुछ कहना है । यह नियम–311 में नहीं आती है । मैं नहीं समझता कि वह किसी प्रकार से नियम–311 की परिधि में आती है इसलिये यह सूचना निरस्त की जाती है ।

सरकार द्वारा नियंत्रित दुकानों पर खाद्य वस्तुओं के अभाव के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यह विषय इधर या उधर बैठे लोगों से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश की जनता से संबंधित है । आज प्रदेश में वितरण व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई है । आज जरूरत की चीजें बाजार से गायब हैं अगर कहीं उपलब्ध हैं तो ब्लैक में उपलब्ध हैं । आज सरकार की तरफ से कुछ भी जवाब आये परन्तु सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है । मिट्टी का तेल जो कि पूरी तरह से नियंत्रित है, उसके सम्बन्ध में कोई दोहरी नीति नहीं है वह खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है लेकिन मान्यवर, आश्चर्य हैं कि वह खुले बाजार में 13, 12, और 11 रुपये लीटर जहां जैसा हो बेचा जा रहा है । मैं जानता हूं कि महंगाई का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पड़ोस के प्रदेश में जिन चीजों पर ब्लैक न हो रहा हो और हमारे प्रदेश में ब्लैक हो रहा हो तो उससे इस सरकार की अकर्मण्यता दिखाई पड़ती है । मान्यवर, मैंने मिट्टी के तेल का उदाहरण दिया है आज यहां पर पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधि बैठे हैं अगर वह यह कह दें कि उनके क्षेत्र में ऐसा नहीं है तो मैं समझूंगा कि मेरी बात में बल नहीं है । इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जीवन के लिये एक नितान्त आवश्यक चीज है वह है रसायनिक उर्वरक । यह सरकार सब्सीडी नहीं दे रही है । जो रसायनिक उर्वरक मिलता है वह सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं बिक रहा है ।

सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से नहीं बिक रही हैं इनकी अनुपलब्धता बाजार में नहीं हैं अगर उपलब्ध हैं तो ब्लैक में रसायनिक उर्वरक बिक रहे हैं । साधारण जीवन की वस्तुयें, छोटी-मोटी सब्जियों को देखें, इनके दाम कितने बढ़ गए हैं । लौकी जो 50 रुपये कुन्तल थी वह 600 रुपये हो गई । तोरई

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो 150–200 रु० थी वह 600–700 रु० हो गई । कद्दू जो 70 रु० में था वह 400–500 रुपये हो गया । बैंगन जो 300 रु० में था वह 600–700 रुपये में हो गया । भिन्डी जो 300–400 रुपये में थी वह 800–900 रुपये में हो गई । करेला जो 400 रु० था वह 700–800 रुपये में हो गया । परवल जो 600–700 रु० था वह 1200–1300 रुपये में हो गया । लहसून जो 300–400 रुपये में था वह 900–1200 रुपये में हो गया । मैंने यह आंकड़े आपके सामने रखे हैं । मैंने उन वस्तुओं को नहीं छुआ है जो केन्द्र स्तर से वितरित होती हैं । मैं सीमेंट लोहे की बात नहीं करता हूं जो वस्तुयें वितरण व्यवस्था के अधीन मिलनी चाहिए यह सरकार की अकर्मण्यता का प्रभाव है । जो नहीं मिल रही हैं । इससे मंत्री अछूते हो सकते हैं लेकिन सामान्य जनता अछूती नहीं है ।इसमें सिर्फ जवाब न दिया जाए प्रभावी कार्यवाही भी की जाए । और इसमें चर्चा कराई जाए ।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसमें विस्तार से चर्चा कल भी हुई थी आज भी माननीय सदस्य प्रमोद कुमार जी ने ध्यान अकर्षित किया है । सबको जानकारी है पूरे प्रदेश को जानकारी है पिछले दो महीने इस देश के लिए प्रदेश के लिए ऐसे गुजरे जिसमें पहले कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था ओलावृष्टि, वारिश, तूफान आया इससे मूल्यों पर प्रभाव पड़ा । आपने मिट्टी के तेल का जिक्र किया मिट्टी के तेल के लिए ब्लैक की शिकायतें आई हैं । लेकिन यह भी सही है कि इसमें व्यवस्था हमने सुदृढ़ की है तीन चेकिंग प्वाइन्ट बनाये हैं जब थोक व्यापारी के यहां मिट्टी का तेल आएगा यह प्रमाणित करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे दाहिने हाथ के जो माननीय सदस्य बहुत बात कर रहे हैं कृपया शान्त रहें । जिन माननीय सदस्यों को बात करनी है वह लाबी में चले जाएं लाबी में बात करें ।

श्री हुकुम सिंह–

अब यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में मिटटी का तेल उपलब्ध है . जहां इसका वितरण होगा, वितरण प्वाइन्ट के ऊपर लेखपाल या ग्राम्य विकास अधिकारी के स्तर से कोई मौजूद रहेगा ऐसी व्यवस्था हमने बनायी है । तहसील दिवस या न्याय पंचायत की मीटिंग चलती हैं उससे इसकी मानीटरिंग होगी । इसमें परिणाम आने शुरू हो गए हैं इसमें नियंत्रण किया गया है । माननीय प्रमोद जी जब अपने क्षेत्र में जाएंगें तो सरकार की नीति के परिणाम की स्थिति स्वतः सामने आ जाएगी । दूसरी बात इन्होंने सब्जी के बारे में कही । सब्जी खेतों में बोई जाती है प्याज के दाम बहुत बढ़ गए सारे देश में बढ़ गए । केन्द्र सरकार को मजबूर होना पड़ा इसको आयात करने के लिए । दैवी आपदा आई प्याज की बुआई संभव नहीं हो सकी । ऐसी दूसरी चीजें हैं । सब्जियों के बारे में बात कही गई । इसकी जब बुआई ही नहीं हो पाई तो महंगाई तो होगी ही । एसी परिस्थिति में मार्केट फोर्सेज अपना काम करती हैं उनके ऊपर टोटल नियंत्रण तो कभी नहीं किया जा सका है । हमने उन पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए हैं । मेरे पास सारे आंकड़े हैं । कई चीजों के भाव कम हुए हैं कितनी चीजें हैं जिनके भाव बढ़े हैं । चीनी का भाव सितम्बर के महीने में 15 रुपए किलो था आज भी इसका यही भाव है । यह इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि चीनी के ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए भाव नहीं बढ़े ।

श्री प्रमोद कुमार–

चीनी तो नई आ गई है ।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री हुकुम सिंह–

चीनी का तो एक साइकिल है । जब उत्तर प्रदेश में नहीं आती तो महाराष्ट्र और गुजरात में आ जाती इसकी बात तो अलग है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा कहना यह है कि सरकार की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है । जो मिट्टी का तेल महंगा है वह ब्लैक में मिल रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि मिट्टी का तेल उपलब्ध है लेकिन वह सरकारी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है । प्रदेश सरकार की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है ।

श्री हुकुम सिंह–

जो मिट्टी के तेल के बारे में बात हो रही है कल इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं । प्रदेश के लिए जितने मिट्टी के तेल की आवश्यकता है उसका केवल (0) प्रतिशत हमें केन्द्र सरकार से मिलता है । जो मिट्टी के तेल की ब्लैक के बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे मिट्टी का तेल ब्लैक करना सम्भव नहीं हो पाएगा । मैं मा० प्रमोद जी से कहना चाहता हूं कि वह कभी-कभी इधर भी देख लिया करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपको कहां-कहां देखूं । कभी आप इधर बैठते थे कभी उधर चले जाते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो हमेशा इधर ही रहा हूं कि लेकिन आप अपने कर्मों से इधर से उधर चले गए ।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मान्यवर, वितरण व्यवस्था में यह होता था कि हर केन्द्र पर जहां से सामान वितरित होता है वहां पर स्टाक व कीमत लिखी रहती है । क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि भविष्य में वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, श्री लोकपति जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनका सम्मान करता हूं । उन्होंने एक स्पेसफिक सवाल किया है । जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने कहा है मैंने उसी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है कि वह व्यवस्था बनी रहे ।

मान्यवर, आज पूरा दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए पड़ा है । उस चर्चा में सारे सवाल उठने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जवाब भी आने चाहिए । जो सवाल सामान्य नियमों के अन्तर्गत आनी चाहिए वह 311 में लाकर नियमों का निलम्बन कर दें यह अनावश्यक है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी ही है उस समय इस पर चर्चा हो जाये । मान्यवर, यह नियम 311 में नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रमोद कुमार एवं श्री लोकपति त्रिपाठी जी को तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद उक्त सूचना नियम 311 में नहीं आती है अतः इसे अग्राह्य किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन यह सरकार कालाबाजारी को रोकने में असमर्थ है। सरकार को 60 प्रतिशत तेल उपलब्ध हो रहा है लेकिन जनता को वह ब्लैक में उपलब्ध हो रहा है। या सरकार ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त है, चोर बाजारी करवाने में लिप्त है। इस चोर बाजारी कराने वाली सरकार के विरुद्ध मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार एवं श्री लोकपति त्रिपाठी ने अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन किया)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार कालाबाजारी को रोकने में असमर्थ है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन किया)

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में मिट्टी का तेल 20–25 रुपये लीटर में मिल रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध नहीं है लेकिन ब्लैक मार्केट में तेल उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम जग जी, इस विषय पर आपकी सूचना भी नहीं है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कम से कम बहिर्गमन करने में होड़ न लगायें।

कुम्भ मेला (1998) में हरिद्वार का गंगा जल प्रदूषित होने से संक्रामक रोग फैलने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसी गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके साथ प्रदेश की ही नहीं पूरे देश क प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। 25 फरवरी, 1998 को शिवरात्रि के अवसर पर कुम्भ का पहला स्नान होगा। 13–14 अप्रैल, 98 को कुम्भ का मुख्य स्नान होने जा रहा है लेकिन चिन्ता का सबसे बड़ा विष यह है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह बताया गया है कि गंगा का जल इतना विषाक्त है कि जो यात्री गंगा में मुख्य पर्वों के दिन नहायेंगे वह स्नान अपने रिस्क पर करेंगे, यह रिस्क महामारियों के फैलने का है। कालरा, डिसेन्टरी, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। हरिद्वार के साथ एक अभिशाप रहा है कि 1962 और 1974 के दो मुख्य मेलों के आयोजन को छोड़कर जितने भी कुम्भ के आयोजन वहां हुए हैं उसमें कोई न कोई दुर्घटना अवश्य हुई है। कुम्भ मेला पूरे विश्व में एक ऐसा मेला है जिसमें सबसे अधिक मानव इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में यह रिपोर्ट किसी हद तक सही साबित हुई और हरिद्वार की पवित्र धरती पर ऐसी विनाश लीला देखने को मिली क्योंकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह संक्रामक रोग कितने बड़े स्तर पर फैल सकता है। जितनी स्वास्थ्य सुविधायें उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुहैया कराया है वह स्वास्थ्य सुविधायें अपर्याप्त होंगी। इसी क्रम में यह भी कहना चाहता हूं कि गत जुलाई में एक प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि गंगा जल पीने के योग्य है या नहीं ? और जो उत्तर नगर विकास मंत्री की ओर से प्राप्त हुआ था, उसमें यह बताया गया था कि गंगा जल की श्रेणी पीने योग्य पानी के सन्दर्भ में बी–क्लास है, अब ए क्लास की श्रेणी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने को धर्म की सरकार

कहती है । कुम्भ के नाम पर अभिभाषण में भी बहुत कुछ लिखा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार साफ तौर पर यह बताने का काम करे कि गंगाजल की आज की प्रदूषण की स्थिति क्या है, वह पीने योग्य है या नहीं और यात्रियों को उससे अवगत कराने का काम किया जायेगा या नहीं ? यह जो रिपोर्ट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की छपी है, इसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और कोई त्रासदी न हो, इसको रोकने के संबंध में सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य अम्बरीष जी वहां के स्थानीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है । हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कुछ लोग अति उत्साह में यह नहीं सोचते कि उनके कहने का क्या परिणाम होने वाला है । अभी उन्होंने स्वयं ही बताया कि कुम्भ कितना पावन पर्व है, यह भी कहा कि गंगा का पानी पवित्र नहीं है, एक तरफ गंगा की दुहाई भी देते हैं । मान्यवर, प्रदेश सरकार ने इसका परीक्षण कराया है और सभी जगह से रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिस रिपोर्ट का आप यहां हवाला दे रहे हैं, उसकी एक कापी मुझे दे दें, मैं भी देख लूं कि कब परीक्षण कराया गया था, इस तरह की रिपोर्ट का आधार लेकर सदन में बात कहा जाना ठीक नहीं है । मैं अवश्य उसका परीक्षण कराऊंगा और परीक्षण कराने के बाद उसकी जानकारी आपको भी दे दूंगा । जहां तक सर्वेक्षण की बात है, मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये, सारे विभागों की उन्होंने वहां दो दिन रहकर समीक्षा की, सारे जन प्रतिनिधियों से मिले, सारे पत्रकारों से मिले और उन्होंने जहां-जहां कमी बताई, उसके स्थल पर जाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं निरीक्षण किया । हर स्तर का अधिकारी वहां निरीक्षण कर रहा है, जिन विभागों का काम वहां हैं, उसके मंत्री भी वहां गये, वहां सारी की सारी व्यवस्था ठीक है और इसमें आपका सहयोग चाहिये । यह नियम 311 का प्रकरण बनता नहीं, केवल इस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अम्बरीष जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं समझता हूं कि यह सूचना निरस्त करने योग्य है, यह मात्र आशंका है और आशंका के कारण नियमों का निलम्बन करना आवश्यक नहीं है, अतः यह सूचना निरस्त की जाती है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के कर्मचारियों की हड़ताल को फलस्वरूप 265 कर्मचारियों को बर्खास्त किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश की 24 मिलों में गत 15 जनवरी, 1998 से समान कार्य के समान वेतन के सिद्धान्त को लेकर हड़ताल हो गयी थी उसमें 137 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है । मान्यवर, किच्छा नैनीताल में 13 सीतापुर में 31 और बाराबंकी आदि स्थानों के तमाम मजदूरों को निकाल दिया गया है ।

(बिजली चली जाने से व्यवधान)

मान्यवर, इन मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया जब कि स्टैण्डिंग आर्डर लागू है चीनी मिलों में पहले नोटिस दी जायेगी उसके बाद जांच की प्रक्रिया भी स्टैण्डिंग आर्डर में है मान्यवर, इन दोनों

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके सीधे माननीय गन्ना मंत्री जी ने इस आन्दोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो चीनी निगम के एम०डी० 17 तारीख को मजदूरों से बात करते हैं और दूसरी तरफ यह आरोप लगाया जाता है । मान्यवर, हम सारे लोग मजदूरों किसानों की वजह से इस सदन में चुनकर आये हैं इन मजदूरों और किसानों की बात कहे बगैर हमारी आपकी रक्षा नहीं हो पायेगी ।

(बिजली चली जाने से व्यवधान)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के चीनी निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध जो दमनात्मक कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी है वह उचित नहीं है मेरा अनुरोध है कि उन्हें बहाल किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विनोद मणि को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

माननीय गौरी शंकर तथा अन्य की सूचना में ऐसे विषय का उल्लेख है जिनमें महामहिम राज्यपाल की चर्चा पर बात आ सकती है इसलिए वह सूचना निरस्त करता हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 29 जनवरी, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । आज अन्तिम दिन है इसलिये मैंने सभी सूचनाओं को स्वीकार लिया है . पहली सूचना श्री अजय भट्ट की, दूसरा श्री राम विशुन आजाद की, तीसरी श्री मोहन सिंह रावत गांववासी की चौथी श्री श्याम देव राय चौधरी की, पांचवीं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की, छठी श्री हरिवंश कपूर की, सांतवीं डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी की, आठंवीं श्री राम पाल वर्मा की, नवीं श्री बाबू लाल (आगरा) की, दसवीं श्री शिव पाल सिंह यादव की, ग्यारहवीं श्री अम्बरीष कुमार की, बारहवीं श्री भारत सिंह रावत की, तेरहवीं श्री विनोद मणि की, चौदहवीं श्री अरिमर्दन सिंह की, पन्द्रहवीं श्री तेजभान सिंह की, सोलहवीं श्री छोटे लाल गंगवार की, सत्तरहवीं श्री कृपा शंकर सिंह की, अट्ठारहवीं श्री धर्मज्ञ मिश्र की, उन्नीसवीं श्री राम जग की, बीसवीं श्री जोखू लाल यादव की, इक्कीसवीं श्री अजय कुमार पोइया की, बाइसवीं श्री रणधीर सिंह की तेइसवीं श्री राम तेज यादव एडवोकेट, चौबीसवीं श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की, पच्चीसवीं श्री चन्द्र नाथ सिंह की, छब्बीसवीं श्री राम कृपाल की और सत्ताइसवीं मेजर जगत पाल सिंह की हैं । यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाय ।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट–

| मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :–

आज सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में विद्युत आपूर्ति की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के चरमरा जाने के कारण वहां पर जो विद्युत चालित जल आपूर्ति के संयत्र हैं वे नहीं चल रहे हैं और जो लिफ्ट पम्पस हैं, वह भी अपना काम नहीं कर रही हैं । जिसके कारण

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आज वहां का जनमानस त्रस्त है यही नहीं बड़े नगरों में एक मुहल्ले को जितनी विद्युत सप्लाई होनी है उससे भी कम विद्युत सप्लाई सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में हो रही है। एक अघोषित कटौती वहां पर की जा रही है जबकि पूर्व में भी शासन के आदेश हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत की कटौती किसी भी हाल में नहीं की जायेगी परन्तु आज इस शासनदेश के विपरीत कार्य हो रहा है निकट भविष्य में बोर्ड की परीक्षायें भी शुरू होने वाली हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में भी अभूतपूर्व बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही कर वहां पर विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के जनमानस को राहत मिल सके।।

जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामं विशुन आजाद–

।मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत से शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से कानून एवं नियम के विपरीत बिना सभासदों की बैठक आहूत किये हुए नगर पंचायत मनकापुर को भ्रष्टाचार अपनी निजी जागीर समझ कर अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में कई बार सभासदों ने लिखित रूप से अधिकारियों को अवगत कराया, परन्तु राजनैतिक दबाव के कारण अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से मनोबल बढ़ गया है। नेहरू रोजगार योजना रोडग्रान्ट और विद्युत सामग्री हेतु शासन से 1997-98 में आठ लाख रुपया नगर पंचायत मनकापुर को प्राप्त हुआ है परन्तु किसी भी कार्ययोजना का प्रस्ताव समिति से नहीं लिया गया है। जितने भी कार्य करवाये गए हैं उन कार्यों का स्टीमेट स्वीकृत नहीं करवाया गया है और न ही टेण्डर डलवाया गया। कागजों में फर्जी तरीके कार्यपूर्ति दिखाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, मनकापुर और सिटी मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा व्यापक रूप से जांच किया गया हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।।

जनपद पौड़ी में पेयजल समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

।मान्यवर, पौड़ी जनपद में पेयजल की भीषण समस्या है, शासन की स्वीकृति के लिये विकास क्षेत्र दारिखाल में ग्राम बुतीण्डा पेयजल योजना, कायडाखाल-हिबल नदी पम्पिंग पेयजल योजना, चेलूसैण पम्पिंग पेयजल योजना, सिलोगी–पम्पिंग पेयजल योजना, कहूड बड़ा पम्पिंग पेयजल योजना, कीर्तिखा पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र एकेश्वर की एकेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र कलजीखाल की मुण्डेनेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र पौवी में साकू घण्डियाल पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र कोट में काण्डा देहल चौरी पम्पिंग पेयजल योजना, कपड़ोला गोर्थन पेयजल योजना, तथा विकास क्षेत्र पौड़ी की कण्डारा पम्पिंग पेयजल योजना आदि हैं पौड़ी जनपद के इन पेयजल योजनाओं के स्वीकृति नहीं मिलने से जनता भीषण पेयजल की समस्या से जूझ रही है।

इस अति संवेदनशील लोक महत्व के विषय पर शासन को तत्काल पौड़ी जनपद में पेयजल की योजनाओं को स्वीकृत करना चाहिये।।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी के दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी में मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति ट्रान्सफार्मरों की कमी, विभिन्न प्रकार के कन्डक्टरों तथा अन्य सब स्टेशनों के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी एवं जर्जर अवस्था से उपभोक्ता गम्भीर रूप से त्रस्त हैं मेरे दक्षिणी विधान सभाक्षेत्र से सम्बद्ध विद्युत उपकेन्द्रों की दशा एवं व्यवस्था बहुत ही खराब है आये दिन किसी भी समय विद्युत आपूर्ति बन्द हो जाती है स्थानीय कारणों से विभाग के अधिकारी कभी ट्रान्सफार्मरों की कभी-कभी जर्जर तारों को बदलने हेतु कण्डक्टरों का न होने आदि का बहाना लेते हैं । जिससे जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है । मैंने इस संबंध में कई बार नियम 301, नियम 56 तथा 51 एवं सम्बन्धित मंत्री को पत्र द्वारा भी अवगत कराते आ रहे हैं । लेकिन खेद का विषय है कि समस्या के निदान हेतु सार्थक प्रयास आज तक नहीं हो सका । समस्याओं के निदान हेतु विभाग द्वारा कई पैकेज भी बनाकर स्वीकृत किये गये हैं । लेकिन अज्ञात कारणों से पैकेज के अनुरूप कार्य नहीं हो पाने से समस्या बनी हुई है । कई क्षेत्रों में कम शक्ति का ट्रान्सफार्मर लगा होने के कारण लो वोल्टेज गम्भीर समस्या बनी हुई है जिन्हें उच्च शक्ति के ट्रान्सफार्मर द्वारा दूर किया जाना चाहिये । कई नये स्थानों पर भी विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता बनाये रखने हेतु नये ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है ।

मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन का उपरोक्त लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुये समस्याओं के निराकरण हेतु अविलम्ब प्रभावी निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ में अन्य जनपदों से स्थानान्तरित किये गये ग्राम्य प्रयोगशाला सहायकों का स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

विगत दिनों माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने गृह जनपद-अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान इस आशय का आदेश दिया कि उक्त जनपद में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) रिक्त पदों पर जनपद देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, वाराणसी, लखनऊ आदि जनपदों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाय ।

प्रयोगशाला सहायक कर्मी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं तथा यह शासनादेश भी है कि उक्त समूह के कर्मचारियों का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर न किया जाय ।

इस प्रकार उपरोक्त जनपदों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों (ग्राम्य) की जगहें रिक्त कराकर माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रिक्त पदों को भरना न्याय संगत नहीं है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम्य प्रयोगशाला सहायकों के शासनादेश के विरुद्ध किया गया स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने का कष्ट करें तथा रिक्त जगहों पर नई नियुक्ति की जाय ।]

नोट:– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भंडारी बाग (गढ़वाल) के गन्दे नाले को पक्का कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरवंश कपूर–

[मान्यवर, सविनय निवेदन है कि भंडारी बाग प्रथम तथा द्वितीय घनी आबदी वाले क्षेत्र में आबादी के दोनों ओर शहरी क्षेत्र का सम्पूर्ण गन्दा पानी प्रतिवर्ष वर्षा के दिनों में आबादी को भारी क्षति पहुंचाने के साथ-साथ बीमारी की स्थिति भी पैदा कर देता है । यह नाला जिसके आस-पास गढ़वाल जल संस्थान की लगभग 150 बीघा भूमि है इस जलकल निकासी से प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आय भी होती है । परन्तु नाला पक्का करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि नाले को तुरन्त पक्का करवाया जाय जिससे प्रतिवर्ष होने वाले प्रकोप से इस घनी आबादी वाले क्षेत्र को बचाया जा सके । अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या का नियम–301 के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।]

प्रदेश में आरा मशीनों के बन्द होने से लाखों लोगों की जीविका पर आये संकट का समाधान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, लगभग एक वर्ष से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के टिम्बर उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों के लाखों लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है । आदेश था गैर लाइसेंसी आरा मशीनों को बन्द करने का लेकिन एक बार सबको बन्द कर दिया गया फिर पुनः खोलने के क्रम में भ्रष्टाचार का जन्म हुआ ।

ऐसे आरा मशीन वाले जिन पर पुराना लाइसेंस था फीस तो जमा थी, नवीनीकरण नहीं हुआ था दूसरे ऐसे थे, जिन पर लाइसेंस था परन्तु नवीनीकरण वर्षों से नहीं हुआ था फीस जमा नहीं थी । न्यायालय की मंशा इनको बन्द करने की नहीं थी स्वेच्छा चारित/भ्रष्टाचार की प्रक्रिया से गुजरकर कुछ खुली कुछ अभी बन्द भी हैं, धक्के खा रहे हैं ।

प्रदेश में मृत पड़े लाइसेंसों को भ्रष्टाचार के माध्यम से जिले में अन्यत्र (मूलस्थान से हटकर) स्थान परिवर्तन कर मूल लाइसेंसी को वास्ते (केयर आफ) दिखाकर नये नाम से दूसरे इलाके में इसी लाइसेंस को स्थानान्तरित कर 10–10 वर्ष का नवीनीकरण कर दिया गया जो कि न्यायसंगत नहीं है ।

न्यायालय का आदेश बिना लाइसेंस चलने वाली या 10–12 वर्षों से मृत पड़े लाइसेंसों की आरा मशीनों को बन्द करने से था । इनमें से भी कुछ नवीनीकृत कर दिया कुछ को छोड़ दिया जो कि अन्याय पूर्ण है, नियमों के साथ एक रुपता व न्याय ही मान दंड होना चाहिए ।

शासन से अपेक्षा है कि विधि विशेषज्ञों से राय लेकर माननीय न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत तत्काल जो कुछ आरा मशीनों को संचालित करने के लिए किया जा सकता है, तत्काल करे ? साथ ही मानक संख्या के आधार पर जितनी आरा मशीनों के लइसेंस दी जा सकती हैं न्यायालय की अनुमति लेकर इनका नियमतीकरण कर गरीबों के मुंह तक रोटी पहुंचाने की व्यवस्था करे ।]

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मुख्य मार्ग पर लोनी नदी पर टूटे पुल को ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम पाल वर्मा–

[मान्यवर, आपका ध्यान मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । जनपद हरदोई के सण्डीला बेनीगंज मुख्य मार्ग पर लोनी नदी का पुल लगभग तीन वर्ष पूर्व टूट गया था । लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक पुल का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर पुल निर्माण से ज्यादा धन व्यय किया जा चुका है । पुल टूटा रहने से सण्डीला बेनीगंज व आस-पास के लाखों लोगों को आवागमन में असुविधा होती है । तथा परिवहन व्यवस्था भी बाधित होती है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

ग्राम डोटल गांव पोस्ट व गवाली पोखर जिला अल्मोड़ा निवासी श्री किशर राम प्रकरण की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल–(आगरा)–

[मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं महोदय, श्री किशोर राम, ग्राम डोटल गांव पो० व गवाली पोखर जिला अल्मोड़ा के यहां दिनांक 29-4-96 की रात्रि को लगभग 10.30 बजे कुछ अपराधिक तत्वों ने घर में घुसकर लूटमार की कहा सूनी होने पर अपराधियों ने प्रार्थी के सम्पूर्ण परिवार को मारने की मंशा से घर में आग लगा दी गांव वालों की कृपा से जान तो बच गई किन्तु सामान तथा पैसा ले गये । गांव वाले भी भय से अपराधियों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं प्रार्थी को भी जान से मारने की धमकी दी है कि उनके विरुद्ध लिखा-पढ़ी न करें । प्रार्थी ने किसी प्रकार लिखित रूप से रिपोर्ट दिनांक 4-5-96 को पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा तथा दिनांक 5-5-96 को जिला अधिकारी अल्मोड़ा तथा दिनांक 5-6-96 को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश पत्र संख्या 8913 तथा दिनांक 10-9-96 को सभापति विधान परिषद् तथा उपरोक्त के संबंध में माननीय अजय भट्ट सदस्य विधान सभा तथा सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने भी लिखा था । खेद है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा ग्राम प्रधान तथा पटवारी भी अपराधियों से मिल गये हैं उल्टा प्रार्थी को ही परेशान करते हैं तथा शासन को गलत सूचना देते हैं ।

अतः मैं चाहता हूं कि उपरोक्त प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने के आदेश देने की कृपा करें ताकि प्रार्थी जो अनुसूचित जाति के है के पैसे मिल सकें तथा प्रार्थी को न्याय मिल सके ।]

इटावा के ग्राम गंगापुरा में दो भाइयों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिवपाल सिंह यादव

[मान्यवर, विधान सभा जसवन्त नगर इटावा के ग्राम गंगापुरा में दिनांक 24-3-97 को महेन्द्र सिंह पुत्र श्री टेनीराम की हत्या अपराधिक एवं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त नामजद लोगों ने कर दी थी इसकी

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिपोर्ट थाना चौबिया में अपराध संख्या 26/97 धारा 147, 148, 149, 307, 302/34 आई० पी० सी० पर पंजीकृत है । किन्तु अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण नामजद लोगों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी । अपराधियों ने अपने प्रभाव से उक्त अपराध की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराये जाने के आदेश शासन से जारी कराये जिससे अपराधियों के हौसले बुलन्द हो गये हैं । चूंकि अपराधी उसी गांव के है अतः वे खुलेआम गांव में घूम रहे हैं एवं मृतक के परिवार जनों, गवाहों एवं गांव के सम्भ्रान्त लोगों को आतंकित कर जान से मारने की धमकी आये दिन देते रहते हैं । हत्या जैसे मामले में लिप्त होने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने के कारण ये लोग डकैती अपहरण आदि जघन्य अपराधों में भी लिप्त है ।

मैंने अपने पत्र सं० 10/12/अध्यक्ष–कैम्प/97-98 दिनांक 26-4-97 द्वारा आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था किन्तु शासन द्वारा मृतक के परिवार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, न ही अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई जिससे अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया एवं दिनांक 31-10-97 को मृतक के दूसरे भाई अजीत पुत्र टेनीराम पर प्राणघातक हमला किया गया और उसकी कोई जांच नहीं की गई मैंने अपने पत्र सं० 97/अध्यक्ष–कैम्प/97-98 दिनांक 6 नवम्बर, 97 द्वारा आपको इस घटना से अवगत कराया था तथा मृतक के परिवार एवं गवाहों की सुरक्षा की मांग की थी किन्तु शासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सुरक्षा के अभाव में दिनांक 4-1-98 को मृतक के दूसरे सगे भाई अजीत पुत्र टेनीराम की हत्या सरेआम उन्हीं हत्यारों द्वारा कर दी गई । इस रिपोर्ट में भी श्री राम सेवक, अमर चन्द्र अरविन्द सिंह उर्फ फेरू दीवान सिंह, इलाकेदार आदि नामजद हैं जो कि प्रथम हत्या में नामजद थे । इस संबंध में मैंने आपको अपने पत्र सं० 124/अध्यक्ष–कैम्प/97-98 दिनांक 9-1-98 द्वारा अविलम्ब कार्यवाही हेतु लिखा था किन्तु इसके बावजूद इस केस में भी सी० आई० डी० जांच के आदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं ।

उपरोक्त अपराध जिला प्रशासन की जानकारी में हो रहे हैं तथा मेरे अवगत कराने के पश्चात् भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे क्षेत्र के सभी लोग भयाकान्त है, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लोग अपमानित हो रहे हैं । फिर भी शासन मौन है अपराधी लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हत्यायें अपहरण डकैती कर भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं ।

अतः आपसे अपेक्षा है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर दोनों हत्याओं की सी० आई० डी० जांच निरस्त कर अपराधियों को गिरफ्तार कराये जाने के आदेश देने का कष्ट करें अन्यथा किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना पुनः घट सकती है ।।

राजकीय डिग्री कालेज, (वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय) हरिद्वार में शीघ्र प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, उक्त हेतु सरकार ने घोषणा की है कि हरिद्वार जनपद में राजकीय डिग्री कालेज प्रारम्भ किया जायेगा वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल 2 माह शेष रह गये हैं परन्तु इस संदर्भ में अभी अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पायी है । मेरे संज्ञान में लाया गया है कि संभवतः भूमि की अनुपलब्धता ही इसका कारण है ।

इस संबंध में शासन द्वारा अधिग्रहीत ऋषिकुल विद्यापीठ हरिद्वार अथवा किसान इण्टर कालेज लकसर जो तहसील मुख्यालय पर हैं से भूमि प्राप्त कर कालेज की स्थापना की जा सकती है किसान

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इण्टर कालेज लकसर की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी, लकसर है और प्रबन्ध समिति भूमि देने को तैयार है ।

अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र घोषणा को कार्यान्वित करे ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ परियोजना के आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को बेदखल न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ रामगंगा परियोजना वर्षों पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई थी । इस विशाल परियोजना के निर्माण के समय कालागढ़ में करोड़ों रुपयों से आवासीय भवन बनाये गये थे । नगर के रूप में इसका विकास किया गया जिससे विद्यालय, अस्पताल बैंक व बाजार बने हैं, और चारों ओर लोग बसे हुए हैं ।

बहुत सुन्दर नगर के रूप में विकसित 15 हजार जनसंख्या से अधिक लोग कालागढ़ में रह रहे हैं पूर्व की सरकारों ने इस सुन्दर नगर को यथावत रखने के लिए यहां पर कई परियोजनायें आरम्भ करने का आश्वासन दिया किन्तु खेद है कि इस सुन्दर नगर को वीरान करने में स्वयं प्रशासन लगा हुआ है आवासीय भवनों व मकानों में रह रहे लोगों को बेदखल कर रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कालागढ़ परियोजना के आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को बेदखल न किया जाय ।]

सदर छावनी लखनऊ की विद्युत व्यवस्था ठीक करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद मणि–

[मान्यवर, आपका ध्यान विद्युत अव्यवस्था सदर के हाताराम दास बगिया के संबंध में ले जाना चाहता हूं यहां काफी लंबी-लंबी केबिलों के माध्यम से विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं बिजली के दो फेस है । शाम को ज्यादातर बिजली गुल हो जाती है या दीपक की तरह टिमटिमाया करती है बच्चों के बोर्ड परीक्षा करीब होने से पढ़ाई में बाधा पड़ रही है ऐसी सूचना मिलती है कि विद्युत के तीन फेस काफी समय पहले से पास है परन्तु अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका है माता अस्पताल के छोर पर काफी दिनों से खम्भा तार रहित लगा हुआ है ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि तुरन्त विद्युत को तीन फेस में करके और खम्भे लगाकर लंबी केबिलों को कम करके तथा जो माता अस्पताल की छोर पर जो तार रहित खम्भा लगा है उस पर विद्युत तार दौड़ा कर पूरे मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था ठीक करके यहां के निवासियों को राहत तथा छात्रों की पढ़ाई में बाधा अतिशीघ्र दूर की जा सके ।]

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद महोबा में राजस्व विभाग में वर्ष 1996 में की गई अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरिमर्दन सिंह–

[मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं ।

जनपद महोबा के राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विगत वर्ष 1996 में मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर अपने-अपने परिवार के सदस्यों रिस्तेदारों व चहेतों की नियुक्तियां की है । ऐसी नियुक्तियों की संख्या 16 है जो लेखाकार, लिपिक टंकक, संग्रह अमीन तथा चपरासी आदि के पदों पर की गई है । ऐसे नियुक्त लोगों में उनके लड़के, भाई, साले व अन्य रिस्तेदार आदि है यह स्पष्ट रूप से पदों का दुरुपयोग नियमों का उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार का नमूना है । कुछ नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

अतः मैं सदन के समक्ष इस प्रकरण को उठाकर मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर सभी नियुक्तियों को निरस्त किया जाय और ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिनका इन नियुक्तियों से संबंध है ।]

जनपद सुल्तानपुर में जवाहर रोजगार-योजना के धन का गबन होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों में ग्राम गौरियाबाद, हरदौ तथा गौरीगंज के मऊ के ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हुए थे जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत डी० पी० आर० ओ० ने सभी संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को दिनांक 24-1-97 को तत्काल संबंधित प्रधानों का चार्ज लेकर उप प्रधानों को देने का आदेश दिया था ।

श्रीमन्, ग्राम हरदौ के प्रधान का खाता सील करने का आदेश दिनांक 24-1-97 को ही ग्राम पंचायत अधिकारी को बी० डी० ओ० द्वारा प्राप्त कराया गया परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी ने उक्त आदेश को प्राप्त करने के बाद पदच्यूत प्रधान से मिलकर 27-1-97 को एक मुश्त बैंक से धन निकाल कर बंदरबांट कर लिया । इस तरह संबंधित प्रधानों का चार्ज लेने में हीला हवाली कर गलत तरीके से सरकारी धन आहरित कराने तथा उप प्रधानों को पुराने कागजातों का चार्ज न देकर नये कागजात दिये जाने में संबंधित अधिकारी उक्त ग्रामों में हुये घपलों में साफ-साफ शामिल होना स्पष्ट है । इससे क्षेत्रीय जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त उप प्रधानों को पुराने सभी कागजात दिलाने हेतु निकाले गये सरकारी धन को वापस जमा कराये जाने तथा चार्ज लेने में हीला हवाली करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने की मांग करता हूं ।]

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बरेली की ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल नवाब गंज, बरेली के लिए निर्धारित क्षेत्र का गन्ना न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री छोटेलाल गंगवार–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना नियम 301 के अन्तर्गत देते हुए शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद बरेली की ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल नवाबगंज बरेली के लिये निर्धारित क्षेत्र का गन्ना न मिलने के कारण नवीन चीनी मिल बन्द होने के कगार पर है । ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल नवाबगंज बरेली के निर्धारित क्षेत्र के कृषकों का गन्ना क्रय केन्द्रों का गन्ना अन्य दूरस्थ सेमीखेड़ा बरेली व पीलीभीत चीनी मिलों को आपूर्ति कराया जा रहा है जिससे कृषकों में रोष व्याप्त है ।

मान्यवर, नवाबगंज (बरेली) के कृषकों की गन्ना आपूर्ति की सुविधा व विकास के लिये ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल को मिल गेट से 8 किमी० परिधि में पड़ने वाले गन्ना क्रय केन्द्रों व ग्रामों को नियम किया गया है, परन्तु गन्ना विभाग के अधिकारियों संयुक्त गन्ना आयुक्त बरेली, जिला गन्ना अधिकारी, बरेली, व जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत नियम विरुद्ध नवाबगंज चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति नहीं करा रहे हैं और चीनी मिल बन्द होने के कगार पर है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुए उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर जनपद उन्नाव के निलम्बन के पश्चात् भी उन्हें कार्यमुक्त न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृपा शंकर सिंह–

[मान्यवर, शासन ने खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर जनपद उन्नाव को बलात्कार के आरोप में आरोपित होने के कारण नवम्बर, 1997 में निलम्बित कर दिया था किन्तु जिलाधिकारी, उन्नाव ने ऐसे आरोपी खण्ड विकास अधिकारी को कार्यमुक्त न करके शासन के निलम्बन आदेश की अवहेलना की है । तथा वह निलम्बित खण्ड विकास अधिकारी आज भी कार्यरत हैं, उसने जिलाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के धन से दिनांक 18-12-97 को अपने तथा जिलाधिकारी के नाम के शिलालेख लगवाये तथा दिनांक 3-1-98 को जिलाधिकारी अरुण आर्या को प्रसन्न करने के लिए अरुण उद्यान का निर्माण तकिया मेले में करवाया । इस प्रकार निलम्बित खण्ड विकास अधिकारी ने जिलाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए सरकारी धन एवं पद का दुरुपयोग किया है ।

अतः उक्त विषय आपके संज्ञान में लाते हुए सम्मानित सदन के समक्ष ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा प्रदान करें ।]

प्रदेश के कृषकों की जटिल समस्याओं का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के कृषकों के सामने उत्पन्न जटिल समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना है कि इनको पूरे वर्ष में घोर आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है जिसका मुख्य कारण कृषकों को शीतगृहों में स्थान न मिल पाने से आलू सड़ जाता है दूसरा कारण आलू का निर्धारित

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दर न होने के परिणाम स्वरूप आलू निकासी पर भी कृषकों से अनाप सनाप धन वसूल किया जाना है। इसी के साथ पूर्व में दो माह तक मौसम खराब रहा और बार-बार वर्षा होने से कृषकों को बार-बार बोई गई फसल का नुकसान हुआ है इसके अतिरिक्त दूसरी बार खेत बोने के लिए डी० ए० पी० खाद न मिलने के कारण लाखों एकड़ जमीन बिना खाद के बोई गई जिसका उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ा और इससे भी किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। जबकि इसके विपरीत आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य बराबर बढ़ता चला जा रहा है जबकि गन्ना व गेहूं आदि कृषि उपज के दाम समुचित रूप से किसानों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

आज प्रदेश का अस्सी प्रतिशत किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है उनकी दयनीय स्थिति में बढ़ोत्तरी कर बकाया को वसूली को लेकर तहसीलों की जेलों में बन्द करके की जा रही है। जहां कृषकों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृषकों के हितैषी व किसानों के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा महेन्द्र सिंह टिकैत जो किसानों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे आज उन्हें जेल के सींखचों के पीछे डाल दिया गया। किसानों के पक्ष में कोई नेता यदि कुछ बोलता है तो उसे जेल के सीखचों में डाल दिया जाता है। कृषकों की गंभीर व विषम स्थिति के संबंध में इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के सभी कार्य को रोककर सदन में चर्चा कराकर श्री महेन्द्र सिंह टिकैत को मुक्त किया जाये।]

आजमगढ़ जिले की मेहनगर तहसील से अन्य स्थानों के लिए बसें चलवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजग–

[मान्यवर, आजमगढ़ जिले में स्थित मेहनगर में तहसील है। मेहनगर में परिवहन विभाग का भवन है यहां से करीब एक दर्जन बसें चलती थी। विगत कई वर्षों से सभी बसें बन्द कर दी गई। मेहनगर से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर के लिए करीब 40 प्राइवेट बसें चलती है, करीब 200 जीपे चलती है, परन्तु परिवहन विभाग की मनमाने रवैये से पूरी जनता को आने-जाने में परेशानी होती है।

जनता की परेशानी को देखते हुए मेहनगर से अधिक से अधिक बसों को चारों तरफ के लिए चलाया जाय।]

प्रदेश में आबकारी विभाग में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जोखू लाल यादव व श्री राम कृपाल–

[मान्यवर, सरकार के आबकारी विभाग में गंभीर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण योग्य सक्षम एवं विधिवत् चयनित व्यक्तियों को आरक्षित कोटा में विशेषकर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की अनदेखी कर वर्ष 1990-91 में अनियमित नियुक्तियों उप आबकारी निरीक्षक के पद पर की गयी है। जिससे उपयुक्त पात्रों के साथ घोर अन्याय हुआ है। वर्ष 1990-91 से लेकर आज तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री सांसदों एवं विधायकों द्वारा निरन्तर जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की जाती रही है, किन्तु आबकारी आयुक्त कार्यालय सब पर पर्दा डालकर नवयुवकों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उप आबकारी निरीक्षक के 34 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त, 1989 में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया जबकि रिक्त पदों की संख्या 39 थी। शारीरिक एवं लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार के लिए 185 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करायी गयी तथा साक्षात्कारोपरान्त मात्र 30 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस प्रकार लोक सेवा आयोग जब 1 पद के लिए 2 या 3 व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाता है तब उक्त चयन में पदों की संख्या के छः गुना से अधिक लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और प्रतीक्षा सूची में पिछड़े वर्ग कोटा में केवल एक व्यक्ति को रखा गया जबकि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28-5-1980 कार्मिक-1, दिनांक 25 मार्च, 1985 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि जिन विभागों में प्रतिवर्ष चयन नहीं होता होता उनकी प्रतीक्षा सूची अगले चयन तक प्रयोग की जायेगी जबकि उक्त चयन में प्रतीक्षा सूची को गोपनीय रखकर मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर ली गयीं तथा उक्त सूची से पिछड़े वर्ग के कोटा का कोई भी व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया गया। अब ज्ञात हुआ है कि उक्त चयन में छः सात वर्ष बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दो अधियाचनों के माध्यम से संख्या 13 एवं 16 उप आबकारी निरीक्षक के पद चयन हेतु भेजे गये हैं।

अतः पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।]

मथुरा के गोवर्धन कस्बे में बालिकाओं की शिक्षा हेतु विद्यालयों की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। मथुरा जनपद स्थित राजकीय दीक्षा विद्यालय गोवर्धन मथुरा को बन्द करने के उपरान्त शासन स्तर पर इस दीक्षा विद्यालयों को राजकीय हाई स्कूल अथवा राजकीय कन्या हाईस्कूल के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र संख्या नियोजन/8-96-7928/89-90 शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1990 के प्रपत्र के साथ आज्ञा मांगी गई थी अभी तक निर्णय नहीं किया गया है जबकि गोवर्धन कस्बा में कोई भी कन्याओं के लिए विद्यालय नहीं है जबकि पर्याप्त मात्रा में भवन तथा खेलकूद के लिए मैदान भी उपलब्ध है जो राजकीय (शासन) की सम्पत्ति है जिसमें शासन के क्रय करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि लोकमहत्व के उपरोक्त विषय पर शासन शीघ्र आदेश जारी करके कन्याओं की शिक्षा दीक्षा हेतु विद्यालय को इस सत्र, 1998-99 से प्रारम्भ करने के आदेश जारी करने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर के मोहल्ला संतनगर में विद्युत व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के पोस्ट सिधौली मोहल्ला सन्तनगर में (जो कि रेलवे स्टेशन सिधौली के ठीक पीछे है) में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है। उक्त मोहल्ला संतनगर में बिजली का नामोनिशान तक नहीं है जबकि रेलवे स्टेशन तक बिजली है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मोहल्ला संतनगर में अविलम्ब विद्युत व्यवस्था करायी जाय ताकि प्रदेश के विकास में संतनगर मोहल्ला का विकास हो सके।]

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयुर्वेद यूनानी विभाग निदेशालय उ० प्र० में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में हो रहे भेदभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आयुर्वेद यूनानी विभाग निदेशालय उत्तर प्रदेश के तरफ दिलाना चाहता हूं । आयुर्वेद निदेशालय में बाहरी जनपदों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पद पर कई-कई वर्षों से कर्मचारी तैनात हैं, कार्यरत हैं, उनकी सेवायें बीच-बीच में समाप्त की गई, परन्तु न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर फिर बने है । मान्यवर, विभाग में काफी पद रिक्त चले आ रहे हैं वर्तमान निदेशक द्वारा वर्ष 1991 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों को यह कह कर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है कि वर्ष 1991 के बाद कोई चयन समिति नहीं बनाई गई थी, और गलत तरीके से नियुक्तियां कर ली गई हैं । आपके माध्यम से मैं यह स्पष्ट तौर पर जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 1998 से आयुर्वेद विभाग में नियुक्तियों के संबंध में कोई चयन समिति नहीं बनाई गई है चयन समिति का सवाल है तो वर्ष 1985 के बाद जितने नियुक्तियां की गई है बिना चयन समिति की है सबको समाप्त कर दिया जाना चाहिए । यहां यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 1985 से निदेशालय में कुछ ऐसे कर्मचारी तैनात हैं जिनको चतुर्थ श्रेणी से बिना चयन समिति के चयन कर ही तृतीय श्रेणी में कर दिया गया है जो सर्वथा गलत है इसको भी उसी परिधि में लाना चाहिए । उदाहरण तौर पर ओ०पी० त्रिपाठी जो चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत थे बिना वरिष्ठता के ही बिना चयन समिति के ही इनको तृतीय श्रेणी में कर दिया गया है ? ऐसे और भी कर्मचारी हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विभाग में हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने एवं सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा बर्ताव करने और इसकी निष्पक्ष जांच कराकर सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ स्थित लालबाग काम्प्लेक्स राजकीय आवासीय कालोनी में वांछित क्षमता का विद्युत जनरेटर लगवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

[मान्यवर, मैं सदन में अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित विषय लाना चाहता हूं ।

लखनऊ स्थित लालबाग काम्प्लेक्स राजकीय अधिकारियों की एक सात मंजिली आवासीय कालोनी हैं जिसमें लगभग प्रत्येक वर्ग के अधिकारी रहते हैं । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त इमारत के आवण्टियों की पेयजल की समस्या के निदानार्थ एक ट्यूबबेल की बोरिंग कालोनी के परिसर में करवाई गयी है किन्तु विद्युत आपूर्ति वाधित होने की दशा में उक्त ट्यूबवेल से सात मंजिल कालोनी की छत पर बने 16 ओवर हेड टैंकों में पानी चढ़ाया जाना संभव नहीं होता और पेयजल की विषम समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित परिस्थिति में लगे ट्यूबवेल से सात मंजिल ऊपर पानी चढ़ाने हेतु वांछित क्षमता का विद्युत जनरेटर लगवाये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा करवाने का कष्ट करें ।]

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु निकाले गये टेण्डर में हेराफेरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के शनिदेव मन्दिर भेलखनाथ धाम खुइलन धाम तथा बेल्हादेवी के सौन्दर्यीकरण हेतु व्याप्त घपला एवं भ्रष्टाचार हुआ है शनिदेव मंदिर हेतु ग्रामीण अभियंत्रण प्रतापगढ़ द्वारा टेण्डर निकाला गया था टेण्डर दाखिल करने के तारीख के दिन मैं स्वयं विकास भवन में था, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण ने बताया कि टेण्डर नहीं लिया जायेगा क्योंकि अवर अभियन्ता हड़ताल पर है, किन्तु गुप्त रूप से मनचाहे ठेकेदार के माध्यम से टेण्डर लिया गया है । अतः यह अतिलोक महत्व का विषय इसी वर्ष 1996-97 के बजट का विषय है इस अतिलोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि निष्पक्ष जांच कराके कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाय ।]

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क लेकर मुरादाबाद पश्चिम के नगरीय क्षेत्र को समायोजित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम के नगरीय क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की गई है उक्त भूमि अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोगों की है जहां पर रिहायशी भवन विद्यालय व धार्मिक स्थान निर्मित है । उक्त भवनों के निवासी भवन कर व बिजली के बिल भी सरकार को अदा कर रहे हैं । भवन धारकों द्वारा भूमि का सरकार से मुआवजा भी नहीं लिया है ।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी उक्त भवनों व भूखण्डों से पुलिस बल द्वारा जनता को निकलवाकर गिरवा रहे हैं । जिससे मेरे क्षेत्र की जनता में जन आक्रोश व्याप्त है ।

उक्त क्षेत्र में जैसे खसरा नं० 271, 191, 278, 240, 241 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने विकास शुल्क लेकर समायोजित कर दिया है ।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को उक्त समस्या के समाधान हेतु ऐसी भूमि व भूखण्ड, जहां मकान विद्यालय धार्मिक स्थल निर्मित हैं व गरीब जनता भवन कर दे रही है ध्यान आकृष्ट कर विकास शुल्क लेकर समायोजित कर क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें ।]

विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-1-98 को नियम 300 में दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री लोकपति त्रिपाठी की विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के सम्बन्ध में है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सदन देश की सबसे बड़ी विधान सभा का सदन हैं । मान्यवर, आप महान योद्धा के रूप में 11 बजे से लेकर अन्त तक सदन में बैठे रहते हैं आप को भी एक

[* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहयोगी की जरूरत है । मान्यवर, उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण, उपाध्यक्ष न होने के कारण, हम लोगों के साथ कभी-कभी अन्याय हो जाता है आप की कृपा दृष्टि कम हो जाती है । आप पर भी ज्यादा देर बैठने का बोझ रहता है । मेरी समझ में नहीं आता है, अगर सरकार की नीयत साफ होती, यह सरकार 93 मंत्री तो बना सकती है पर एक उपाध्यक्ष बनाने में रुचि नहीं है, अगर रुचि होती तो सरकार इसमें पहल करती ।

श्री अध्यक्ष–

मा० मुख्य मंत्री को तो मंत्रियों को लेने का निर्णय लेना होता है किन्तु उपाध्यक्ष के लिए आप के सहयोग की जरूरत है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के स्तर पर विरोधी दल के नेताओं की कभी इस विषय पर बैठक नहीं बुलाई गयी । अगर वह बुला ली गयी होती तो यह बात न आ पाती । मैं निश्चित रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जानबूझकर उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि सरकार का बहुमत दल बदल कर टिका हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निहित स्वार्थ के कारण यह सरकार विलम्ब कर रही है । अगर उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गयी तो दलबदल में सरकार का निर्णय हो जायेगा और सरकार जिन्दा नहीं रहेगी । जानबूझकर उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो रहा है । इसमें समय निर्धारित हो जाय की 10 दिन, 15 दिन में विपक्ष नाम दे दे और यदि नाम न दे तो बहुमत से निर्वाचन हो जाय ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 187 है उसमें शब्द "शैल एज सून एज में बी" आया है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में यथाशीघ्र वाला जो मामला है उसका इण्टरपिटेशन हो जाय । "एस सून एज प्रैक्टिकेबिल" ऐजसून ऐज कन्वीनियेंट तो मान्यवर, एज सून एज के बाद जल्दी का कोई और डिग्री नहीं रह जाती । एज सून ऐज के बाद और शैल के कारण खींचतान की कोई संभावना नहीं है । मान्यवर, इसका इण्टरप्रिटेशन आ जाये ।

संसदीय कार्य एवं पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मुझे इसमें दो बाते कहनीं हैं । पहली तो यह है कि आप ने सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा दिया जैसे मुख्यमंत्री का ही काम उपाध्यक्ष बनाने का है । परम्परा यह रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता रहा है । मैं सरकार की तरफ से आप को आश्वस्त करता हूं कि समस्त विपक्ष एक नाम दे दे हमें शिरोधार्य है । केवल आप ही तय कर दें आप की जो भी बात होगी हम स्वीकार करेंगे । यह कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने कोई शुरूआत नहीं की । मान्यवर, जब सदन आहूत होता है तो सभी नेतागण को मुख्यमंत्री जी आमंत्रित करते हैं लगभग ऐसे सभी विषयों पर उसमें चर्चा होती है ताकि एक सौहार्द का वातावरण बना रहे उसी परम्परा को बनाये रखने के लिए मुख्य मंत्री जी ने नेतागण को आमंत्रण दिया । मैंने स्वयं प्रयास किया इटावा तक फोन कर प्रयास किया कि माननीय नेता

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिपक्ष आ जायें । इस सारे प्रयासों में यही था कि माननीय नेताओं के समक्ष इन समस्याओं पर बातचीत करने के लिए 10 मिनट के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष उपलब्ध रहे । माननीय प्रमोद कुमार जी को सम्पर्क करने का प्रयास किया आप के कार्यालय में फोन कर प्रयास किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप के कार्यालय से कोई सूचना नहीं थी आप गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने स्वयं टेलीफोन करके आपके कार्यालय में सम्पर्क किया और सम्पर्क में बना रहा और यही नहीं जो जो ठिकाने बताये गये वहां-वहां भी सम्पर्क किया ।

इस सत्र के शुरू होने के पहले ही मुख्यमंत्री जी ने सबको आमंत्रित किया था । इन बातों पर विचार हो जाता तो शायद मौका नहीं मिलता । दोषारोपण करना तो बहुत आसान है । मान्यवर, 300 में यह विषय नहीं बनता जब भी कोई बात होती पूरा सहयोग हम लोग देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपनी बात कह दी आप लोग आपस में बात करके एक नाम दे दें चुनाव हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उस आमंत्रण में मैंने माननीय लोकपति जी को अधिकृत किया था वे वहां पर उपस्थित थे उन्होंने मुझे सूचित किया कि उपाध्यक्ष के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया था ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग एक नाम दे दें चुनाव हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हुकुम सिंह जी के दिन का तो ठिकाना पता है किन्तु रात का ठिकाना पता नहीं रहता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद सीतापुर में रिजर्व सब इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सीतापुर में 16 से 24 जनवरी के बीच रिजर्व सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है । प्रश्न यह है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इस तरह का कोई कार्य करने की न इनको कोई आवश्यकता थी और न अधिकार था कि यह नियुक्ति करते । मान्यवर, पुलिस मुख्यालय ने रिक्तियों की घोषणा 50 की की है और नियुक्तियों की सूची जो जारी की गयी है वह 75 की है । आदेश था कि भर्ती 50 प्रतिशत सीधी करेंगे और 50 प्रतिशत प्रमोशन से लेंगे । लेकिन प्रमोशन से इसमें 75 में से 67 ले लिया गया और 8 लोगों की नियुक्ति सीधी भर्ती से की गई । जरूरत इसलिए पड़ी कि इसके जो कारण दिये गये हैं उसमें हाईकोर्ट ने इसके पूर्व भर्ती पर रोक लगा रखा था तो उनको भी शामिल कर

लिया । माननीय उच्च न्यायलय में जो विवाद लम्बित हैं उसको पढ़ने में समय लग जायेगा । इसलिए संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि 4 लोगों के नाम हैं जिनका विवाद पहले से मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है और उसके रहते उनको सूची में शामिल कर लिया गया । इसी तरह पुलिस में आर०आई०एस० की भर्ती में शारीरिक क्षमता की परीक्षा 4-5 लोग उत्तीर्ण नहीं कर सके थे इनके नाम हैं–श्री के० के० सिंह, रघुवंश मिश्रा, तीसरे हसन हैं इसके अतिरिक्त 2 लोग और हैं जिन्हें शामिल किया गया है । मान्यवर, इससे बड़ी बात भ्रष्टाचर को बढ़ावा देने की ओर क्या हो सकती है ? जबकि सरकार भ्रष्टाचार को हटाने का दम्भ भरती है । इसी तरह जिन लोगों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टी है जिनको निकाला जाना चाहिए उनको यह सरकार प्रमोट करके आर०आई०एस० बना दिया है । यह बातें इसलिए की गई हैं कि चुनाव का दौर है, इसलिए किसी को रिश्वत देने के लिए यह सरकार आचरण संहिता से हटकर आचरण कर रही है । इसलिए इस सरकार का पूरा आचरण संविधान विरोधी है । अतः इस प्रश्न पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं । मान्यवर, आप मेरी सूचना को स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम–300 में यह सूचना नहीं आती है, इसलिए इसे मैं निरस्त करता हूं ।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 18 (क) के अन्तर्गत सत्रावसान के फलस्वरूप दिये गये प्रश्नों के व्यपगत हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मा० अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा अल्पसूचित, तारांकित, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं । परन्तु स्वीकृत हो चुके प्रश्न किसी भी सत्र के मध्य निर्धारित दिन उपलब्ध न हो पाने के कारण अथवा अल्पावधि सत्र होने के कारण व्यपगत हो जाते हैं । तो उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न व्यपगत एवं पुनर्जीवित होते-होते अपनी प्रासांगिकता खो देता है साथ ही तब तक नये मुद्दे व प्रश्न खड़े हो जाते हैं और प्रश्नों का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री नियाज हसन, ने निर्देश दिया था जो उ० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी निदेश सं० 26(1) का पालन किया जाए चूंकि सरकार द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार के लिए यह बाध्यकारी नहीं है । अतः इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं चाहता हूं कि निदेश 26(1) को बाध्यकारी बना दिया जाए अथवा नियमों में संशोधन किया जाए कि जो प्रश्न व्यपगत हो जाते हैं और अनुत्तरित रह जाते हैं ऐसे प्रश्नों को सत्रावसान होने के बाद कम से कम अगले सत्र तक व्यपगत न हों ऐसे निर्देश आपके होने चाहिए ।

मान्यवर, यह बहुत पीड़ा है । आप स्वयं सक्षम हैं और हमारे अधिकारों के संरक्षक भी हैं । हम प्रश्नों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं । जब तक इस संबंध में कोई व्यवस्था न हो जाय तब तक आप इस सत्र में वह निर्देश अवश्य दे दें कि जो प्रश्न इस सत्र में स्वीकार हो गये हैं, वह आगामी सत्र तक रहेंगे उनको पुनर्जीवित करने की नौबत न आने पाये । ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के विरुद्ध तो मैं भी निर्देश नहीं दे सकता हूं । आपके इस सुझाव को मैं नियम समिति के समक्ष विचारार्थ अवश्य प्रस्तुत कर दूंगा । देखें के फिर वहां से क्या होता है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पूर्व में इस प्रकार का प्रेसीडेन्स रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा। यदि इस प्रकार का कोई प्रेसीडेन्स होगा तो उसके अनुरूप विचार कर लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अधिसूचना संख्या–38/एस०एल०एस०ए०–4–97, दिनांक 11 सितम्बर, 1997 के साथ प्रकशित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अधिसूचना संख्या 39/एस०एल०एस०ए०–104-97 दिनांक 11 सितम्बर, 1997 के साथ प्रकाशित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली 1997 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 30(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबर का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अधिसूचना संख्या 40/एस०एल०एस०ए०–104-97 दिनांक 11 सितम्बर, 1997 के साथ प्रकाशित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली 1997 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 30(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 ††

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 की उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–23 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 (दिनांक 17 जुलाई, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (ग्यारहवां संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 (दिनांक 17

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

जुलाई, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद मथुरा के कस्बा फरह में पार्क एवं चिड़ियाघर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद पाठक की याचिका †

श्री अध्यक्ष–

(मद संख्या–6 में कुछ नहीं है।)

अब मद संख्या–7

* श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के कस्बा फरह में पार्क एवं चिड़ियाघर का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जगदीश प्रसाद पाठक, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा भरतपुर मार्ग के मध्य कोशीखुर्द में एक थाना एवं चौकी की स्थापना कराये जाने विषयक ठा० नारायण सिंह की याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा भरतपुर मार्ग के मध्य कोशीखुर्द में एक थाना एवं चौकी की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री ठा० नारायण सिंह निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में मनोहरपुरा के गोल चबूतरे पर 100 वोल्टेज का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने विषयक श्रीमती चन्द्रावती पोइया की याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा में मनोहरपुरा के गोल चबूतरे पर 100 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सबन्ध में श्रीमती चन्द्रवती पोइया, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा को जनपद हरिद्वार एवं इलाहाबाद की भांति तीर्थ स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद पाठक की याचिका†

श्री अजय कुमार पोइया–

जनपद मथुरा को जनपद हरिद्वार एवं इलाहाबाद की भांति तीर्थ स्थल घोषित किये जाने के संबंध में श्री जगदीश प्रसाद पाठक निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में प्राथमिकत के आधार पर एक उप कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राधा रमन शर्मा आदि की याचिका*

श्री अजय कुमार पोइया–

जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में प्राथमिकता के आधार पर एक उप कृषि मंडी की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री राधा रमन शर्मा व अन्य निवासीगण-जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित यचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मथुरा के सूरसाधना स्थल पारसोली एवं गऊशाला के सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री पृथ्वी राजकुमार पोइया की याचिका

श्री अजय कुमार पोइया–

जनपद मथुरा के सूरसाधना स्थल पारसोली एवं गऊशाला के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री पृथ्वी राजकुमार पोइया निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 29 जनवरी 1998 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

जनवरी, 1998	
29 गुरूवार	(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:–
	(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घण्टा
	(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घण्टा।
	(ग) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा।
	(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2–दिनांक 29 जनवरी, 1998 को श्री राज्यपाल के अभिभषण पर चर्चा के दिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न लीं जायें।

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति संबंधी प्रस्ताव जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें अपने विचार रखना चाहें ।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा विचार न रखे जाने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 4 तक खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

चूंकि राज्य सरकार ने अप्रैल, 1983 में नियत फीस के भुगतान पर प्रपत्र वि०म०–2 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिये 31 मार्च, 1984 तक विधिमान्य लाइसेंस स्वीकृत किये,

और चूंकि अन्य बातों के साथ लाइसेंस की शर्तों में यह व्यवस्था थी कि लाइसेंसधारी को भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बियर की बिक्री पर नियमों के अनुसार विहित निर्धारित फीस देनी होगी ;

और चूंकि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार ने 25 मई, 1983 की अधिसूचना, लाइसेंसधारियों से उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस देने की अपेक्षा करते हुये, जारी की ;

और चूंकि उक्त अधिसूचना के अनुसरण में लाइसेंसधारियों से मांग की गई जिसे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप किया ;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने लाइसेंसधारियों के मामले को स्वीकार किया और अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया कि 25 मई, 1983 के पूर्व दिये गये विशेषाधिकारों पर अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा ;

और चूंकि राज्यपाल द्वारा 30 मई, 1984 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984) द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 77 में एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाकर इस आशय का संशोधन किया गया था कि अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983, पहली अप्रैल, 1983 से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायगी ;

और चूंकि उक्त अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984 को उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ;

और चूंकि धारा 77 के संशोधित उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुये अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983 को पहली अप्रैल, 1983 से प्रभावी बनाया गया था ;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई अपीलें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 सितम्बर, 1996 को खारिज कर दी गई ;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा एक पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जनवरी, 1997 को खारिज कर दिया गया ;

और चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983 के आधार पर पहले ही पर्याप्त धनराशि निर्धारित फीस के रूप में वसूल की जा चुकी है ;

और चूंकि लाइसेंसधारियों ने ग्राहकों से वसूल किये गये मूल्य में निर्धारित फीस का समायोजन करके उसकी प्रतिपूर्ति कर ली है, इसलिये लोकहित में लाइसेंसधारियों को अनुचित समृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती है :

और चूंकि यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसधारियों से की गई निर्धारित फीस की उक्त वसूली को विधि मान्य किया जाय :

अतएव अब भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 30 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 30 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और 1 अप्रैल, 1983 को बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्–

"(3) विदेशी शराब के थोक विक्रेताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24–क के अधीन दिये गये लाइसेंस के लिये नियत धनराशि के अलावा लाइसेन्स के अधीन विक्रय के आधार पर निर्धारित धनराशि जिसे निर्धारित फीस कहा गया है, सभी प्रकार की स्प्रिट, वाइन, शराब और कार्डियल की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर पांच रुपये की दर पर और वियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर साठ पैसे की दर पर देय होगी ।"

विधिमान्यकरण और पारिणामिक उपबन्ध

3–किसी संविदा या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी प्रतिकूल बात, या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24–क के अधीन दिये गये लाइसेंस के लिये किसी नियत धनराशि के प्रति ग्रहण, के होते हुये भी, लाइसेंसधारियों से, मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) में उल्लिखित दरों पर उक्त नियत धनराशि से अधिक वसूल की गयी निर्धारित फीस उक्त उपधारा के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल की गई समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे, और कोई भी लाइसेंसधारी ऐसी निर्धारित फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा और यदि किसी लाइसेंसधारी ने उक्त निर्धारित फीस का भुगतान न किया हो तो उसे उससे वसूल किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1979

4–(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें हमने छोटा सा संशोधन किया है इसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है । यह हमने एक्ट में प्राविधान किया है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई और माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें ।

(किसी माननीय सदस्य के विचार न रखने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व 3 खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह 15 नवम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11 सन् 1966 में नई धारा 30–क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

"30–क (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

(2) यह अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तब सभापति या उप सभापति जिसके विरुद्ध यह स्वीकार किया जाय, तुरन्त उक्त पद से हट जायेंगे और उनका स्थान उनका उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निर्वाचित किया जायेगा ।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1997

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन), विधेयक, 1998

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर क्या आप अपने विचार रखेंगे ?

(माननीय मंत्री जी के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या अन्य कोई माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं ?

(किसी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 4 तक खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन)

विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवे वर्ष मे निम्ननलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 19 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 12 का संशोधन

"परन्तु किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव का पद धारण करता हो, या राज्य सरकार के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में नियोजित विभागाध्यक्ष हो, खण्ड (क) के अधीन तब तक नहीं बुलाया जायेगा या उससे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो और यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय यथास्थिति, उपसचिव के स्तर से अन्यून किसी व्यक्ति को या उसके समकक्ष पदधारण करने वाले किसी व्यक्ति को समनों के अनुपालन में आयोग के समक्ष उपस्थित करवाता है तो वह समनों का अनुपालन करता हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये समनों में स्पष्ट रूप से प्रयोजन इंगित किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति को समन किया गया है और जब किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए समन किये बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है तो यदि वह प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय, ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करवा देता है तो यह समझा जायेगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है ।"

3–मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :– नई धारा 20–क का बढ़ाया जाना

"20–क राज्य सरकार आयोग को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे जायं और आयोग ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।" निदेश जारी करने के लिये राज्य सरकार की शक्ति

उत्तर प्रदेश आध्यादेश संख्या 11 सन् 1997

4–(1) उत्तर प्रदेश अनूसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष–

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, तो माननीय नेता विरोधी दल नहीं है, श्री धनीराम वर्मा जी नहीं हैं ।

श्री अम्बरीश कुमार –

मान्यवर, उन्होंने हम दो लोगों को कल अधिकृत किया था ।

श्री अध्यक्ष–

संशोधन कौन प्रस्तुत करेगा ? उन्होंने माननीय अम्बिका चौधरी और श्री अम्बरीष कुमार जी को अधिकृत किया था, तो आप बिना संशोधन रखे, भाषण करें ।

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कल मान्यवर, एक विषय को लेकर चर्चा हुई थी और आपने उस पर अपनी रूलिंग रिजर्व कर ली थी, उसकी जिज्ञासा थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उस पर रूलिंग दे दूंगा ।

---

† दिनांक 28-1-98 की कार्यवाही से ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप एक जानकारी दे दें। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन आये हैं, उनमें पहला संशोधन नेता विरोधी दल, श्री धनीराम वर्मा जी का है।

माननीय वर्मा जी उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने इस बात के लिये किसी को अधिकृत भी नहीं किया है। नत्थी में श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्ताव पहला श्री धनीराम वर्मा जी का है दूसरा श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव का है और तीसरा श्री राम जग का है, माननीय वर्मा जी नहीं है, तो अगले को स्वीकृति दी जा सकती है या नहीं। मैं जानकारी करना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

आपकी पीठ से निर्देश हुआ था, माननीय अम्बरीष जी और अम्बिका चौधरी जी अधिकृत किये गये थे, उनका नाम बार-बार पुकारा गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये, उसके बाद श्री सुवाष जी को पुकारा गया, वह भी उपस्थित नहीं हुये, श्री रामजग का नाम पुकारा गया, वह उपस्थित थे, परन्तु संशोधन रखने के लिये तैयार नहीं हुये।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि उन्होंने अम्बरीष जी को अधिकृत किया था, तो मैं इनसे कह रहा हूं कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करें। संशोधन के लिये माननीय नेता, विरोधी दल नहीं है, लेकिन फिर भी विचार तो आना ही चाहिये।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख किया है :–

1–बेरोजगारों को रोजगार देने...

श्री अध्यक्ष–

ठीक है शेष पूरे पढ़े हुए मान लिये गये, मा० सुवाषचन्द्र श्रीवास्तव आदि के सभी संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने जाएंगे।

(सदन की सहमति से संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने गये)

श्री अम्बरीष कुमार–

[1–और बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने के संबंध में,

2–गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले प्रदेश के परिवारों को रहने लायक पक्के मकान बनाये जाने के संबंध में,

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :– शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 180-185 पर।

3–वृद्ध, विकलांग एवं निराश्रित विधवाओं को अविलम्ब पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में,

4–गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का एक माह के अन्दर भुगतान करने के संबंध में और खेतों में खड़े हुए गन्ने की युद्धस्तर पर पेराई के संबंध में,

5–गेहूं का समर्थन मूल्य 650 रु० प्रति कुन्तल दिलवाने के संबंध में,

6–प्रदेश की सम्पूर्ण फसलों के लिये बीमा योजना त्वरित प्रभाव से लागू करने के संबंध में,

7–बेरोजगारों, पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार देने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना के संबंध में,

8–ग्राम सभाओं को भू-राजस्व की आधी धनराशि ग्राम विकास हेतु ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

9–प्रदेश के स्ववित्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, हाईस्कूलों एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को इसी वर्ष वितरण सूची में लाकर ऐसे विद्यालयों में बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के संबंध में,

10–वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सवित्त मान्यता एवं भविष्य में जो भी मान्यताएं दी जाएं उनके लिये वित्तविहीन की शर्त न लगाये जाने के संबंध में,

11–जूनियर हाई स्कूल स्तर तक अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने के संबंध में,

12–न्याय पंचायत स्तर पर एक बालिका इण्टर कालेज एवं ब्लाक स्तर पर एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में,

13–बाढ़ के प्रकोप को रोकने हेतु एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करने के संबंध में,

14–प्रदेश के एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पास की प्रमुख सड़क से जोड़ने के संबंध में,

15–अधूरी सड़कों और पुलों के निर्माण के संबंध में,

16–क्षेत्र विधूना, जनपद औरैया की प्रमुख सड़क लहरापुर-विधूना के निर्माण एवं उस पर ग्राम पिपरौलिया और लखना के बीच अरिन्द नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में,

17–भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनवाये जाने के संबंध में,

18–हमारे क्षेत्र विधूना, जनपद–औरैया तथा प्रदेश की अन्य नदियों की तलहटियों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और पेयजल उपलब्धि के लिये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाए जाने के संबंध में,

19–जनपद औरैया/इटावा में बहने वाली यमुना, चम्बल, क्वांरी आदि नदियों के रिवान्स का समतलीकरण करवाकर उस पर बागवानी और भूमिहीनों को पट्टे दिलवाकर बहुत बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में,

20–किसानों की फसल नष्ट करने वाले जानवरों (पाड़ा जिसे नीलगाय कहते हैं), की जन्मदर पर अंकुश लगाने की योजना के संबंध में,

21–प्रदेश के हर खेत को पानी देने की योजनाओं और नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में,

22–प्रदेश के किसानों को सिंचाई और गल्ला मड़ाई के लिये कम से कम बीस घण्टे बिजली दिये जाने के संबंध में,

23–खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसानों को बीजों और रासायनिक खादों पर सब्सिडी (छूट) और बढ़ाये जाने के संबंध में,

24–मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित अधूरी सड़कों को पूर्ण कराये जाने एवं बनी हुई सड़कों के मरम्मत के संबंध में,

25–प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को समझौते के तहत केन्द्रीय वेतनमान दिये जाने के संबंध में,

26–आलू का समर्थन मूल्य 250 रु० प्रति कुन्तल करने तथा उसके खरीदे जाने के संबंध में,

27–क्षेत्र पंचायत के बी०डी०सी० सदस्यों को विकास की कड़ी से जोड़ने के संबंध में,

28–इस वर्ष बेमौसम वर्षा एवं शीतलहर के कारण धान तथा आलू की बर्बादी से भुखमरी की कगार पर पहुंचे किसानों को राहत हेतु लगान एवं सिंचाई शुल्क की माफी घोषणा तथा किसानों के ऋण पर एक साल तक के ब्याज की माफी के संबंध में,

29–किसानों का धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर धान खरीद के संबंध में,

30–भूमिहीनों को पिछली सरकार ने जो पट्टे दिलवाए थे, उन्हें रद्द करने के आदेश को वापस लिये जाने के संबंध में,]

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का खुलासा किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सरकार सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़कर सत्ता में आई है यह लोकतंत्र के लिए एक गम्भीर चेतावनी है। मान्यवर, प्रजातंत्र में जब हम शासन करते हैं तो उसके पीछे जनादेश होता है और जनादेश के आधार पर शासन करते हैं। आज यह सरकार कह सकती है कि हमारे पास बहुमत है।

"दिस गवर्नमेन्ट हैज राइट टू गवर्न बट हैज नाट हैज द मैनडेट आफ द पीपुल।"

इस सरकार को शासन चलाने का अधिकार है लेकिन जनादेश मा० कल्याण सिंह की सरकार को प्राप्त नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की लोकसभा में अपना भाषण करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि हम आज अल्पमत में हैं इसलिए हमारी सरकार गिर रही है। उन्होंने कहा था कि मण्डी में माल तो बहुत था हमारे पास धन भी था, हम माल को खरीद भी सकते थे लेकिन अनैतिकता के साथ सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते थे। आज मैं मा० कल्याण सिंह को बताना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भी उस नेता का अनुसरण किया गया होता तो प्रजातंत्र के इतिहास में यह काला धब्बा नहीं लगा हुआ होता। इस सरकार ने सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़कर दल बदल के घिनौने कार्य से सत्ता प्राप्त की है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार स्वस्थ पम्पराओं में नहीं बनी है और जिन परिस्थितियों और दबाव में यह सरकार काम कर रही है उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है, पूरे प्रदेश की जनता का दृढ़ विश्वास है कि यह सरकार भ्रष्टाचार रहित प्रशासन नहीं दे सकती है। क्योंकि जैसा प्रशासनिक सुधार आयोग को रिकमन्डेशन है कि लेजिसलेचर की कुल संख्या का 11 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रीमण्डल नहीं हो सकता है अर्थात् मंत्रीमण्डल की संख्या लेजिसलेचर की

कुल संख्या के 100:11 अनुपात से रखा जाए । यह नैतिकता की ढोंग रचने वाले दल बदल कर सरकार बनाये हैं, इन्होंने नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर सरकार बनाई है ।

(उस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

यह मर्यादा की बात करते हैं और प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी की बात करते हैं लेकिन 93 के मंत्रिमण्डल की फौज पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं । इनके कहने और करने में फर्क है ।

मान्यवर, यह रामभक्त होने की बात करते हैं मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गये थे तो रास्ते में एक राक्षस "कालनेमि" मिला, ऋषि के रूप में उसने हनुमान को रोक दिया था । वही आचरण यह कर रहे हैं राम के लिए इन्होंने इस भाषण में कुछ नहीं कहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उनके बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है, चोट की गई है । यह कौन सी प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का संरक्षण सरकार कर रही है । मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात मुख्य मंत्री जी करते हैं । जो व्यक्ति खुद सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दे, नेशनल इंटीग्रेशन काउन्सिल में बात कहे और उसका उल्लंघन करता हो, कोर्ट में दिये गये हलफनामे का उल्लंघन करता हो सुप्रीमकोर्ट ने जिसको एक दिन की सजा दी हो वह रूल आफ ला की बात करता हो तो यह हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं । कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे, गौरीशंकर जी के एक प्रश्न के उत्तर में, जबाब दिया था कि यह हाउस सुप्रीम है सर्वोच्च है । यह अपने अधिकार किसी को नहीं दे सकता है ।

चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं कहते हैं कि चुनाव आयोग इस सदन को निर्देश नहीं दे सकता यह सदन सार्वभौम है सदन को बाहरी शक्ति निर्देश नहीं दे सकती तो मुख्य मंत्री जी की बातों से 2 निष्कर्ष निकलते हैं पहला यह है कि ये चुनाव आयोग को डिमोरेलाइज करना चाहते हैं इसके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं ताकि इनके नियंत्रण में सरकारी अधिकारी बूथ कैप्चर करके चुनाव को जीतने का काम कर सकें । यह काम मुख्य मंत्री जी की सरकार करना चाहती है । दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस हाउस के अधिकारों के प्रति इतना ही सोचते हैं तो जब यह घोषणा हो रही थी कि 21 तारीख की घटित घटना की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे तो मुख्य मंत्री जी की जबान पर ताला क्यों लगा था उस दिन मुख्य मंत्री जी ने हाउस की गरिमा के महत्व की बात क्यों नही उठाई, यह मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कानून का शासन होगा, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के एक सांसद ने हरिद्वार में स्कूल खरीदा और जबरन स्कूल पर कब्जा किया । डी०एम० ने स्वीकार किया है जो बदले में भवन दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है । डी०एम० ने कहा कि यदि भवन अपर्याप्त है तो शासन व्यवस्था करवाये । मैं कहना चाहता हूं कि भवन तो सांसद को मिला स्कूल बनवाने का खर्च शासन दे यह कहां का न्याय है ?

मुख्य मंत्री जी जिस दिन हरिद्वार में थे दो दिन तक मुख्य मंत्री जी हरिद्वार में थे । 6 हजार फौज, पुलिस के आदमी कुम्भ मेले के प्रबन्ध में हैं । डी०आई०जी० आई०जी० लोग थे मुख्य मंत्री जी थे यह लोग मुख्य मंत्री जी को घुमा रहे थे, बी०एच०इ०एल० जो शहर के अन्दर है उस समय वहां लाखों रुपयों की डकैती हरिद्वार में पड़ रही थी । मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में अन्तर है । प्रजातंत्र में सरकार को जनता का जनमत प्राप्त होता है उनके मुखिया का आदेश अधिकारी मानते हैं, जनता मानती है लेकिन ऐसी सरकार जो ऐसे अपवित्र साधनों से बनी हुई है, तोड़फोड़ के साधनों से बनी हो, निर्लज्ज दल बदल के अस्तित्व पर आयी हो ऐसी सरकार के आदेश को अधिकारी नहीं मानते और उसका प्रभाव जनता नहीं मानती क्योंकि जनता और अधिकारी जानते हैं कि जिस दिन 2–4 सदस्य इधर-उधर हो गये सरकार गिर जायेगी । सरकार तुष्टीकरण का काम कर रही है । एक शिक्षक

50 छात्रों को संतुष्ट नहीं रख पाता कितनी कठिनाई होती है। यहां पर 93 मंत्रियों को मुख्य मंत्री को संभालना है। यह तो सारे वह लोग हैं जो नेता है अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं कानून और व्यवस्था की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया। उप प्रधान का लोगों ने अपहरण कर लिया मारा पीटा, चोट पहुंचाई लेकिन पुलिस और प्रशासन देखता रहा और वहां पर उप प्रधान को छुड़ा नहीं सका। जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ उस दिन छोड़ा गया तब भी उनके अपहरणकर्ताओं को शासन ने पकड़ा नहीं। आपकी नाक के नीचे 4–4 आदमियों की हत्या ए०के० 47 से हो रही है ? दिलीप होटल में हत्या हुई, कोआपरेटिव बैक के उपाध्यक्ष को मार दिया गया। डकैती की घटनायें पड़ रही हैं अपराधों का विस्तार इस प्रकार से हो रहा है जैसे प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मै कहना चाहता हूं कि आप यहां हाउस में कानून व्यवस्था को सुधारने की बात तो करते हैं परन्तु बिना जनादेश प्राप्त करने वाली सरकार कानून व्यवस्था के सुधारनें का काम नहीं कर सकती। हमारी पार्टी के लोगों ने किसानों की बात उठाई। मुख्य मंत्री जी ने जबाब दिया, कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनको सरकार की ओर से सहायता दे रहे हैं। केन्द्र को हमने लिखा है 242 करोड़ रुपये देगा। सरकार किसानों को सहायता नहीं दे रही है।

कन्टिजेंसी का फण्ड है उससे पैसा निकालकर किसानों का दे दो। मान्यवर, यह सरकार किसान के हित में इतना भी करने को तैयार नहीं है। केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त होने में 15 दिन, 20 दिन एक महीना दो महीना लगता है तब तक कन्टिजेंसी फण्ड से पैसा निकालकर किसानों को राहत के नाम पर देने का काम करती तो यह किसानों के हित में एक बड़ा कदम होता। सरकार ने कहा कि हम कर्मचारियों के प्रति चिन्तित हैं और पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम कर रहे हैं। मै आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज आप कर्मचारियों के प्रति चिन्तित हैं तो कर्मचारी नेताओं, शिक्षक नेताओं को जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ी ? आपने कहा कि जहां वे रैली करना चाहते थे वहां पर कानून का प्रतिबन्ध था और अदालत के आदेश थे इसलिये उनको जेल में डालना पड़ा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अदालत का आदेश 1992 में अयोध्या में भी था। आपने वह आदेश तोड़ा था अगर यह आदेश तोड़ देते शिक्षक कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करते तो क्या हो जाता। लेकिन मान्यवर, इनके अपने लिये कुछ सिद्धान्त हैं, कर्मचारियों के लिये कुछ दूसरे सिद्धान्त हैं।

मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का काम इसलिये नहीं कर पा रही हैं क्यों कि वहां इन्हें कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है। मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब नगर पालिका के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियो के समान वेतन मिलता रहा है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को उसी के समान वेतनमान मिलता रहा है। तो आज आपको उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पंचम वेतन आयोग देने में क्यों कठिनाई हो रही है। इसी तरह से मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, कुम्भ मेले के बारे में चर्चा हुई। हमारे मुख्य मंत्री जी वहां दो दिन रहे इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने वहां जाकर वहां पर कार्य को देखा इतना हीं नहीं और भी मंत्री लोग जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री भी वहां गये। मंत्रियों की फौज वहां रोज जाती रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान वहां पर ध्वस्त कर दिये हैं। पिछली सरकार के समय में अम्बेडकर पार्क की चर्चा होती थी, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति की बात करते थे लेकिन आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। 1090 प्रति घनमीटर के रेट पर सड़क

का निर्माण हो रहा था । न०पा० परिषद् हरिद्वार में 1440, ऋषिकेष में 1812 और वही निजी ठेकेदारों से 2149 के रेट पर हो रहा है । इस तरह से 1090 से 2149 के बीच काफी अन्तर है ।

करोड़ो रुपये का घपला हुआ है आज शासन बताने को तैयार नहीं हैं । आज इस नुकसान के बारे मे कोई बताने को तैयार नहीं है इसी तरह से मान्यवर, जिस कैपिसिटी के प्लांट लगाने थे वह नहीं लगाये गये हैं और जो प्रमाणित मानक हैं उसके आधार पर काम नहीं कराया गया है । 16-17 परसेंट का फर्क तौलने पर भी आया है । सड़कों के बारे में एक नियम भी है कि जब सरफेस गीला हो, बारिश हो, फोग हो, 10 डिग्री से कम तापमान हो उसमें सड़कों पर काम नहीं किया जा सकता ।

लेकिन मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह रिकार्ड अधिकारियों द्वारा हमें नहीं मिला कि कब--कब सड़कें बनी क्या-क्या टैम्प्रेचर था, आज तक हमें यह उपलब्ध नहीं कराया गया । यह गोल माल किया जा रहा है । एक नई सड़क बनी है लक्सर से हरिद्वार तक यहां नदी पड़ती है आप जानते हैं कि नदी में ल्यूम टाइप का पुल नहीं बनाया जाता है वहां पर पुल बनाया गया वह पुल मान्यवर, बरसात में बह गया तो इसका कौन जिम्मेदार है । टैक्निकल अधिकारियों ने इसमें राय दी होगी, इससे लाखों रुपयों की चपत सरकार को लगी है । माननीय मुख्य मंत्री जी से पहले सिंचाई मंत्री थे तो एक पुल जयराम आश्रम पर बनाने की अनुमति दी गई थी वह जब मुख्य मंत्री जी के पास मामला आया तो मुख्य मंत्री जी ने पुल को निरस्त कर दिया हरिद्वार के लोग निराश हो गये लेकिन फिर दुबारा वहीं पुल बन गया दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली तुगलकी तरीका यह सरकार का प्रशासन चलाने का है पहले बताया गया कि पुल सरकार नहीं बनायेगी और जब मुख्य मंत्री जी के चरणों में माथा टेक दिया गया तो पुल बनाने की इजाजत मिल गई कुम्भ मेले के नाम पर यह सब हो रहा है ।

मैंने पहले भी इस प्रश्न को उठाया था शराब के ठेकों के बारे में तीन किलोमीटर की दूरी पर शराब के ठेके हैं श्रद्धानन्द महर्षि गुरुकुल के बाहर शराब का ठेका है । कुम्भ परामर्शदात्री की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके शासन को भेजा गया था कि कम से कम कुम्भ के अवसर पर 13 किलोमीटर की दूरी पर शराब के ठेके हों लेकिन हरिद्वार की जनता समझ रही है कि चुनाव है मुख्य मंत्री जी मजबूर हैं शराब का ठेका हटेगा तो क्या होगा । श्रीमन् 20 ट्यूबबेल हरिद्वार में लगाये गये हैं कुम्भ के अवसर पर, इसमें से कितने ट्यूबवेल स्थायी हैं और कितने ट्यूबबेल कुम्भ के मेले के बाद बन्द हो जायेंगे । हरिद्वार मे चार सब-स्टेशन विद्युत के बने हैं परन्तु लाइनों के तार नहीं बदले गये हैं क्या यह तार विद्युत का भार उठा पायेंगे विद्युत भार में यह तार गिर जायेंगे इसमें आदेश देने की कृपा करें । चार सब स्टेशन की बात है हरिद्वार में हर की पौड़ी मुख्य स्थल है लेकिन यहां बगैर स्टैपलाइजर के बोल्टेज नहीं मिल सकता है तो विद्युत व्यवस्था में आप क्या काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इस कुम्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी अब तक आठ मौतें हो चुकी हैं । दो कर्मचारी सीवर में गिरकर मर चुके हैं । हरिद्वार में बिजली का काम करते हुये दो व्यक्ति खम्भे से टकराये ठेकेदार के लोग काम कर रहे थे उनका निधन हो गया । मान्यवर, इसी तरह से अपर मेला अधिकारी नियुक्त हुये हैं उनके ड्राइवर ने डी०पी०एस० की एक पांच साल की बच्ची को गाड़ी की चपेट में लेकर मार दिया है । बहुत होनहार बच्ची थी पूरा स्कूल रो रहा है । यह ड्राइवर का पहला एक्सीडेंट नहीं है यह तीसरा एक्सीडेंट है । इस ड्राइवर को किसने रखा इसके चयन की प्रक्रिया क्या थी इसकी जांच करायें । मान्यवर, कुम्भ के एस०एस०पी० हरिद्वार के ड्राइवर की गाड़ी से एक नेता के हाथ पैर टूट जाते हैं इसकी जांच करायें । हरिद्वार शराब विहीन क्षेत्र है फिर हरिद्वार में शराब कहां से बिक रही है ? उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है । क्योंकि वह शराब पीने वाला भी पुलिस का आदमी था जब घर का पहरेदार चोरों से मिला हो तो उस घर में चोरी का काम कैसे रुकेगा । मै मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं मैं भी स्वास्थ्य कमेटी का सदस्य था । छह हजार सफाई कर्मचारियों की भरती के संबंध में हमने यह प्रस्ताव पेश किया था कि जो भी भरती होगी

उसकी फोटो लगेगी, लेकिन बिना फोटो लगे ही भरती हो गई और फर्जी भरती हो गई। इस भरती में 30-40 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अधिकारियों की जेबों में गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी वहां पर जाते हैं और वहां खुद यह कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो जनता का विश्वास इससे इस सरकार पर से उठ गया है। वहां की जनता का भरोसा इस सरकार से उठ गया है। हरिद्वार का बच्चा बच्चा कहता है कि कुम्भ मेले में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जितना कभी नहीं हुआ। यहां पर मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सब ठीक काम हुये।

अधिकारी तो मुख्य मंत्री से कहेंगे ही कि सब ठीक हुआ लेकिन यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वह अधिकारियों को चारों तरफ से कैसे घेरे और उसके जाल को कैसे तोड़े तथा उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफास करे ? मुख्य मंत्री जी की निगाहें वहां तक नहीं पहुंची हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कुम्भ मेले में होने के बावजूद मुख्य मंत्री जी वहां पर अधिकारियों को क्लीन चिट दे देते हैं। इससे प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में जानने का अधिकार सारे सदन को है। अन्त में इन शब्दों के साथ कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो यहां प्रस्तुत हुआ है उस पर अपने संशोधन पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी बात कहें, इसलिये पांच मिनट में ही अपनी बात कहें। एक सदस्य हां लाबी से और एक सदस्य ना लाबी से बोलें।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका अभारी हूं। अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य बड़े विस्तार से अपनी बातें रखीं हैं सबसे पहले मैं इस बात का खुलासा कर देना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे बनी। यह सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता ने 1996 में निर्वाचन ने जो परिणाम उपलब्ध कराये उस समय सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनी यानी जनादेश स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में था। लेकिन संख्या में कमी होने के कारण महीनों यह आदरणीय सदन निलम्बित रहा और ऐसी भयंकर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्य मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जब किसी को सहयोग करती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है चाहे दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में तो उस समय हम बड़े खराब हो जाते हैं, हम बड़े साम्प्रदायिक हो जाते हैं, हम बड़े खूंखार हो जाते हैं, हम 56 छूरी वाले हो जाते है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ विपक्ष के ही दलों के माननीय सदस्यों ने सोचा कि उत्तर प्रदेश रोज-रोज के चुनाव में बरबाद होता जा रहा है और बार-बार के चुनाव जनता में भी लोकतंत्र के प्रति अश्रद्धा पैदा हो रही है। इन भावनाओं का समादर करते हुये जिन माननीय सदस्यों नें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया वह न तो दल-बदल है और न ही कोई खराब बात है। दल-बदल दिल्ली में हुआ था दल-बदल कराने वाले नेतागण आज भी भष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न किसी को कोई गलत आश्वासन दिया और न कोई गलत बात की। कई विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों ने सरकार बनाने में सहयोग दिया सरकार न बनी होती तो जो आधे घन्टे लच्छेदार भाषण हुआ है वह नहीं होता क्योंकि वह सदन ही नहीं होता और भाषण करने वाले वोट मांग रहे होते। माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री कल्याण सिंह जी के लिए कहा गया है कि एक दिन की सजा काट चुके है। मैं बताना चाहता हूं

कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वाहक है और भारत में भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए हम राम पर विश्वास करते हैं। राम का झण्डा ऊंचा करते हैं। केन्द्र की सरकार के आगे-पीछे कदम रखने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न की गयी और केन्द्र सरकार ने जानबूझकर कारसेवकों को उत्तेजित किया। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है जिसने आज माफी मांगी है। जिस समय कारसेवक गुस्से में आये उस समय गोली चलाने का आदेश माननीय कल्याण सिंह ने दिया होता तो हजारों लोग मर जाते, हजारों लोगों की जान बचाना हमारे लिए जरूरी था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उधर जितने लोग बैठे हैं करीब-करीब सभी सरकार में रहे हैं और खूब मनमानी किये है। उनके मनमानेपन के कारण ही भ्रष्टाचार फैला है। उसे हमारी सरकार ठीक कर रही है और इस उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ जनता की सेवा कर रही है। अभी बहुत थोड़े दिन हमारी सरकार को हुये हैं लेकिन आप सड़क पर चलते होंगे, मा० सदस्यगण चलते होंगे तो गडढ़ामुक्त सड़क देखते होंगे। आज के 50 साल हो गये हैं लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गढ्ढों को बन्द किया गया है, मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूं। इसी तरह माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पहले रजिस्ट्री कराने का काम होता था, उसमें कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, 6-6 महीने तक रजिस्ट्री की कापी नहीं मिलती थी, ए०डी०एम० दौड़ाता था, अब हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता की सेवा करने के लिये तत्पर है। चूंकि माननीय अधिष्ठाता जी ने लाल बत्ती जला दी है, इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

* श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने समय दिया इसके लिये आभार। महामहिम राज्यपाल के अभिषाषण पर संशोधन के पक्ष में अपनी बात कहने के पहले दुखी मन से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी एक लम्बे संमय से प्रदेश की राजनीति में अपना दखल रखते रहे हैं, उन्होंने जो सारे जीवन में ख्याति अर्जित की, इस सरकार को बनाने में वह ख्याति समाप्त हो गई, इसका मुझे बड़ा दुख है। कम से कम मैंने तो यह कभी नहीं सोचा था कि माननीय कल्याण सिंह जी सत्ता के लालच में अपने को इतना गिरा देंगे कि उनकी जीवन भर की कमाई सुचिता, पारदर्शिता, पक्षपातरहित निर्णय और जो अपराधीकरण के खिलाफ मानसिकता बनी थी, वह सारी की सारी समाप्त हो गई। मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि एक राजनेता बहुत मजबूरी के बाद बनता है और अन्त में जब उसकी छवि खराब होती है तो उसका खामियाजा सारे समाज को भुगतना पड़ता है, इसी तरह से माननीय कल्याण सिंह जी, जिनकी नीयत सत्ता के लालच में खराब हुई, उसका खामियाजा सारा उत्तर प्रदेश भुगतने के लिये तैयार हो गया और सारा उत्तर प्रदेश बरबाद हो रहा है। आज इनके जम्बोजेट मंत्रिमंडल में दो दर्जन बड़े-बड़े माफिया सहयोगी बनकर बैठे हैं। माननीय कल्याण सिंह जी आप एक बार मुख्यमंत्री हो लिये थे, दुबारा मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी लेकिन आपको इतना गिरना नहीं चाहिये था, इसका मुझे अत्यन्त दुख है।

जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न है, सबसे पहले चुस्त दुरूस्त कानून व्यवस्था की बात कहां गई। हमने इसी लखनऊ में जगह-जगह बोर्ड भी लगे देखे, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री का फोटो है और वह हाथ उठाकर उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहे है कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा। बड़े दुख की बात है कि लखनऊ, जहां हम बैठे हैं, वही भयमुक्त नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? अपराधों में जरा भी सुधार नहीं आया है, पूरा लखनऊ जल रहा है, 3-3 आदमियों का एक साथ कत्लेआम हो रहा है, अब सोचिये भयमुक्त समाज कैसे होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करने की बात माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में खोखली साबित हुई है और प्रदेश की जनता को धोखा देना साबित हुई है अभी हमारे एक माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इससे पहले कभी गढ्ढामुक्त सड़कें नहीं हुई हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा चलकर देखें, इटावा, मैनपुरी, फरूखाबाद और जहां मैं रहता हूं, वहां पी०डब्लू०डी० की सड़कें हैं, उनमें सबमें पानी भरा है वहां पी०डब्लू०डी० की सड़के हैं और वहां सब में पानी भरा है अगर आप बीच सड़क में होकर निकल जायं और आपको धराशाई न होना पड़े तो मैं आपकी बात मान लूंगा। वह पी०डब्लूडी० की सड़क है उसे माननीय कल्याण सिंह जी ही देख लें तो वह स्वयं पायेंगे कि उनकी बात का क्या मखौल उड़ रहा है पूरे प्रदेश में। मान्यवर, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद इन सब जगह की सड़कों पर गड्ढें हैं, चलना मुश्किल है अगर आपको गड्ढा भी गड्ढमुक्त दिखाई देता है तो यह आपका दृष्टिदोष है इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है।

मान्यवर, जहां तक किसानों के लिए बात कही गयी है, कृषि सम्बन्धी बात कही गयी है। मान्यवर, अभी जो वर्षा हुई पिछले टाइम, पाला पड़ा, ओला पड़ा उससे किसान की पूरी फसल नष्ट हो गयी उसका सारा का सारा धान बरबाद हो गया और अब किसान का धान दो ढाई सौ रुपये कुन्तल में बिक रहा है उसको मिल मालिक ले रहा है उसका धान व्यापारी लेता है और वह व्यापारी इनको चन्दा देता है इसलिए यह कुछ करेंगे नहीं। मान्यवर, एक तो गेहूं इस समय तक बोया नहीं गया आगे क्या होगा ? आपने 25 प्रतिशत सब्सिडी दे भी दी गेहूं के बीज पर तो इससे क्या होगा, इससे कोई लाभ किसान को मिलने वाला नहीं है ? दूसरे प्रदेश में जहां जहां किसान की फसल नष्ट हुई है उनको मुआवजा मिला है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने मुआवजा दिया है जितना रकबा बोया है उतना मुआवजा दिया है। अब तो माननीय कल्याण सिंह जी शहरी हो गये हैं उनसे किसान से कोई मतलब नहीं रह गया है। आज किसान कपड़े के लिए परेशान है, दवा के लिए परेशान है, बेटी की शादी के लिए परेशान है लेकिन आज उसके पास कोई साधन नहीं है। गेहूं बोया नहीं गया, धन बिका भी तो दो सौ रुपया कुन्तल इसलिए मुआवजा इस सरकार को देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, सारे लोगों ने मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया।

मान्यवर, जहां तक नौकरी की बात कही गयी है, हमने भी अखबार में कल दिल्ली में पढ़ा कि सरकार ने सदन में घोषणा की है कि एक लाख से ऊपर नौजवानों को रोजगार देगी तो यह सरकार रोजगार तो क्या देगी यह चुनावी स्टन्ट है।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

नौकरी देने की बात कह दी लेकिन मैं यह बता दूं कि उनको जरूर कष्ट होगा जिन्होंने किन्हीं मुख्य मंत्री के कार्यकाल में नकल करके परीक्षा पास किया है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने टिप्पणी की है और नकल विरोधी अध्यादेश की ओर इंगित किया है। आप, नकल विरोधी अध्यादेश लाये थे और हमने उसको खत्म किया था यह बात आपने इंगित किया है। मैं कहना चाहता हूं सारे सम्मानित सदन के समक्ष, कि दुनिया में ऐसा कोई प्रदेश देश नहीं है जहां नकल करने वाले छात्र को हथकड़ी डालकर जेल भेजा जाय। यह काला कानून दुनिया में कहीं नहीं है। मान्यवर, 14 साल के लड़के लड़कियों को हथकड़ी डालकर जेल भेजा जायेगा तो उसका क्या होगा ? मान्यवर, इस काले कानून को हमने खत्म किया था। मान्यवर, हमने छात्रों के हित में फैसला लिया, व्यापारियों के हित में फैसला लिया।

श्री अधिष्ठाता–

अभी प्रयाप्त संख्या में माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे तो समय को दृष्टिगत रखते हुए हमने 5 मिनट का समय तय किया था । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं और अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी इस सदन में हमारे विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हमारे सरकार के प्रति तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने क्या कहा और क्या किया यह बताने की बात नहीं है इसे आप स्वयं देख सकते हैं यह दूसरी बात है कि आपकी नीयत है विरोध करने की और आपको विरोध करना ही है । मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारे माफिया मंत्री बना दिये गये हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन उनका अपराध सिद्ध हो जायेगा उस दिन उनको बाहर कर दिया जायेगा । मान्यवर, हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश के माफिया अन्दर कर दिये गये हैं जिसकी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है । मान्यवर, मैं अब अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती हूं । इस सरकार के पूर्व में जो भी सरकारें रहीं हैं उसमें अधिकारियों के दिमाग इतने ज्यादा खराब कर दिये गये थे कि छोटी-छोटी बात के लिए आदमी को परेशान होना पड़ता था लेकिन मैं अपने इस लोकप्रिय सरकार के बारे में कहना चाहती हूं कि चाहे जो जिलाधिकारी हो या एस०पी० हो यह सभी, तहसील दिवस हो या न्यायालय पंचायत का कार्यक्रम हो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और विकास के कामों की सूचना देते हैं तथा जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं । मान्यवर, एक बात और बताना चाहती हूं और मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता इसी सदन को है अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा और हम सब के बारे में वह जो भी बात कहते हैं वह शर्मनाक है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी इतने कम बजट में तमाम विकास कार्यों को करा रहे हैं जिससे हम सब को लाभ मिल रहा है, यह प्रसंशनीय है । इस लिए मैं सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और इसी के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है वह सरकार की नीतियों का द्योतक होता है और वह सरकार की नीतियों को परिलक्षित करता है । मान्यवर, यह सरकार श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बनी है । इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी । 21 सितम्बर 1997 से बहुजन समाजवादी पार्टी के सहयोग से भाजपा की सरकार श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी किन्तु 19 अक्टूबर को बहुजन समाजवादी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया । इसके बाद श्री कल्याण सिंह जी की सरकार आयी । मान्यवर, मेरा कहना है कि 19 तारीख को उनकी सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी लेकिन केन्द्र सरकार ने बर्खास्त न करके जनतंत्र को बर्बाद किया है क्योंकि आपको बहुमत साबित करने का समय मिला तो आपने बहुमत साबित कर दिया किन्तु इस तरह बहुमत साबित किया गया वह लोकतंत्र में कलंक है । आप ने दलबदल कराकर दूसरी पार्टी से आने वाले सारे विधायकों को मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बना दिया । यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली सरकार है जिसने दलबदल कराकर सरकार बनाया है जो संसदीय लोकतंत्र में कलंक है । इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में और गांवों के आधे-अधूरे कामों को पूरा करेगी क्योंकि इस सरकार को विरासत में बिगड़ी हुई आर्थिक स्थित मिली है । मान्यवर, मायावती जी के मंत्रीमंडल में आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शामिल थे इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है और उस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं ।

आप कहते हैं कि 4 महीने कार्यकाल में आपने निष्पक्ष सरकार चलाने का काम किया है । लेकिन मेरा आरोप है कि आपके शासनकाल में हत्यायें, अपहरण, बलात्कार और बिजली का संकट पूरे प्रदेश में फैला हुआ है । मान्यवर, सार्वजनिक बिजली प्रणाली में देंखे तो जनता को मिट्टी का तेल 40–30 रुपये प्रति लीटर बाजार में मिल रहा है । तो यह किस की देन है । पूरे प्रदेश में चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि और बेमौसम की बरसात से सारी फसलें बर्बाद हो गयीं हैं । किसान की फसलें खेतों में सड़ गयी हैं । गेहूं नहीं बोया जा सका है । गेहूं, तिलहन, दलहन और आलू की फसलें बर्बाद हो गयी हैं । सरकार को किसानों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान भुखमरी के कगार पर है । आपने कहा कि हम बोआई के लिए उरर्वरक खाद दे रहे हैं । मान्यवर, आज चक्रवात तूफान और ओलावृष्टि से एवं बेमौसम बरसात से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है । आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बात करते हैं । लेकिन वहां पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं.हो पा रहा है । बोआई के सम्बन्ध में किसानों को रबी की बोआई के लिए सार्वजनिक प्रणाली और दूसरे सरकारी दुकानों से खाद नहीं मिल रही है । वह दूसरी दुकानों से मिलावटी खाद खरीद रहे हैं । आजमगढ़ जिले का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर सरकारी दुकानों में खाद उपलब्ध नहीं है । किसानों को बाहर से खाद खरीदनी पड़ी । ये दुकानदार मिलावटी खाद बेच रहे हैं और किसान मजबूरी में उसे खरीद रहा है । आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितनी ऐसी संस्थाओं को पकड़ा जिसने मिलावट खाद बेची । आज किसान को बिजली, बीज, पानी नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण दो तिहाई खेती बिना बोये रह गयी है । आप कहते हैं कि कानून का राज होगा और भयमुक्त समाज होगा । लेकिन मान्यवर, यह नहीं हो रहा है । भयमुक्त कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, जो भू-स्वामी हैं, जो माफिया हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, जो मिलावट करते हैं तो यह तो आपकी नीति है । आपकी नियत साफ नहीं है सिर्फ आप नारा लगाते हैं कि हमारी नियत साफ़ है ।

मान्यवर, अभी आपने सदन में कहा कि आप नकल को रोकेंगे । मुझे आपकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई । आपकी शिक्षा की क्या नीति है ? आपकी शिक्षा की नीति यह है कि जो मुख्य मंत्री का बेटा है, जो मिनिस्टर का बेटा है, जो आई०ए०एस० का बेटा, पी०सी०एस० का बेटा है तो दून स्कूल में पढ़ेगा, सिटी मान्टेसरी स्कूल में पढ़ेगा लेकिन वहीं अगर गांव के गरीब का बेटा घूरहू यादव का बेटा है उसके पढ़ने का इन्तजाम नहीं है । उसके लिए कापी पेन्सिल नहीं है, बैठने के लिए मेज कुर्सी नहीं है, कोई इन्तजाम नहीं है तो यह तो आपकी शिक्षा नीति है । यह आपकी दोहरी शिक्षा प्रणाली है इसको आपको खत्म करना होगा । जब यह रुकेगी तभी आप नकल को रोक सकते हैं । आपने यह भी कहा कि आप एक लाख परिवारों को रोजगार देंगे तो यह किस तरह से आप करेंगे ? आज कारखाने बन्द हो रहे हैं नये कारखाने खुल नहीं पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, पब्लिक सेक्टर के जितने भी कारखाने हैं, चाहे सीमेंट के कारखाने हों, या अन्य कोई कारखाने हों उनको प्राइवेट हाथों में जो बेचने की आपकी नीति है, वह गलत है । कहना चाहता हूं कि डाला, चूर्क, चुनार और गूर्मा के जो सीमेंट के कारखानों के मजदूर हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, यही आपकी

नीति है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गयी है, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिये आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप अपनी बात को संक्षेप में कहें । आपके एक दल के नेता होने के नाते दो गुना समय दिया जा चुका है, अब आप बतायें कि आप कितना समय और लेंगे ?

श्री राम जग–

मान्यवर, बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा । 5 मिनट का समय दे दें ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो बन्द और बीमार कारखाने हैं, उनको अपने हाथ में लेकर चलायें । जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने लगे हैं, उनको प्राइवेट हाथों में जाने से रोकें और जो उनके मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका जो शोषण किया जा रहा है और जो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको रोकें । अगर कारखाने पूंजीपतियों के हाथों में चले जायेंगे, तो सरकारी धन की बर्बादी होगी और बेरोजारों की वृद्धि होगी ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विधेयक था, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये आपने प्रयास किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके हितों की रक्षा आप नहीं कर पाये हैं और इसी कारण आपको दूसरा शासनादेश जारी करना पड़ा । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है और मजदूर व कमजोर विरोधी सरकार है । मान्यवर, एक बात आपने कही कि नहरों की पटरियों को पक्का किया जायेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी नहरों की पटरियां पक्की नहीं हुई हैं और अगर पक्की होंगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र की नहरों की पटरियां पक्की होंगी और माननीय मंत्रियों के क्षेत्र की नहरों की पटरियां पक्की होगी । इससे सारे प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा सारे किसानों को लाभ नहीं-मिल पायेगा । गांवों की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इस लिये मैं कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और कमजोर विरोधी है । आप कहते हैं कि प्रदेश का विकास किया जायेगा, लेकिन इस प्रकार से प्रदेश का पूरा विकास नहीं हो सकता है । मान्यवर, रोडवेज विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, आजमगढ़ जिले में मेंह नगर में रोडवेज का भवन है, लेकिन अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण वह नहीं चल रहा है और जो वहां पर प्राइवेट बसें हैं, वह चल रही हैं और आपकी रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं । यह आपकी गलत नीतियों के कारण है । आप देखेंगे कि आज पूरे प्रदेश की हालत यह है कि केवल विकास कार्य वहीं हो रहे हैं जहां से या तो मुख्य मंत्री आते हैं या दूसरे मंत्रीगण आते हैं या दूसरे प्रभावशाली लोग आते हैं अन्य क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं । न सड़कें वहां बन रही हैं न स्कूल खुल रहे हैं । अम्बेडकर गांवों का काम भी ठप्प हो गया है । केवल पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना में काम चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपका समय हो गया है ।

श्री राम जग–

प्रदेश के विकास के लिये आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये । इसलिये हमने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन रखे हैं उन्हें सम्मिलित कर लिया जाये । आपकी कोई नीति नहीं है, आप देखें

आपके नेता श्री अटल बिहारी बाजपेई, नेता विरोधी दल के रूप मे दे और उन्होंने नरसिंह राव कांग्रेस सरकार का समर्थन लिया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठे।

श्री रामजग–

आप अपनी नीति बदलें तभी प्रदेश का विकास हो सकता है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस सदन की एक परम्परा रही है उसमें एक इधर से और एक उधर से बोलने की बात नहीं है। उसमें बराबरी नहीं रखी जाती है, आप पुराने और अनुभवी सदस्य हैं। ज्यादा से ज्यादा विपक्ष की राय ली जाती है। ऐसा ही कृपा करें। जिसकी हमें आपसे अपेक्षा अन्यथा अपकी निष्पक्षता खंडित होगी तो इसका हमें दुःख होगा।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

विपक्ष की संशोधनों पर कितनी रुचि है यह तो हम कल से देख रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है इतनी कम संख्या में यहां हम लोग बोल रहे हैं आपकी संख्या तो बोलने वालों की ज्यादा है। सत्ता पक्ष से ज्यादा संख्या में आपको अवसर मिल रहा है।

श्री राम जग–

आप क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है?

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर मैं निर्णय दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आज सदन में प्रतिपक्ष की बहुत कम संख्या है निश्चित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष से अन्तिम सदस्य को भी बोलने का समय दूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं मुझे विपक्ष के साथियों को सुनने के बाद प्रतीत हुआ है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कुछ उलटफेर कर दिया हो। 2–3 महीने में ही इनको परेशानी होने लगी है। अभी तो इनको इन्तजार करना चाहिये। अभी ढ़ाई-तीन महीने ही होने वाले हैं इतने कम समय में हमारे मित्रों को बहुत परेशानी होने लगी है। इस देश पर 50 साल तक हमारे मित्रों ने राज्य किया है और इन 50 सालों में जो देश की दुर्गति हुई है। इनकी नीतियों के कारण आज 8 हजार रुपये का कर्ज प्रत्येक व्यक्ति पर है उसमें मुख्य मंत्री भी आते, और अन्य मंत्री भी आते हैं उसमें आप और मैं भी हूं। यह उन लोगों की देन है जिन्होंने 50 साल तक इस देश को गर्त में डाला है, हम पर लांक्षन लगाया जाता है कि बहुत बड़ा मंत्रि-मण्डल हो गया। (व्यवधान) बता रहा हूं देश के पूर्वी राज्यों का इतिहास उठाकर देखें असम, मेघालय, मणिपुर आदि कई राज्य हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 40–50 है और वहां मंत्रि-मण्डल 27–30 और 35 तक हुआ है। तो इस अनुपात में यहां बहुत कम है। यह मांग मंत्रि-मण्डल बड़ा नहीं है। मंत्रियों की संख्या इतनी संख्या कोई खास बात नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

अभी कुछ जगहें खाली छोड़ रखी हैं । (हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी–

इस बहाने से उनको मत फुसलाइये ।

श्री अजय भट्ट–

हमारी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ हमारे विपक्ष के मित्रों ने बिलकुल नहीं किया अपना ध्यान हटा दिया है । कभी ऐसा हुआ है कि 108 भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों को बिल्कुल हटा दिया गया हो । आजादी के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती वर्ष 50 सालों में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया था कि उसका उपाय जरूरी हो गया था । हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार ने 108 लोगों को बिल्कुल हटा दिया बरखास्त किया 183 लोगों को मुअत्तल किया । इतना ही नहीं 4061 लोगों को हमारी सरकार ने सम्मानित भी किया है जिन्होंने इस देश को बल बैभव की ओर ले जाने का काम किया था साथ ही उन लोगों को हतोत्साहित किया जो इस देश को रसातल की ओर ले जाने में सांठगांठ कर रहे थे । मान्यवर, मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जिसको उत्तराखण्डी कहा जाता है । वहां पर लिफ्ट कैनाल चल नहीं पा रही है ।

विद्युत की कमी के कारण कड़कती ठण्ड में कोयला व जलौनी लकड़ी नहीं है बन संरक्षण अधिनियम के कारण रोक लगी है, मेरे मित्र कहेंगे आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यह काम किया होगा । मैने इसी विधान सभा में खुद ही प्रश्न उठाया था लेकिन जवाब नहीं आ पाया 300 करोड़ रुपये का भुगतान विद्युत विभाग को पिछली सरकारों के समय का देना है विभिन्न विभागों ने उसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है । जो ऐश और मस्ती इस देश के सिपहसालारों ने की उसका दुष्परिणाम यह है कि आज त्राहि-त्राहि मची है । चाहे विद्युत हो, चाहे खाद्यान्न हो हर क्षेत्र में पिछले समय में किये गये कार्यों का दुष्परिणाम हम उठा रहे हैं । खाद्यान्न के मामले मे हमको मजबूर किया जा रहा है सड़ा गला अनाज लेने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह तो केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाने, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है मेरा कहना है कि जो सही बात हो उसको सुनने का माद्दा होना चाहिये और सही बात को कहने का नैतिक साहस भी होना चाहिये । राशन का कोटा देना केन्द्र सरकार का अधिकार है और केन्द्र सरकार ने कोटा घटा दिया है केन्द्र सरकार से जितना कोटा मिलना चाहिये यह नहीं मिल रहा है । जैसे कन्ट्रोल वाला दुकानदार उतनी ही चीनी बांटेगा जितना उसे गोदाम से मिली हो उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ केन्द्र द्वारा दिये गये राशन का वितरण करती है सड़ा-गला अनाज आ रहा है और वह भी नहीं आ रहा है ।

खाद्यान्न की जो नई योजना चलाई गई थी वह फेल हो गई है और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिये जगह-जगह आलोचना हो रही है कि अनाज की कमी हो गई है ला एण्ड आर्डर की बात विपक्ष द्वारा कही गई । प्रदेश का ला एण्ड आर्डर पिछले 50 सालों में इतना अच्छा कभी नहीं रहा जितना आज है आप रिकार्ड उठा लीजिये इतना ही नहीं कांग्रेस एवं सपा द्वारा इतनी बड़ी साजिश हमारे साथ की कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में रामपुर चौराहे पर लोगों को गोलियों से भून डाला एवं मातृ रानी की इज्जत लूटी तथा निर्दोष का खून बहाया गया, निर्दोष लोगों को गोली से भूना गया । कम से कम हमारी सरकार ने तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाया । और जब अयोध्या में लाखों हजारों निर्दोष लोगों पर गोली चलाने की बात आई तो हमारी सरकार ने खून खराबे के बजाय अपने को कुरवान कर दिया तथा कुर्सी की परवाह नहीं की और यह साबित कर दिया कि हम देश की

जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिये आगे आये हैं । इतना ही नहीं उत्तराखण्ड आन्दोलन में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० अधिकारी भी उसमें मुल्जिम थे उस मुकदमें से संबंधित महत्वपूर्ण गवाह श्री सुभाष गिरि को 7 जनवरी, 97 को ट्रेन में मरवा दिया गया यह सब संयुक्त मोर्चा की सरकार में हुआ जिसको हमारे उधर के मित्र कांग्रेस एवं जनता दल सपा वाले चला रहे थे । इतने महत्वपूर्ण गवाह को जान बूझकर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई । वह इधर भी उधर भी दोनो लोगों के लिये कह रहा हूं । इतना ही नहीं सी०बी०आई० द्वारा जानबूझकर 11 दिन डिले करके चार्जशीट पेश की गई जिसकी वजह से मुकदमा टल गया । हमारी सरकार ने पैरवी की है और यह हाई कोर्ट में चल रहा है । मान्यवर, मैं और अधिक समय न लेकर इतना ही अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि सत्य सत्य होता है दूब की जड़ हमेशा हरी होती है । सत्य को कहने, सुनने और सहने की स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिये । अभी इन्तजार कीजिये । इतना तीन महीने में देखा है साल भर में जो परिणाम आयेंगे वह जरुर दिखाई देगें । धन्यवाद ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं श्री बाल चन्द्र मिश्र जी के द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर, अपने को सम्बद्ध करते हुये इसी पर अपने विचार रखना चाहता हूं । कई मित्रों ने कुछ जुम्ले उछाले हैं कोशिश करुंगा कि उन तक पहुंचने का प्रयास करूं ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच मिनट में ही पहुंचने का प्रयास करियेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् हम तो आपके अनुशासित सदस्य हैं । आपका इशारा ही मेरे लिये काफी है । श्रीमन् इतनी लफवाजी हुई है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और श्रीमन् बहुत चमकदार कागज पर, बढ़िया कागज पर अच्छी छपाई में छाप कर यह जो ग्रन्थ लिखा गया है और इसके बारे में जो धन्यवाद का प्रस्ताव उसके बाद आया तो कितना बच गया था । मुझे संसदीय ज्ञान कम हो सकता है और मैंने सदैव विनम्र भाव से अपने को अल्पज्ञ कहा है । आप संसदीय ज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता है लोकतंत्र में आचरण और नैतिकता की बात भी बहुत करते रहे हैं आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया है बल्कि उनके चाहने वाले लोग भी चेहरे की बदली तस्वीर देख रहे हैं । आज बहुत से लोग असंतुष्ट हैं । बाबूराम जी यादव दुःखी हैं मुख्य मंत्री जी की ऐसी छवि से कई ऐसे दूसरे साथी है जो अपनी पीड़ा बयान करते हैं लेकिन दलीय मर्यादाओं में होने के कारण यह बात यहां नहीं कहते लेकिन यहां से बाहर निकलकर कहते हैं । मुख्य मंत्री जी स्वयं आइने के सामने जायं तो उन्हें अपनी तस्वीर नजर आ जायेगी कि वह कहां से कहां पहुंच गये हैं मान्यवर, यहां पर जो लम्बी चौड़ी बाते कहीं गई हैं मैं उनसे हटकर निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अधिभार की बात नहीं अजनवी सरकार की बात करें और अगली दुनिया के अफसाने छोड़कर इस जहन्नुम जहां की बात करें इस जहन्नुम जहां की बात करें । श्रीमन् प्रदेश की जो स्थिति है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और मुख्य मंत्री जी के नुक्कड़-नुक्कड़ पर लगी हुई तस्वीर में जो इबारत लिखी गई है "भयमुक्त समाज होगा, कानून का राज होगा" मान्यवर, इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, वह असत्य साबित हुआ है ;

मान्यवर, यह जो सरकार आई है तब से राज्य में भ्रष्टाचार आया है । इन्होंने अपने मंत्रि-मण्डल में अपराधियों और माफियाओं को चुनकर शामिल किया है इससे यह साबित करने के लिये कि अपराधों मे कमी हुई है क्योंकि अपराधियों को मंत्री बनाकर उनके बगले पर पी०ए०सी० लगा दी गई है ताकि रात को निकलकर यह अपराध नहीं करेंगे और इससे अपराधों में कमी आयेगी । लेकिन इनके ऐसा करने के बाद भी अपराधो पर नियंत्रण नहीं लगा है । श्रीमन् यह इतना दम्भ भरते हैं अगर शर्म की

एक रेखा भी सामने होती तो यह बात ये इतने दावे से न कहते । यह सरकार के मुंह पर तमाचा है कि इस विधान सभा परिसर के बाहर 100, 200 गज एक किलोमीटर की परिधि में कल की घटना, परसों की घटना नरसों की घटना इसी तरह से आगे बढ़ते जायें घटनाओं में कमी नहीं हुई है । चार महीने में जो अपराध हुये हैं, डकैती हो हत्या हो आर्थिक अपराध हों उसमें सरकार लिप्त है उसकी चर्चा अलग से करना चाहूंगा । अगर आपकी अनुमति होगी तो कहूंगा । अपराध समाज में जिस तरह से बढ़े हैं इतने माफियाओं को मंत्री बनाने के बाद इसमें नियंत्रण नहीं हो सकता है यह सरकार कहती है कि अमन का राज्य होगा, भयमुक्त समाज होगा दंभ और आडम्बर का जिसमें नाम नहीं हो सकता है । गांव के बारे में किसानों के बारे में इस सरकार का कितना ध्यान है मैं नहीं समझता था कि नगरीय क्षेत्र से चुनकर आने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति भेदभाव रखते हैं । मान्यवर, पृथ्वी के वक्षस्थल पर उठे हुये फफोलों को यह सरकार नजरअंदाज कर रही है । पूरी लिस्ट में गांव नहीं हैं गांव के विकास के जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे थे वह सारे कार्यक्रम रोक दिये गये उनको दूसरी तरफ डायवर्ट कर दिया गया । पहले एक सरकार थी आपको उम्मीद थी, सबको थी, छः महीने पांच महीने फिर चार महीने, महीनों के जंजाल में फंसी सरकार चली गई अब यह सरकार आई है ।

(लाल बत्ती होने पर)

लाल बत्ती से मुझे बहुत डर लगता है इसको बन्द कर दें । लालबत्ती से पूरा प्रदेश आक्रान्त है ।

श्री अधिष्ठाता–

लाल बत्ती हो गई खत्म करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मै दो तीन तथ्यों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । बालचन्द्र जी निश्चित रूप से प्रस्ताव रख दिया है उसको स्वीकार करें या न करें यह अलग बात है । मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि गल्ती से इसमें छप गया है सरकार ने जानबूझकर गल्ती की है, मै दोहराना नहीं चाहता हूं । कल विधान सभा में इसकी चर्चा आई कार्य-स्थगन के माध्यम से । नेता विरोधी दल ने किसानों की हालत और धान की फसल का जिक्र किया उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि चावल की खरीद रिकार्ड हुई है मैं धान की बात नहीं करता इसमें लिखा है आपने देखा होगा । धान की खरीद हेतु इस सीजन में विशेष व्यवस्था कर पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना अधिक धान क्रय किया गया है ।" श्रीमन् महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पृष्ठ–11 में दर्ज है धान की खरीद नहीं हुई है । दोनों तकनीकी कारण बताये गये हैं ।

इन्होंने लिखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना धान खरीदा गया । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एक जिक्र बलिया जनपद का आया है बलिया जनपद ऐसा रहा है जहां आजादी की लड़ाई में जो योगदान बलिया के लोगों का रहा है माननीय मंत्री जी अनेकों योजनायें चलाकर भी बलिया के आजादी के दीवानों का ऋण नहीं उतार सकते हैं । मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी बलिया मार्ग दिल्ली बाइपास मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जा चुका है मौजूदा सरकार के प्रयास से नेशनल हाइवे घोषित किया गया है एक वर्ष से अधिक हो गया, माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष से अधिक हो गया बलिया वाराणसी मार्ग को गाजीपुर और हाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग के रूप में चिन्हित किया जा चुका है । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । पिछली सरकारों की बातों को भी इस दस्तावेज में शामिल कर लिया है । यह कहना कि कानून व्यवस्था पहले जर्जर थी, खजाना खाली था, यह ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

सरकारी कर्मचारियों की बात करते समय कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि निगमों के कर्मचारियों की तनख्वाहें भी बढ़ाने की सोच रहे हैं पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को हम लागू करना चाहते हैं यह बात करते समय इस विधान सभा परिसर में बाहर से जहां से हम आते हैं वहां पर जो लोग बैठे हैं उनकी बात भी कर लेते डाला और चुर्क सीमेंट कारखाने के गरीब मजदूर पिछले आठ महीनों से तनख्वाहें न मिलने के कारण भटक रहे हैं अगर उनकी बात ध्यान में रखते तो इतनी बड़ी लफ्फाजी करने में उनको शर्म आती। भ्रष्टाचार इस सरकार के पोर-पोर में व्याप्त है जहां पर हाथ रखों वहीं दर्द है। मै एक उदाहरण देना चाहता हूं। बलिया जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एस०डी०ओ० इन्चार्ज थे श्री आर०एस० पाण्डेय जिनके खिलाफ 5.50 करोड़ रूपये के मामले में 18 एफ०आई० आर० दर्ज हैं जांच पता नहीं कैसे चल रही है वहां पर मंत्रियों की गाड़ी में घूमते देखे गये। उस एस०डी०आर० को प्रोमोट करके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया जिनके खिलाफ 6.50 करोड़ रुपये का घपला करने का आरोप व जिनके विरुद्ध 18 एफ०आई०आर० दर्ज हैं यह भ्रष्टाचार का एक नमूना है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

महिलाओं के लिये इस सरकार के सीने में दर्द है महिलाओं का यह सरकार ध्यान रखेगी, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी, उनका बड़ा सम्मान करेगी, महिला उत्थान के लिये योजनायें बनाई जायेंगी, इसके बारे में पूरा का पूरा पृष्ठ है लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। जब महिला आयोग की सिफारिश का प्रस्ताव था तो इसके पक्ष में अनेक तर्क और दलीलें दी जा रही थीं उसको भंग करने का काम इस सरकार ने किया है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात सुनने में सचमुच बड़ी अच्छी लगती है। और प्रदेश की जो हालत है, किसी क्षेत्र में पहुंचे गड्ढामुक्त सड़कें होंगी, यह बहुत खूबसूरत नारा है। बलिया जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक भी सड़क गड्ढामुक्त नहीं है। यह जो मैं अपनी बात रख रहा हूं उसे राजनीतिक तर्क के लिये न समझें। माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिये अपनी बात कह रहा हूं। हमारे जनपद में एक भी सड़क पूरी तौर पर गड्ढामुक्त नहीं हो पाई है। पेंच बनाने का कार्य जितनी शिथिलता से किया जा रहा है उससे और भी बदतर हालत सड़कों की है। गड्ढामुक्त सड़कों का जो नारा है वह पूरी तौर पर कागजी होकर रह गया है। सड़कों की हालत बहुत दयनीय और जर्जर स्थिति में है। आई०सी०डी०एस० की जो स्कीम है उसके बारे में पहले एक प्रस्ताव आया था कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में यह परियोजना शुरू की जायेगी मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी ब्लाक में यह परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है। 17 ब्लाक्स में से 4 में नाममात्र के लिये शुरू की गई है। उसमें मेरी प्रार्थना है कि नये विकास खण्डों को सम्मिलित करते समय गढ़वाल, सोहांव और हनुमान गंज को अवश्य सम्मिलित करें। आखिर गंगा से, भाई अम्बरीष जी ने शुरू किया था और गंगा हरिद्वार से निकल कर बलिया जनपद में सारे पुण्य, पाप समेटते हुये वापस चली जाती हैं वहां के बारे में अन्तिम बात कहना चाहता हूं।

गंगा के किनारे गांवों के भयावह कटान की वजह से कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद कई गांव की धारा में विलीन हो गये है। एक या डेढ़ करोड़ रुपये की ऐसी परियोजना है जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और कई गांवों को बचाया जा सकता है वे स्वीकृत योजनायें हैं। टी०सी० से पास हैं सरकार के स्तर पर स्वीकृत हैं उनके लिये धन देने की कृपा करें। अन्त में आखिरी बात कहना चाहता हूं पूर्वान्चल विकास निधि के संबंध में। मैंने इस संबंध में निवेदन किया था और व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से और औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाकर भी पूर्व की स्वीकृत योजनाओं पर यथानुसार धन दिये जाने का आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी देना शुरू करेंगे। इसी के साथ जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी असत्य बातें कही गई हैं उनको पुख्ता

करने के लिये और बड़े आडम्बरों का सहारा लिया गया है । इन सबको बेनकाब करते हुये मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । धन्यवाद ।

* श्री बेचन राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो समय दिया है उसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले भी बहुत सी सरकारें इस प्रदेश में रही हैं । मैं अपने प्रतिपक्ष के मित्र साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी हमारे भाई, स०पा० के विधायक बोल रहे थे, मिथ्या कटाक्ष कर रहे हैं । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब उनके मुखिया की सरकार प्रदेश में थी तो पूरे प्रदेश में जंगलराज छा गया था, कब किसकी हत्या हो जाय, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था । घर से निकलने के बाद परिवार के सदस्य यही सोचा करते थे कि व्यक्ति लौटकर आयेगा या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह हरदम बना रहता था । जहां तक विकास की बात आप कर रहे हैं, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता गांव, गरीब, किसान, झुग्गी-झोपड़ी के इन्सान का चतुर्दिक विकास करने की है । हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम प्रदेश को भयमुक्त बनायेंगे । मैं गांव का रहने वाला हूं पहले वहां सपा का आदमी जीतकर आता था, अब जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लगातार चुनाव जीतता हूं । पहले वहां हत्यारों का दौर चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में जब से मैं चुनकर आया हूं, वहां हत्याओं के दौर में कमी आई है, पूरे जिले में कमी आई है, मैं पूरी तरह समाप्त होने की बात तो नहीं कहता लेकिन मेरा आंकलन है कि इसका ग्राफ घटा है ।

मैं अपने साथियों से यह भी कहना चाहूंगा कि वह नारी के उत्थान की बहुत बात करते हैं । जहां तक महिला आयोग की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था । हमारे देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता जो कुछ ही दिनों में इस देश के प्रधान मंत्री होने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम 35 प्रतिशत का आरक्षण देंगे । हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता" । मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि सन् 2000 तक ऐसे गांवों को, जिनकी एक हजार से अधिक आबादी है, की सड़कों को लेपन स्तर तक बनाकर जोड़ेंगे । मान्यवर, मेरा मानना है कि जब प्रत्येक गांव में विद्यालय नहीं होगा, 5 हजार से 20 हजार तक आबादी पर हास्पिटल नहीं होगा, तब तक सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता । इसीलिये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम विद्यालय बनवाकर मासूम बच्चों को शिक्षित करेंगे । इतना ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जैसे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार ने पूर्व में बच्चों को जेल में भेजने का काम किया, हथकड़ियां पहनाईं, मैं बताना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है ।

हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान लड़के-लड़कियां जो आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के मामले में अन्य राज्यों से पीछे हैं, उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाकर उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में आगे लाना चाहता हूं । मै कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने नकल की छूट दिया था और तब लड़के नकल करके पास होते थे, आज इनके सीने में दर्द हो रहा है, जब हम एक लाख दस हजार नौजवान लड़के-लड़कियों को नौकरी देने जा रहे हैं, इनको अभी से कष्ट होने लगा है । यह अपने लोगों को कम्टीशन के योग्य तो बना नहीं सकते । अब जो बुद्धिमान होंगे, उन्हीं की इस एक लाख दस हजार में नियुक्तियां होगीं । अब जो भर्ती की प्रणाली बनाई गई है, वह बहुत ही पारदर्शी है । मै यह भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने निर्णय लिया है, अपराध के क्षेत्र में । अभी ही हमारे एक साथी 83 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी, निलम्बन की बात बताते हैं । यह पहली सरकार है, जिसने इस प्रकार का कदम उठाया है, आपकी सरकार के जमाने में आप ही के लोग डकैतियां डलवाते थे, हत्यायें करवाते थे, यह सरकार ईमानदारी का परिचय दे रही है । उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपने जो मुझे अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय से समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं और प्रतिपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि उन्होने जो इसमें संशोधन दिये हैं उनको वह वापस ले लें । धन्यवाद ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मा० अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतिगत वक्तव्य होता है और सम्पूर्ण रूप से सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है । मान्यवर, मैंने अभिभाषण की पुस्तिका को जहां तक पढ़ा हूं तो उससे लगता है कि सारी घोषणायें चतुराई के साथ करने का प्रयास किया गया है । भयमुक्त समाज और विधि सम्मत शासन की चर्चा आकर्षक शब्दों में की गई है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के सबसे विशाल प्रदेश में यह पहली सरकार है जिसने 50 वर्षों के लोकतंत्र में राजनीति क्षेत्र में एक नई संस्कृति इस सरकार ने पैदा किया और नये तौर तरीके से सरकार में आने का प्रयास किया है । मान्यवर, यह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में पहली सरकार है जिसको इतना विशाल जम्बो मन्त्रि-मण्डल बना है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका में प्रदेश की जनता को भयमुक्त करने का वायदा किया गया है । लेकिन यह पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के कानून विरोधी और अपराधिक क्षेत्र के कुख्यात लोगों को मंत्रि-मण्डल में शामिल करके उन्हें महिमा मण्डित किया गया है । इस प्रदेश में इस सरकार ने यह काम पहली बार शुरू किया है । मान्यवर, सरकार ने समझा कि जब यह अपराधिक लोग सरकार से बाहर रहेंगे तो सरकार के लिये खतरा पैदा करेंगे इसलिये नये तौर तरीके से इन अपराधिक लोगों को महिमा मंडित करके मंत्री बनाया गया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार प्रदेश को जनता को तो भयमुक्त नहीं कर पाई प्रदेश के कुख्यात, माफिया लोगों को जरूर भयमुक्त कर दिया है और वह लोग पूर्णतः भयमुक्त हो गये हैं ।

मान्यवर, यह सरकार नैतिकता और सत्विक जीवन की बात करती है तो मैं बताना चाहता हूं कि विगत दिनों विश्वासमत अर्जित करते समय जिस सरकार ने संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन किया है बहुमत अर्जित करने के लिये कोई ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा जिसको न अपनाया हो और तब जाकर बहुमत प्राप्त किया । इसके बावजूद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनकी प्रसंशा कीगई है । भा०ज०पा० ने अनैतिक हथकंडा अपना कर तथा कई दलों से दल-बदल कर सरकार बनाने का काम नैतिक मूल्यों की सरकार ने बात कही है । आपने सरकार बनाने में किस प्रकार के हथकंडे अपनाये क्या यही आपके नैतिक मूल्य है ? वित्तीय अनुशासन की बात अभिभाषण में कही गई है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश का इतना विशाल मंत्रिमण्डल है कि इससे बड़ा मंत्रिमण्डल शायद ही कभी रहा हो । इस विशाल मंत्रि-मण्डल के रख-रखाव और सुख-सुविधा में ही प्रदेश का समूचा संसाधन निकल जायेगा । आम जनता तक तो क्या पहुंचेगा ? जब विगत चार महीनों में एक करोड़ की चाय आपका मंत्रि-मण्डल पी गया तो वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा करना कहां तक उचित होगा ?

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं अपने दल का नेता हूं और नेता होने के नाते मुझे थोड़ा अधिक समय मिलना चाहिये । मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दें .

श्री अधिष्ठाता–

आपको कितना समय चाहिये अपना भाषण समाप्त करने में ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

बस मान्यवर, पांच मिनट का और समय लूंगा । मान्यवर, मैं पूरे सूबे की बात नहीं करना चाहता हूं । मैं जिस हलके से निर्वाचित हो आता हूं पूर्वांचल का वह सबसे पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र है, देवरिया वहां पर छोटी गण्डक नदी बहती है । वहां पर बैकुन्ठपुर तथा गोरियाघाट पर पुल बनाने का वादा 1952 के आम चुनाव से ही होता आ रहा है गोरयाघाट पर पुल के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति भी सन् 1991 में मिल चुकी है । लेकिन इतने लम्बे अन्तराल के बाद वित्तीय स्वीकृतिं जो सरकार नहीं दे पाई, वह सरकार समय-बद्धता का दावा करती है । तो यह है आपकी समय बद्धता । मैं अपने मन की पीड़ा कह रहा हूं । राष्ट्रपति शासन के दौरान मैंने भारत सरकार के रेल मंत्री जी से निवेदन किया था, हमारे यहां देवरिया नगर में एक रास्ता महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल कुशीनगर को जाता है । उक्त कसया रेलवे ढाला पर ओवर ब्रिज बनाने की बात थी, उन्होंने इस आशय का एक निवेदन उत्तर प्रदेश सरकार से किया कि वह अपना अंशदान इसमें दे तो रेल विभाग पुल निर्माण करने हेतु तैयार है । महामहिम राज्यपाल जी ने भी इसमें 13 मार्च अपनी स्वीकृति भारत सरकार को भेजा लेकिन उसका जिक्र इस अभिभाषण में कहीं नहीं है । बेरोजगारी दूर करने और रोजगार देने का जिक्र इस अभिभाषण में आया है ।सरकार को यह सोचना चाहिये कि कम से कम रोजगार को इस ढंग से परिभाषित करें कि प्रदेश में ऐसे कितने परिवार हैं, जिनकी आमदनी 5 हजार रुपये मासिक है क्योंकि किसी भी परिवार को शालीन जीवन जीने हेतु कम से कम 5 हजार रुपये की आय होनी चाहिये । मेरा मानना है कि प्रदेश की सरकार ऐसे परिवारों की गिनती करे कि ऐसे परिवार कितने हैं, जिनकी आमदनी पांच हजार रुपये से कम है और जितने ऐसे परिवार हैं उन परिवारों के वयस्क बालक और बालिकाओं को बेरोजगार माना जाये और तब बेरोजगारी के सभी आयाम स्पष्ट हो पायेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की ओर से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है । सरकार ने इसको संज्ञान में नहीं लिया है । मै कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आबादी 14 करोड़ हो गई है, अगर हम एक परिवार 5 आदमियों का मानें तो 2 करोड़ 80 लाख परिवार हुए और अगर एक परिवार में एक बेरोजगार माने तो मोटे तौर पर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हुये, लेकिन उनके लिये इस अभिभाषण में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है । कोई भी सार्थक बात नहीं कही गई है ।

8वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा की रिपोर्ट है, जिसमें हिन्दुस्तान का अकेला प्रदेश उत्तर प्रदेश है जिसमें रोजगार की दर 0.6 है और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लिखा है कि यह सरकार सभी बेरोजगारों को लाभपूर्ण रोजगार देने का कार्यक्रम बना रही है । इस प्रकार की घोषणाओं से आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पायेंगे । 9 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की सरकार ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था । 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा था । मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान का पहला सूबा है जहां 8वीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर विकास दर 2.9 तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी आप 7 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा करते हैं । मान्यवर, आज प्रदेश में 6 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की अधिष्ठाणित क्षमता है जबकि उत्पादन मात्र 2 हजार मेगावाट है तथा विद्युत की मांग 3 हजार मे०वा० से अधिक है । सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने की बात करती है, किन्तु अभिभाषण में ठोस कार्य योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया है । मैं कहना चाहता हूं कि 3 हजार मेगावाट से अधिक की मागं है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे ?

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया । उसकी संस्तुतियों को राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पर लागू की और आपने बड़े दावे के साथ कहा कि हमारा यह प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां सबसे पहले लागू की गयी हैं, राज्य कर्मचारियों पर तो आपने लागू कर दिया है लेकिन जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं और बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं, चाहे वे प्राथमिक शिक्षक हों और चाहे माध्यमिक शिक्षक हों, उनके बारे में अभी तक आपने उस रिपोर्ट को लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है और आप यह बहाना बनाते हैं बजाज समिति का जब 1989 में कर्मचारियों के संघ से एक समझौता हो गया कि केन्द्रीय वेतन आयोग की जो संस्तुतियां होंगी उन्हें पूरा का पूरा लागू करेंगे तो अब उसे पूरा लागू न करने में बहाना बना रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, चुनाव का ऐलान हो गया है चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है इसलिये लागू नहीं कर पा रहे हैं । उनके एक मंत्री श्री लालजी टण्डन का बयान मैंने अखबार में पढ़ा है उनका कहना दूसरा है और मा० मुख्य मंत्री जी का कहना कुछ और है तो यह परस्पर विरोधी बातें करते हैं । पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिये । नहीं तो जो अभिभाषण में कहा गया है वह असत्य होगा, अब मैं क्षेत्रीय असंतुलन की बात करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने 5 मिनट का समय मांगा था और 12 मिनट से ज्यादा हो गया है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्षेत्रीय असंतुलन का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा । प्रदेश सरकार के मन में कहीं न कहीं दर्द होगा कि आजादी के बाद विगत 50 वर्षों में तीव्रता से बढ़ी हमारे मुल्क की तरक्की जिस ढंग से हुई है उससे देश में क्षेत्रीय विषमता है । और उस विषमता का सबसे बड़ा शिकार पूर्वांचल हुआ है । प्रदेश की 14 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और पूर्वांचल विकास निधि में 92 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है । और वहीं उत्तराखण्ड जिसकी आबादी 59 लाख है एक करोड़ भी नहीं है उसे 677 करोड़ रुपया दिया गया है । सन् 1962 में पं० नेहरू ने पूर्वांचल की दुर्दशा को देखकर पटेल आयोग गठित किया था उसने 1964 में अपनी संस्तुतियां भी संदर्भित कर दीं लेकिन 1964 से वह आज तक योजना आयोग की धूल चाट रही है । जब पूर्वांचल में नदियों में बाढ़ आती है तो भीषण तबाही वहां होती है । इस अभिभाषण में बाढ़ नियंत्रण तथा उससे राहत के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

पूर्वांचल में बाढ़ नियंत्रण के लिये पंचेश्वर तथा आलू वांच परियोजना को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया । जब तक वहां के विकास की योजनाओं पर अमल नहीं होगा पूर्वांचल का विकास नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें नहीं तो अब नहीं लिखा जाएगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूं । आज प्रदेश की आबादी का 45 प्रतिशत इन्सान गरीबी की रेखा के नीचे है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को उठाने के लिये वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया है । अभिभाषण पर मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है । उस पर मैं बल देता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद ।

* श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, वर्तमान सरकार की सौ दिनों की उपलब्धियां सारे देश में सर्वविदित है । मा० मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय अनुशासन की बात कही है और पैसे का उचित उपयोग हो इस पर पूरा ध्यान दिया है । इस सरकार की प्राथमिकतायें हैं चुस्त कानून व्यवस्था, भय मुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, गांव गली, झुग्गी झोपड़ी के इन्सान की सुरक्षा, नारी, महिला उत्थान, यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकतायें हैं । समग्र विकास भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है इसके लिये न केवल एक गांव, एक जिला बल्कि समग्र विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी का है । मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में बी० डी० सी० के सदस्यों के चुनाव नहीं हुये थे जो कराये गये हैं । प्रदेश सरकार द्वारा उनको वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया नौकरियों में भर्ती की नयी प्रणाली और क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है । 1 लाख 10 हजार बेरोजगार नौजवानों की भर्ती के लिये वर्तमान सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है । रजिस्ट्री बैनामों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । पहले 2 से लेकर 10 परसेंट काला बाजारी रेट पर स्टाम्प मिलता था ।

इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और फ्रैंकिंग मशीन की व्यवस्था की गयी है । वर्तमान सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । प्रत्येक सप्ताह में वृहस्पतिवार को किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों की छोटी-मोटी समस्याओं का निराकरण किया जाता है । इसी तरह से तहसीलों पर प्रत्येक मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है । इसमें क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को लेकर वहां जाती है और संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं । अपराधों की रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था की गयी है । पूर्व की सरकारों में आदमी घर से निकलता था चाहे नौकरी पर जा रहा है या बिजनेस पर जा रहा हो शाम को वापस घर आना कठिन था । यह निश्चित नहीं थी कि वह घर आयेगा या नहीं । अब अपराधों की प्रभावी व्यवस्था की गयी है ।

आर्थिक अपराधों की उच्च स्तरीय जांच के लिये आदेश समय समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये जाते हैं । चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, आम जनता हो या कोई बड़ा नेता हो यहां तक कि अम्बेडकर पार्क के निर्माण में भी जो धांधली की गयी उसकी जांच के लिये उच्च स्तरीय आदेश दिये गये हैं । ग्रामीण जीवन के प्रति इस सरकार ने कई नये आयाम घोषित किये हैं । सम्पर्क मार्गों के जरिये गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है । एक हजार किलोमीटर नहर की पटरियों को लेपित करने का काम इस सरकार ने किया है । खाली हाथों को काम देने की योजना को सरकार ने चालू किया है । जवाहर रोजगार योजना के जरिये तमाम बेरोजगारों को काम देने की योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने चालू की है । राजस्व व्यवस्था में मौलिक सुधार किये गये हैं । दैवी आपदा, ओला वृष्टि, अतिवृष्टि के कारण फसलों को भारी क्षति हुयी है ।

वर्तमान सरकार ने इसको मद्दे नजर रखा है । सिंचाई की वसूली, राजस्व की वसूली रोकने के लिये आदेश दिया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान कदम है । किसानों की सुविधा के लिये खाद की मात्रा उपलब्ध कराने के लिये, कीटनाशक दवाइयों के लिये 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करके एक क्रान्तिकारी कदम वर्तमान सरकार ने उठाया है । सिंचाई की व्यवस्था में नहरों की सफाई, उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने की है । रसायनिक खादों की तस्करी में रोक लगाने के लिये सरकार ने व्यवस्था की है । जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर आपके यहां रसायनिक खाद की तस्करी की गई या कीटनाशक दवाइयों में मिलावट की गई तो उसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इस तरह की कार्यवाही करके सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाया है । गन्ने के लिये किसानों को लाभान्वित करने के लिये शीघ्र पकने वाले गन्ने के लिये 80 रुपये प्रति क्विंटल तथा देर से पकने वाले गन्ने के लिये 75 रुपये प्रति कुन्टल की दर निर्धारित करके किसानों के लिये भुगतान की व्यवस्था की है ।

मान्यवर, इसी तरह से गड्ढामुक्त सड़क के लिये 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 20 करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया है । कोने-कोने की सड़कें पिच बनाकर ठीक करने की व्यवस्था की है और 25 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों को अभी तक गड्ढा मुक्त किया जा चुका है । स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अस्पतालों में जहां बड़े-बड़े डाक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है जिसके नाते नर्सिंग होम में आम आदमी को जाने में परेशानी होती थी उससे अब राहत मिलेगी । इस तरह विकास के कार्यक्रमों को लागू करके वर्तमान सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कांग्रेस दल से अभी कोई नहीं बोला है फिर बाद में यह बात न आये कि हमको जल्दी अवसर नहीं दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, शाक्य जी को बोल लेने दें उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी एक निवेदन मैं सदन से कर लूं । मेरे पास इस तरफ के तो बहुत से व्यक्तियों के नाम आये हैं लेकिन प्रतिपक्ष की तरफ से एक दो ही नाम आये हैं । मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति अपने विचार प्रकट करना चाहें कृपया करके अपने नेता या सचेतक के माध्यम से अपने नाम भिजवा दें । मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं तो एक इधर से और तीन उधर से बुलाना पड़ेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक चीज यह भी तय कर लें कि आप इसका कितने बजे समापन चाहेंगे । मुख्यमंत्री जी कितने बजे बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच बजे तक सारे कार्यक्रम समाप्त हो जायं । इसी दृष्टि से कह रहा हूं कि आप लिखकर दे दें तो समय का वितरण करना आसान रहेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को मौका दूंगा । जितने भी लोग हैं आप जानते हैं आप एक-एक व्यक्ति को मौका दे दें । एक आदमी का समय तो इसको डिसकश करने में ही निकल गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं यह डिस्कशन नहीं है, सूचना है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन पर विचार रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं । बेहतर होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद होते । अभी चर्चा में कई बातें आई । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । इस देश में जातिवाद है इस देश में सम्प्रदायवाद की समस्या है, भाषा की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है । हमको यह देखना होगा कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था ? हमारा देश तीन मुख्य कारणों के आधार पर गुलाम हुआ था । मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता । आतंकवाद, साम्प्रदायवाद और जातिवाद की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सदन की मर्यादा का ध्यान रखें और आपस में टीका टिप्पणी न करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की तरफ से व्यवधान हो रहा है । मान्यवर, यह सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक सद्भाव दो बातें प्राथमिकता के आधार पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दी गई है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव कैसे स्थापित होगा, सामाजिक समरसता कैसे होगी ?

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप उत्तरदायी पुराने सदस्य हैं अपने आदमियों पर नियंत्रण रखें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सामाजिक समरसता साम्प्रदायिक सद्भाव यह कैसे स्थापित होगा । इस तरह की सरकार की कोई ठोस योजना नहीं है क्योंकि सम्प्रदायवाद के बल पर यह सत्ता पर कुर्सी पर हावी होना चाहते हैं । सामाजिक समरसता को खत्म करके सत्तासीन रहना चाहते हैं तो जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि असत्य है । यह न तो साम्प्रदायिक सद्भाव को स्थापित करना चाहते हैं सदन में जो कहते हैं, इनकी कथनी-करनी में अन्तर है । मुख्य मंत्री सदन के बाहर कुछ और सदन के अन्दर कुछ कहते हैं । मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात कहना चाहता हूं अपराधी की कोई परिभाषा नहीं है । मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह अपराधियों का संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं । सत्ता में अपराधियों को शामिल किया गया है और कहा गया कि दोष सिद्ध हो जायगा तो मंत्रिमंडल से उनको निकाल दिया जायगा । मेरी समझ में नहीं आता है कि यह अपराध को परिभाषित करने के लिये कोई बिल या अध्यादेश क्यों नहीं ले आते हैं ?

अदालतों में , चाहे किसी अपराधी ने पचास कत्ल किये हों चाहे पचास डकैती डाली हों यदि गवाही नहीं मिलती है तो सारे अपराधी छूट जाते हैं अगर अपराधी हैं और मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो यह सही नहीं है । इनकी बगल में यदि कोई अपराधी व्यक्ति भी बैठ जाता है तो वह चरित्रवान हो जाता है । मैं गैंगस्टर एक्ट 146/91 थाना–बेवर मैनपुरी का जिक्र करना चाहता हूं जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो मुकदमें वापस ले लिये गये दुःख के साथ कहना चाहता हूं जिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया वह ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में शामिल पाया गया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं उसके दूसरे भाई पर पचास मुकदमें हैं तीसरे भाई पर तीस अपराधी मुकदमें कायम हैं । आपने जब मुकदमा वापस लिया तो यह नहीं सोच होगा कि उसका पंजा खूनी ब्रह्मदत्त द्विवेदी तक पहुंच जायगा वह ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में शामिल होगा । मान्यवर, राम सेवक यादव इटावा के हैं उसने कत्ल किये हैं । उसको सी० आई० डी० को दे दिया गया यह उसके जेल जाने का मौका था तो उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि लोकल बाडीज में वायदा किया था जिताने का काम करेंगे । सी० आई० डी०, मुकदमें की जांच करेगी तो कार्य करने की नीयत एक होनी चाहिये ।

अपराधी आदमी को सी० आई० डी० कराकर जेल से बाहर रखते हैं यह खूनी पंजे आगे बढ़ेंगे या नहीं यह तो वक्त बतायेगा । मान्यवर, जहां तक सुरक्षा का सवाल है ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे घूम रहे हैं मैंने पहले एक सवाल उठाया था अपनी सुरक्षा के बारे में सवाल उठाया था तब सरकार ने जबाव दिया था कि दो सुरक्षा गार्ड लगा दिये गये हैं लेकिन जब से यह सरकार आई है हमारी सुरक्षा के लिये लगे गार्ड हटा लिये गये हैं । 18 जनवरी को एक शासनादेश हुआ था कि दो आरक्षी सुरक्षा हेतु लगा दिये जायेंगे लेकिन नहीं लगाये गये । 21 जनवरी को फिर एक शासनादेश हुआ उसमें कहा गया कि उस शासनादेश का परिपालन किया जाय उसके बाद वहां के एस० एस० पी० ने उसका परिपालन नहीं किया । उन हत्यारों से, उन बदमाशों से मुझे लड़ना पड़ता है जो श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे हैं । श्री कल्याण सिंह और वहां के एस० एस० पी० हमारी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं । वे लोग मुख्यमंत्री के दायें बायें घूमा करते हैं । यह सवाल केवल हमारा ही नहीं है यह सवाल सारे विपक्ष के लोगों का है । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश में इस समय विश्वास की कमी आई है । आप सिक्ख समुदाय के हैं इस देश के इतिहास में आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान सिक्ख लोगों का रहा है । आजादी के बाद सिक्खों को, ईसाईयों को, बौद्धों को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी जातियों के लोगों में आपसी विश्वास को खत्म कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

आप जिस समय लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे उस समय हमने एक जांच करवाई थी उसके बाद श्री मुलायम सिंह जी की सरकार आई थी उन्होंने जिनकी हमने शिकायत की थी उन सारे इंजीनियरों को दण्ड दिया था । मैनपुरी जनपद में सारी की सारी सड़कों को अधिशासी अभियन्ता उस पैसे को खा रहे हैं । वहां पर मिट्टी उखड़ रही है जो मानक होने चाहिये वह मानक नहीं हैं । माननीय रघुवर दयाल जी आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिये कदाचित आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री छब्बू पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन् मैं इस सरकार की कुछ उपलब्धियों को आपके सामने लाना चाहता हूं । हमारे साथी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश के द्वारा छात्रों पर बड़ा अत्याचार किया मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो नकल विरोधी अध्यादेश जारी किया था वह पूरे देश ही नहीं दुनियां के लोगों द्वारा सराहा गया था मैं दावा कर सकता हूं कि हमारे प्रदेश के जितने बच्चे और उनके गार्जियन हैं किसी ने इस संबंध में शिकायत नहीं की । अभी कुछ माननीय सदस्य हथकड़ी की बात कर रहे थे क्या उनको कोई इस तरह की सूचना मिली है अगर मिली हो तो उसको बतायें ? उस वक्त जो बच्चे पढ़कर निकले सब मेरिट में आये । जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसी को पढ़ने लिखने की जरुरत नहीं है बिना पढ़ाई लिखाई के आप पी० एम० टी०, इंजीनियरिंग, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० बन जायेंगे यह दूसरे के बच्चों को बहकाते और अपने बच्चों से कहते कि पढ़ने लिखने से पोजीशन बनेगी ।

यह दोहरा मापदण्ड अपनाते । उनकी इन बातों को प्रदेश की जनता समझ गई है । हमारी सरकार ने एक लाख 20 हजार लोगों को प्रदेश में नौकरी देने की बात कही है पिछली सरकार के समय पिछड़ी जातियों के लोगों को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया लेकिन उसमें से 90 फीसदी नौकरी एक ही बिरादरी के लोगों को दी गई जबकि पिछड़ी जाति में 80 बिरादरी के लोग आते हैं । पिछली सरकार ने एक जाति विशेष के लोगों को ही नौकरी में वरीयता दी चाहे वह पुलिस में हो चाहे किसी विभाग में हो आप आंकड़े उठाकर देख लें । कि कौन बिरादरी के लोग 27 प्रतिशत में हैं । पिछड़ी जाति में 80-90 बिरादरी आते हैं, किस बिरादरी के लोग कितने परसेन्ट भेदभाव कर रही है ? हमारी सरकार ने एक लाख दस हजार लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है । हमारी सरकार मेरिट के हिसाब से कानून के मुताबिक जो भी होगा उस तरह से नौकरी देगी, भेदभाव नहीं करेगी । एक ही जाति के लोगों को एक ही स्थान पर बैठा दिया जाय यह नहीं करेगी । यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू की हैं उसे यह गलत कह रहे हैं । इनकी सरकार तो यह कर नहीं पायी, लूट खसोट और तमाम तरह की अनियमिततायें हुई ।

हमारी सरकार ने पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करके राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर तनख्वाह देने की घोषणा की है । अभी जो लोक सभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो बाहर निकलकर जायेंगे, जनता के बीच में वह क्या कहेंगे ? अभी जिला योजना में धन आवंटन में भेदभाव का भी आरोप लगाया गया । मैं कहना चाहता हूं कि जो जिला योजना है, उसमें डी० आर० डी० ए० की बैठक होती है डी० एम० और सी० ओ० व विभाग के अधिकारी रहते हैं, जो पैसा जाता है उसके मुताबिक बराबर शेयर सभी विधायकों को मिलता है । श्रीमन्, अभी यह कहा कि सत्ता के लोगों को ही दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है । अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात कह रहा हूं । 42 पृष्ठों का जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है वह हम लोगों को देखने को मिला । उसमें बहुत सी वह बातें जो छिपा ली गयी हैं इस पूरे प्रदेश के साथ । आज आमदनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्लेखन नहीं किया ।

अठन्नी का है, खर्चा रुपये का है। इस सरकार को चलाने के लिये पैसा नहीं है, स्रोत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यह सरकार कैसे चलेगी ? आठ आना आयेगा, एक रुपया खर्च हो जायेगा। व्यय की मात्रा आय से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा अन्तर है। इतना ही नहीं इसकी कड़ी में सरकारी खर्चे पर बधाई कार्ड मंत्रीगण द्वारा बांटने में होड़ लगी थी। एक लाख, दो लाख रुपया नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया।

मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि यह 93 मंत्री 1 करोड़ की चाय पी गये। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पंचायतों के लिये व्यवस्था करनी थी, जो कानून पिछली सरकार ने बनाया था, उसमें भी इस सरकार द्वारा कोई चिन्तन नहीं हुआ है। अभी एक माननीय सदस्य नकल विरोधी अध्यादेश की चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमारे संरक्षक हैं, कि जिन बच्चों को हथकड़ियां लगाई गईं, जिन लड़कियों को लगाई गई, आज उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आज चाहे इनके नेता सदन हों, चाहे इनके बड़े नेता दिल्ली में बैठे हों, इनको इसके लिये जनता कभी माफ नहीं करेगी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हमारे नेता सदन, नेता विपक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि पी० एल० ए० का पैसा जिस काम के लिये है, उसी में खर्च होना चाहिये, लेकिन आज पी० एल० ए० के संबंध में दूसरी नीति अपनाई जा रही है, यह दो मुंही बात क्यों, दोरंगी बात क्यों ? आप दूसरे तरीकों से साधन बढ़ाइये। पूर्वांचल के जितने विधायक हैं, उनके अधिकारों का हनन किया गया है, बहुत से ऐसे लोग, जो पिछली सरकार में भागीदार थे, उन्होंने पूर्वांचल निधि को कलंकित किया था और आज उसे ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं पर विकास की कोई बात इस अभिभाषण में नहीं की गई है। कर्मचारी, अध्यापक या शिक्षक जो भी हो क्या वह हड़ताल नहीं करेगी, अपनी बात नहीं कहेगा। यदि इस सरकार द्वारा हड़ताल, आन्दोलन को जेल के सीखचों के पीछे डालकर दबाया जायेगा, तो यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जनतंत्र में हड़ताल करना, आन्दोलन करना सबका अधिकार है। न पहले इसको कोई सरकार दबा पाई है और न अब दबा पायेगी। अभी गन्ना किसानों की बात हो रही थी, हमारे एक मंत्री जी ने कल एक डींग हांक दिया, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जब कभी वह मेरठ डिवीजन में जायेंगे तो उनको महेन्द्र सिंह टिकैत की हैसियत क्या है और किसान की हैसियत क्या है, पता चल जायेगी ? डींग हांकने से सरकार नहीं चला करती, सरकार काम करने से चलती है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनको रोजगार कहां से देंगे। जहां तक सड़कों की बात है, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद मंडल की सड़कें अत्यन्त खराब स्थिति में हैं। जहां तक लोगों को जेल भेजने की बात कही गई है, मैं कहना चाहूंगा कि सबको सम्मान देना चाहिये, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, सभी को सम्मान और एकता के भाव से देखा जाना चाहिये। आज गन्ना किसान बहुत परेशान है, और भी किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। मान्यवर, आलू किसान परेशान है, गन्ना किसान परेशान है, घाघरा की कटान के जो लोग हैं वह परेशान हैं उनको बसाने की चेष्टा नहीं की गयी है और जो लोग बस गये हैं उनको उजाड़ने की व्यवस्था हो रही है। मान्यवर, दवाओं की, इलाज की व्यवस्था नहीं की जा रही है। 93 लोगों की मंत्रिमंडल है और उसमें ऐसे लोग जो उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे ऐसे लोगों को बैठाकर भाजपा सरकार ने अपने को कलंकित कर दिया है। इसके नेता जो हमारे माननीय कल्याण सिंह जी हैं उनका ही विचार था और उस विचार से हटकर उन्होंने काम किया है और ऐसे लोगों को शामिल किया है। माननीय अधिष्ठाता जी आप होते तो मुझे खुशी होती, आपको मैंने मिनिस्टर के रूप में देखा है, आपकी एक काम करने की शैली थी। यह कौन सी बात हो गयी कि एक करोड़ रुपये की चाय पी गये यह क्यों फिजूलखर्ची हो रही है ? आम आदमी के घर में झोपड़ी नहीं है, मिट्टी के तेल का चिराग नहीं जल सकता और यहां मंत्री करोड़ों की चाय पी रहे हैं। इसके साथ ही मैं संशोधन पर बल देता हूं

और आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि व्यापारी, छात्र, मजदूर, किसान पर अत्याचार करके बड़ी बड़ी सरकारें नहीं चली हैं। यह कल्याण सिंह की सरकार तो दोगली है यह तो कभी चल ही नहीं सकती इसकी कथनी करनी में फर्क है।

सदन संचालन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से संबंधित व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता द्वारा सहयोग हेतु मा० सदस्यों से अनुरोध

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन के संचालन से और उसके कामकाज से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके लिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मैं अभी लाबी में एक टेलीफोन करने के लिये गया तो यहां एक मदन मोहन, चपरासी है वह मेरे टेलीफोन के पास आकर खड़ा हो गया तो मैंने कहा कि टेलीफोन की निगरानी क्यों कर रहे हो यह तो माननीय सदस्यों के लिये ही टेलीफोन लगा है तो उसने कहा कि साहब, 900 रुपया हमारे जिम्मे लगाकर सचिव महोदय ने भेज दिया है ट्रंककाल किसी माननीय सदस्य ने इस लाबी से करा था और उसके 900 रुपये मुझे देना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाबी के टेलीफोन को ऐसी सूची में रखना चाहिए जहां से ट्रंककाल न बुक हो सके और वह कर्मचारी चपरासी है अल्पवेतन भोगी है उस पर 900 रुपया लगा दिया गया है वह उस 900 रुपये को कहां से देगा ?

श्री अधिष्ठाता–

यह माननीय अध्यक्ष का सचिवालय है इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब आप बैठ जायं आपकी बात आ गयी है।

(श्री अमर मणि द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी आपको बोलने का अधिकार नहीं है मैं माननीय अध्यक्षपीठ से निवेदन कर रहा हूं। मेरी बात का जबाव आप नहीं दे सकते हैं। अपनी बात करो और देखो मेरा क्या जवाब देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मुझे खेद है। मंत्री जी मुझे कष्ट है कि यहां बहुत अनुभवी और बुद्धिमान माननीय सदस्य बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि सीधे-सीधे बातचीत करना ठीक नहीं है। यदि बातचीत करना है तो मेरे माध्यम से बात करें। इसलिए निवेदन है कि आपकी और हमारी बातों से नये सदस्य जो आये हैं वह भी कुछ सीखें। आपको कोई बात कहना है तो पीठ के माध्यम से अपनी बात कहें। सीधे बात करने से सदन का सारा का सारा वातावरण बिगड़ता है। इसलिए गम्भीरतापूर्वक महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव जो चर्चा चल रही है उसमें बोलें।

युवा कल्याण मंत्री (श्री अमर मणि)–

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से खड़े होकर माननीय सदस्य की बातों का जवाब दे रहा था। तो उन्होंने यह क्यों कहा कि आपकी क्या हैसियत है ? तो मेरी हैसियत है, मैं सरकार में हूं इसलिए मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने जब औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया था तो निवेदन पीठ से किया था और मेरा आशय इसे सरकार को भेजने का नहीं था । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सदैव पीठ से होता है, सरकार से नहीं होता है । इसलिए मंत्री जी को धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था । मंत्री जी का आचरण कितना मर्यादित है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को उन्हें या किसी को धमकाने का अधिकार नहीं है ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी और दूसरे वरिष्ठ मंत्री जी यहां बैठे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उत्तेजना में कोई बात नहीं कहना चाहिए था ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सभी को सम्बोधित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को अपनी कोई बात कहना हो तो जो संसदीय परम्परायें हैं उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष या पीठ पर जो व्यक्ति बैठा हो उसके माध्यम से अपनी बात कहें । जब आप लोग सीधे वार्ता करने लगते हैं तो निश्चित उसका परिणाम होगा कि सदन की व्यवस्था में कोई न कोई गड़बड़ी हो जायेगी । आप लोग अनुभवी और बुद्धिमान सदस्य हैं, इसलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो और सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चल सके इसके लिए आप लोग प्रयास करें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

* श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

मान्यवर, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा है कि माननीय विपक्ष के सदस्य क्या केवल कमियां ही जानते हैं हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं क्या उसकी चर्चा वह नहीं कर सकते हैं ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीयत ठीक है और नीति भी है । सवाल नियत का है । मान्यवर, इन्होंने कहा कि माफिया हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिहिं तैसी" तो दूसरों पर कंकड़ उछालने से पहले आप अपने अन्तरमन को टटोल कर देखें तब अपनी बात को कहें । आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाये हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पिछले 7-8 वर्षों से जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक जो बहुत कम वेतन पाते थे, पहली बार हमारी सरकार ने 250 जूनियर हाई स्कूल को अनुदान सूची में लेने का निर्णय लिया है ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

शिक्षा के क्षेत्र में 144 गैर सहायतित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 72 विद्यालयों को हमारी सरकार ने अनुदान सूची (चालू वित्तीय वर्ष में) लेने की घोषणा की है । नकल अध्यादेश के कारण यह सरकार पहली बार भी चर्चित रही थी और उत्तर प्रदेश में नकल बिल्कुल समाप्त हो गयी थी । पहले हमारे प्रदेश का विद्यार्थी जब दूसरे प्रदेश में जाता था तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा वातावरण बनाया और उसमें सुधार किया जो कि ऐतिहासिक कदम है । कटिया हटाओ के बारे में भी हमारी सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है । लोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कटिया के माध्यम से विद्युत चोरी करते थे, इस तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है । हमने कटिया हटाओ और कनेक्शन लगवाओ अभियान के अन्तर्गत अवैध कनेक्शनों को नियमित करने का व्यापक कार्यक्रम बनाया है । ऐसे कनेक्शन देने के लिए केवल एक तिहाई धनराशि प्रारम्भ में जमा करायी जाती है तथा शेष भुगतान को तीन किश्तों में करने की सुविधा हमारी सरकार ने दी है । विद्युत चोरी रोकने के लिए व्यापक कदम उठाये हैं । अभी ट्रांसफार्मर की बात कही गयी है । पहले ट्रांसफार्मर के लिए जनपद के अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता के पास जाना पड़ता था लेकिन अब 72 घण्टे के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदल दिया जायेगा । हमने पांच हजार ट्रांसफार्मर बदलने की योजना भी बना रखी है यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है और सभी लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए । मान्यवर, आज गांव के आम आदमी को, किसान को अपनी बात कहने के लिए तहसील पर नहीं जाना पड़ता है क्योंकि न्याय पंचायत पर ही सारे अधिकारी सप्ताह में एक बार वृहस्पतिवार को मिल जाते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं । मान्यवर, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है, अगर स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं है, तो उतनी ही धनराशि को नकद जमा करके उसका काम चल सकता है, इससे जनता को बहुत ज्यादा राहत मिली है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया ।

* श्री विश्वनाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं । मान्यवर, इस सरकार ने किसानों के हितों की कोई चिन्ता नहीं की है, मैं कहना चाहता हूं कि नहरों की सफाई नहीं हुई है, इस कारण पानी नहरों के टेल तक नहीं पहुंच पाता है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है । नहरों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, इनके पास एक भी पैसा नहीं है, वही कहावत है, थोथा चना बाजे घना ।

मान्यवर, गांवों में बिजली नहीं मिल रही है, महीनों-महीनों तक ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो वह नहीं लगाये जाते हैं, बिजली नहीं मिल पाती है, आप लोग यहां पर एअरकण्डीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन किसान को बिजली, फसल को सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रही है । यही नहीं मान्यवर, जब तक किसान से पैसा नहीं ले लिया जाता है, तब तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता है । दूसरी बात गन्ना किसानों की कहना चाहता हूं, देवरिया, कुशीनगर तथा महराजगंज में गन्ना किसानों का बहुत सा पैसा बकाया है, उसको आप दिलवा नहीं पा रहे हैं । आपका नाम कल्याण है, लेकिन कल्याण का ठिकाना नहीं है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की सारी मिलें चीनी का उत्पादन करती हैं और आपके अधिकारी यह कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है, तो गन्ना क्यों बोते हैं, यह बात प्रमुख सचिव, गन्ना कहते हैं ? जब इतना कम प्रतिशत आता है तो किसान से कहते हैं, गन्ना क्यों बोते हो ? मा० मुख्य मंत्री जी आपके जमाने में किसानों की बदहाली हो रही है गन्ने का दाम बकाया है जो उसे मिल नहीं रहा है । मिल चलाने का कोई इन्तजाम नहीं है अब आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी । कहा जाता है कि प्राइवेट मिलें हैं उनसे सरकार कैसे पैसा दिलाये । गन्ने का दाम जब आपने तय किया है तो उसके मूल्य को दिलाने का काम भी आप ही को करना है । इसलिए यह दायित्व आपको लेना होगा ।

शिक्षा की बात यहां पर आयी बहुत से लोग रिटायर हो गये उन विद्यालयों को जहां वह काम करते थे अभी तक ग्राण्ट नहीं मिली है । उन्हें मान्यता तो मिल गयी लेकिन ग्राण्ट-इन-एड में नहीं लिया गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । अभी कोई कह रहा था यह जिम्मेदारी तो सरकार की है । मान्यवर, जब शिक्षा की बात आती है तो एकरूपता की बात भाजपाई कहेंगे और समाजवादी कहेंगे कि समान शिक्षा हो । तो मतलब यह हुआ कि प्रदेश में एक तरह की शिक्षा हो । आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं । स्कूल कालेजों के अध्यापकों की मजबूरी है वह भाग नहीं सकते हैं । वह केवल उपवास ही कर सकते हैं उनके कार्य के बदले, उनको क्या मिल रहा है । उनके परिवार वाले भूखे हैं, आज शिक्षक की जहां यह हालत होगी उसका परिवार भूखा रहेगा तो वह क्या शिक्षा देगा । नकल रोकने का ढिंढोरा आप बहुत पीटते हैं और बहुत से किस्से कहानी आप कहते हैं लेकिन उसका फल क्या होता है ? आज तक आप नकल बन्द नहीं करवा पाये हैं । आप माफियाओं को बन्द करने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपने तमाम माफियाओं को सरकार में शामिल किया है । नकल बन्द करने के लिए आप बच्चों के हृदय परिवर्तन का काम नहीं कर रहे हैं आप उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं पैदा कर रहे हैं । (व्यवधान) टीका टिप्पणी आप न करें । संयोग से मैं भी प्रिंसिपल हूं । बोर्ड की परीक्षा पद्धति में जो रास्ते दिये गये हैं उनसे नकल को रोका जा सकता है लेकिन इन व्यवस्थाओं में आपका इतमिनान नहीं है, आप हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं करते बच्चों में समरसता में विश्वास नहीं करते ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, टेक्नालाजी का विकास वही कर सकता है जो उसमें पारंगत हो, विज्ञान में पारंगत हो, वही उसका मंत्री हो । आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है । आपके मंत्रि-मण्डल में कैसे लोग हैं "अजब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं" आपके सामने जनता लुट रही है, लोगों की जानें भी जा रही हैं और उसके बाद भी आप कानून और व्यवस्था, चैन-अमन और प्रगति की बातें कर रहे हैं । आप अपनी नीति बदलें, यह जो आपने 93 मंत्रियों की कैबिनेट बनायी है इस फौज को कम करें, वित्तीय अनुशासन तभी लागू होगा जब आप मंत्रि-मण्डल छोटा बनायेंगे । इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पक्ष में बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारी सरकार का गठन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है । जो हमारी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं वह सारे प्रदेश के सामने हैं । हमारे विपक्ष के साथी जो आरोप लगा रहे हैं वह पहले की स्थितियां भूल गये हैं अब इस समय कमियां ही कमियां दिखायी पड़ रही हैं । यह सारी समस्यायें केवल 100 दिन की नहीं हैं । यह सारी समस्यायें पिछले 50 वर्षों की हैं । शासन ने जो नीतियां निर्धारित की हैं उसके परिणाम आने में समय लग सकता है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में चल रही है और उसकी जो नीतियां हैं उनका परिणाम जल्दी ही सामने आयेगा । हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज का नारा दिया है । जो समाज में पहले गुण्डा राज था और कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और जिसके कारण पूरे प्रदेश में आतंक व्याप्त था, लोगों में जो भय था वह आज समाप्त हो रहा है । पहले गुण्डे इस प्रदेश पर हावी हो चुके थे ऐसे लोगों पर कानून के जरिये प्रतिबन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगाया जा रहा है । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी यह कहा गया कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है ।

मैं कहना चाहता हूं कि किसी गुण्डे का कोई धर्म नहीं होता कोई जाति नहीं होती ऐसे लोग जो समाज में आतंक मचाये थे यदि इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और इनको शासन के भय से दबाया जा रहा है तो कहा जाता है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है । यह कहना ठीक नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के विकास के लिए कदम उठाये गये हैं । इसके पूर्व आपने देखा होगा कि जो स्थितियां उनके चलते शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया था । अब आपने देखा होगा कि विद्यालयों में बच्चे जाने लगे हैं । पहले हमारी सरकार थी उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ और दूसरी सरकार आयी उसमें कहा गया कि पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको सर्विस दी जायगी । वोटों की राजनीति की गयी और नकल करने के लिए बच्चों को एक माहौल दिया गया जिससे शिक्षा को भारी क्षति पहुंची । हमारे द्वारा सत्ता सम्भालते ही पुनः नकल मुक्त शिक्षा का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन आज यह कहा जा रहा है कि हथकड़ियां लगाकर जेल भेजा जायगा ।

अधिष्ठाता महोदय, संयोग से मैं एक अध्यापक रहा हूं मुझे शिक्षा का अनुभव है । कि कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि उसका बच्चा नकल करे । हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले । कोई अभिभावक कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा नकल के माध्यम से परीक्षा पास करे । हमारी अच्छी बातों की तारीफ करना तो दूर रहा आप लोग विरोध करना अपना धर्म समझते हैं । इसी तरह से मान्यवर, तहसीलों में तमाम मुकदमें चला करते थे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था । आज हमारे लोग जो गांवों से संबंधित हैं, तहसीलों से संबंधित हैं, कस्बों से संबंधित हैं उनको सहूलियत हो रही है । आप देखें कि सारे अधिकारी समय के अन्दर तहसील पर जाते हैं और वहां पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं । पहले लोग अपनी बात अधिकारियों से कहते हुए डरते थे लेकिन आज किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह बात न सुने । पहले अधिकारी माननीय सदस्य तक को भी तरजीह नहीं देते थे लेकिन आज जनता के सामने गिड़गिड़ाते हैं । जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनकी देखरेख में काम किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां इतने लम्बे समय से चली आ रही थीं उनको सम्भालने में कुछ वक्त तो चाहिए ही । मान्यवर, सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है । नई सड़कों का निर्माण हो रहा है । इस तरह से विकास के कार्यक्रम हर क्षेत्र में लागू करके सरकार ने सराहनीय कार्य किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, ग्राम सभाओं का जो बंटवारा हो गया था उसको जोड़ने में कुछ वक्त तो लगेगा. ही । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मैं उनके अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सरकार को बताना चाहती हूं कि जो यह सरकार कहती है कि हम भयमुक्त सरकार है सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहती हूं कि बड़े अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आये दिन घटनायें हो रही हैं और पूरे प्रदेश में हो रही हैं । मेरे क्षेत्र गोरखपुर की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह 3 सितम्बर की बात है । एक केवट का पूरा परिवार मार दिया गया । 4 लोग घटना स्थल पर मर गये और तीन लोग अस्पताल में मरे । लेकिन वहां पर पुलिस अभी तक उन आदमियों का पता नहीं लगा पायी है कि वह आदमी कौन थे जिन्होंने इस तरह की वारदात की । कहते हैं कि कच्छा बनियान गिरोह है । मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी गिरोह हो लेकिन आपकी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पायी कि वह कौन लोग थे । इस तरह की घटना से वहां पर सारे लोग भयभीत हैं रात में लोग 7 बजे फाटक बन्द कर लेते थे इतनी दहशत वहां फैली हुई थी । इसी तरह से विकास की बात यह सरकार करती है ।

इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको रोशनी देखने को नहीं मिली है । बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है और वे सड़कों से वंचित हैं । हमारी बी०जे०पी० सरकार की नीति है कि एक हजार की आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाय लेकिन जहां एक हजार से आबादी कम है और जिस गांव से बीस गांव के लोग चलते हैं जिसका इस्टीमेट भी बन गया परन्तु उसे इस कारण से काट दिया गया कि उसकी आबादी एक हजार से कम है । मैं निवेदन के साथ कहना चाहती हूं कि अगर एक हजार से आबादी कम है तो उसको इसी आधार पर नहीं छोड़ देना चाहिए । वहां की जरूरत के हिसाब से सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए । इसी तरह से बिजली के लिए भी है कि एक हजार की आबादी हो । मान लीजिये एक हजार से आबादी कम हो तो क्या आप वहां बिजली नहीं देंगे ? जहां ऐसे गांव हैं जहां नहर नहीं है पीने का पानी की सुविधा नहीं है कई हजार एकड़ जमीन पानी से वंचित है मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां पर पानी की व्यवस्था करायें ट्यूबवेल लगवायें । ट्यूबवेल लगाने को आपके अधिकारियों से कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं लगा पायेंगे ।

मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि विकास की बात आप करते हैं लेकिन पीने के पानी से लोक वंचित हैं जहां इस तरह से हो रहा है वहां मुख्य मंत्री जी का ध्यान रखेंगे खाली मीटिंग हो जाए गांव सुरक्षित हो जायेंगे यह सही नहीं है । अभी हमारे बगल के विधायक बोल रहे थे, बुंदेरवा के विधायक भाजपा के बैठे हैं दोनों के क्षेत्र हैं दोनों क्षेत्र में पुल की आवश्यकता है दोनों क्षेत्रों का कल्याण हो जाएगा यदि आप वहां पर पुल बनवा देंगे । दोनों क्षेत्रों का विकास हो जाएगा । दोनों क्षेत्र जुड़ जायेंगे हमारा उनका क्षेत्र एक ही है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सड़कों में गड्ढे नहीं हैं मेरे क्षेत्र में सात कि०मी० पर और तीन-तीन कि०मी० पर गड्ढे हैं । इन गड्ढों की वजह से आये दिन सवारियां उलट जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्रीमती गौरी देवी–

एक मिनट मुझे और दे दें । मैं पूर्वांचल विकास निधि के बारे में कहना चाहूंगी जो पूर्वांचल विकास निधि दी गयी थी उसको छीन लिया गया । जो विधायक का अधिकार था उसको भी छीन लिया गया । यह सरकार विकास की बात करती है मैं कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में लोग हैण्ड पाइप के लिए परेशान हैं । राशन के लिए त्रस्त हैं कोई सड़क नहीं है । जहां सड़कें हैं वहां बहुत खराब हालत है जिससे लोग नगरपालिका से त्रस्त हैं । यह सरकार में बैठे इनको देखना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, जहां से यह क्षेत्र जुड़ता है वह रोड दो-तीन घण्टे के लिए बन्द रहती है सारे लोग दूध लेने के लिए, रोजी-रोटी आदि के लिए निकलते हैं वहां पर पुल बन जाय तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं कि 200 लीटर मिट्टी का तेल ब्लैक कर दिया गया जब इस मामले की शिकायत की गयी तो 10 हजार रुपया लेकर मामला रफा-दफा कर दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह गम्भीर मामला है इसको आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्रीमती गौरी देवी–

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की बात करते हैं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारे अधिकारी खा रहे हैं। इस सरकार के अधिकारी काम नहीं करते हैं। मैं एक काम से सदर तहसीलदार के पास गयी थी उन्होंने मुझे भंगी कहा और कहा कि तुम हमेशा काम लेकर चली आती हो। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

* श्री शेर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलने का अवसर दिया। जब से श्री कल्याण सिंह की सरकार आयी है तब से इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे नकल करके पास हो जायेंगे। उस समय अपराधियों पर से सरकार ने मुकदमें वापस कर दिये थे। हमारे यहां शाहगंज में 3-3 मर्डर किये व्यक्ति के बारे में सरकार के मुखिया ने कहा कि अपराधी मेरे पास था। आज सारे प्रदेश में किसान और सम्भ्रान्त व्यक्ति भयमुक्त है लेकिन भयमुक्त की परिभाषा हमारे सामने बैठे हुए सदस्यों को नहीं मालूम है। आज चारों तरफ प्रदेश का विकास हो रहा है। आज 144 विद्यालय अनुदान सूची में आ गये हैं। अधिकारी इस समय थर-थर कांप रहे हैं। वर्तमान में सप्ताह में एक दिन तहसील दिवस के रूप में मानाया जाता है उसमें जिसको जो दिकत हो वह अपनी बात अधिकारियों से कहे।

आज गांव में लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अपराधियों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की गयी है। किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज और खाद मिल रही है। किसान गन्ना मिलों को सुचारू रूप से गन्ना भेज रहा है। पिछले गन्ना मूल्य का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। पिछले वर्षों में किसानों ने गन्ना खेतों में जलाया है। यह काम उनको मजदूर होकर करना पड़ा जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुई है तब से विसंगतियां दूर हुई हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन आप लोगों को अच्छाई नजर नहीं आ रही है विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है और वह आलोचना कर रहे हैं । लेकिन सही आलोचना करनी चाहिए, नीतिगत आलोचना करनी चाहिए, नीतिगत विरोध करना चाहिये, विरोध, विरोध के लिये नहीं करना चाहिये । पिछली सरकारों को आप लोगों ने नहीं देखा ।

मां बहनों की रुलाई को प्रदेश के किसी मुखिया ने नहीं सुना । लेकिन आज सभी निर्दन्द रूप से अपने-अपने कार्यों में लगे हुये हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है । आज प्रदेश में एक लाख 20 हजार युवकों को नयी नियुक्तियां देने की घोषणा की है । सरकार ने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है । भ्रष्टाचार जो साक्षात्कार में होता था उसे समाप्त करने के लिये पहले जो साक्षात्कार में 100 अंक रखे जाते थे उसे अब 10 अंकों तक सीमित कर दिया है । अपनी योग्यता के अनुसार सभी युवक नौकरियां पायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री शेर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । यह सरकार सबको रोजी-रोटी देने के लिये प्रतिबद्ध है, विकलांगों की सचियां तैयार हो रही हैं, निराश्रित विधवाओं की सूचियां तैयार हो रही हैं, बेरोजगारों को भत्ता देने की सूचियां तैयार बनायी जा रही है । इन सब सूचियों के बन जाने के उपरान्त सभी के दरवाजों पर पेंशन जायेगी । पेंशन के लिये दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा । इन सब चीजों को देखकर एक बार विपक्ष को अवश्य सराहना करनी चाहिये । इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाई अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये संशोधन के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज कुल मिलाकर सत्तापक्ष और विरोध पक्ष से दो बिन्दुओं पर बड़ी चर्चा रही । एक तो मुख्य रूप से जो माननीय कल्याण सिंह का विशालकाय परिवार है, 93 मंत्रियों का ।

श्री अमरमणि–

आप भी इधर आ जायं मंत्री बन जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अमर मणि जी, आप सहयोग करें, टोका-टाकी न करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस विशालकाय मंत्रि-मण्डल की आलोचना भी हुई, उधर से जवाब भी आया कि प्रदेश बड़ा है, आबादी ज्यादा है इसलिये 93 मंत्री बनाये गये हैं । मैं विनम्रतापर्वक केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब यह इस बात को कह रहे थे तो शायद हिन्दुस्तान के नक्शे को भूल गये थे कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में ही है । अगर भारतवर्ष की सरकार 50-55 या 60 मंत्रियों से चल सकती है तो इस सरकस में इतने ज्यादा जादगर और कारीगर रखने की क्या आवश्यकता है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 93 मंत्री आपने अपनी ओर से नहीं रखे हैं, आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपको अपना बहुमत सिद्ध करना था तो आपने इधर से उधर से, जो जिस भाव मिल गया उसे ले जाकर रख दिया । आपके पास कोई पिजड़ा तो था नहीं कि उसमें रख देते और वह उससे बाहर नहीं निकलते । आपकी मजबूरी थी

इसलिये आपने इनको मंत्री बना दिया । अगर ईमानदारी से प्रदेश चलाने के लिये बनाया गया तो जो लोग आपके पास आये थे उनका सम्मान करते लेकिन आपने तो किसी को हाथी पकड़ा दिया, किसी को फुटबाल, किसी को उद्यान, किसी को फुलवारी पकड़ा दिया । आपकी मजबूरी पूरी तरह से विभाग के बंटवारे में दिखायी पड़ी । यह करके आपने अत्याचार सिर्फ इस प्रदेश और देश के पर नहीं किया है, आपने अपने वफादार साथियों पर भी किया है । वरना श्री बालचन्द्र मिश्र जी, आप मंत्री बने बैठे होते यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं रखते । यह तो इनकी मजबूरी है । इससे इनको काफी तकलीफ है ।

यह अपना दर्द अकेले में बताते हैं । इस समय भले ही मुस्करा रहे हैं । अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि मंत्रीगण एक करोड़ की चाय पी गये, मंत्री हैं तो चाय तो पियेंगे ही, कुछ तो ऐसे भयंकर मंत्री हैं जो हरिद्वार में सारी सड़कें और पुल पी गये हैं । जिन लोगो ने हरिद्वार में भ्रष्टाचार किया है और आपने आंखों से देखा है अगर आप कड़ी कार्यवाही करेंगे तो हमारा समर्थन होगा । अगर उनके अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालेंगे तो आप उतने ही पाप के भागीदार होंगे जितना मंत्रियों ने किया है । मान्यवर, आपको मैं सुनता रहा हूं, 1977 से और जानता रहा हूं 1980 से वर्ष 1991 में आप मुख्य मंत्री थे । आपने राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो अपना भाषण दिया था, उसको आप मंगाकर पढ़ लीजियेगा, उसमें आपने यह बताया था कि कौन-कौन सचीबद्ध माफियां है, आज ऐसे ही लोग आपके मंत्रिमंडल में बैठकर आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं । लगता है आप अपराध रोकने का नया प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी उपस्थित से आपको अपराध के नये-नये तरीके मालूम होंगे और तब हो सकता है, आप अपराध रोकने में ज्यादा सक्षम साबित हों, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत-बहुत शुभकामनायें । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आपने अपनी सरकार को तो कुछ दिनों के लिये बचा लिया लेकिन आपकी जीवन भर की कमाई उस दिन नष्ट हो गई, जिस दिन से अपराधी आपके मंत्रिमंडल में बैठ कर शोभा बढ़ा रहे हैं । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि अपराधी वह होगा, जिस पर अपराध सिद्ध हो जाय, जो जेल भेजा गया हो, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे कहेंगे तो आप भी अपराधी होंगे । यदि इसी तरह से देखा जायेगा तो फिर सुल्ताना डाकू को सबसे बड़ा महात्मा कहा जायेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कभी कोई गवाही ही नहीं मिली और आपने भी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में मंत्री पद से नवाज दिया है । आपने कुल 18 अपराधियों को मंत्री पद दिया है, आने वाला इतिहास इसके लिये कल्याण सिंह जी आपको कभी क्षमा नहीं करेगा ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जब आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ईमानदारी की कद्र करता हूं, पारदर्शिता की कद्र करता हूं । आपने सचमुच ईमानदारी दिखाई है, जो छोटे-मोटे थे, उनको राज्य मंत्री बना दिया और जो थोड़ा बड़े थे, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया, इसमें आपने जरूर पारदर्शिता दिखाई है, इसमें आपने एक और चीज में भेदभाव नहीं बरता, जितने इधर से भागकर आपकी तरफ गये थे, सबको मंत्री बना दिया, दलबदल का आपने जो कीर्तिमान बनाया है, वह कल्याण सिंह फार्मूले के नाम से जाना जायेगा, यह इस लोकतंत्र के लिये एक विषाक्त जहर की तरह होगा, जो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, खत्म करेगा, चाहे इस बात का जवाब आप चाहे जो दीजियेगा ।

(कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

मैं अकेले भी रह जाऊंगा तो भी सिद्धान्तों पर रहूंगा । अपने मतदाताओं के प्रति वफादार रहूंगा, अपनी जनता के प्रति वफादार रहूंगा, मंत्रिमंडल की लालच मैं अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिस प्रकार पिछले वर्ष यह प्रदेश दैवी आपदा से गुजरा है, शायद इससे पहले कभी नहीं गुजरा था । खरीफ की

फसल, रबी की फसल कैसी हुई, इसका आपने आंकलन कराया । रबी की फसल की जो पैदावार होनी चाहिये, वह नहीं होगी । खरीफ की फसल जो हुई, उसे किसान घर तक नहीं ले जा पाये । ऐसे में किसान सरकार से क्या आशा करता है, क्या आशा करता है वह अपने प्रदेश से ऐसी दैवी आपदा के समय आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिये ? जब आप जबाव देने के लिये खड़े हों, तो मुझे इतना अवश्य बता दीजियेगा कि इस प्रदेश को कितनी क्षति हुई है और इस क्षति के फलस्वरूप प्रति एकड़ कितना पैसा आपने दिया है, यदि प्रति एकड़ न बता सकें तो इतना अवश्य बता दीजियेगा कि क्षति कितनी हुई है और कितना अनुदान के रूप में आपने प्रदेश के किसानों को पैसा दिया है ?

मान्यवर, भ्रष्टाचार की जांच आप करा रहे हैं, करानी भी चाहिये । लेकिन जब आप पिछले 6 महीनों की जांच कराते हैं तो थोड़ा सविधान भी पढ़ लीजिये, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त भी आप जानते होंगे । जब पुराने मंत्रिमंडल के कारनामों की जांच कराइये तो नैतिकता के नाते जो वर्तमान सरकार के 20 मंत्री उसमें शामिल थे, वह भी बराबर के गुनहगार हैं, और आपको उनके भी खिलाफ जांच कराने का साहस दिखाना चाहिये । मान्यवर, अम्बेडकर पार्क में अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो मंत्री ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया । सारी गल्तियां होती रहीं और मंत्रि पद के लालच में उसको देखते रहे । मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपके मंत्रिमंडल के वह 20 महारथी बराबर के हिस्सेदार हैं । वह उसमें शामिल रहे हैं और वह जिम्मेदार हैं ।

मान्यवर, पूरे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है और उसमें पूरा प्रदेश नम्बर एक पर आया है वह है अपराधों की बढ़ोत्तरी । मान्यवर, अपराध बढ़े हैं और उसमें पूरा प्रदेश नम्बर एक पर आया है मैं माननीय कल्याण सिंह जो याद दिला दूं वह विश्वास नहीं करेंगे वह विश्वास नहीं करेंगे वह इधर से कहा करते थे कि वह दिन जब अपराधी जेल में होंगे और नागरिक सीना खोलकर चलेगा, असुरक्षा की भावना से नहीं चलेगा तो कहां है वह आपका नागरिक । लखनऊ में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी सड़क है जहां अपराधियों ने खून से सड़क नहीं रंग दी, सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई और आप भयमुक्त समाज देने की बात करते हैं ।मान्यवर, अमर उजाला का 26 तारीख का अंक देखे उसमें साफ साफ लिखा है अपराध जितने पूरे देश में हुए हैं उससे आधे उत्तर प्रदेश में हुये हैं । एक बात और कहना चाहता हं कि 1984 के मंत्रिमंडल में आप भी मंत्री थे, माननीय हुकुम सिंह जी इधर मंत्री थे, लोकपति जी मंत्री थे, मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला था और उस समय केन्द्र ने एक ही निर्णय लिया था और वह निर्णय यह था कि जो वेतन कर्मचारियों को, शिक्षकों को दिया गया था, तो समानता के सिद्धान्त को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लागू किया था और यह कहा था कि भविष्य में जब कभी केन्द्र की ओर से ऐसी स्थितियां आयेंगी तो कांग्रेस प्रदेश सरकार उसके अनुरूप कार्य करेगी । मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने उस समय की परिस्थितियों में यह किया था तो मौजूदा सरकार क्यों नहीं कर रही है । अगर आज आप यह घोषणा कर दें कि कर्मचारियों को शिक्षकों को और प्रदेश के उन सभी कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर वेतन देंगे अगर आज यह घोषणा कर दें तो मैं संशोधन वापस ले लूंगा ।

मान्यवर, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के बारे में आपकी इच्छा है, आप कहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिये । प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सुधार कैसे होगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तभी तो होगा, औद्योगिक पूंजी निवेश बढ़ेगा तभी तो होगा । मैं हिन्दुस्तान की वह 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मतलब आर्थिक स्थिति में लगातार कमी होती जा रही है । यह इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रदेश में 80-85 में प्रति व्यक्ति औसत आप 78 प्रतिशत थी जो कम होकर 70 प्रतिशत रह गयी है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । बहुत देर से मैं पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था । विपक्ष के पास कोई सार्थक कोई रचनात्मक विरोध करने का कोई तथ्य नहीं है । मूल रूप से दो चीजें उसके पास हैं । स्पष्ट रूप से मंत्रिमंडल के बड़े होने पर उनको आपत्ति है दूसरी आपत्ति इस पर है कि कुछ 2-4 मुकदमें वाले लोग इधर बैठे हुये हैं मैं अपनी पार्टी और अपनी सरकार का पक्ष यहां रखना चाहता हूं । वर्ष 1989 में भी मैं सदन का सदस्य था । उस समय समाजवादी पार्टी के [x x x] हटा दिया गया । नेता विरोधी दल थे । उन्होंने बड़ा खुलकर कहा था कि उनके ऊपर 32 मुकदमें हैं । जब 32 मुकदमों वाला व्यक्ति हिन्दुस्तान के सबसे बड़े पद रक्षा मंत्री के पद पर बैठा हुआ है तो उन्हें आपत्ति होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नाम लेकर कोई आलोचना नहीं हो सकती है । यह पूरी तरह से गलत बयानी है । इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह गलत बयानी है ।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, वह निकाल दिया जायेगा उतना अंश निकाल देंगे ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, सदन में विपक्ष में जो लोग बैठे हुये हैं तमाम लोगों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनका एक लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास है । मान्यवर, किन परिस्थितियों में यह हुकूमत बनी, स्थायी सरकार की बात आयी है, जो अव्यवस्था हुई वह इसलिये हुई कि सन् 1989 से लेकर आज तक स्थिर सरकार नहीं बनी कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगा जिसके कारण प्रदेश में बिजली का अभाव है । प्रदेश में एक स्थायी सरकार होनी चाहिये । (व्यवधान)

मान्यवर, सैद्धान्तिक आस्थाओं से ऊपर उठकर, प्रदेश में एक स्थायी सरकार, ईमानदार सरकार, भाजपा की सरकार बनाने के लिये हम लोगों ने प्रदेश में एक सरकार बनायी है जिसका मान्यवर लेखाजोखा 100 दिनों का माननीय कल्याण सिंह की सरकार का रखा गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

तो प्रति व्यक्ति आप में गिरावट आई है इसलिये समृद्धि का सपना देखें तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी ।

मान्यवर, आज औद्योगिक विकास की स्थिति बद से बदतर हो गयी है । प्रदेश की विकास दर 3 प्रतिशत रह गयी है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जब तक औसत आय नहीं बढ़ेगी, बिजली की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी और कानून की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक प्रदेश का विकास कैसे कर पायेगे । मान्यवर, कोई उद्योगपति यहां कैसे आयेगा जब तक कि उसे बिजली की उपलब्धता और

नोट :–[xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उसकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं दी जायेगी । इसलिये जब मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों से कहा कि हमारे प्रदेश में आये और यहां उद्योग लगायें तो उनका जबाव था कि सेल्स टैक्स और बिजली की सुविधा तो आप दे देंगे लेकिन जो अपहरण हो रहे हैं उन्हें किस खाते में डालेगे । इसलिये कानून व्यवस्था को आप जब तक नहीं सुधारेंगे तबतक यहां कोई उद्योगपति नहीं आयेगा । जब यहां उद्योगपति नहीं आयेगा और उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा । इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण का जब जबाव आप देंगे तो एक बात का जबाव आप से मैं अवश्य चाहता हूं कि आपने कहा कि हम एक लाख 10 हजार लोगों को रोजगार देंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को रोजगार देने में कितना वित्तीय भार आयेगा और इसके लिये आपने बजट में क्या संसाधन जुटाये हैं ? यदि आपने बजट में प्राविधान नहीं किया है तो यह आपकी कोरी घोषणा होगी ।

श्री अमर मणि–

व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि संख्या के आधार पर आप समय दे रहे हैं तो हमारे दल की संख्या 22 है और मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उत्तराखण्ड के संबंध में आपने 1991 में संकल्प लिया था, प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना । केन्द्र सरकार ने माना है कि आप उत्तराखण्ड के संबंध में दुबारा प्रस्ताव भेजें । इसलिये यदि आप की नीयत साफ है तो दुबारा प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे हैं ? यह इसलिये नहीं भेज रहे हैं चूंकि आप उत्तराखण्ड के विरोधी हैं । वहां से 18 विधायक आपके हैं और यदि उत्तराखण्ड बन जायेगा तो उनकी सदस्यता यहां से समाप्त हो जायेगी जिससे यहां आपका बहुमत नहीं रहेगा, इसलिये आप की नीयत साफ नहीं है और उत्तराखण्ड का विरोध कर रहे हैं ।

मान्यवर, आपने बसों का किराया पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ा दिया है जबकि प्राइवेट बसों में किराया नहीं बढ़ाया गया है जिससे वहां 5-6 महीनों से आन्दोलन चल रहा है ।

मान्यवर, पिछले चुनावों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी थी उन्हें वेतन भत्ते नहीं मिले हैं । इसलिये उन्हें दिलाया जाय । बेरोजगारी की समस्या को दूर दिया जाय क्योंकि जब तक लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक प्रदेश की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा । इसलिये हमने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन रखे हैं उन पर बल देते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन्हें स्वीकार कर लें । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी जब बोलें तो मुख्यमंत्री के रूप में कम बोलें कल्याण सिंह के रूप में अधिक बोलें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, ये लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और हमें साम्प्रदायिक कहते हैं । यह पुस्तक प्रमाणित करती है और इस देश का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है, प्रदेश की, दिल्ली की तथा राजस्थान की हुकूमत इस बात को प्रमाणित करती है । प्रदेश में जहां पर 20 वर्षों से अकलियतों का जुलूस नहीं निकल पाता था, उसे इस हुकूमत ने बड़े गरिमामयी ढंग से सम्पन्न करवा कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है । इसके लिये यह हुकूमत बधाई की पात्र है । जहां पर इसी जुलूस के लिये लोगों के खून बहाये जाते थे और महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा होता था, आज वहां पर कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा । सही मायने में यही हुकूमत है जो अकलियतों को महफूज रख सकती है ।

माननीय प्रमोद कुमार जी ने इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि यह सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये लड़ाई लड़ रही है। पहली बार प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें कायम किये गये और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की गई। इस बात से प्रदेश के अधिकारियों में यह संदेश पहुंचा कि जो भी अधिकारी भ्रष्ट कामों में लिप्त रहेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हमारी हुकूमत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिये कमर कसे हुये हैं। अस्थिरता के नाम पर प्रशासन जो निरंकुश हो गया था और जो कार्य संस्कृति समाप्त हो गई थी, वह प्रदेश में वापस आ रही है और उस पर सरकार ने अंकुश लगाया है। इस पुस्तक में 100 दिनों का लेखा-जोखा है, पांच साल का नहीं। आने वाले दिनों में जब हम पूरा बजट लायेगे तो उसमें हम आपको बतायेंगे कि हम नवयुवकों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम प्रदेश में एक नई युवा नीति बनाना चाहते हैं।

आज देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं। चाहे प्रमोद जी की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो किसी ने भी नवजवानों को सम्मान देने का रोजगार देने का, रचनात्मक उद्देश्य से प्रेरित करने का तथा देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया। परन्तु हमने इस पुस्तक के माध्यम से यह उल्लेख किया है कि देश के नवजवानों को विकास की योजना में कैसे भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसे हमने बताया है। आज का नवयुवक गलत दिशा की तरफ जा रहा है, आज वह रचनात्मक कार्य के बजाय विध्वंसात्मक कार्यों में लगा हुआ है परन्तु यह हुकूमत उनमें कैसे रचनात्मक सोच पैदा हो सके इसके बारे में योजनायें बनाने पर सोच रही है। माननीय श्री प्रमोद जी अभी तीन महीने पूर्व एक अखबार से एक तथ्य उजागर कर रहे थे।

मान्यवर, हमारी सरकार एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रही है। 5 रुपये, 10 रुपये तथा 15 रुपये में भवन उपलब्ध कराने जा रही है। 15 रुपये में थोड़ा बड़ा घर, 10 रुपये में उससे थोड़ा छोटा घर तथा 5 रुपये में उससे थोड़ा छोटा घर उपलब्ध कराने जा रही है। इस रचनात्मक कार्य के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिये थी। प्रतिपक्ष के लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। कुछ माननीय सदसयों ने तो हमसे यहां तक कहा कि बी० जे० पी० का समर्थन कर सरकार बनवा दो ताकि कम से कम हम माननीय सदस्य तो बने रहें। माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी भी उन माननीय सदस्यों में से एक हैं।

(व्यवधान)

इसी के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हुआ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि से विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा सड़कों एवं अन्य कार्यों हेतु की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा स्वीकृति तथा उत्तरांचल में जिला योजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिये जाने की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस समय सदन में एक सूचना देने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, कल सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि के साथ-साथ जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि के संबंध में प्रश्न उठाया था और यह कहा था कि मानीनय विधायकों की परामर्श और संस्तुति के आधार पर जो प्रस्ताव भेज दिये गये थे उसकी अनदेखी की जा रही है। मुझसे कई विधायक व्यक्तिगत रूप से मिले भी थे। मैं उन सबकी व्यक्तिगत भावनाओं के अनुरूप यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण की भावनाओं का समादर करते हुये पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि से माननीय विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा सड़कों एवं अन्य कार्यों के लिये की गयी संस्तुतियों के आदार पर मंडलायुक्तों द्वारा अभी तक वर्ष 1997-98 के लिये शासन को भेजे गये प्रस्तावों को स्वीकृति दी जायेगी। इन निधियों से पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, वे भी यथावत् रहेंगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (2) इसी प्रकार वर्ष 1997-98 की जिला योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में जनपद एवं मण्डल स्तर पर बनायी गयी जिला योजनाओं के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी और इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सड़क

निर्माण सहित जिला योजना की सभी मदों के लिये विभागीय/शासन स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, हम माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि आगामी वर्षों के लिये शासन द्वारा पूर्व में ही निर्धारित किये गये मानकों के आधार पर ही माननीय विधायकों को अवगत कराने के उपरान्त एवं उनके द्वारा संस्तुतियों को ध्यान में रखकर योजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी। उत्तरांचल की विशेष समस्याओं को देखते हुये अलग से वार्षिक योजना बनायी जाती है। 1997-98 के लिये उत्तरांचल का कुल प्लान 677 करोड़ रुपये का है जिसमें से 347 करोड़ रुपये जिला योजना के लिये तथा 330 करोड़ रुपये राज्य सेक्टर के लिये है। उत्तरांचल का नान-प्लान बजट अलग से नहीं बनाया जाता है। नान प्लान का अंश सभी विभागों के बजट में सम्मिलित है, तो यह सूचना देनी थी। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अनुमति दी।

मा० श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य विधान सभा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को नकारते हुये शासन द्वारा की गयी घोषणाओं के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा उ० प्र० द्वारा दी गयी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री गौरी शंकर एडवोकेट सदस्य विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत दिनांक 28-1-1998 को औचित्य के प्रश्न की एक सूचना दी है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि सूचना में उठाये गये विषय पर सदन में विचार किया जाय तथा प्रदेश सरकार को संवैधानिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्य करने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा लागू चुनाव आचार संहिता के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाये।

माननीय गौरी शंकर एडवोकेट ने अपनी सूचना में कहा कि प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को नकारते हये घोषणायें कर रही हैं। सूचना में यह भी कहा गया है कि महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 27-1-1998 को सदन के समवेत अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया गया है, उसमें एक पार्टी विशेष को चुनाव में लाभ पहुंचाने हेतु घोषणायें की गयी हैं और उन घोषणाओं के द्वारा व्यापक रूप से जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लोक सभा चुनाव में मतदाताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना का विरोध करते हुये संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का विवरण देते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि चुनाव आयोग को विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया। कल दिनांक 28-1-1998 को माननीय श्री गौरी शंकर तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के तर्कों को सुनने के उपरान्त मैंने इस सूचना पर व्यवस्था सुरक्षित कर ली थी।

मेरी दृष्टि में माननीय श्री गौरी शंकर के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 में दी गयी सूचना निरस्त करने योग्य है। इसके कारण निम्नलिखित है।

देश की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यपालिकायें, विधायिकायें तथा न्यायपालिका भारतीय संविधान की देन हैं। यह संविधान ही उनका स्त्रोत है। राज्य के तीन प्रमुख अंग होते हैं, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। संविधान में राज्य के इन तीनों अंगों के अधिकार स्पष्ट रूप से चिन्हित किये गये हैं। यह भारत के संविधान की विशेषता है। इसका निर्वाचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने इस संविधान के कई प्राविधानों को इसका मूल ढांचा कहा है। विधि सम्मत

शासन (रूल आफ ला) हमारे संविधान का एक प्रमुख मूल ढांचा है और इसी के कारण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मर्यादायें और सीमायें निर्धारित की गयी हैं। यदि राज्य के इन तीनो अंगों मेंसे किसी अंग के द्वारा अपनी सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसका यह कार्य असंवैधानिक तथा विधि सम्मत शासन के विरुद्ध कहा जाता है।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने दिसम्बर, 1997 में लोक सभा के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। यद्यपि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषणायें जनवरी, 1998 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में की गयी परन्तु चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने पहले ही कर दी थी। निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन को सुनश्चित करने के लिये निर्वाचन आयोग के द्वारा एक आदर्श आचार संहिता भी घोषित की गयी। इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने कुछ अन्य निदेश भी दिये। आचार संहिता/निदेशों के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों को यह निदेश दिया कि वह चुनाव सम्पन्न होने तक किसी भी लोक हित की नीतियों की घोषणा न करें क्योंकि निर्वाचन आयोग कि दृष्टि में, उनसे निर्वाचन प्रभावित हो सकता है। यह विचारणीय है कि क्या निर्वाचन आयोग की आचार संहिता और निदेश विधायिका के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं अथवा नहीं। विधायिका भी भारत के संविधान की देन है। विधायिका के निर्वाचनों के लिये संविधान के द्वारा कार्यपालिका को सीधे दायित्व न देकर एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है जिसको निर्वाचनो के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और संचालन का दायित्व दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। संविधान के भाग–15 के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 में इसके अधिकारों, गठन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324(1) में यह कहा गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यही अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के अधिकारों का स्रोत भी है और सीमा भी। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत केवल दो विषयों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है :–

(1) अनुच्छेद में वर्णित निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में, तथा

(2) उक्त सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के संबंध में।

अनुच्छेद 324 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है वह "निर्वाचनों का संचालन" शब्द ही निर्वाचन आयोग की सीमा का निर्धारण करते है। निर्वाचन आयोग का यह अधिकार कार्यपालिका की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कन्हैया लाल ओमर बनाम आर० के० त्रिवेदी आदि 1986 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ–111 के पैराग्राफ 16 में यह कहा है कि संविधान के अनच्छेद 324(1) में दिये गये अधिकार उन्हीं क्षेत्रों में लागू होते हैं जिन क्षेत्रों के बारे में कोई विधायी प्राविधान नहीं है तथा शब्द "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण तथा निर्वाचनों का संचालन" व्यापक शब्द हैं जिसमें निर्वाचन आयोग को निदेश देने का अधिकार है। इसी निर्णय के पैराग्राफ 17 में यह कहा है कि प्रत्येक मानक जो आचार के नियम रूप में है उनको विधायी प्राविधान अथवा डेलीगेटेड प्राविधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी निर्णय से यह स्पष्ट है कि निर्वाचनों के संचालन से संबंधित किसी विषय पर यदि कोई विधायी प्राविधान है तो निर्वाचन आयोग उन प्राविधानों का उल्लंघन करके निदेश नहीं जारी कर सकता यह निदेश केवल उन्हीं प्राविधानों के बारे में हो सकता है। जिनके बारे में कोई अधिनियम अथवा नियम नहीं है। इस निर्णय मे यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार निर्वाचन से ही संबंधित है

निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य किसी चीज से नहीं । संविधान में विधायिका से सबंधित अनेक प्राविधान हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय महेन्द्र सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमीश्नर 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 851 में यह कहा है कि जिन क्षेत्रों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा नियम लागू नहीं होते उन क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के प्राविधानों का प्रयोग कर सकता है । इस निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित विषयों पर ही अपने आदेश निदेश दे सकता है । इस निर्णय के पैराग्राफ 119 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 में दिये गये महामहिम राष्ट्रपति के अधिकारों का कम नहीं कर सकता । परन्तु एक बार महामहिम द्वारा धारा–14 की विज्ञप्ति जारी हो जाने के बाद पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया का भार निर्वाचन आयोग के ऊपर हो जाता है और निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग पूर्णरूपेण उत्तरदायी होता है । इस पैराग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग का दायित्व निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचन से संबंधित विषयों तक ही सीमित होता है ।

जयन्ती लाल अमृतलाल बनाम एफ० एन० राना, 1964 सुप्रीम कोर्ट के पृष्ठ 648 के पैराग्राफ 10 तथा 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो कार्य विधायी तथा न्यायिक प्रकृति का नहीं है वह सभी कार्य कार्यपालिका की प्रकृति के माने जायेंगे । यद्यपि यह संभव है कि कार्यपालिका को कुछ कार्यों में दिये न्यायिक सिद्धान्तों का अनुपालन करना आवश्यक है इस निर्णय में दिये सिद्धान्तों को निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का कार्य भी कार्यपालिका प्रकृति का है । यहां उसको अपने दायित्वों के निर्वहन में कभी-कभी न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक कार्य भी करना पड़ सकता है । न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक कार्यों के संपादन के लिये निर्वाचन आयोग को प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करना होगा । निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता लागू करना अथवा निर्देश देने के संबंध में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता । सादिक अली बनाम इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज 187 के पैराग्राफ 37 केअन्त में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि निर्वाचन आयोग को अपने अधिकारों का प्रयोग निष्पक्ष और युक्तयुक्त प्रकार (फेयर एण्ड रीजनेवल मैनर) से करना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि निर्वाचन आयोग कोई आदेश अयुक्तयुक्त है अथवा उसकी परिधि के बाहर है तो निश्चित ही वह असंवैधानिक अथवा अवैधानियक होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए० सी० जोशी बनाम सीवन पिल्लई 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 921 के मामले में एक महत्वपर्ण निर्णय दिया जिसका उल्लेख करना यहां आवश्यक प्रतीत होता है । यह निर्णय इलेक्शन कमीशन के उस आदेश से संबंधित है जहां मशीन के द्वारा मतदान करने के निर्देश दिये गये हैं । इस निर्देश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक इसलिए माना क्योंकि नियमों के अन्तर्गत बिना मशीन के वोट डालने का प्राविधान है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बने नियमों में किसी भी मशीनी प्रक्रिया के द्वारा वोट डालने का प्राविधान नहीं है इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा मशीनों के द्वारा वोट डालने का निर्देश अवैधानिक है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अधिनियमों के निर्वचन के लिए शब्दों और वाक्यों आदि को इस प्रकार से निर्वचन किया गया जाना चाहिए ताकि वह शब्द वाक्य आदि अपनी प्राकृतिक सामान्य लोक प्रिय अर्थ में समझे जायं । इस दृष्टि से भी यदि अनुच्छेद 324 का निर्वचन किया जाय तो यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार केवल निर्वाचन से ही संबंधित है । इस निर्णय में एक और सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि जिन विषयों पर स्पष्ट रूप में अधिनियम/नियम हैं, निर्वाचन आयोग उन अधिनियमों अथवा नियमावली के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दे सकता है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णयों के सन्दर्भ तथा संविधान तथा विधायिका के संबंध में संविधान के प्राविधानों की पृष्ठिभूमि में माननीय गौरी शंकर द्वारा दी गयी सूचना पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

भारत के संविधान के भाग–6 अध्याय–2 के अन्तर्गत अनुच्छेद 154 में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा । इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में दिया गया है । अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करेगा, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा । अनुच्छेद 163(3) में यह कहा गया है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जायेगी और क्या मंत्रि-परिषद् राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी ? अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रि-परिषद् विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ।

उच्चतम न्यायालय में शमशेर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब ए०आई०आर० 1974 एस०सी० 2192 के पैराग्राफ 88 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रि-परिषद् की सहायता और सलाह से करते हैं, केवल उन विषयों को छोड़कर जिसमें वह बिना ऐसी सलाह और सहायता के कार्य कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश के राज्यपाल अपने सभी कर्तव्यों में, जहां उन्हें स्वविवेक से काम करना है उसे छोड़कर प्रदेश की मंत्रि-परिषद् की राय, सहायता और सलाह से ही कार्य करेंगे । राज्यपाल को क्या सलाह दी गयी और यदि दी गयी तो क्या दी गयी इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती है ।

वर्तमान विवाद इस कारण उठा कि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने संविधान के अनच्छेद 176 के अन्तर्गत वर्ष 1998 के प्रथम सत्र में विधान सभा तथा विधान परिषद् के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हुए वर्तमान सरकार की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख और भविष्य में कार्यन्वित होने वाली घोषणाओं का भी । माननीय सदस्य गौरी शंकर जी के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता और निर्देशों के अनुसार उपरोक्त उपलब्धियों और घोषणाओं का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया जा सकता था और ऐसा करके उन्होंने (सरकार ने) आचार संहिता का उल्लंघन किया । क्योंकि महामहिम राज्यपाल सरकार के द्वारा बनाये गये अभिभाषण को ही पढ़ते हैं । अनुच्छेद 163(3) से स्पष्ट है कि राज्यपाल को दी गयी सलाह, कोई सलाह दी गयी अथवा नहीं दी गयी अथवा दी गयी तो क्या दी गयी ? इसी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है । महामहिम राज्यपाल ने अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत बुलाये गये विधान सभा तथा विधान परिषद् के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करके अपने संवैधानिक दायित्व का ही निर्वहन किया है ।

निर्वाचन आयोग की उत्पत्ति का श्रोत संविधान है । महामहिम राज्यपाल में ही संविधान के द्वारा ही कार्य पालिका की शक्ति निहित की गयी है । इस कार्य पालिका की शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करते हैं । मंत्रि-परिषद् महामहिम के अधीनस्थ अधिकारियों की श्रेणी में नहीं आती ।

महामहिम राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद के धारक हैं । प्रदेश की विधान सभा का गठन भी संविधान के अनुच्छेद 168 के द्वारा हुआ है । विधान सभा तथा विधान परिषद् भी संवैधानिक संस्थायें हैं उनके कार्य संचालन के लिए अलग से नियमावली हैं और अनेक अन्य विधिक प्राविधान भी हैं । निर्वाचन आयोग को अनुछेद 324 के द्वारा राज्य के किसी भी दूसरे संवैधानिक अंग के अधिकारों को

सीमित करने अथवा उनके अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं दिया गया है । निर्वाचन आयोग के अधिकारों की सीमा निर्वाचन से सम्बद्ध है जबकि विधायिका की सीमा उससे कहीं अधिक है । उसके कार्यपालिका संबंधित कार्यों और विधायिका संबंधित कार्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है । अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होता है जिसके संबंध में उस राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है जिन विषयों के बारे में राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है उनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 और 3 में है । इस प्रकार विधायिका के अधिार निर्वाचन आयोग के अधिकारों की सीमा से कहीं अधिक हैं । निर्वाचन आयोग स्वयं में एक संवैधानिक संस्था होने के बाद भी दूसरी संवैधानिक संस्था के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती । इस संबंध में दो उदाहरण देना पर्याप्त है । प्रदेश में राज्य सम्पत्ति अथवा मार्गों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिनियम है । उन पर अतिक्रमण संज्ञेय अपराध है । आदर्श आचार संहिता के नाम पर निर्वाचन आयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन को भले ही अल्पकालीन समय के लिए क्यों न हों, निलम्बित नहीं कर सकता है । इसी प्रकार शासन को इस बात अधिकार है कि वह मामलों में परीक्षण करके, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसे वापस ले सकता है । यह सरकार की नीति अथवा व्यक्तिगत मामले में परिस्थितियों पर विचारोपरान्त लिए गये निर्णय से संबंधित है, जिसका निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचन आयोग सरकार के इस कार्य पर अंकुश लगा सकता है । स्पष्ट रूप से यह कार्य निर्वाचन से संबंधित नहीं है और निर्वाचन आयोग के द्वारा इस प्रकार की रोक लगाना उसकी परिधि के बाहर का कृत्य है । इसी प्रकार राज्यपाल के ऊपर यह संवैधानिक दायित्व है कि वह विधायिका का समवेत् सदन आह्वाहन करने का कारण बताये ।

महामहिम राज्यपाल चूंकि मंत्रि-परिषद् की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं और अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । इसलिए सरकार की नीतियां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित होती हैं । उसमें सरकार की उपलब्धियों की चर्चा और भविष्य के कार्यों की घोषणा करना एक प्रकार से महामहिम राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है क्योंकि वह मंत्रि-परिषद् की राय से कार्य करने के लिए बाध्य हैं । निर्वाचन आयोग इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन पर रोक नहीं लगा सकता । इस समस्या को दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है । प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद् दोनों संवैधानिक संस्था हैं । उनका और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 194 में दिया गया है । यह दोनों संवैधानिक संस्थायें अपने कार्यों के संचालन के लिए अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत प्रक्रिया नियमावली बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं । प्रक्रिया नियमावली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराने का प्राविधान है अर्थात् जिस भी विषय का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में होगा उस विषय पर विधान सभा/विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । यह विचार सरकार के पक्ष में भी हो सकता है और उसके विरोध में भी । यदि राज्यपाल की घोषणाओं पर अथवा विधायिका के क्रियाकलाप पर और उसके सदस्यों के विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न करने पर, जानकारी मांगने पर और सरकार के द्वारा नीतियों के बारे में जिज्ञासा का समाधान करने तथा शासन की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी देने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया गया तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि निर्वाचन आयोग विधायिका तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों में रोक लगा रहा है । तथा अनुच्छेद 164(2) के प्राविधानों का नकार रहा है । यह विशेषाधिकार भंग करने का भी प्रकरण विशेष परिस्थितियों में बन सकता है ।

1965 में सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 745 इन रि०अण्डर आर्टिकल 143 कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया के प्रकरण मेंअपना निर्णय देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 61 में यह कहा है कि

अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत बनायी गयी प्रक्रिया नियमावली किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती है । परन्तु यह प्रश्न यहां नहीं उठता क्योंकि निर्वाचन में भाग लेना किसी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है वरन् यह विधि प्रदत्त अधिकार है जो विधायिका द्वारा दिया जा सकता है और सीमित और संशोधित भी किया जा सकता है ।

निर्वाचन आयोग के कार्यों का विधायिका में चर्चा भी हो सकती है । इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 211 का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये आचरण के विषय में, राज्य के किसी भी विधान मण्डल में कोई चर्चा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यदि संविधान के निर्माताओं की यह इच्छा होती कि निर्वाचन आयोग के भी किसी आचरण के बारे में राज्य के किसी विधान मण्डल में कोई चर्चा न हो तो इस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख किया जा सकता था । निर्वाचन आयोग का उल्लेख न करना इस बात का द्योतक है कि निर्वाचन आयोग के क्रियाकलापों की चर्चा राज्य के किसी भी विधान मण्डल में हो सकती है । अर्थात् इसका अर्थ यह होगा कि निर्वाचन आयोग अगर अपनी सीमा का उल्लंघन करके कोई काम करता है तो राज्य के किसी भी विधान मण्डल में उस पर चर्चा की जा सकती है ।

इसके विमरीत संविधान के अनुच्छे 212 में न्यायालय के द्वारा विधान मण्डल की कार्यवाही की जांच करना निषिद्ध है ।

उपरोक्त संवैधानिक प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विधायिका भी अपने क्षेत्र में सर्वापरि है तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को विधायिका अथवा महामहिम राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में हस्तक्षेप करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है । चूंकि विधान सभा अथवा विधान परिषद् निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ नहीं है बल्कि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थायें हैं इसलिए विधान सभा के अथवा विधान परिषद् के सदस्यों को भी इस बात का अधिकार है कि वह सरकार की उपलब्धियों के बारे में तथा सरकार की भावी नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके ।

वर्तमान प्रकरण पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है । निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित विषयों पर निश्चित ही निर्देश दे सकता है परन्तु यदि उसके निर्देशों/आदेशों की अवहेलना होती है तो उसका परिणाम क्या होगा ? इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पर्याप्त प्राविधान हैं । यदि निर्वाचन में कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करता है और उससे उसका चुनाव सारवान दृष्टि से प्रभावित होता है । (मैटीरियली अफेक्ट) है तो उसका चुनाव रद्द किये जाने का प्राविधान है । इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) घ (चार) का उल्लेख करना आवश्यक है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति व कोई उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव में सफल होता है तो उसका चुनाव भी रद्द होने योग्य है । भ्रष्ट आचरण के संबंध में धारा 123 में उल्लेख किया गया है जिसमें रिश्वत तथा अनुचित दबाव डालना भी है । किसी भी निर्वाचन में सरकार उम्मीदवार नहीं होती है बल्कि व्यक्ति उममीदवार होता है । कानूनी दृष्टि में 'सरकार' राजनीतिक दल तथा 'उम्मीदवार' भिन्न-भिन्न चीजें हैं । सरकार की जो भी नीतियां होती हैं वह सामान्य रूप से सभी नागरिकों के लिए होती हैं । इन नीतियों के क्रियान्वयन का लाभ और हानि का प्रभाव सभी पर पड़ता है । सरकार के द्वारा की गयी घोषणायें कदाचित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) (2) में नहीं आती । उक्त धारा में उल्लिखित शब्द "रिश्वत" तथा "अनुचित दबाव" के सन्दर्भ में इस बात के न्यायिक निर्णय हैं कि सरकार की नीतियों के बारे में घोषणा प्रतिबन्धित नहीं है । वह अनुचित दबाव या रिश्वत की श्रेणी में नहीं आती ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का उल्लेख हुआ है जो समान रूप से सभी दलों तथा सभी नागरिकों से संबंधित हैं । यदि इन नीतियों के कारण किसी उम्मीदवार विशेष का चुनाव सारवान ढंग से प्रभावित होता है और यदि यह सिद्ध हो जाता है, तब उक्त अधिनियम की धारा–100 (1) (घ) (चार) तथा धारा 123 (1) (2) आकर्षित होगी, उस चुनाव की वैधानिकता पर निर्णय के लिए अलग से प्राविधान किया गया है ।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य के कार्यक्रमों का उल्लेख निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई आचार संहिता अथवा निदेश के विरुद्ध नहीं है । इसलिए मैं श्री गौरीशंकर जी की इस सूचना को निरस्त करता हूं

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बालचन्द्र जी द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपने अच्छे सुझाव दिए । विपक्ष को वैसे पूरा अधिकार है सरकार की नीतियों की आलोचना करने का, परन्तु मैं समझता हूं विपक्ष का यह भी दायित्व बनता है कि प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे । मुझे दुख हुआ जितने व्यक्तियों का विपक्ष की तरफ से भाषण हुआ उसमें केवल आलोचनायें थीं । मुझे खुशी होती जनहित में कुछ सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव आते । मुझे इस बात पर भी खुशी होती यदि सम्मानित नेता विपक्ष सदन में रहते और हमें उनको सुनने का अवसर प्राप्त होता । उनके अच्छे सुझावों से हमारा ज्ञानवर्धन होता कि सरकार को और कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए । उनके भाषण से हमें मार्ग दर्शन मिलता । हम उनके सुयोग्य सुझावों से वंचित रह गए । श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है जब घर पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा होगा और अपने द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों को पढ़ा होगा तो जरूर उन्होंने पाया होगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह तो राज्यपल के अभिभाषण में सबका उत्तर है । हो सकता है यह सोच कर कि जब कुछ कहने को शेष नहीं है तो चर्चा में भी भाग लेने से कोई लाभ नहीं है, मैं नेता प्रतिपक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि अपरोक्ष रूप से ही क्यों नहीं, उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और सरकार की आगे की योजनाओं का समर्थन किया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

कांग्रेस को बधाई दीजिए संशोधन नहीं रखा ।

श्री कल्याण सिंह–

जो विन्दु यहां पर उठाए गए हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन पर संक्षेप में उत्तर देने की, परन्तु बुनियादी तौर पर प्रारम्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूं । सवाल उठाया गया सरकार के गठन को लेकर के, सवाल उठाया गया सरकार के लम्बे मंत्रिमंडल के होने का, सवाल उठाया गया सरकार में सम्मिलित लोगों के अतीत के बारे में ।

मैं थोड़ा पीछे चलना चाहता हूं । वर्ष 1996 में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हमें भी नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु प्रदेश की जनता ने एक प्रकार से

भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश इस रूप में दिया हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निर्वाचित हुए। अपेक्षा तो यह थी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल के नाते से सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए था। मैं बार-बार कहता रहा हूं अभी फिर जोर देकर कहता हूं कि बहुमत है या नहीं यह तय करने का स्थल राजभवन नहीं हो सकता है यह तय करने का स्थल यही सम्मानित सदन हो सकता है और मुझे विश्वास है उस समय हमको सरकार बनाने का अवसर मिला होता तो निश्चित तौर पर हम अपना बहुमत सिद्ध कर लेते। तर्क के लिए हम मान लेते हैं कि उस समय हम अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते। हम पीछे हट जाते फिर किसी दूसरे दल को मौका देना चाहिए था वह भी बहुमत सिद्ध न कर पाता तो तीसरे दल को मौका मिलना चाहिए था। उस समय वैकल्पिक सरकार के गठन की सम्भावनाओं को खोजा जाना चाहिए था यही लोकतंत्र की मंशा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक प्रकार से इसी आशय का निर्णय दिया है। उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर हुई, जो अभी भी लम्बित है।

मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से कोई न कोई ऐतिहासिक निर्णय आएगा वह आगे के लिए मार्गदर्शक निर्णय सबित होगा। बीच में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया वह राष्ट्रपति शासन तो नाम का था वह एक पार्टी विशेष का जोर एक नेता विशेष की प्राक्सी गवर्मेंट थी। प्रदेश में त्रहि-त्रहि मच गई जन-जीवन त्रस्त हो गया उस समय समारे सामने वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भाजपा और बसपा के बीच मैं समझता हुआ छः-छः महीने सरकार बनाने के लिए यह तय हुआ। एक वर्ष के पश्चात फिर से बैठेंगे उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमने बसपा को पूरे छः महीने का समर्थन दिया क्षति उठाकर समर्थन जारी रखा यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बड़े-कड़वे-कड़वे घूट पीकर समर्थन जारी रखा। लेकिन वचन नहीं तोड़ा अनेक अवसरों पर खून के घूंट पीकर समर्थन जारी रखा लेकिन अपना बचन नहीं तोड़ा। ऐसे अनेक निर्णय जो हमारे हितों के प्रतिकूल थे हम उन्हें भी सह गए लेकिन हमने अपना वचन नहीं तोड़ा हमारे समर्थक हमसे खिन्न होने लगे, हमसे रूठने लगे हमने फिर भी वचन निभाया कार्यकर्ताओं में असंतोष, क्षोभ और रोष था हमने उन्हें भी समझया उनके रोष को भी सहन किया। लेकिन हमने वचन नहीं तोड़ा।

लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे एक उपलब्धि जरूर प्राप्त हुई, वह उपलब्धि थी हमारी विश्वसनीयता की। सारा जग जान गया कि कड़वे घूंट पीकर भी यह जो कहते हैं करते हैं लेकिन दूसरे साझीदार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह इससे जरूर लग गया। 21 सितम्बर 1997 को सत्ता का हस्तान्तरण हो गया समझौते के अनुसार हमने उन्हें 6 महीने सहन किया लेकिन वह हमें 24 घंटे नहीं झेल पाए। 21 सितम्बर को हमने मुख्य मंत्री के पद की शपथ ली 22 सितम्बर, 1997 को हमने एक जनादेश जारी किया जिसमें दो बातें कहीं अनुसूचित जाति जजनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचार को हम कड़ाई से रोकेंगे। दूसरी बता कही कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे जो आतंक पैदा हो रहा है हम उस कानून के दुरुपयोग को भी रोकेंगे कोई गलत बात नहीं की।

दूसरे दिन से ही हमारे विरोध में, उस समय के हमारे साझीदारों ने विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। मुझे तो याद है कि जब मुझसे सम्मानित पत्रकार मित्र पूछते थे कि क्या सत्ता परिवर्तन हो जायेगा तो मैं कहता था कि सत्ता का परिवर्तन तो हो जायेगा लेकिन समर्थन बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगा। एक महीना भी बीत जाय तो बहुत बड़ी बात होगी, वही हुआ, 29 दिन में ही समर्थन वापसी हो गयी। समर्थन वापस हो जाने के पश्चात् हमारे सामने केवल दो विकल्प थे, एक विकल्प था कि प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थायित्व है इसको चलने दिया जाय। राष्ट्रपति शासन के नाम पर किसी दल विशेष और नेता विपक्ष की हुकूमत चलने दी जाये और प्रदेश की जनता को लूटने और पिटने दिया जाये। प्रदेश

की जनता को मध्यावधि चुनाव की आग की भट्ठी में झोंक दिया जाये । राजनीतिक स्थायित्व न होने के कारण ही प्रदेश पिछड़ा, उसे और पिछड़ने दिया जाये, हाय-तोबा जो मच रही थी उसे मचने दिया जाये, जन-जीवन दूभर हो गया था उसे और बुरी हालत में छोड़ दिया जाये । एक तो विकल्प यह था, दूसरा विकल्प यह था कि हम अपनी सरकार बनायें और प्रदेश में राजनैतिक स्थायित्व लाये और स्थायित्व वाली सरकार लायें ।

हमने उत्तर प्रदेश की महान जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे विकल्प को चुनना पसन्द किया । प्रदेश में राजनैतिक स्थायित्व और स्थायित्व वाली सरकार । जो लोग हमारा सहयोग करने के लिए आये । आज कहा गया कि आपने धन्यवाद दिया । पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। सहयोगी दलों ने भी इस जनता की मांग को जानते हुये और प्रदेश की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते हुये कि प्रदेश की जनता राजनैतिक स्थायित्व चाहती है और स्थायित्व वाली सरकार चाहती है । बार-बार के चुनाव जो 1989 में, फिर 1991. में, फिर 1993 में और पुनः 1996 में चुनाव हुये । कुछ ताकतें थी, कुछ तत्व थे जो उत्तर प्रदेश की जनता को 1997 में ही चुनाव की भट्ठी में झोंकने की साजिश कर रहे थे ।

मैं ज्यादा चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता । उत्तर प्रदेश की जनता को राजनैतिक स्थायित्व और स्थायित्व वाली सरकार यह जनता की अपेक्षा और आवश्यकता थी । जो सहयोगी दल हमारे साथ आये या सदस्य हमारे साथ आये, या सदस्य हमारे साथ आये मैं भी उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहत हूं कि उन्होंने भी जनता की भावनाओं की कद्र करते हुये हमारा साथ दिया । आप कहते हैं कि साहब 'दल बदल' हो गया है, यह क्यों नहीं कहते हैं कि 'दिल बदल' हुआ है । यह सरकार दिल बदल के आधार पर बनी है, हमने किसी पार्टी को तोड़ा नहीं । उन पार्टी के नेतृत्व को अन्तरमुखी होकर विचार करना चहिए कि उनकी नीतियां कहां छिपी रही हैं, उनका व्यवहार कहा गच्चा खा रहा है उनका कार्यकलाप कहीं असन्तोष पैदा कर रहा है जिससे उन दलों के सदस्यों को घुटन महसूस हो रही है ।

अपनी तरफ देखो, जो दल बैठे हैं, उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं, वह दल स्वयं जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में आज उनका नेतृत्व है, वह नेतृत्व जिम्मेदार है । यह भी कहा गया कि बड़ा लम्बा-चौड़ा मंत्रिमंडल है, सरकार बन गई, पेट में दर्द होना स्वाभविक है । अब तक हमसे कहा करते थे कि भाजपा राजनीति नहीं जानती, सत्ता तो बिल्कुल नहीं जानती, सत्ता के नजदीक पहुंचते भी हैं तो 4 कदम पीछे रह जाते हैं, यह भी कहा गया कि यह केवल बैठक कल्चर वाले हैं । मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमन् अब हम बैठक कल्चर से मैदान के कल्चर में उतर पड़े हैं । लोगों को इसका अन्दाज नहीं था । यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला मौका था, जब किसी मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिये केवल 36 घंटे का समय दिया गया । लोगों ने मुझसे पूछा 36 घंटे में क्या होगा, मैंने कहा चमत्कार होगा । एक रात नहीं, हमारे पास तो दो-दो रातें हैं और 21 अक्टूबर को हो गया चमत्कार और बहुमत पा गई हमारी सरकार और जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, वह देखो हो रहे हैं, जार-जार ।

आज वह लाचार हैं, मैं उनकी लाचारी समझ सकता हूं, अब यह आलोचना बन्द कर देनी चाहिए इसलिये बन्द कर देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे इस लंबे-चौड़े मंत्रि-मंडल को और उसमें शामिल लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है । अगर हमसे कहीं कोई गलती हो गई होती तो विधान परिषद् की 39 में से 26 सीटें न जीतते । यह जनादेश है और आप जनादेश की कद्र करें । लोकतंत्र में जनभावनाओं की कद्र करनी चाहिए । अगर हमसे कोई चूक होती तो जनता हमको माफ नहीं करती, विधान परिषद् के चुनाव नतीजे आप सबके सामने हैं । कांग्रेस आफ हो गई, सपा साफ हो गई और बसपा साफ हो गई, आज हमको जनता ने दो तिहाई का प्रचंड बहुमत दिया है और वह भी चुने हुये प्रतिनिधियों ने, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं । इस प्रकार 39 में से

26 सीटें मिल जाने का अर्थ है कि चाहे बड़ा मंत्रिमंडल हो, चाहे हमने जिनको भी मंत्रिमंडल में लिया है, यह उस सबका अनुमोदन है, अब यह आलोचना तो खत्म होनी चाहिए । सरकार चल रही है और मैं अपने सभी सदस्यों, विपक्षी सदस्यों की पीड़ा भरी मनः स्थिति को समझ सकता हूं, वह हमारे मित्र हैं । मैं विपक्ष को कभी शत्रु नहीं समझता । सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो धुरिया हैं । यदि विपक्ष की ओर से आलोचना होती है तो मैं उसको अन्यथा नहीं लेता. मैं तो उसमें से भी सकारात्मक बिन्दु क्या-क्या हैं, उनको नोट करता हूं और आज भी मैंने उनको नोट किया है, उन पर विचार करके आगे काम करने की कोशिश करूंगा । आप निश्चिन्त रहिये, पिछले चुनाव के बाद से जितना समय अब बचा है, कम से कम उतने समय तक आपकी सबकी विधान सभा की सदस्यता रहेगी ।

इसके लिये धन्यवाद दो हमें, नहीं तो फील्ड में भाग रहे होते । यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी निश्चिन्त रहिये । उसके बाद जब चुनाव आयेगा तो उसका फैसला जनता के हाथ में उसकी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता । श्रीमन्, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं किसी की सरकार की कुछ कसौटियां होती हैं सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, सरकार की अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं उन प्रतिबद्धताओं और उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही उसके निष्कर्ष पर यह देखना चाहिए कि सरकार आगे बढ़ी या पीछे हटी या मध्य में खड़ी है । मैंने पहले दिन अपनी 5 प्राथमिकताएं सार्वजनिक तौर पर घोषित की–

पहली प्राथमिकता है, चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था, समाज का भय मुक्त वातावरण, जांतपांत, मत, मजहब, वर्ग और साम्प्रदायिक भेदभाव किये बिना सभी के जानमाल और बहन बेटियों के इज्जत की सुरक्षा की गारन्टी मैं बताऊंगा कि क्या-क्या है इस पर ।

दूसरी प्राथमिकता है भ्रष्टाचार उन्मूलन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा तीव्र अभियान । क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक विकास नहीं होगा और जब तक विकास नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक पैसा नहीं आयेगा और जब तक पैसा नहीं आयेगा तब तक खाली गरीबी का नारा लगाकर गरीबी नहीं हटाई जा सकती है । इसलिए दूसरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार का उन्मूलन और उसका विरोध हमारा अभियान है । हमने क्या-क्या किया है वह बतायेंगे ।

तीसरी प्राथमिकता है कि प्रदेश के अन्दर जो विकास के रथ का पहिया रुक गया था उसको तेजी से चलाना इसके आधार पर मैंने क्या किया यह मैं कहने वाला हूं ।

चौथी प्राथमिकता है सामाजिक समरसता । श्रीमन्, समाज बांटने की कोशिश की गयी जातिवाद का जहर बोया मात्र वोट के खातिर, गांव का गांव तबाह, समाज के एक वर्ग में दूसरे वर्ग के प्रति बिखराव वैमनस्य झगड़े दंगे । हमने निश्चय किया है कि हम समाज को बंटने नहीं देंगे, हम समाज को कटने नहीं देंगे और हम समाज को परस्पर भिड़ने भी नहीं देंगे यह सामाजिक समरसता हमारी प्राथमिकता है । आज श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से बहुत ही विनम्रता से कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर गांव-गांव में नगर-नगर में जातिवाद के आधार पर पैदा किया गया जहर, उससे पैदा हुआ तनाव और बिखराव नहीं है, अमन चैन से लोग रह रहे हैं । समाज में कुछ तत्व हैं जो समरसता को नष्ट करना चाहते हैं लेकिन मैं उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दूंगा और यह मात्र 4 माह के कार्यकाल में हमने दिखा दिया है । समाज में बिखराव तनाव और आपस में वैमनस्य नहीं है उत्तर प्रदेश में ।

पांचवीं प्राथमिकता है साम्प्रदायिक सद्भाव । आज कुछ तत्व हैं जो साम्प्रदायिक सद्भाव को डिगा देना चाहते हैं और उसमें भी उनकी वोट की राजनीति काम करती है । हमने तय किया है कि हम प्रदेश के अन्दर सामाजिक सद्भाव को बनाये रखेंगे ।

किसी कीमत पर साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट नहीं होने देंगे । श्रीमन्, मैं तो कहा कहता हूं कि हमको भी देखना है तो हमारे विरोधियों के गुमराह करने के भाषण से मत देखें हमें देखना है तो निकट से देखें । मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं । 21 जनवरी, 1998 को उ० प्र० के इतिहास में, 21 वर्षों तक शिया-सुन्नी की अजादारी का जुलूस नहीं निकलता था, कौन नहीं जानता कि यहां लखनऊ में महीनों महीने कर्फ्यू लगा है । और यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी सरकार रही उनके जमाने में कर्फ्यू रहा । कौन नहीं जानता कि कितनी हिन्सा हुई कितने लोगों की जानें चली गईं और उन लोगों की हुकूमत में जाने चली गयी जिनकी कभी न कभी कोई हूकूमत रही होगी । 21 सालों से मामला हल नहीं हुआ था लखनऊ का । श्रीमन्, चूंकि हमारी नीति साफ थी हमारी नीयत साफ थी इसलिये हमारा निर्णय भी साफ हुआ ।

(मेंजों की थपथपाहट)

हमने दोनों सम्प्रदायों को विश्वास में लिया और दोनों ने विश्वास भी किया । मैं शियाओं को, सुन्नियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपस में भी समझदारी का परिचय दिया । लोग कहते थे हायतौबा मचेगी, हिन्सा होगी और कर्फ्यू लगेगा गोलियां चलेंगी, 21 सालों से जो मामला लोग नहीं सुलझा सके वह हमने 21 जनवरी को सुलझा कर दिखा दिया । लोग असंभव मानते थे हमें विश्वास था कि हो जायेगा । दोनों सम्प्रदाओं को नजदीक लाने का प्रयास जारी रखेंगे । 21 जनवरी को हो चुका है वह इतिश्री नहीं है । हम से सभी लोग मिले । रोजा अफ्तार के लिये बुलाया सम्मानित मुल्ला आये मौलवी आये शिया-सुन्नी के आये, वहां पत्रकार मित्र भी थे, एक स्वर से हमारे यहां कहा कि अब हमको महसूस हो गया है कि जो भाजपा को साम्प्रदायिक-साम्प्रदायिक बताते थे, आरोप लगाते थे, आज ईमानदारी से हम महसूस करते हैं कि भाजपा पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाने वाली पार्टियां और वह नेता खुद साम्प्रदायिक थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी यह प्रमाण मैं अपना नहीं दे रहा हूं हमसे जो मिले उसका दे रहा हूं वह समाचार पत्रों में आ गया । जो हमारी प्राथमिकता था सामाजिक समरसता की वह कामयाब हुई है, सामाजिक सद्भाव की जो प्राथमिकता है, वह कामयाब हुई है हमारी पहली प्राथमिकता जो चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था की है उसकी बहुत चर्चा हुई है । लेकिन आप भी विचार करो तो पाओगे कि राजनीति आतंक का माहौल था, वह खत्म हुआ है । हम यह नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बहुत आदर्श रूप दे दिया है । नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उसे हम करेंगे । लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है यह मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं । लोग आंकड़ों के हिसाब से सोचते हैं और केसों के रजिस्टर दबाकर केसों की संख्या कम दिखाते हैं । एक हमारी सरकार है जिसने निर्णय लिया है कि हर छोटी मोटी एफ० आई० आर० थाने में जो जायेगी वह दर्ज की जायेगी । 2-4 जगह से शिकायतें मिलीं हमने दोषी लोगों को मुअत्तल किया है ऐसे लोगों को एफ० आई० आर० दर्ज करना अनिवार्य बनाया है । इसलिए हमें बधाई आपको देना चाहिए । यदि गलत एफ० आई० आर० दर्ज हुई है तो फर्जी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

श्रीमन्, फिरौती और अपहरण में इतने दिनों में 18 प्रतिशत की कमी आयी है । हम तो चाहते हैं कि एक भी अपहरण न हो । लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से मैं बता रहा हूं । हमारे शासनकाल में कमी आयी है । श्रीमन्, जो 655 कुख्यात अपराधी थे उनमें 190 को जेल में बन्द करने का काम किया गया है । इनमें 306 की कुर्की की गयी है और बाकी जो बचे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही जारी है ।

श्रीमन्, दलित उत्पीड़न की बात कही गयी । तो सच यह है कि 4 महीनों में उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न में 35 प्रतिशत की कमी आयी है । गत वर्ष इतनी अवधि में 2585 मामले दर्ज हुए थे लेकिन हमारे समय में 1,649 मामले दलित उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं । इस प्रकार आप देखें तो इसमें कमी आयी है ।

श्रीमन्, महिलाओं की इज्जत-आबरू की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में कमी आयी है । जो इज्जत लूटने की घटनायें होती थी उनमें भी कमी आयी है ।

श्रीमन्, चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि 310 अपराधियों के खिलाफ रासुका लगाया गया है और 635 अपराधियों को गैंगेस्टर एक्ट में तथा 2600 अपराधियों का गुण्डा एक्ट में कार्यवाही हम कर चुके हैं ।

श्रीमन्, इसी प्रकार से हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसने उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया है जिनका माफिया अपराधियों के साथ सांठगांठ रही है और उनमें 100 से कुछ अधिक को बरखास्त कर दिया गया है । लगभग 200 पुलिस कर्मियों को मुअत्तल किया गया है और शेष के बारे में छानबीन करके कार्यवाही विचाराधीन है । इस प्रकार से अपराधियों और माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने का अभियान चालू है । इसमें दोषी कर्मचारियों के खिलाफ हमने कार्यवाही किया है ।

श्रीमन्, इसी के साथ जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा काम किया है उन्हें हमने पुरस्कृत भी किया है और मैं बताना चाहता हूं कि 4,061 पुलिस कर्मियों को हमने पुरस्कृत भी किया है ।

श्रीमन्, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इन चार महीनों में सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने में गुणात्मक सुधार किया है । श्रीमन्, यह सरकार करके कह रही है और अभी हमें कुछ करना बाकी है ।

हम झूठी वाह-वाही नहीं लूटते ।

श्रीमन्, दूसरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान की है । यह तय कर दिया गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी चाहे वह किसी पद पर रहा हो/रही हो और आज भी कितने बड़े से बड़े पद पर क्यों न आसीन हो, भ्रष्टाचार के मामले में हम उसे माफ नहीं करेंगे और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं रहा और रही की बात नहीं कर रहा हूं । आप अपने उन भाइयों से पूछ लीजिये, जो राखी बंधवाया करते थे ।

श्री कल्याण सिंह–

वह तो प्रमोद जी हमारी सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं । कोई भी काम यह सरकार अपने मंत्रि-परिषद् के लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही तय करती है । करोड़ों रुपये के घोटाले संज्ञान में आये । दो मामलों को सी० बी० आई० को सौंपे गये हैं, 5 मामलों में एफ० आई० आर० दर्ज कर दी गई है । एक मामला ऐसा है जिसे सी० ए० जी० को सुपुर्द कर दिया गया है । सी० ए० जी० एक ऐसी संस्था है जिसकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है । प्रमोद जी सी० ए० जी० वही संस्था है जिसने बोफोर्स जैसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया । इसी संस्था को यह बड़ा घोटाला जांच हेतु सौंपा गया है । ज्यों ही रिपोर्ट आ जायेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी । कई मामलों में सतर्कता विभाग से जांच करायी जा रही है । 300 के लगभग भ्रष्ट अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं को

मुअत्तल किया गया है । जिसमें चीफ इंजीनियर्स, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, आई० ए० एस०, आई० पी० एस, पी० सी० एस० और भूमि संरक्षण अधिकारी, जो फर्जी बोरिंग दिखाकर घपला करते थे, ये अधिकारी शामिल हैं । इस प्रकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ।

तीसरी प्राथमिकता है विकास की । मैं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार का खात्मा कुछ लोगों को मुअत्तल या कुछ लोगों को निलम्बित करके नहीं किया जा सकता है । भ्रष्टाचार का खात्मा तो एक ऐसे सिस्टम को विकसित करके किया जा सकता है जहां भ्रष्टाचार को करने की कोई स्थिति ही न हो । दो उदाहरण देना चाहता हूं । कौन नहीं जानता कि मकान और भूमि के मामले में भ्रष्टाचार होता था परन्तु हमने वहां पर एक सिस्टम विकसित कर दिया है ताकि भ्रष्टाचार न हो सके । स्टैम्प्स को कृत्रिम अभाव कर दिया जाता था । हमने तय कर दिया है कि बैंक में उतने स्टैम्प्स का पैसा आप जमा कर दीजिये, हो गया आपका स्टैम्पस । हमने फोटो कापीयर की व्यवस्था कर दी है । रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति को उसी दिन मूल कापी मिल जायेगी । ढाई करोड़ रुपये हमने फोटो कापीयर मशीनों के लिए स्वीकृत कर दिया है । मशीनें लग रही हैं ।

मान्यवर, यह जो डिसक्रीशनरी नाम की चीज है जिसका हिन्दी में अनुवाद ''स्वविवेक'' है, यह अनुवाद ''स्वविवेक'' ठीक नहीं है । स्वविवेक तो बहुत ऊंची चीज है । स्वविवेक का अनुवाद डिस्क्रिशन नहीं हो सकता है और डिस्क्रिशन का अनुवाद स्वविवेक नहीं हो सकता है । डिस्क्रिशन लीवज टू करपशन । तो जहां डिस्क्रिशन होगा भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही बनी रहेगी । रजिस्ट्री में क्या होता है जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसमें सौदा होता है आधा तेरा आधा मेरा । हमने एक सिस्टम बनाया है । जो पहले से निर्धारित सर्किल रेट है उतने ही सर्किल रेट की स्टैम्प लगा दिये जायेंगे या बैंक में उतना ही पैसा जमा करें रसीद दिखा दी जायेगी । हमने नौकरियों में एक सिस्टम बना दिया । इन्टरव्यू के नाम पर भ्रष्टाचार होता था । करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है, नौकरियां नीलाम होती रही है ...

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, दो बातें कहना चाहूंगा । अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ कहा । मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में समाचार-पत्रों में एक मंत्री के विरुद्ध 50 लाख की घूस का मामला प्रकाशित हुआ था तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे । दूसरा यह है कि रजिस्ट्री में कहां घूस नहीं ली जाती है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमने सिस्टम बनाया है । आप 100,50 आदमियों को मुअत्तल करके भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं । नियुक्तियों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है । हम गलत नियुक्तियों को कैंसिल कर रहे हैं । इन्टरव्यू में 33 नम्बर दिये जाते थे । तो जो अपने लोग होते थे उनको 33 में से 30 नम्बर दे दिये जाते थे और जो अपने लोग नहीं थे उनको 3 ही नम्बर दिये जाते थे तो हमने इसको घटा दिया है । हमने इन्टरव्यू 10 नम्बर का कर दिया है । इसको भी हमने तीन भागों में बांट दिया है । चार नम्बर का सामान्य ज्ञान, तीन नम्बर की उसकी अभिव्यक्ति और तीन नम्बर का उसकी परसेनालिटी । कहां गौरी शंकर जी जैसा सुन्दर गोरे रंग वाला व्यक्ति और कहां कल्याण जैसे सांवले रंग वाला व्यक्ति ...

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, परसेनालिटी का आशय रंग से नहीं होता है । यह उसके व्यक्तित्व से होता है । इसलिए रंग को [illegible] ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं आपका आभारी हूं । पहले इन्टरव्यू में तीन लोग बैठते थे । एक चेयरमैन और दो सदस्य और चेयरमैन नम्बर देता था । लेकिन अब हमने यह कर दिया है कि चेयरमैन भी नम्बर देगा और दो सदस्य जो बैठे हैं वह भी नम्बर देंगे और तीनों को जोड़कर जो औसत निकलेगा उसी के अनुसार सलेक्शन होगा । 40 नवम्बर का आब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है । जो क्वेशचन शीट होगी उसकी डुप्लीकेट कापी होगी और बीच में कार्बन होगा । वह कार्बन कापी अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेगा । हम बाद में उनके उत्तर को अखबार में प्रकाशित करायेंगे जिससे वह अपने आन्सर मिला लें तो अब कहां से भ्रष्टाचार होगा ।

यानी 100 में से 90 नम्बर अभ्यर्थी के हाथ में है । केवल 10 नम्बर छोड़े हैं और अगर इसके बावजूद भी धांधलेबाजी होती है, भ्रष्टाचार होता है और बेईमानी होती है तो हमारा प्रस्ताव उसको संज्ञेय अपराध बनाने का है । ऐसे एक नहीं अनेक सिस्टम इन्वाल्व करते जा रहे हैं ।

कर्मचारियों की बात आयी, यह सरकार साधुवाद की पात्र है । उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों के वेतनमान स्वीकार कर लिये हैं । इससे 2 हजार 535 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आया है, हम इसको जुटायेंगे । शिक्षा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का मामला विधाराधीन है, बजाज कमेटी को सारा मामला संदर्भित किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, विचार करके लागू करेगें ।

श्री प्रमोद कुमार–

1989 में यह तय हो गया था कि जो केन्द्र वेतन देगा वही यहां पर दिया जायेगा, तो इस कमेटी का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

कुछ ऐसे पद हैं, जो केन्द्र सरकार में नहीं हैं उनके समतुल्य नहीं हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने केवल राजकीय शिक्षकों की बात कही है, हमारी मंशा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में जो काम करते हैं, उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण होना चाहिए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो शिक्षक हैं, उनमें राजकीय शिक्षक भी सम्मिलित हैं । मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री ब्रह्म दत्त की एक कमेटी थी और मैं उसका एक सदस्य था, इसलिये मैंने कहने का औचित्य समझा है ।

श्री कल्याण सिंह–

बहुत विस्तार का मामला हो जायेगा । कुछ पद केन्द्र सरकार में नहीं हैं और शिक्षकों में और लोकल बाडीज के विभागों के पदों में समतुल्यता नहीं थी, इसलिये इसके लिये बजाज कमेटी बनायी गयी है, लेकिन हम सिद्धान्तः इस बात से सहमत हैं कि शिक्षकों के बारे में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों, हम सहमत हैं कि उसके अनुसार शिक्षकों को भी वेतनमान दिये जायें । अब इसके संबंध में जितने ब्योरे की बात होगी, उसके लिये बैठक कर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग से यह आ जाये कि यह बात क्यों कह दी ?

श्रीमन्, किसानों की बात की गयी । यह सरकार किसानों के हितों के लिये प्रतिबद्ध है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

भले ही टेल तक पानी न पहुंचे ।

श्री कल्याण सिंह–

टेल तक पानी पहुंचेगा उसके लिये नहरों में सिल्ट की सफाई के लिये 55 करोड़ का प्राविधान किया है पहले जब माननीय ओम प्रकाश सिंह मंत्री थे तब सफाई हुई थी और अब हो रही है । ग्रामीण जनता को उसके लिये साझीदार बनाया है, उसके लिये प्रधान से प्रमाण-पत्र लिया जायेगा । तमाम कैनाल्स की सफाई हो रही है । इससे सच माने में किसान की तरक्की होगी ।

किसान पर ट्रैक्टर खरीदने पर 6.25 प्रतिशत का टैक्ट लगा दिया था, उसे स्टैम्प ड्यूटी के रूप में यह देना पड़ता था, इसमें हमने कर दिया है कि कोई भी कृषि यन्त्र हो उस पर स्टैम्प ड्यूटी समाप्त और मात्र 100 रुपये उसे देने होंगे तो यह पहली बार हुआ है ।

श्रीमन्, किसानों के ऊपर जो बिजली का बकाया पड़ा हुआ है हमने फैसला किया है कि 31 जनवरी, 98 तक किसान जो पुराना बकाया जमा कर देंगे उनका अधिभार समाप्त हो जायेगा, तो वह अधिभार समाप्त कर दिया है । किसान इसके अनुसार भुगतान कर रहे हैं ।

गन्ने के किसानों में उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार एक निर्णय लिया है पहले पकने वाली फसलों के लिये 80 रु० और शेष के लिये 75 रु० कीमत होगी इससे 32 लाख किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा । यह पहली सरकार है जिसने किसानों के बारे में सोचा है ।

सीरा नियंत्रण समाप्त कर दिया है पूरे हिन्दुस्तान में सीरा जा सकता है । माननीय अम्बिका प्रसाद जी को मालूम होगा उ० प्र० ही एक ऐसा राज्य था जहां पर शीरे के दो रेट थे एक कन्ट्रोल्ड और एक डिकन्ट्रोल्ड । आपको पता होगा यह किसके जमाने में दोहरी नीति थी, यह किसने चलाई थी इसके पीछे क्या मंशा थी । इसमें करोड़ों रुपयों का घपला था । तो इस सरकार ने सीरा नियंत्रित मूल्य मुक्त किया । चीनी मिलों को उसमें लाभ हुआ है और वह किसानों के पैसे की अदायगी आसानी से करेंगे ।

उ० प्र० पहला राज्य है जिसने संविधान के संशोधन–73, 74 के अनुसार ग्रामीण एवं नगर निकायों को स्वावलम्बी बनाने का निर्णय लिया है और राज्य के करों में से धनराशि को सीधे डिवैल्यूशन करने का निर्णय लिया है । फाइनेन्स कमीशन ने उसमें केवल 10 प्रतिशत टैक्स का भाग देने की बात कही लेकिन हमने कहा है नहीं हम 11 प्रतिशत देंगे 7 परसेंट नगर निकायों को और 4 परसेन्ट ग्रामीण निकायों को तो जहां पहले जिला और ग्राम पंचायतों को केवल 20 करोड़ प्राप्त होते थे अब 255 करोड़ मिलेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह निकायें कर वसूली के लिये अनेक बैरियर सड़कों पर लगा रहे हैं जिनके माध्यम से सिर्फ लूट हो रही है । बलिया में बस पड़ाव का ठेका होता है उसमें एक-एक दिन में 40-40, 50-50 हजार की वसूली हो रही है उसका कहीं हिसाब नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है इसके बारे में हम विचार करेंगे और निर्णय करेंगे । हम आपके सुझावों का आदर करते हैं, विपक्ष तो हमारा मित्र है हम उसके सुझावों को ससम्मान स्वीकार करते हैं ।

गांव के लिये अब तक केवल 29 करोड़ रुपये की मदद मिलती थी जो नया सिस्टम बन रहा है उसमें 255 करोड़ मिलेगा यानी कि 13 गुना और मिलेगा । ग्रामीण निकायों को धान की मद से

464 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे इस तरह से अब गांवों के विकास के लिये 719 करोड़ रुपये मिलेंगे । नगरीय क्षेत्र के लिये कुल मिलाकर 483 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

जब पहले दूसरा सिस्टम था और अनुदान देते थे तो जब तक अनुदान के लिये परसेन्टेज और कमीशन नहीं आ जाय तब तक अनुदान नहीं जाता था, इसको मैं स्वीकार करता हूं । लोग अधिकारियों से मिले हथेली गरम की और अनुदान ले गये जो नहीं कर सकते थे वह रह जाते थे हम कितनों को मुअत्तल करते । अब यह जो डिवैल्यूशन सिस्टम में जैसे केन्द्र सरकार से सीधे पैसा राज्य सरकार को मिलता है वैसे ही राज्य सरकार से सीधे पैसा स्थानीय निकायों को मिलेगा और इसमें अनुदान वाली पद्धति को समाप्त कर दिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसमें डिस्क्रीशन का कोई प्राविधान तो नहीं रह गया है ।

श्री कल्याण सिंह–

नहीं, डिस्क्रीशन का कोई प्राविधान नहीं रह गया है । अब 80 फीसदी डिवैल्येशन जायगा आबादी के हिसाब से । यह धन डायरेक्ट पहुंचेगा और यह पहली बार हमारी सरकार ने किया है । अब तक इन नगरीय निकायों के ऊपर बिजली बोर्ड का जो बकाया था 31-3-1997 तक उसके भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ने खुद ले ली है उसका पेमेन्ट हम करेंगे उनको मुक्त कर दिया है ताकि वह वित्तीय दृष्टि से सम्पन्न हो सकें क्योंकि पंचायतें हों या नगर निकाय हों उनको हम लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते हैं । अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया । जो हमने अपने ऊपर भार लिया है वह कोई 10-20 हजार, 40-50 लाख या 40-50 करोड़ का नहीं है बल्कि 550 करोड़ रुपये का भार अपने ऊपर लेकर इन निकायों को मुक्त कर दिया है यह रुपया उन्हें भुगतान नहीं करना है ।

हम विद्युत व्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने स्थानीय निकायों को मुक्त कर दिया है लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन पर करोड़ों रुपये का बकाया है उसका क्या किया है ।

श्री रामजग–

मान्यवर, पूंजीपतियों के ऊपर जो बकाया है उसके बारे में बता दें ।

श्री कल्याण सिंह–

आपका क्षेत्र कौन सा है ।

एक सदस्य–

भोगांव के हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

आप शरमा क्यों रहे हैं । इधर बैठे हुये शिकारपुर वाले नहीं शरमा रहे हैं तो उधर बैठे हुये भोगांव वाले क्यों शरमा रहे हैं ।

(हंसी)

आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे । श्रीमन्, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण ठीक हो जाय इसके लिये हमने 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । जिस दिन हमने शपथ ली सितम्बर में उस दिन

प्लान्ट लोड फैक्टर 42-43 फीसदी था आज प्लांट लोड फैक्टर 51.5 प्रतिशत पर आ चुका है और जल्दी ही यह 55 फीसदी पर आ जायेगा । 31 मार्च, 1990 तक हमारी कोशिश है कि प्लान्ट लोड फैक्टर 60 फीसदी हो जाये । कुछ मशीनें हमारी खराब थीं उनको ठीक कराया है ताकि उत्पादन बढ़े । पावर के क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं । कुछ लोग कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं । हम बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट नहीं करेंगे तो अन्धकार रहेगा । इस नाते बिजली के क्षेत्र में यह कार्य किया जा रहा है ।

और जिसमें ध्यान कम गया है बिजली की चोरी रोकने के लिये । 11 किलोवाट और उससे ऊपर के सब स्टेशन हैं और उस पर मीटर लगा देंगे और उस पर जो अधिकारी कर्मचारी होगा उससे हम हिसाब लेंगे कि इतनी बिजली तुम्हें हमने दी थी उसका पैसा दे । इस तरह की एकाउन्टेबिलिटी पहली बार की जा रही है । बड़े-बड़े कारखाने हैं । बिजली की चोरी करते हैं और उनके मीटर ही बन्द पड़े हैं । जब चेकिंग के लिये आदमी जाता है तो पांच मिनट दरवाजे पर लगा देते हैं उसके बाद पांच मिनट में अन्दर जाकर मीटर चालू कर देते हैं और चेकिंग वाले के चले जाने के बाद फिर मीटर बन्द कर देते हैं । गरीबों का गला कटता है । हमने फैसला किया है कि सभी कनसर्न के अन्दर, फैक्टरी या जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उसमें एक गेट हम अपना बनवायेंगे और उस गेट पर लगने वाला ताला हमारा होगा और ताले की कुन्जी हमारे हाथ में होगी । जिस समय भी कोई चेकिंग के लिये जाये धड़धड़ाता हुआ अन्दर चला जाय उसे बाहर इन्तजार न करना पड़े ।

एक सदस्य–

मीटर रीडर ही चोरी कराते हैं बिजली की ।

श्री कल्याण सिंह–

बिजली चोरी के मामले में किसी को बख्शा नहीं जायेगा । कटिया हटाओ आपको कनेक्शन दिया जायेगा । आज कटिया डालकर बिजली जलाई जाती है जिससे बिजली फुंकती है और कभी-कभी लोड ज्यादा हो जाता है तो ट्रांसफार्मर फुंक जाता है जिससे ट्यूब वेल बन्द हो जाता है और सिंचाई नहीं हो पाती है । हमने एक फैसला लिया है किसी को सजा मत दीजिये । जिसके यहां कटिया पड़ी है उसको कनेक्शन दे दीजिये । एक सादे कागज पर एग्रीमेन्ट कर ले और सीधे-सीधे उसको कनेक्शन दे दें । हम कहते हैं कि आज तक तो चोरी से बिजली जलाई पर अब हमारा उपभोक्ता बन जा । हम कनेक्शन दे देते हैं । एक महीने का बिल भी नहीं लेंगे । कारण यह है कि कटिया डालकर बिजली जला ही रहा था । अब हमारा रेगुलर कनेक्शन ले लेने से उपभोक्ता बन जायेगा और बिल जमा करेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जिस तरह से कटिया डालकर बिजली जलाने वालों को कनेक्शन देंगे उसी तरह से रजबहों से काटककर पानी ले जाते हैं इसी सिद्धान्त के अनुसार उनके साथ भी कार्यवाही करेंगे और कुलावे लगवा देंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

नहीं, नहीं, नहीं, हरगिज नहीं । इन दोनों में भारी फर्क है । रजबहों को काटकर किसानों की तबाही करना यह छूट नहीं दी जा सकती । हम यह नहीं करेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

चोरों के सामने नतमस्तक हो जायेंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

बिजली चोरी करने वालों के सामने नतमस्तक नहीं होंगे बल्कि सिस्टम को विनियमित करके अनियमित बिजली जलाने वालों पर कन्ट्रोल कर रहे हैं । आप प्रमोद तिवारी जी, जो बिजली मंत्री रह चुके हैं उनसे पूछ लेते तो यह सवाल नहीं उठाते । श्रीमन्, हमने एक हजार किलोमीटर की नहरों की पटरियों को पक्का करने का फैसला किया है । जो कार्यकाल उनका बचा है उसमें लक्ष्य रखा है कि 5 हजार किलोमीटर नहर की पटरियों को खड़न्जा से नहीं बल्कि डामर रोड कर देंगे जिससे हजारों गांव उससे जुड़ जायेंगे ।

गड्ढा मुक्त सड़क की बात कही गई । शिकायतें दी गई मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चाहे इस पक्ष में हों चाहें उस पक्ष में हों मैं इन्वीटेशन दे रहा हूं जहां सड़कों में गड्ढे हैं वह आप लिखकर दें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा । मैंने 12 किलोमीटर लगातार जहाज से नहीं, सड़क से जाकर देखा है उसमें कुछ फर्जी चीजें देखने को मिलीं, इसमें 16 लोगों को मुअत्तल किया गया है तीन अधिशासी अभियन्ता, जे०ई०, ए० ई० हैं । हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे आप यदि कहीं गड्ढे हैं, पत्र लिखकर देंगे तो तत्काल उसकी जांच करायेंगे । 157 ब्लाक ऐसे हैं जहां कन्या इन्टर कालेज नहीं है इसमें हम निजी प्रबन्ध तंत्र की सहभागिता कर रहे हैं जिलाधिकारी मंडलायुक्त को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों को खोजा जाए । बहुत से ऐसे लोग हैं । निजी प्रबन्ध तंत्र की सहभागिता के आधार पर 157 ब्लाक्स में कन्या कालेज खुलवायेंगे । जो निजी तंत्र सामने आयेंगे उसमें दस लाख आर्थिक सहयोग हम देंगे । 27 महाविद्यालय खोलने की बात आई है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक बात कहना चाहता हूं कि पहले से यह योजना चल रही थी शासन जिन जगहों में भूमि देने में बदमासी कर रहा है उसमें क्या करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

भूमि उपलब्ध करायेंगे और दस लाख रुपये भी उपलब्ध करायेंगे । श्रीमन् 1986 से हायर सेकेन्ड्री स्कूल एड पर नहीं लिए गए । 1986 के बाद से यह पहली सरकार है । इस समय 144 शेष विद्यालय अनुदान सूची में नहीं थे । हमने कहा 50 प्रतिशत के अनुदान पर हम स्कूल लेंगे । 250 स्कूलों को अनुदान सूची में लिया जाता है । श्रीमन् यह पहली सरकार है जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक के छात्रों की छात्रवृत्ति को दुगुना कर दिया है । समाज के शेष वर्ग के लिए मेधावी छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति का प्राविधान किया है और उनके लिए आमदनी का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । मेधावी छात्रों के लिए आमदनी का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शिक्षा के संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दो कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं मिर्जापुर में लोकपुर ग्राम विकास खण्ड में छात्रावास लड़कियों के लिए बनवायें, राजगढ़ कलवारी माफी लोकापुर पहाड़ी विकास खण्ड में भी छात्रावास बनवायें, इन दोनों के लिए धन स्वीकार किया गया था लेकिन विगत तीन वर्षों से यह मामला वैसे ही लम्बित चला आ रहा है । शासन से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों कन्या विद्यालय, दोनों पिछड़े क्षेत्र हैं, लड़कियों के पढ़ने का कोई प्राविधान नहीं है उसके रहने के लिए छात्रावास का प्रबन्ध करा दें ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् ऐसे बहुत से स्थानीय मामले आयेंगे उन मामलों में बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनका निरीक्षण परीक्षण कराए मेरे जैसा व्यक्ति यहां पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है । न प्रतिबद्धता कर सकते हैं । आप इस सम्बन्ध में पत्र भिजवा दें उसका परीक्षण करवा लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ईद का चांद दिखाई पड़ गया है कम से कम लोगों को घर जाने दें ।

श्री कल्याण सिंह–

आप ने यह कह दिया कि यह जो एक लाख 10 हजार नियुक्तियां की जायेगी उनके लिए धन कहां से आएगा यह कोई नई नियुक्तयां नहीं हैं पद पहले से ही खाली पड़े थे उन रिक्तियां को भरने का काम यह सरकार करने जा रही है । रोजगार छतरी योजना छोटी-छोटी योजनाओं को मिलाकर नौजवानों को रोजगार देंगे । इसी प्रकार से पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देल खण्ड उत्तरांचल क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुए वहां उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज तैयार कराने जा रहे हैं । बेघर को घर जिसकी चर्चा यहां पर हो रही है लखनऊ, आगरा, मेरठ आदि शहरों में हजारों लोगों को आवास दिए गए हैं । यूनीवर्सिटी फार मेडिकल साइंसेज की स्थापना का प्रस्ताव आया है । उत्तर प्रदेश में यूनीवर्सिटी फार साइंस की स्थापना करेंगे । प्रदेश के विकास के लिए कृषि पर विशेष जोर होगा । बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण पर विशेष जोर होगा । किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके इस पर विशेष जोर होगा । गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें यह सरकार की आने वाली प्लानिंग का एक अंग होगा । माननीय अम्बरीष कुमार ने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोक्त हुई जग जानता है यहां पर विधायकों की खरीद फरोक्त नहीं हुई । जिसकी मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं । आपने दल बदल का भी आरोप लगाया यह दल बदल नहीं दिल बदल था । आपने 6 दिसम्बर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें हमें भी सजा हुई है । हां हुई है पर 6 दिसम्बर 1992 का यह विधवा प्रलाप कब तक चलता रहेगा क्या इसे अनन्त काल तक चलायेंगे । मुझे साधुवाद देना चाहिए था मैंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली और कहा कि हमारे अधिकारियों का कोई दोष नहीं है । लेकिन 13 सितम्बर को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला हुआ तो हमला करने वाले कौन लोग थे यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है लेकिन बलि का बकरा आपने डी०आई०जी०, कमिनर, एस०पी० को बनाया, न्यायपालिका पर हमला किसने किया, विधायिका पर हमला किसने किया, पत्रकारों पर हमला किसने किया, कार्यपालिका पर हल्ला बोल किसने किया, व्यापारियों पर हमला बोल किसने किया रामपुर तिराहे पर महिलाओं पर हमला बोल किसने किया ? और कल परसों यहां पर 21 अक्टूबर, 1997 को इसी सदन में हल्ला बोला, हमने तो कोई हल्ला नहीं बोला । हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 21 अक्टूबर की बात भिन्न है ।

श्री कल्याण सिंह–

रही हमको एक दिन की सजा की बात । राम मंदिर की खातिर एक दिन की सजा तो क्या, मुझे पूरे जीवन की सजा भी होगी तो हम संहर्ष स्वीकार करेंगे । राम मंदिर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । राम मंदिर किसी मजहब का सवाल नहीं है, राजनीति का सवाल नहीं है, वोट का सवाल नहीं है, हिन्दू मुस्लिम का सवाल नहीं है, राम मंदिर का प्रश्न राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव, मान का, सम्मान का और हमारी पहिचान का, हमारी संस्कृति का है, उसकी खातिर एक दिन की बात करते हैं, हम एक जन्म की

सजा भुगतने के लिए तैयार हैं । आप एक सरकार की बात करते हैं, हम दर्जनों सरकारें न्योछावर कर देंगे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं । आपने कुम्भ मेले की बात की है । मैंने स्वयं जाकर देखा है, जहां-जहां गड़बड़ियां पायी हैं उनको बख्शा नहीं है, बहुतों को मुअत्तल भी किया है । अगर आपके पास गड़बडी की दो-चार बातें हों तो उसे आप दे दीजिऐगा ।

कुम्भ मेले के संबंध में हमें जो भी शिकायतें मिली हैं उन सारी शिकायतों की जांच रूड़की विश्वविद्यालय की टेक्निकल सेल से, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, सरकार के अधीन नहीं है, से करायेंगे । हम किसी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं, हम किसी भ्रष्टाचारी के वकील नहीं हैं । भाई अम्बरीष जी को आभारी होना चाहिए था कि कुम्भ मेले के संदर्भ में लगभग 100 करोड़ रुपये का काम हो गया, उसमें से 65 करोड़ रुपये की स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन होने जा रहा है । बाकी लोग सोचते होंगे कि मेरे जिले में ऐसा मेला क्यों नहीं आया । पत्रकारों ने कहा कि कुम्भ मेले में जो सड़कें बनायी गयी हैं उनकी मोटाई कम है । हम छेनी-हथौड़ा लेकर उनके साथ चल दिये और नपना पत्रकारों के हाथ में दे दिया, पद नापा तो मैंने कहा कि मोटाई बाद में बतायेंगे, पहले यह बतायें कि मानक क्या हैं ? जब नापा तो मानक 7.2 सेण्टीमीटर का था उसे पत्रकारों ने अपने हाथ से नापा तो 9.2 सेण्टीमीटर यानी मानक से ज्यादा मोटाई पाया । अगर कहीं पर भी मुझे शिकायत मिलती है तो मैं सख्त कार्यवाही करूंगा । मैंने वहां चीफ इन्जीनियर को हटा दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

चौधरी अम्बिका जी ने जो सवाल उठाये थे उसके उत्तर आ गये हैं । बलिया के किसी एस०डी०ओ० की बात उन्होंने कही थी अगर आप पूरा ब्यौरा लिखकर दे देंगे तो एक्शन हो जायेगा ।

श्री सुबाष श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या के प्रकरण पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक दिन की सजा क्या अगर जिन्दगी भर की सजा हो जाये तो उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेंगे ? अर्थात इन्हें अयोध्या की घटना पर कोई पश्चाताप नहीं है । अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यसूची में मथुरा, काशी भी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश था कि इस ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी । लेकिन उसका आदर नहीं हुआ । मुख्यमंत्री जी के इस बयान से एक बुरा सन्देश जनमानस में जा रहा है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् इनका प्रश्न भी अनुत्तरित न रह जाय, इस नाते से कुछ कहना तो पड़ेगा ही । भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही स्पष्ट सोच है कि अयोध्या में राम जन्म भूमि, राम के मन्दिर का पूरा होना आवश्यक है । अब आप मुसलमानों को न बहकावें कि वहां मस्जिद भी बनायें । जहां तक मथुरा और काशी की बात है, उसके संबंध में हमने बार-बार कह दिया है कि मथुरा और काशी भाजपा के एजेन्डा पर नहीं हैं, लेकिन जो है, उसको हम डंके की चोट कर कह रहे हैं, हम छिपाते नहीं हैं । इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मात्र वोटों की खातिर हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे ।

श्रीमन् महिला आयोग की बहुत चर्चा की गई, हां समाप्त कर दिया क्योंकि उसके क्रियाकलाप ठीक नहीं थे । महिला आयोग का गठन हम करेंगे, हमने उसे हमेशा के लिये खत्म नहीं किया है । जहां-जहां हमें कमी नजर आयेगी, उसे जरूर ठीक करेंगे । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हमने खत्म किया है और सबने इसको पंसद भी किया है । अब हम एक ऐसा सिस्टम बनायेंगे जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहने पावे । महिलाओं को मान मिले, सम्मान मिले, यह भाजपा की प्रतिबद्धता है । पार्लियामेन्ट के अन्दर 33 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण होना चाहिये, यह बिल क्यों नहीं आया, क्या इसके लिये कांग्रेस दोषी नहीं है, क्या संयुक्त मोर्चा दोषी नहीं है, इसके लिये [illegible]

रहे और यह आज हमारे घोषणा-पत्र में भी है । अब पार्लियामेन्ट में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, विधान मण्डलों और लोक सभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत की आरक्षित सीटें दी जायेंगी ।

श्रीमन् एक बात सुबाष श्रीवास्तव जी ने कही कि क्षेत्रीय असंतुलन कैसे दूर होगा, 92 करोड़ में कैसे होगा । मैं इनकी जानकारी के लिये बता दूं कि पूर्वांचल में जिला योजना के अन्तर्गत 671 करोड़ का प्राविधान है, इन 671 करोड़ के अलावा 92 करोड़ पूर्वांचल की विकास निधि के नाम पर रखा गया है, इस प्रकार दोनों राशियां मिलाकर 763 करोड़ होता है, हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो ।

श्रीमन् अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति साफ है, नीयत साफ है, सरकार की निगाहें साफ हैं, इसी नीति से सरकार का होने वाला हर निर्णय भी साफ है, पारदर्शी है । जो हमने यह संस्कृति अपनाई है, समयबद्धता, सम्पंशीलता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और डबटेलिंक सिस्टम की, इस नई कार्य संस्कृति का धीरे-धीरे असर हो रहा है । घोर वित्तीय संकटों के बावजूद हम संसाधन जुटा रहे हैं । इस डबटेलिंक सिस्टम में हमने 556 करोड़ का पूल बनाया है जिसमें से हम सड़कें देंगे । हमने केन्द्र से भी कहा है कि जो हिस्सा बनाता है, वह दे दें । वी० डी० आई० एस० उसमें भी जो हमारा हिस्सा बनता है लगभग 1334 करोड़ का, वह हमारे प्रदेश से गया है । मैं वित्त मंत्री जी से मिला था केन्द्र में, उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने में मिल जायेगा क्योंकि पार्लियामेन्ट में जब तक उसका बिल नहीं पास होता है तब तक देना मुश्किल है । मैं समझता हूं कि इसमें तर्क है । वह मुझसे कहने लगे कि अप्रैल में पैसा दे दूंगा । अप्रैल में, तब तो भारत सरकार का वित्त मंत्री और कोई होगा । श्रीमन्, हमारा केन्द्र पर ढाई हजार करोड़ रुपया वाजिब है । हमने कहा कि मार्च में लूट होती है और 31 तारीख को और लूट होती है और 31 तारीख को 12 बजे ज्यादा लूट होती है, हमने कहा कि फरवरी, में दे दें । उन्होंने वायदा किया है और वायदा किया है तो निभायेंगे भी हम उन पर वादा खिलाफी का आरोप नहीं लगाते ।

श्रीमन्, यह सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है । समाज में समरसता, एकता, भाईचारा बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साम्प्रदायिक सद्भाव को हर कीमत पर बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है, कानून व्यवस्था को चुस्तदुरुस्त कर भय मुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के रथ के पहिये को तेज गति से चलाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है । मैं आपके माध्यम से इस पक्ष और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के प्रति हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी है । हम आप दोनों एक दूसरे की आलोचना करते रहे होंगे लेकिन जनता के प्रति दायित्व एक जैसा ही है और खास तौर से विकास एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता पक्ष के लिए जितना जरूरी है उतना विपक्ष के लिए भी जरूरी है तो, आइये हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की इस महान जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें । इन शब्दों के साथ श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पुनः एक बार आपके माध्यम से अपने सभी इधर के सदस्यों और उधर के सदस्यों प्रतिपक्ष के सदस्यों जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव दिये और शांति से सुना, मैं आभारी हूं धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बरीष जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक बात कही और वह बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कही कि बहुमत तय करने का स्थान विधान सभा होता है राजभवन नहीं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को थोड़ा पीछे की ओर ले जाना चाहूंगा 1995 में एक घटना ऐसी ही हुई थी और जिस प्रकार वर्तमान

मुख्यमंत्री जी की सरकार से समर्थन वापस लिया गया था, एक राजनैतिक दल ने ऐसी ही घटना घटित की थी अगर मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी के नेताओं का और अपना वक्तव्य याद हो उन्होंने उस समय यह नहीं कहा कि विधान सभा में बहुमत का फैसला हो, तब तो सीधे-सीधे यह मांग की थी कि जब बहुजन समाज पीर्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिये । मुख्यमंत्री जी को आभारी होना चाहिये राज्यपाल महोदय का कि जिन्होंने उस परम्परा को तोड़ते हुए उनकी सरकार को भंग न करके उनको 36 घंटे का समय दिया । सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की बात आप कह रहे हैं, आप सुन लें, एस० आर० बोम्मई का केस मैंने भी पढ़ा है उसके बाद ही यह घटना 1995 में हुई थी । डबल स्टैण्डर्ड की बात कह रहे हैं, अपने विषय पर कुछ कहेंगे और दूसरे के विषय में कुछ कहेंगे ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी बात का ही स्मरण करा रहा हूं । पुलिस की बात मुख्यमंत्री जी ने कही, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल एफ० आई० आर० दर्ज होने से अभियोजन चलने से, पुलिस के मूल चरित्र में कोई अंतर आ रहा है । क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि गांव का कोई आदमी पुलिस थाने में जाने की बिना किसी नेता की सिफारिश के हिम्मत कर सकता है ? एफ० आई० आर० की बात तो छोड़ दीजिये । मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के मूल चरित्र को परिवर्तित करने के लिये क्या योजना बनायी है ? अभी आपने सामाजिक समरसता सामाजिक सद्भाव की बात कही जिन लोगों की कार्यवाहियों के कारण उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में दंगें हुए करोड़ों अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई वह साम्प्रदायिक एकता की बात, सदन के फर्श पर नहीं कह सकते । वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रकरण आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजाज कमेटी का गठन कर दिया गया है यह नहीं बताया गया कि बजाज समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और इससे पहले जो वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उनमें समरूपता थी कि नहीं अब क्या नयी चीज देने जा रहे हैं उस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला है । किसानों के बारे में बहुत सी बातें कही । इन दो महीनों में फसलें नष्ट हुई हैं उसकी क्षतिपूर्ति का कितना भाग देने को तैयार हैं इसकी कोई घोषणा नहीं हुई ।

केन्द्र सरकार से पैसा मिलने की प्रत्याशा में तत्काल उसको देंगे कि नहीं इसकी घोषणा नहीं की । केन्द्र से पैसा 3 महीने बाद मिलेगा तो उसका क्या फायदा का बरसा जब कृषि सुखाने किसान को आज पैसे की जरूरत है । विद्युत की बात कही । गांव में कितने घंटे आपूर्ति हो रही है यह नहीं बताया कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता गांव में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की है 2-3 घंटे मुश्किल से गांव में विद्युत मिल रही है । प्लांट लोड फैक्टर की बात आयी, अखिल भारतीय स्तर पर पी० एल० एफ० कितना है इसको नहीं बताया गया एन० टी० पी० सी० को जो ट्रांसफर हुआ है उसमें कितना बढ़ा है और जब उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के नियंत्रण में था तो कितना पी० एल० एफ० था अब एन० टी० पी० सी० में जाने के बाद कितना है । विद्युत परिषद् में जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, वहां नये कर्मचारियों की भर्ती पर रोक कब हटायेंगे इसकी कोई घोषणा नहीं हुई ताकि वहां बेहतर ढंग से कार्य संचालन हो सके । आपने स्थानीय निकायों के विद्युत बकाये को माफ करने की घोषणा कर दी यह स्वागत योग्य कदम है वह जर्जर स्थिति में थे । पंजाब में आपकी पार्टनर अकाली दल सत्ता में है उनकी ही भांति यह घोषणा करते कि उ० प्र० के तमाम किसानों को बिजली मुफ्त दी जायेगी तो शायद हम लोग संशोधन वापस ले लेते और मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करते लेकिन यह घोषणा आपने नहीं की । बिजली के बारे में कुल कितनी बिजली प्रदेश को चाहिये इनस्टाल्ड केपिसिटी कितनी है कितना उत्पादन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में जो योजनायें दी गयी हैं उन पर काम कब शुरू होगा इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में जो इंजीनियर को हटाने की बात थी, तो बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जिनको निलम्बित किया है, तो यह उसी अवस्था में होता है जब उसको

नौकरी से हटाना हो लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनको सस्पेंड तो किया है किन्तु चार्जशीट तक नहीं दी गयी है और कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया जाएगा । तो यह भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा ? इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है ।

अंत में मा० मुख्य मंत्री जी जो मैंने कहा है उसमें मेरे पास आफिशियल डाकूमेंट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस हाऊस की एक कमेटी का गठन करने का आज एलान कर दें तो भ्रष्टाचार की जांच हो जाएगी । वर्ष 1992 में भी आप की ही सरकार के समय में अर्ध–कुम्भ हुआ था । उस समय वहां के तत्कालीन सांसद ने भष्टाचार के संबंध में आपको लिखा था किन्तु जांच में कोई बात साबित नहीं हुई कह दिया गया । इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस हाऊस की एक कमेटी बना दें जो पी०डब्लू०डी० मंत्री की अध्यक्षना में जांच करे तो इससे मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता की सही सेवा आप कर सकेंगे ।

श्रीमन्, हरिद्वार में एक पुल बह गया था, एक कैंसिल कर दिया और उस पुल को पुनः बनवाया गया । इस संबंध में भी आप बतायें ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्तावों पर बल देते हुए सभी मा० सदस्यों, वह चाहे पक्ष के हों या विपक्ष, को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दोनों सदनों को एक साथ समवेत में दिए गये अभिभाषण पर मैंने कल जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा था उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी मा० सदस्यों से अपेक्षा थी कि माननीय सदस्यगण रुचि लेकर अभिभाषण पर अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखेंगे और रखते तो मुझे बड़ी खुशी होती ।

श्रीमन्, वर्तमान में जो मा० कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसने इन 4 महीनों की अल्पवयस्क, शैशव अवस्था, की सरकार किन्तु वयस्क सरकार है उसने इस अवधि में जो क्रियाकलाप किए हैं, जो योजनायें रखी हैं उनका विस्तार से अध्ययन करने के बाद यदि आप लोग अपने विचार रखते तो हम सभी और प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित होती । मैं सोचता हूं अभी मा० नेता विपक्ष, सदन में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा जो लिखित संशोधन आए थे उनको देखने के बाद और अन्य जो संशोधन आये थे उनको देखने से ऐसा लगता है कि जिस तरह से विभिन्न विभागों में एक प्रोफार्मा बनाकर दिया जाता है, उन पर नाम पता भरकर भेज दिया जाता है तो उसी तरह से संशोधन के जो प्रस्ताव उनकी तरफ से आए हैं वह एक प्रोफार्मा की तरह ही संशोधन के प्रस्ताव भेज दिए गये हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर प्रस्ताव में यह प्रस्ताव होता कि यह सरकार नाबालिग सरकार है तो उसी प्रकार की अनुसंशायें की जाती ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंने शैषवास्था में वयस्क सरकार की बात कही है । मुझे तो ऐसा लगा कि सम्पूर्ण विपक्ष अपने नेता के अभाव में जैसे अनाथ की भूमिका निभा रहा हो । सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि जैसे लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं है । वह वायलेन्स-कल्चर में विश्वास करते हैं । विधान सभा के अन्दर बहस के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करने में उनकी रुचि नहीं है । मैंने विस्तार से माननीय

विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुना । जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारे सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखे हैं, चूंकि उसमें दुराग्रह से प्रेरित संशोधन का प्रस्ताव है, उसमें कोई तर्क नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक-एक बिन्दु पर विस्तार से जानकारी दे दी है और सरकार की मंशा भी व्यक्त कर दी है, उसके बाद कोई चीज नहीं बच जाती, जिस पर विपक्ष अपना कोई तर्क दे या उसके संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जाय । इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि विपक्ष के माननीय सदस्य अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें । उनके बहुमूल्य सुझाव जो सरकार के ध्यान में आने योग्य हैं, उन पर सरकार ध्यान देगी । इतना ही निवेदन करते हुए मेरा पूरे सदन से अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो मैंने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसे पारित करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अम्बरीष कुमार जी क्या आप अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 27 जनवरी, 1998 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-1-98 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना श्री तेजभान सिंह जी की जनपद सुल्तानपुर में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना श्री छोटे लाल गंगवार की जनपद बरेली में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना श्री हरवंश कपूर की जनपद देहरादून में प्रेमनगर-देहरादून मार्ग पर बस-सेवा बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री मोहन सिंह गांववासी की पौड़ी जनपद के बेसिक विद्यालयों व बेसिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अधूरे भवनों को पूरा कराये जाने तथा जीर्ण-शीर्ण भवानों को पुनः निर्माण कराने के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़–इलाहाबाद मुख्य मार्ग (राम वन गमन मार्ग) के प्रतापगढ़ भाग की टूट-फूट की मरम्मत कराये जाने में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं के संबंध मे छठी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-गढ़ी रसूलपुर एवं रहीमपुर में दीवारें गिरने से हुए दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को अहेतुक सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थानों की पुलिस की अकर्मण्यता तथा अपराधियों से की जा रही सांठ-गांठ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, आठवीं

सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद गाजियाबाद में यातायात विभाग के अधिकारियों एवं ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर की मिलीभगत से उ० प्र० सड़क परिवहन निगम को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, नौवीं सूचना श्री कृपाशंकर सिंह की जनपद उन्नाव में जिला अधिकारी द्वारा विकास कार्यों की घोषणायें किये जाने तथा जन-प्रतिनिधियों व जिला योजनाओं के निर्णयों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से खर्चे किये जाने के संबंध में, दसवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जनपद मेरठ में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले गेहूं, चावल एवं मिट्टी के तेल की मात्रा को आवश्यकतानुरूप बढ़ाये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना श्री राम कृपाल व श्री विनोद मणि की उत्तर प्रदेश बेरोजगार अप्रेन्टिस महासंघ के तत्वाधान में चलाये जा रहे धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन तथा अप्रेन्टिस बेरोजगारों को शीघ्र समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में हैं, उपरोक्त सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयीं ।

राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने एवं अतिरिक्त अवसर दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में अभ्यर्थन की अधिकतम आयु....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष की जाय, साथ ही उ०- प्र० लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा सन् 1992 से 1995 के बीच आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में प्रतियोगिता से बाहर हुए अभ्यर्थियों को 3 अतिरिक्त अवसर दिये जायें । इसके अतिरिक्त पूर्व में विद्यमान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1991 से 1998 के मध्य आयोजित परीक्षाओं में प्रतियोगिता से बाहर हुए प्रतियोगियों को भी 3 अतिरिक्त अवसर दिये जायं ।

2–उ० प्र० सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 जो 24-3-1972 को अधिसूचित की गई, द्वारा राज्य की समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई । इस नियमावली में प्रथम संशोधन दिनांक 23 जून, 1979 द्वारा उक्त अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष की गई । तत्पश्चात समय-समय पर उक्त सीमा में वृद्धि की जाती रही है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुरोधों पर भली-भांति विचार करने के उपरान्त उक्त नियमावली में 30 मार्च, 1991 के आठवें संशोधन द्वारा राज्य की समस्त सेवाओं और पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष को बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया गया है, जो सम्प्रति प्रभावी है । सामान्यतः समूह "ग" एवं उच्चतर पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है । इस प्रकार एक अभ्यर्थी को विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा में 21 से 32 वर्ष के मध्य लगभग 11 से 12 अवसर प्राप्त होते हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है । किसी सेवा की गुणवत्ता उस सेवा के युवा एवं उत्साही

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सदस्यों पर निर्भर करती है । 32 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में आने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने की लगन की दृष्टि में भी बहुत उपयोगी नहीं रहेंगे । अतः सीधी भर्ती की वर्तमान अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

3–किसी राज्य सेवा/पद की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष का प्रावधान उ० प्र० सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 में है । उसमें किसी भी परिस्थिति में कोई छूट दिये जाने का अतिरिक्त अवसर दिये जाने का प्राविधान नहीं है । अस्तु अधिकतम आयु सीमा की वर्तमान व्यवस्था उचित है उसमें कोई छूट दिये जाने या परिवर्तन किए जाने का औचित्य नहीं है । ।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब सदन सम्मति के पश्चात सभा मण्डप गैलरी में चित्र वीथिका का अनावरण तथा मा० सदस्यों को हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह भेंट किये जाने की सूचना

राष्ट्रगान होने से पहले एक सूचना मैं सदन को देना चाहूंगा । अभी यहां पर गैलरी में चित्र वीथिका का अनावरण किया जायेगा उसके पश्चात् हम लोग यहां पर (सभा मण्डप में) फिर से आयेंगे और सभी माननीय सदस्यों को हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह का वितरण किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम लोग राष्ट्रगान गायेंगे ।

राष्ट्रगान

"जन-गण-मन-अधिनायक जय है ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-वंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन सांयकाल 7 बजकर 17 मिनट पर अनिचित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

29 जनवरी, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़ा पूर्वांचल के विकास के संबंध में,

2–पूर्वांचल का सर्वाधिक उपेक्षित जनपद देवरिया के विकास के संबंध में,

3–देवरिया, कुशीनगर रेलवे ढाला पर ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में,

4–देवरिया सदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित गोरयाघाट पुल तथा वैकुण्ठपुर पुल के निर्माण के संबंध में,

5–देवरिया नगर में बलिकाओं के शिक्षा हेतु एक और राजकीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में,

6–देवरिया नगर में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण के संबंध में,

7–देवरिया को पूर्व की भांति विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के संबंध में,

8–विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदन में छोटी गण्डक नदी के पूर्वी क्षेत्र में एक विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में,

9–देवरिया जनपद की चीनी मिलों पर किसानों के विगत पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराये जाने के संबंध में,

10–प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ठोस सार्थक कार्यक्रम की घोषणा।"

3–श्री रामजग	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में, मुख्य मंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने 21 सितम्बर, 97 को शपथ लिया था। यह सरकार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के बल पर बहुमत प्राप्त करके सत्तासीन हुई। 19 अक्टूबर, 1997 को बहुजन समाज पार्टी ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। सरकार अल्पमत में आ गयी। अल्पमत सरकार को तत्काल धारा 356 के अन्तर्गत बर्खास्त करने के बजाय विश्वासमत प्राप्त करने के लिए दो दिन का समय देकर अन्य दलों से तोड़फोड़ करके जिस प्रकार से बहुमत प्राप्त करके 93 सदस्यीय मंत्रि-मण्डल का गठन माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया, वह स्पष्ट रूप से जनतन्त्र की आत्मा पर घातक प्रहार था, के संबंध में,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–श्री कल्याण सिंह की सरकार के गठन के पहले की सरकार के समय से "बिगड़े हाल में कानून व्यवस्था", "खराब वित्तीय स्थिति", "केवल कुछ गांवों के आधे अधूरे विकास", टूटे मनोबल की नौकरशाही", "सामाजिक बिखराब", "भ्रष्टाचार" का जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है । इस स्थिति की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की है, क्योंकि उस समय के सत्ताधारी गठबन्धन की बड़ी पार्टी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ही होने के संबंध में,
		3–वर्तमान सरकार के पिछले 4 माह के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति चिन्तनीय है । आये दिन हत्याओं, अपहरण, लूटपाट, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं । प्रदेश की राजधानी में नित्य प्रति घटित होने वाली इस प्रकार की घटनायें इस स्थिति की साक्षी हैं । विकास के कार्य ठप्प हैं । बिजली का संकट पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीर हो जाने के संबंध में,
		4–नवम्बर मास से दिसम्बर के प्रथम पखवारे तक लगातार बारिश, तूफान, ओलावृष्टि से खरीफ की फसले धान, मक्का, ज्वार, बाजरा नष्ट हो गयी । अगेती फसलें, लाही, सरसों, आलू नष्ट हो गयी । रबी की चना, मटर फसलों की अगेती बुआई का बीज मार हो गया । जनवरी माह से किसानों ने बुआई का कार्य और आरम्भ किया जो अभी जारी है । रबी की फसल भी 3 चौथाई नष्ट हो चुकी है । पूरे प्रदेश के किसानों का जितना नुकसान दो महीनों में हुआ, शायद पिछली शताब्दी में जो अब समाप्त होने वाली है, ऐसा नहीं हुआ । उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को कोई राहत नहीं पहुंचा सकने के संबंध में,
		5–सरकार की पांच प्राथमिकतायें चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था, भयमुक्त वातावरण, भ्रष्टाचार, समग्र विकास, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव के बदले प्रदेश में नित्य प्रति गिरती कानून व्यवस्था, भय और आतंक, बढ़ते भ्रष्टाचार असंतुलित अवरुद्ध विकास, साम्प्रदायिक दंगों व तनाव की स्थिति पैदा हो जाने के संबंध में,
		6–हार्स ट्रेडिंग, अपराधियों के सांठ-गांठ के बल पर सरकार के गठन से चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था, भयमुक्त समाज की, सरकार द्वारा घोषणा, मजाक की बात बनकर रह जाने के संबंध में,
		7–अनुसचित जाति/जनजाति, कमजोर वर्गों व महिलाओं के विरुद्ध पिछले चार माह में उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होने के संबंध में,
		8–वर्तमान सरकार ने देहातों में भूमिहीन खेत, मजदूरों, जिनकी प्रदेश में करोड़ों की जनसंख्या है, उद्योग धन्धों में लगे श्रमिकों व करोड़ों असंगठित मजदूरों के संबंध में, इन्हें शोषण व उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने, इनके अच्छे जीवन यापन, इन्हें रोजगार देने तथा देहाती श्रमिकों के बीच भूमि वितरण आदि के संबंध में कोई नीति घोषित नहीं करने के संबंध में,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–मेहनतकश जनता के भिभिन्न हिस्से द्वारा अपनी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलनों के प्रति सरकार का रवैया दमनकारी होने तथा राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के आन्दोलन के प्रति सरकारी रुख इसका प्रमाण होने के संबंध में,
		10–सार्वजनिक धन से (सरकारी खजाने) हजारों-करोड़ों रुपया खर्च करके जो उद्योग, विद्युत संस्थान, कारखाने खड़े किये गये, उन्हें मिट्टी के भाव, पूंजीपतियों के हाथ बेचकर, सरकार केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी ही नहीं कर रही है, वरन् बेरोजगारी की वृद्धि, विकास को अवरुद्ध व भविष्य को अन्धकारमय बनाने का प्रयास करने के संबंध में,
		11–सरकार के सड़कों पर गड्ढा भरो अभियान में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त होने के संबंध में,
		12–एक तरफ सरकार निजी प्रबन्धतन्त्रों के अन्तर्गत विद्यालयों की स्थापना के लिए, आर्थिक सहायता दे रही है, दूसरी तरफ ऐसे विद्यालयों को वित्तविहीन मान्यता दे रही है । सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं को नियमित आर्थिक सहायता न देना शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के साथ क्रूर मजाक है । सरकार की इस नीति से पठन-पाठन का स्तर गिरने के संबंध में,
		13–पिछले लगभग एक वर्ष के काल में दर्जन भर नये जिलों और इतनी ही संख्या में नई तहसीलों का निर्माण हुआ है, परन्तु इन जिलों व तहसीलों के मुख्यालयों पर कार्यालयों व आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य तक अभी नहीं आरम्भ हुआ है । इससे प्रशासन विकास कार्यों के संचालन व कानून व्यवस्था के रख-रखाव में अराजकता व्याप्त है । सरकार का ध्यान इस स्थिति की तरफ कतई नहीं होने के संबंध में,
		14–पिछले चार माह में अल्पसंख्यकों, दलितों, कमजोर वर्गों व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गये हैं । इन वर्गों में आतंक व भय व्याप्त होने के संबंध में,
		15–उ० प्र० में नहरों की पटरी को लेपन कराने की योजना मे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर की नहर की पटरियां यातायात का मुख्य मार्ग है नहर की पटरी का लेपन कराये जाने के संबंध में,
		16–मेंहनगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्गों के लेपन कार्य नहीं होने के संबंध में,
		17–मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अमारी के पास नोनी नदी पर पुल जूवा-गतवा के बीच नोनी नदी पर पुल सिसवा हैदराबाद के पास मंगई नदी पर पुल, सेन्दुरी के बेसों नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में,
		18–मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के इण्टरमीडिएट कालेज, डिग्री कालेज खोलवाये जाने के संबंध में,

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	19–मेंहनगर में चलने वाले आई०टी०आई० को गलत ढंग से बन्द करके कहीं और चलाया जा रहा है । मेंहनगर में ही उसे चलाया जाय तथा आई०टी०आई० स्कूल का भवन बनवाये जाने के संबंध में,
	20–कंचनपुर उचहुआं, रासेपुर, बोगरिया वेलहाडीह (सभी तरवा ब्लाक) शम्भूनगर, मेंहनगर (सभी मेंहनगर ब्लाक) गोसाई की बाज (लालगंज ब्लाक), बक्सपुर (ढकेया ब्लाक) में सरकारी अस्पताल खोले जाने के संबंध में,
	21–गोसाई की बाजार (लालगंज ब्लाक) में उप विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में ।"
4–श्री अवधेश प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
	1–प्रदेश में इस वर्ष जबरदस्त शीत लहरी और मौसम की खराबी से किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है और समस्त फसलें बर्बाद हो गयी हैं । किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया है । आज भी प्रदेश के किसानों की पचास प्रतिशत गेहूं की बुआई नहीं हो पाई है । सरकार की तरफ से किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गयी है के संबंध में,
	2–प्रदेश के गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर अरबों रुपया बकाया है उसके भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है दूसरी तरफ ऋण की वसूली में गांवों के लोगों को तहसील की कोठरियों में बन्द किया जा रहा है । किसानों को तत्काल गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाय ऋण की वसूली रोक दी जाय के संबंध में,
	3–प्रदेश के छात्रों की विभिन्न कक्षाओं में फीस बढ़ने के फलस्वरूप गरीब छात्रों का पढ़ना मुश्किल हो गया है जिससे उनका भविष्य अन्धकार में हो गया है के संबंध में,
	4–प्रदेश में अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार के राज में प्रदेश की जनता भयमुक्त हो गयी है यहां तक कि राजधानी में अपरध तथा अपराधियों की निरन्तरता बढ़ोत्तरी हो रही है अपराधियों पर नियंत्रण पाने में सरकार असफल है के संबंध में,
	5–प्रदेश में कल्याण की योजनाओं जिसमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान पेंशन है लगभग बन्द हो गयी है । नई पेंशन नहीं स्वीकृत हो रही है के संबंध में,
	6–आज समूचा प्रदेश बिजली के संकट से परेशान है सबसे ज्यादा नुकसान देहातों के कुटीर उद्योग और किसानों पर पड़ रहा है साथ ही साथ छात्रों की पढ़ाई जिनकी परीक्षायें नजदीक हैं चौपट हो रही हैं इसके निराकरण के संबंध में,

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	7–प्रदेश में विकास के सारे काम जिसमें सड़क, पुलिया, स्कूल, नाली, ट्यूबवेल शामिल हैं अवरुद्ध हैं के संबंध में,
	8–जनपद फैजाबाद स्थित विधान सभा क्षेत्र सोहावल में विकास खण्ड मसौधा और विकास खण्ड सोहावल में दो-दो राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन बन कर तैयार हैं जिसकी स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन शिक्षा आरम्भ नहीं हो सकने के संबंध में,
	9–फैजाबाद स्थित भदरसा टाउन एरिया में विद्युत कनेक्शन लगभग 4 माह से क्षतिग्रस्त है लगभग 25 हजार लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है इसके समाधान के संबंध में,
	10–प्रदेश में हजारों अरबी मदरसे हैं जिनके अनुदान को बन्द कर दिया गया है जिससे तमाम शिक्षकों तथा उर्दू और अरबी पढ़ने वाले छात्रों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गयी है । इसके समाधान के संबंध में,
	11–प्रदेश के समस्त आन्दोलनरत शिक्षक एवं निगम के कर्मचारियों की समस्या के समाधन के संबंध में ।''
5–श्री रामपाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
	''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :–
	1–प्रदेश में गत दिसम्बर माह में हुई असमय वर्षा, ओलावृष्टि व खराब मौसम के कारण प्रभावित गेहूं, आलू की अधिकांश फसल नष्ट हो गयी, किसानों को कोई मुआवजा/आर्थिक सहायता देने के संबंध में,
	2–प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार व अपराधिक माफियाओं पर सरकार के नियंत्रण के संबंध में,
	3–प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर करने हेतु प्रयासों के संबंध में,
	4–शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर को सुधारने व रोजगार परक शिक्षा योजना लागू किये जाने के संबंध में,
	5–दलितों, मजदूरों, किसानों व अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ ठोस योजना बनाये जाने के संबंध में,
	6–जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज में सड़क, बिजली व पेयजल की समस्या के निदान के संबंध में ।''
6–श्री सीताराम निषाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
	''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
	1–यह कि निषाद, मछुवा समुदाय की उपजातियां/पर्यायवाची जातियां केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, कश्यप को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करके अनुसूचित जाति की सुविधायें दी जायेंगी,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–यह कि बनवासी समाज जो वास्तव में आदिवासी समुदाय है उसकी उपजातियां/पर्यायवाची जातियां, बनराजा, बनमानुष, मुसहर को अनुसूचित जाति की श्रेणी से निकालकर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जायेगा, 3–यह कि उ० प्र० में मछुवा आवास योजना लागू करके गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआ समुदाय के सभी व्यक्तियों को इन्दिरा आवास की भांति मछुवा आवास उपलब्ध कराया जायेगा, 4–यह कि नीलगायों के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए नीलगायों को मारने का अभियान चलाया जायेगा, 5–यह कि बीकापुर तहसील जनपद फैजाबाद में राज्य सेक्टर से एक गन्ना एवं चीनी मिल की स्थापना की जायेगी, 6–यह कि तमसा (मड़हा नदी) के घाट टकसरा पर शाही जमाने के पुराने टूटे पुल के स्थान पर पक्के पुल का पुर्नर्मिण तथा बेरेहटा घाट पर नया पक्का पुल का निर्माण कराया जायेगा तथा 7–यह कि तहसील बीकापुर फैजाबाद में चौरा बाजार व गयासपुर में नये विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा।"
7	श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री अम्बरीष कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में :– 1–प्रदेश के किसानों की दुर्दशा और उनकी फसलों के पूरी तरह बर्बाद होने व उन्हें राहत दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा 2–कुम्भ मेला हरिद्वार की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच सी०बी०आई० से कराने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।"

पी० एस० यू० पी०–एल० 4 विधान सभा (05)1998–813 (डी० टी० पी०)।